भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति

समेकित वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

कोल इण्डिया
Coal India

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
एक मिनी रत्न कंपनी

विषय

5 संकल्पना एवं लक्ष्य

6 सूचना

10 निदेशक मंडल

11 बोर्ड के सदस्यगण

12 वर्ष के दौरान प्रबंधन

13 बैंकर एवं लेखा परीक्षक

16 निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

19 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का संदेश

25 संचालन आंकड़े

38 निदेशकगण का प्रतिवेदन

154 सीएसआर प्रतिवेदन

168 अनुसंधान एवं विकास

173 कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

179 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

189 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणपत्र

190 स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा प्रबंधन का जवाब

213 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

221 सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

226 सेबी का विनियमन 33

228 तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

230 लाभ-हानि लेखा

232 नकदी एवं नकदी समतुल्य के प्रवाह का विवरण

235 इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

237 कॉरपोरेट सूचना

238 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति

263 वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

315 वित्तीय विवरणियों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

हमारी संकल्पना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संकल्पना है – खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।

हमारा लक्ष्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का लक्ष्य है – सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपरण करना है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
BHARAT COKING COAL LIMITED
(A Mini Ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
(www.bcclweb.in)

पं.का.:- कोयला भवन कोयला नगर, धनबाद - 826005
Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad – 826005
CIN: U10101JH1972GOI000918
दूरभाष :**0326-2230190**
ई-मेल : cos.bccl@coalindia.in

बोर्ड सचिवालय /**Board Secretariat**

संदर्भ सं.: BCCL:CS:F-AGM/2024/105 दिनांक : 26 .07.2024

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 53वीं वार्षिक आम बैठक की अल्पकालिक सूचना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद्द्वारा अल्पकालिक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय: कोयला भवन, डाकघर: बीसीसीएल टाउनशिप, कोयला नगर, धनबाद में दिनांक **01अगस्त, 2024 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 09:45 बजे** से होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2024 को अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरणी सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ ही उसपर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति, विवेचन एवं ग्रहण करने हेतु।

2. **₹44.4325 करोड़ का अधिमानी लाभांश घोषित करना (अर्थात 888.65 करोड़ रुपए के कुल बकाया अधिमानी लाभांश का 5%)।**

3. श्री देबाशीष नंदा, निदेशक, डीआइएन सं. 09015566, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

4. श्री मुरलीकृष्ण रमैया, निदेशक, डीआइएन सं. 10061115, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

विशेष कार्य:

मद सं. 5.

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

संकल्पित किया गया कि कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमित होने सहित), वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) ₹ 15,34,000.00 (पंद्रह लाख चौंतीस हजार रुपए मात्र) एवं करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 02.09.2023 को 405वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 405 पीओटी (1) के तहत एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है और एतद्द्वारा अनुसमर्थित किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोयला भवन, पो. बीसीसीएल टाउनशिप, कोयला नगर, जिला – धनबाद
दिनांक : 26.07.2024

टिप्पणी

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 05 मई, 2022 जिसके साथ-साथ 28 दिसंबर, 2022 तथा 13 जनवरी, 2021; 08 दिसंबर, 2021; 14 दिसंबर, 2021 तथा 08 अप्रैल, 2020; 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 तथा परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25.09.2023 (सामूहिक रूप से लेखा मानक "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) को एक साथ पढ़ा जाए, एक सामान्य जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" / "मीटिंग") आयोजित करने की अनुमति दी है। एनसीए परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही है। वार्षिक आम बैठक के मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

   वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग या ऑडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी की अधिकृत ईमेल आईडी से पहले ही लिंक प्रदान किया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले उपलब्ध होगी तथा निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा।

2. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के तहत / कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार एक कम समय की सूचना पर बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. चूंकि, एमसीए परिपत्र के अनुसार यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं हैं।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ख) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रजिस्टरों को खुला रखना आवश्यक है, ताकि यह बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होगा।
5. आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24.04.2024 को आयोजित अपनी 409वीं बोर्ड बैठक में ₹44.4325 करोड़ की अधिमानी लाभांश के भुगतान की घोषणा कर दी है (अर्थात ₹888.65 करोड़ के कुल बकाया अधिमानी लाभांश का 5%)|

6. एजीएम में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार एक विवरण "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है।
7. इस बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का विवरण "**अनुलग्नक ख**" में दिया गया है।

प्रतिलिपि:

i. बीसीसीएल के सभी निदेशकगण।
ii. मेसर्स एनसी बनर्जी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक।
iii. मेसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक।
iv. मेसर्स चंद्रा वाधवा एंड कं., लागत लेखा परीक्षक।

सूचना का अनुलग्नक
अनुलग्नक - क
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक है, निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण दिनांक 26.07.2024 की संलग्न सूचना की मद संख्या 4 के तहत उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है।

मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की संपुष्टि

कंपनी नियम 2014 (लेखा एवं लेखा परीक्षक) के नियम 14 के अनुसार:

लेखा परीक्षक का मानदेय:- धारा 148 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए:

(क) उन कंपनियों के मामले में जिन्हें लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है-

i. बोर्ड एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जो व्यवहार में लागत लेखाकार हो या एक ऐसा फर्म, जो लागत लेखाकार का कम कर रहा हो , लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर लागत लेखा परीक्षक के तौर पर ऐसे लागत लेखा परीक्षक के लिए पारिश्रमिक की सिफारिश भी करेगा;

ii. लेखा परीक्षा समिति द्वारा (i) के तहत अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा और बाद में शेयरधारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के मौजूदा नियम और शर्तों के तहत कंपनी के निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जो दिनांक 02.09.2023 को आयोजित बीसीसीएल की 405वीं बोर्ड बैठक के मद सं. 405 पीओटी-1 के अनुसार ₹15,34,000.00 के पारिश्रमिक पर (लेखा परीक्षा शुल्क के 50% तक सीमित जेब से खर्च और जीएसटी ,यदि कोई हो,जो लागू होने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा) लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीसीसीएल के मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रों का लागत लेखा परीक्षा करने के लिए है| विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	लेखापरीक्षा फर्म का नाम	फर्म की पंजीयन सं.	क्षेत्रों का नाम	कुल फ़ीस (₹)
1.	चंद्र वाधवा एंड कं.	000239	मुख्य/प्रधान लेखा परीक्षक	4,40,000
2.	जोशी आप्टे एंड एसोसिएट्स	000240	कतरास, सिजुआ और डब्ल्यूजे क्षेत्र	2,56,000
3.	के बी सक्सेना एंड एसोसिएट्स	000313	(i) बस्ताकोला, पूर्वी झरिया, सीवी (सहित)। दहीबारी कोल वाशरी)	2,36,000
4.	एस जी एंड एसोसिएट्स	000266	लोदना, पुटकी बलिहारी और कुसुंडा क्षेत्र	2,33,000
5.	एमओयू बनर्जी एंड कंपनी	000138	बरोरा, ब्लॉक- II, गोविंदपुर क्षेत्र	2,04,000
6.	के के दास एंड एसोसिएट्स	000192	वाशरी डिवीजन, मधुबन कोल वाशरी	1,65,000

निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों द्वारा संपुष्टि के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की सीमा को छोड़कर उक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या रुचि (वित्तीय या अन्यथा) नहीं रखते।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा की।

बोर्ड के आदेशानुसार

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोयला भवन, पो. बीसीसीएल टाउनशिप, कोयला नगर, जिला – धनबाद
दिनांक : 26.07.2024

अनुलग्नक - ख

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:-

सामान्य बैठक ("एसएस-2") पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित है-

निदेशक का नाम एवं पदनाम	श्री देबाशीष नंदा, निदेशक(व्यवसाय विकास) (सीआईएल), सीआईएल द्वारा नामित	श्री मुरलीकृष्ण रमैया, निदेशक(का.)
डीआईएन	09015566	10061115
जन्मतिथि	13.05.1965	16.08.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	23.08.2022	23.02.2023
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार/सीआईएल द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	श्री नंदा यूसीई बुर्ला, संबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, आरईसी राउरकेला से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर तथा आईआईएफटी, नई दिल्ली से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातकोत्तर हैं। वे सीआईएल में निदेशक (व्यवसाय विकास) के प्रभार में हैं।	वर्ष 1984-1988 में सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र से स्नातक (विज्ञान) तथा वर्ष 1991 में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल वेलफेयर एंड बिज़नेस मैनेजमेंट , कोलकाता, पश्चिम बंगाल कॉलेज से सोशल वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैं। वे बीसीसीएल में निदेशक (कार्मिक) के पदभार में हैं।
कंपनी में शेयरधारिता	₹ 1000 का एक (1) इक्विटी शेयर/ कोल इंडिया लिमिटेड के नामित शेयरधारक	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और दूसरे केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड बैठक में उपस्थिति	10	09
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद की सूची	1.कोल इंडिया लिमिटेड- निदेशक (व्यवसाय विकास) 2.हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड- अध्यक्ष एवं निदेशक 3.सीआईएल नवीकरणीय उर्जा लिमिटेड- निदेशक 4.सीआईएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड- निदेशक	शून्य
बीसीसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/सदस्यता	बीसीसीएल लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	बीसीसीएल की सीएसआर समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य।

निदेशक मंडल

श्री समीरन दत्ता
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशकगण

श्री आनंदजी प्रसाद
परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय,
नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित

श्री देबाशीष नंदा
निदेशक (व्यवसाय विकास),
सीआईएल, कोलकाता

पूर्णकालिक निदेशक

श्री मुरलीकृष्णा रमैया
निदेशक (कार्मिक)

श्री मुरलीकृष्णा रमैया
निदेशक (कार्मिक)

श्री संजय कुमार सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री शंकर नागाचारी
निदेशक (तकनीकी)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती शशि सिंह

श्री आलोक कुमार अग्रवाल

श्री राम कुमार राय

श्री सत्यव्रत पंडा

:

दिनांक 22.07.2024 तक बोर्ड के सदस्यगण

कार्यकारी निदेशकगण

श्री समीरन दत्ता	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री मुरलीकृष्ण रमैया	:	निदेशक (कार्मिक)
श्री राकेश कुमार सहाय	:	निदेशक (वित्त)
श्री संजय कुमार सिंह	:	निदेशक (तकनीकी) परिचालन
श्री शंकर नागाचारी	:	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना

अंशकालिक निदेशकगण

श्री आनंदजी प्रसाद
श्री देबाशीष नंदा

स्वतंत्र निदेशकगण

श्रीश्रीमती शशि सिंह
श्री आलोक कुमार अग्रवाल
श्री सत्यव्रत पंडा
श्री राम कुमार राय

कंपनी सचिव

श्री बानी कुमार पारुई

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री अमन राज

कंपनी सचिव

श्री बानी कुमार पारुई

वर्ष 2023-24 दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री समीरन दत्ता	:	(28.12.2021 से निरंतर)

पूर्ण कालिक निदेशकगण

श्री समीरन दत्त	:	वित्त 29.12.2021 से 13.04.2023 तक निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ)
श्री संजय कुमार सिंह	:	तकनीकी (05.02.2022 से 30.06.2023 तक)
श्री उदय ए. कावले	:	तकनीकी (22.08.2022 से 19.12.2023 तक)
श्री मुरलीकृष्ण रमैया	:	कार्मिक (23.02.2023 से निरंतर)
श्री राकेश कुमार सहाय	:	वित्त (14.04.2023 से निरंतर)
श्री संजय कुमार सिंह	:	तकनीकी (10.10.2023 से निरंतर)
श्री शंकर नागाचारी	:	तकनीकी (12.01.2024 से निरंतर)

अंशकालिक निदेशक

श्री आनंदजी प्रसाद	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित (03.01.2022 से निरंतर)
श्री देबाशीष नंदा	:	निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट), सीआइएल, कोलकाता (23.08.2022 से निरंतर)

स्वतंत्र निदेशकगण

श्रीमती शशि सिंह	:	(01.11.2021 से निरंतर)
श्री आलोक कुमार अग्रवाल	:	(01.11.2021 से निरंतर)
श्री सत्यव्रत पंडा	:	(01.11.2021 से निरंतर)
श्री राम कुमार राय	:	(31.12.2011 से निरंतर)

कंपनी सचिव

श्री बी. के. पारुई	:	(01.09.2013 से निरंतर)

बैंकर एवं लेखा परीक्षक

बैंकर
भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन बैंक
कोटक महिन्द्रा बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक

लेखा परीक्षक
सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स नाग ऐंड एसोसिएट्स।
सनदी लेखाकार, धनबाद

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स संजय बजोरिया ऐंड एसोसिएट्स।
सनदी लेखाकार, रांची
मेसर्स अग्रवाल ऐंड क.
सनदी लेखाकार, रांची
मेसर्स ददानी ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, सरायढेला, धनबाद
मेसर्स एडीडी ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, कोलकाता
मेसर्स एन आर वी ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, दुमका, धनबाद
मेसर्स आर के जी एस एल वी ऐंड कं.
सनदी लेखाकार, धनबाद
मेसर्स गर्ग ऐंड क.
सनदी लेखाकार, धनबाद
मेसर्स जीएसएपी ऐंड क.
सनदी लेखाकार, धनबाद
मेसर्स एन के सिंह ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, धनबाद

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कोलकाता
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स कर्मा ऐंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार, अहमदाबाद

मेसर्स एस एन कपूर ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, लखनऊ

मेसर्स बास ऐंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स जी पी ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स विनोद कुमार गुप्ता ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, रांची

मेसर्स कोनार मुस्तफी ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स एम सी जैन ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स आर गोपाल ऐंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स नंदी हलदर ऐंड गांगुली,
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स केपी एम आर ऐंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

मेसर्स एस बी ऐंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, हावड़ा

मेसर्स फोर्ड रोड्स पार्क्स ऐंड एलएलपी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मेसर्स पी के गुटगुटिया ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार, धनबाद

मेसर्स जी के सुरेखा ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार, पटना

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स चंद्र वाधवा ऐंड कं., दिल्ली

मेसर्स जोशी आप्टे ऐंड एसोसिएट्स, पुणे

मेसर्स के बी सक्सेना ऐंड एसोसिएट्स, लखनऊ

मेसर्स एमओयू बनर्जी ऐंड कं., आसनसोल

मेसर्स एस जी ऐंड एसोसिएट्स, कोलकाता

मेसर्स के के दास ऐंड एसोसिएट्स, दुर्गापुर

प्रमुख टीम

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री समीरन दत्ता [58] [डीआईएन- 08519303], दिनांक 28.12.2021 से बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने अगस्त, 1988 में कोयला उद्योग में आकर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में अपना योगदान दिया और फिर अप्रैल, 1990 में इनको कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। जनवरी, 2018 में इनको महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 18.07.2019 को इन्होंने बीसीसीएल के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा इन्हें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संक्टोरिया में निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। वह 1 जुलाई, 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार में रहे। उन्होंने फरवरी, 2022 से अप्रैल, 2022 तक की अल्प अवधि में सीएमपीएफओ के आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त, उन्हें 28.12.2023 से सीएमडी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सैंक्टोरिया का प्रभार भी दिया गया है।

श्री आनंदजी प्रसाद [58] [डीआईएन- 09461651] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से स्नातक खनन अभियंता हैं और उन्होंने वर्ष 1994 में प्रथम श्रेणी में कोयला खान प्रबंधक की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वह एक अनुभवी और जानकार व्यक्ति हैं तथा इनके पास प्रबंधन के साथ-साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ कोयला और ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। इन्होने वर्ष 2010 में रांची विश्वविद्यालय से विधि में भी स्नातक डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1989 में श्री प्रसाद ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) से कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने समर्पण, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और गत्यात्मक नेतृत्व के माध्यम से अपने करियर में प्रगति की। कोयला और धातु खानों के साथ-साथ कोयला खदान संचालन और प्रबंधन की योजना, डिजाइन में विविध अनुभव के साथ, वह सीआईएल और कोयला मंत्रालय के लिए कोयला और ऊर्जा क्षेत्र की कई नीतियों, रोडमैप, विजन दस्तावेजों के निर्माण में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। कोयला और धातु खदानों के साथ-साथ कोयला खदान का संचालन व प्रबंधन की योजना, डिजाइन में विविध प्रकार के अनुभव के साथ, वे सीआईएल तथा कोयला मंत्रालय के लिए कोयला और ऊर्जा क्षेत्र की कई नीतियों, रोडमैप, विजन दस्तावेजों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। भूमिगत खदानों में सतत खनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने तथा सीआईएल खदानों के लिए मॉडल एमडीओ दस्तावेजों के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने सीआईएल और कोयला क्षेत्र में सीआईएल की सात ओपनकास्ट खदानों में डिजिटल परिवर्तन, बंद खानों को पुनः चालू करने , सीएमपीडीआईएल में खनन प्रयोगशाला की एनएबीएल प्रत्यायन जैसे कई अभिनव पहल की| श्री प्रसाद जुलाई, 2021 में कोयला मंत्रालय में योगदान दिए और वर्तमान में परियोजना सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय में, वह विभिन्न नीतियों, योजनाओं, पहलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में कई नीतिगत हस्तक्षेपों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री देबाशीष नंदा [59] [डीआईएन- 09015566] ने दिनांक 23.08.2022 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक का कार्यभार संभाला। वर्तमान में, श्री नंदा कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक (व्यवसाय विकास) के प्रभार में हैं। इससे पहले, वे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कार्यकारी निदेशक (गैस) के रूप में काम कर रहे थे। श्री नंदा यूसीई बुर्ला, संबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, आरईसी राउरकेला से उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और आईआईएफटी, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री नंदा ने वर्ष 1988 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग डिवीजन में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपना योगदान दिया और 11 वर्षों तक सर्वो लुब्रिकेंट्स की मार्केटिंग के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तत्पश्चात, वर्ष 1999 में वे बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप में चले गए। वर्ष 2009 में इंडियन ऑयल के गैस कारोबार में जाने से पहले इन्होंने विदेशों में ल्यूब कारोबार का विस्तार, पीओएल का निर्यात, इंडियन ऑयल की सहायक कंपनियों की स्थापना आदि सहित व्यवसाय विकास गतिविधियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री नंदा ने इंडियन ऑयल के प्राकृतिक गैस कारोबार का नेतृत्व किया, जिसका कारोबार ₹ 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का था। इन्होंने प्राकृतिक गैस कारोबार में इंडियन ऑयल की पैठ बढ़ाने के लिए कई मजबूत रणनीतियां विकसित कीं। इसके अतिरिक, इन्होंने एमओपी ऐंड एनजी

(MoP&NG), पीएनजीआरबी (PNGRB) और अन्य उद्योग निकायों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विविध पदों को भी संभाला है। इन्होंने अमेरिका-भारत ऊर्जा टास्क फोर्स की अध्यक्षता की, बांग्लादेश एवं श्रीलंका तक जाने वाली पाइपलाइन एलएनजी निर्यात-कार्य का नेतृत्व किया है और इन्हें यूरिया संयंत्रों के लिए एचपी-एचटी घरेलू गैस के एग्रीगेटर का दर्जा भी प्राप्त है।

श्री मुरलीकृष्ण रमैया [57] [DIN-10061115] ने दिनांक 23-02-2023 को बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने दिनांक 28-01-1989 से स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और वहां विभिन्न पदों पर रहते हुए 34 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया। इन्होंने वर्ष 1984-1988 के दौरान सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1991 में भारतीय समाज कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त किया। कार्यात्मक संरचना के विभिन्न पदानुक्रम में काम करते हुए, श्री रामैया ने औद्यौगिक संबंध, अनुबंध श्रम प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, संपर्क एवं समन्वय सहित मानव संसाधन कार्यों के सभी क्षेत्रों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बीसीसीएल में निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण करने से पहले, श्री रामैया सेल, दुर्गापुर में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के पद पर कार्यरत थे और इन्होंने उत्पादक कार्य संस्कृति की शुरूआत, संगठन पुनर्गठन, क्षमता से अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहन योजना, परिवर्तन प्रबंधन आदि के लिए भी काम किया है।

श्री राकेश कुमार सहाय [58] [DIN-10122335] ने दिनांक 14 अप्रैल 2023 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (एक मिनीरत्न कंपनी) के निदेशक (वित्त) का पदभार संभाला। इन्होंने वित्त प्रबंधन में एमबीए की उपाधि प्राप्त की है और इन्हें सीआईएल में 27 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव प्राप्त है। श्री सहाय ने लागत प्रबंधन, बजट एवं बजटीय नियंत्रण, बिक्री लेखांकन, स्टोर एवं संपत्ति लेखांकन, लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्तीय योजना, एमआईएस आदि सहित विभिन्न कार्यात्मक और प्रशासनिक भूमिकाओं में बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों एवं मुख्यालय में अपनी पदस्थापना के दौरान अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। कंपनी मुख्यालय में, वे एक महत्वपूर्ण अवधि तक लागत एवं बजट विभाग के प्रमुख रहे हैं और एमओयू लक्ष्यों के निर्माण तथा इसके मूल्यांकन, वार्षिक योजना के लिए वित्तीय अनुमानों के निर्माण, बजट एवं बजटीय नियंत्रण, कामकाजी परिणामों की तैयार करने और निवेश एवं व्यय प्रस्तावों के पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने वाले श्री सहाय ने निदेशक (वित्त) के तकनीकी सचिव के रूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जब कंपनी बीआईएफआर में थी तब इन्होंने बीसीसीएल के पुनरुद्धार की योजना तैयार करने और कोकिंग कोल के मूल्य संशोधन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे अप्रैल 2022 से बीसीसीएल के वित्त विभाग के प्रमुख थे और इनपर विभाग के सभी कार्यात्मक और प्रशासनिक मामलों दायित्व था। इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें वर्ष 2014 में कंपनी के "व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड में योगदान देने से पहले इन्हें पांच बर्ष तक निजी क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा।

श्री संजय कुमार सिंह [56] [डीआईएन- 08535373] आईआईटी (आईएसएम), धनबाद, 1991-बैच के पूर्व छात्र हैं। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों परियोजनाओं के खनन कार्य में उनका 32 वर्षों का योगदान रहा है| उन्होंने 1991 में ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में टाटा स्टील में अपना कैरियर शुरू किया तथा अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में कोयला खदानों के सरगुजा क्लस्टर के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने से पूर्व , कोयला महाप्रबंधक के रूप में 28 वर्षों तक काम किया। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान वर्तमान ऑपरेशन का विस्तार करने और 3 ग्रीन फील्ड परियोजनाएं स्थापित करने में मदद की। बीसीसीएल में योगदान देने से पूर्व, उन्होंने जेएसडब्ल्यू में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कोल स्ट्रैटेजी के रूप में भी काम किया है। अक्टूबर, 2023 में श्री संजय कुमार सिंह ने निदेशक (तकनीकी) के तौर पर बीसीसीएल में योगदान दिया। वह डीजीएमएस से उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी के खान प्रबंधक हैं और उन्होंने अपना सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम सीईडीईपी, फ्रांस से किया। वह खनन भूविज्ञान और धातुकर्म संस्थान (एमजीएमआई) के आजीवन सदस्य भी हैं। उनके पास बड़े ओपन कास्ट और भूमिगत कोयला खनन के संचालन का व्यापक अनुभव है|

श्री शंकर नागाचारी [58] [डीआईएन- 08535373] ने वर्ष 1988 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से माइनिंग इंजीनियरिंग तथा इग्नू से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कन्हान क्षेत्र के अंबारा कोलियरी से की। श्री नागाचारी ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की भूमिगत तथा ओपन कास्ट खदानों में खान प्रबंधक से लेकर क्षेत्रीय महाप्रबंधक तक विभिन्न पदों पर रह कर कोयला उत्पादन से संबंधित गतिविधियों पर काम किया। उनके नेतृत्व में एसईसीएल के बैकुंठपुर क्षेत्र और सोहागपुर क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनांक 13.01.2024 को श्री नागाचारी ने बीसीसीएल में निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना के रूप में पदभार ग्रहण किया।इसके अलावा वे सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/इंजीनियरिंग सेवा) के प्रभारी भी हैं। इससे पहले वह एसईसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं।

श्रीमती शशि सिंह [54] [डीआईएन- 09388596] को दिनांक 01.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमती शशि सिंह एमडी यूनिवर्सिटी, हरियाणा से स्नातक (बी.ए.) हैं। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेती हैं।

श्री आलोक कुमार अग्रवाल [49] [DIN- 09395495] ने 01.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त हैं। श्री अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं तथा इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबी) के साथ पंजीकृत भी हैं। वे सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आईएसए) में डिप्लोमा तथा आईसीएआई से बैंकों के समवर्ती लेखा परीक्षा में प्रमाणन भी है। उन्हें वित्त, लेखा परीक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में 23 वर्षों का अनुभव है| वह विभिन्न कार्य और सामाजिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं।

श्री सत्यब्रत पंडा [63] [डीआईएन- 02736534], दिनांक 01.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। श्री पंडा उत्कल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. तथा पेशे से पत्रकार हैं| वे ओडिया भाषा में इकोनॉमिक क्वार्टरली जर्नल "भूमि" के संपादक हैं।

श्री राम कुमार रॉय [58] [DIN-09461669], दिनांक 31.12.2021 से स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। श्री राम कुमार राय स्नातकोत्तर (एम.ए.) तथा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

श्री अमन राज ने 29 मई, 2023 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। श्री राज 2008 बैच के भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएमई) से हैं, जो विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस 2003 बैच से संबंधित है। उन्होंने बीआईटी मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे में रेलवे के मैकेनिकल विंग के साथ-साथ प्रशासन विंग जैसे मालगाड़ी रखरखाव, डीजल लोकोमोटिव रखरखाव, ट्रेन संचालन, कोचों का रखरखाव, वैगन उत्पादन, पर्यावरण प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न शाखाओं में काम किया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), बीसीसीएल के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार से पहले, वे महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के सचिव के रूप में कार्यरत थे।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कंपनी की 53वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करता हूँ। यह विशिष्ट अवसर है जब कंपनी ने अपने इतिहास में पहली बार कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं और कोल इंडिया लिमिटेड की लाभांश देने वाली सहायक कंपनियों की चुनिंदा लीग में शामिल हुई।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी बही खातों से अपने संचित घाटे को को समाप्त करने में सफल हुई है और यह वास्तव में आशा और उपलब्धि के वर्ष के रूप में माना जाने वाला वर्ष है। यह वर्ष इसलिए भी उल्लेखनीय है कि कंपनी ने अपने पहले के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सर्व कालिक उच्च उत्पादन और प्रेषण प्राप्त किया। कंपनी ने कच्चे कोयले के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 13.59% की वृद्धि करते हुए 41.10 मिलियन टन उत्पादन किया है और 39.27 मिलियन टन कोयला प्रेषण किया है, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.42% की वृद्धि हुई है।

अगर कंपनी की शुद्ध बिक्री की राशि की बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में ₹13,216.17 करोड़ का नया रिकॉर्ड बना, जबकि 2022-23 में यह ₹12333.54 करोड़ था। वर्ष 2022-23 में अर्जित ₹664.78 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित लाभ (पीएटी) ₹1564.46 करोड़ था। लाभ में इस भारी उछाल ने कंपनी को अपने खातों से संचित घाटे को समाप्त करने में सक्षम बनाया, जिससे कंपनी लंबे समय तक त्रस्त रही है और इससे लाभांश की घोषणा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

वर्ष 2023-24 – उपलब्धियों का वर्ष

- उत्पादन, प्रेषण, ओबीआर उत्पादन के मामले में आपकी कंपनी के भौतिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- लगातार तीन वर्षों तक कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया।
- अब तक का सबसे अधिक 41.10 मिलियन टन कोयला उत्पादन।
- अब तक का सबसे अधिक 39.27 मिलियन टन कोयला प्रेषण।
- अब तक का सबसे अधिक 149.28 मिलियन घन मीटर ओबी निष्कासन।
- 1.47 मिलियन टन धुले हुए कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया।
- लगातार तीन वर्षों से पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल किया गया।

❖ लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण कंपनी ने रुग्णता (सिकनेस) से उबरने के बाद पहली बार अपने लेखा बही से संचित घाटे को खत्म किया है।

❖ कंपनी के उपरोक्त प्रदर्शन में आने वाले वर्षों में और सुधार होने की संभावना है, क्योंकि प्रबंधन का ध्यान अनुबंध के माध्यम से उत्पादन के लिए नए पैच की पहचान करने, बीओएम (बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन) मॉडल के तहत नई वाशरी स्थापित करने और आरओएम (रिनोवेट-ऑपरेट-मेंटेन) मॉडल के तहत मौजूदा वाशरी का नवीनीकरण करने पर है। इस दिशा में कंपनी द्वारा उठाए गए कई कदमों के परिणाम सामने आने लगे हैं।

1. परियोजना प्रोफाइल

आपकी कंपनी खदान के संचालन में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस संबंध में, कंपनी ने बीसीसीएल के ब्लॉक-II क्षेत्र में एबीओसीपी खदान से उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसमें पहली बार बीसीसीएल में हाईवॉल माइनिंग तकनीक की शुरुआत की गई है और एक और परियोजना प्रक्रियाधीन है, जिसे पहले ही अवार्ड किया जा चुका है।

कंपनी ने अपनी विविधीकृत व्यवसाय रणनीति में राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ मोड के माध्यम से बंद भूमिगत खदानों में कार्य बहाली के लिए कदम उठाए थे। इस मोड के माध्यम से कार्य बहाली के लिए विचाराधीन 10 खदानों में से, अब तक सात खदानों को सौंपा जा चुका है और यह पहल कंपनी के मुख्य व्यवसाय को एक अलग दिशा देने की संभावना रखती है। सेल के रामनगर ब्लॉक के साथ बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक के संयुक्त दोहन के लिए (4एम.टी.वाई.+30%) क्षमता वाली एक परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसका पीआर अनुमोदन की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान, आपके बोर्ड ने ₹5850.83 करोड़ की स्वीकृत पूंजी के साथ 15 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले ब्लॉक-ई ओपनकास्ट परियोजना को मंजूरी दी है।

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के प्रयास में, आपकी कंपनी ने बीसीसीएल के कार्यक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रुफ टॉप सौर परियोजनाओं के साथ-साथ भूमि पर स्थापित सौर परियोजनाओं को स्थापित करने में काफी सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 1.66 मेगावाट पीक क्षमता का रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित और चालू किया गया है, और 44 विभिन्न स्थानों पर 1.68 मेगावाट पीक क्षमता के ग्रिड से जुड़ी सौर रूफ़टॉप पीवी परियोजनाएँ भी स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिन्ट को कम करने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने 23 ई-वाहनों की खरीद की है, जो ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण, सामाजिक व शासन (ईएसजी) के क्षेत्र में कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र

व्यवसाय का सतत विकास पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रबंधन की मुख्य अवधारणा पर निर्भर करता है और बीसीसीएल ने हमेशा अपने कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों के सम्मिलित प्रयासों के साथ सतत उपायों को अपनाकर व्यवसाय करने का प्रयास किया है। बीसीसीएल ने देश के एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और आगे भी करता रहेगा।

आपकी कंपनी ने विकृत खनन क्षेत्रों और ओवरबर्डन (ओबी) डंपों पर प्राकृतिक वनों की स्थापना के साथ-साथ कुछ विकृत खनन क्षेत्रों और ओबी डंप स्थलों पर पारिस्थितिकी उद्यानों का भी विकास किया है और बीसीसीएल पारिस्थितिकी उद्यानों की स्थापना में खनन उद्योग में अग्रणी रहा है।

आपकी कंपनी, प्राकृतिक वनों के विकास के साथ-साथ, विकृत खनन क्षेत्रों और ओबी डंपों पर पारिस्थितिकी उद्यानों का भी विकास कर रही है और बीसीसीएल पारिस्थितिकी उद्यानों की स्थापना में खनन उद्योग में अग्रणी के रूप में उभरा है। वर्ष के दौरान, गोवर्धन इको-पार्क नाम से एक पारिस्थितिकी उद्यान कंपनी के कार्यक्षेत्र में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन माननीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 13.07.2023 को किया गया।

बीसीसीएल ने बेहतर पर्यावरण विकसित करने के लिए सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें पर्यावरण कार्यशालाओं का आयोजन, इको-माइनिंग पर्यटन का संचालन आदि शामिल हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय जैसे धूल दमन के लिए स्प्रिंकलर का उपयोग, चक्रीय धुलाई व्यवस्था, कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, तेल युक्त खतरनाक ठोस अपशिष्ट का निपटान आदि समर्पित तरीके से किए गए हैं। कोयला मंत्रालय के सतत विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी) के तत्वावधान में पर्यावरण, सामाजिक और सतत गतिविधियों के लिए एक सतत विकास प्रकोष्ठ बीसीसीएल में कार्यरत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लाभ सभी हितधारकों तक पहुंचे।

3. सुरक्षा उपाय

खदान और खनिकों की सुरक्षा बीसीसीएल के एजेंडे में हमेशा शीर्ष प्राथमिकता बनी रहती है। बीसीसीएल सुरक्षा पहलुओं पर उतना ही महत्व देता है जितना कि अपने उत्पादन और प्रेषण पर। बीसीसीएल की प्राथमिक चिंता अपनी प्रमुख संपत्तियों – मानव, खदानों और मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मानव, खदानों और मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बीसीसीएल की खदानों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. कानून के प्रावधान के अनुसार और डीजीएमएस द्वारा प्रदान की गई अनुमति की अपेक्षाओं के अनुरूप खनन गतिविधियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक कर्मियों की तैनाती
ii. डीजीएमएस द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार खदानों का संचालन
iii. सुरक्षा समिति और कामगार निरीक्षकों द्वारा खदानों का निरीक्षण
iv. आईएसओ अधिकारियों द्वारा खदानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण,
v. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आईएसओ अधिकारियों द्वारा खदानों का औचक निरीक्षण।
vi. डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों आदि द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।
vii. एसएमपी में खदानों के जोखिम को पहले ही पहचान लिया गया है।
viii. बीसीसीएल की सभी संचालित खदानों के लिए साइट विशिष्ट, जोखिम आधारित एसएमपी तैयार किया गया है।
ix. किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए खदान बचाव स्टेशन को उचित बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है।

कंपनी के सुरक्षा प्रदर्शन से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल को भी नियमित आधार पर अवगत कराया जा रहा है।

4. उत्पाद और सेवा गुणवत्ता

बीसीसीएल हमेशा ग्राहकों की घोषित ग्रेड के अनुरूप कोयला प्राप्त करने की बढ़ती जागरूकता और आकांक्षा के प्रति सचेत रहता है। उपभोक्ताओं की इस बढ़ती हुई न्यायोचित मांग को पूरा करने के अपने प्रयास में, बीसीसीएल के सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयला प्रेषण के सभी माध्यमों के संबंध में सभी लोडिंग पॉइंट्स पर तृतीय पक्ष नमूनाकरण को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कोयले के ग्रेड के रखरखाव और उपभोक्ताओं को क्रश किए हुए कोयले की आपूर्ति के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू है और क्षेत्रों में इसका पालन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कोलियरियों की 12 (बारह) सीमों के रन-ऑफ-माइन (आरओएम) अंश का नया ग्रेड निर्धारित किया गया है। कंपनी में गुणवत्ता जागरूकता में सुधार की मान्यता में, बीसीसीएल को सीआईएल स्थापना दिवस पर गुणवत्ता जागरूकता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

5. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से, बीसीसीएल ने भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों और समय-समय पर कॉरपोरेट कानूनों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है और

बोर्ड को कंपनी पर लागू विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाता है। बोर्ड की सभी उप-समितियाँ, जिन्हें विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपी गई हैं, नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रही हैं और बोर्ड को अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं तथा बोर्ड को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही हैं। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने भी वर्ष 2023-24 के दौरान कॉरपोट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद से, अधिक पारदर्शिता लाने और कंपनी पर लागू विभिन्न कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हर साल सचिवीय लेखा परीक्षा की जा रही है।

6. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी, अपनी कोयला खनन गतिविधियों को करते हुए, अपने कोयला खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। यह सामाजिक महत्व, शैक्षिक महत्व, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, पोषण व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संस्था के रूप में, बीसीसीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखा है। बीसीसीएल की सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों, सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों और सीआईएल की सीएसआर नीति द्वारा चलायी जाती हैं।

हालांकि कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर के मद में कोई देयता नहीं थी, बीसीसीएल द्वारा एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में डीपीई द्वारा चुने गए वर्ष के विषय के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को शुरू करके सीआईएल की सीएसआर नीति के तहत सीएसआर के लिए ₹7.77 करोड़ की रिकॉर्ड राशि खर्च की गयी। कुछ प्रमुख गतिविधियों में सीआईपीईटी में विभिन्न प्लास्टिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में युवाओं का प्रशिक्षण, मिनी साइंस लैब की स्थापना, पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रदान करना आदि शामिल हैं।

7. दृष्टि

बीसीसीएल निरंतर अपने कार्यबल में दक्षता और गतिशीलता को आत्मसात करने, अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने, और एक सशक्त नेतृत्व श्रृंखला का निर्माण करने पर अथक प्रयास कर रहा है। कर्मचारियों को उनके करियर विकास में मदद करने के लिए, "मिशन उत्थान" नाम से एक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षित श्रमिकों को मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल में विशेषज्ञ संकायों द्वारा कोचिंग के माध्यम से उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिससे वे विभिन्न तकनीकी परीक्षाओं को पास कर सकें। यह न केवल उनके करियर विकास में मदद करेगा, बल्कि कंपनी अपने विभागीय मानव संसाधन का उपयोग नियमित आधार पर विभिन्न वैधानिक पदों को भरने के लिए कर सकेगी। हम लगातार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर काम कर रहे हैं। लाभप्रदता में सुधार और इस प्रकार हितधारकों की संपत्ति बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षता में सुधार, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर प्रबलता पूर्वक ध्यान केंद्रित करने के साथ, कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में योगदान देने तथा कोयले के आयात को कम करने के लिए तैयार है।

8. आभार

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं विभिन्न हितधारकों जैसे कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के प्राधिकरणों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, श्रमिक संगठनों, हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, मदद और मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना करते हुए उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं संपूर्ण बीसीसीएल परिवार के प्रति अपना हार्दिक आभार और सराहना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया है और राष्ट्रहित में सेवा करने के नए मार्ग विकसित किए हैं - चाहे वह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना हो या कोयले के आयात को कम करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना हो। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, हमारी कंपनी निरंतर नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी और नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी।

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक

वर्ष 2023-24 में पुरस्कार

बीसीसीएल को वर्ष 2022-23 के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु माननीय कोयला मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री समीरन दत्ता और तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) परिचालन श्री संजय कुमार सिंह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

बीसीसीएल के पश्चिमी झरिया क्षेत्र की मुनीडीह खदान को माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार दिया गया। बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री समीरन दत्ता ने माननीय मंत्री के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त किया।

श्री पी.एम. प्रसाद, अध्यक्ष, सीआइएल और श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल ने दिनांक 25.07.2024 को कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी का उनके बीसीसीएल के पहले दौरे पर स्वागत किया।

माननीय कोयला एवं खान मंत्री को बीसीसीएल, धनबाद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

वर्ष 2023-24 में पुरस्कार

माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, बीसीसीएल कोयला नगर, धनबाद में कोयला खदानों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

माननीय कोयला एवं खान मंत्री का बीसीसीएल कोयला भवन, धनबाद का दौरा।

माननीय कोयला एवं खान मंत्री, बीसीसीएल में कार्यान्वित किए जा रहे झरिया मास्टर प्लान की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत बेलगरिया में फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए।

परिचालन आंकड़े

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1. (क) कच्चे कोयला का उत्पादन : (मिलियन टन)										
भूमिगत	0.77	0.69	0.81	0.61	1.04	0.90	1.08	1.68	1.81	2.03
खुली खदान	40.33	35.49	29.71	24.05	26.69	30.14	31.53	35.36	34.05	32.48
कुल	**41.10**	**36.18**	**30.51**	**24.66**	**27.73**	**31.04**	32.61	37.04	35.86	34.51
(ख) मलवा हटाई (ओबीआर) (मिलियन घन मी.)	**149.28**	**114.47**	**105.37**	**103.84**	**82.65**	**103.25**	**110.47**	**131.22**	**148.59**	**103.9**
2. उठाव (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)										
बिजली	30.81	27.51	25.46	17.12	23.63	27.24	27.52	27.49	28.99	27.43
इस्पात	1.00	1.16	0.73	1.03	0.66	2.50	2.81	4.25	3.50	2.69
खाद (फर्टिलाइजर)	0.49	0.39	0.64	0.94	0.98	0.92	0.86	1.10	1.03	0.96
कोलियरी में खपत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06
अन्य	6.89	6.47	5.42	4.04	3.48	2.39	2.15	2.03	2.63	2.52
कुल	**39.27**	**35.53**	**32.25**	**23.13**	**28.76**	**33.07**	**33.36**	**34.92**	**36.20**	**33.66**
3. औसत श्रमशक्ति	**35479**	**37976**	**40032**	**42287**	**44722**	**47383**	**49947**	**52409**	**54861**	**57506**
4. उत्पादकता										
(क) औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (टन)	1158.45	952.68	762.14	583.16	620.05	655.09	652.89	706.75	653.65	600.11
(ख) प्रति मैनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टन)	0.26	0.27	0.24	0.16	0.32	0.25	0.23	0.25	0.25	0.26
(ii) ओपनकास्ट (टन)	10.05	6.49	7.53	5.93	6.11	6.75	7.05	8.99	8.52	8.34
(iii) कुल मिलाकर (टन)	5.89	3.78	4.16	3.13	3.62	3.87	3.56	3.46	3.20	2.96

वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्व्यक्त)	2021-22 (पुनर्व्यक्त)	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
(क) जो स्वामित्व में है									
सकल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	5,414.82	4,610.90	3,843.20	3,161.95	2,551.68	2,459.85	2,153.47	2,007.83	1,913.17
घटाएं: मूल्यह्रास और हानि	1,976.25	1,703.09	1,506.52	1,277.09	1,131.35	1,025.98	796.65	490.87	229.14
(क) शुद्ध संपत्ति, संयत्र और उपकरण	**3,438.57**	**2,907.81**	**2,336.68**	**1,884.86**	**1,420.33**	**1,433.87**	**1,356.82**	**1,516.96**	**1,684.03**
(ख) जारी पूंजीगत कार्य	1,367.81	1,299.83	1,447.35	1,389.92	1,702.26	1,542.92	1,403.17	1,138.98	785.75
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	163.29	155.36	167.13	417.88	645.16	552.26	563.44	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12.66	15.68	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	18.58	-	-	-	-	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
(i) निवेश	-	-	-	-	-	-	-		
(ii) ऋण	-	-	-	-	0.07	0.15	0.27	0.50	0.77
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	886.62	705.86	607.18	528.13	471.86	389.96	297.78	303.40	197.00
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	717.08	1,048.27	867.08	971.44	573.35	549.14	856.46	387.10	285.15
(ज) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	856.90	620.85	349.91	357.66	751.66	501.72	132.08	149.47	128.60
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (क)	**7,442.93**	**6,753.66**	**5,793.91**	**5,549.89**	**5,564.69**	**4,970.02**	**4,610.02**	**3,496.41**	**3,081.30**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ									
(क) माल-सूची (इन्वेंटरी)									
(i) कोयले, कोक आदि की सूची	1,264.42	934.46	898.10	1,126.84	630.50	709.83	968.47	1,226.98	828.60
(ii) भंडार और पुर्जों की सूची और अन्य सूची	117.16	94.60	80.35	61.04	70.27	64.26	60.32	62.49	59.59
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
(i) निवेश	266.52	79.72	-	-	4.00	26.40	0.77	45.99	71.90
(ii) व्यापार प्राप्य	1,333.25	1,251.15	1,037.01	3,004.80	2,414.72	613.72	1,459.92	2,636.38	2,637.66
(iii) नकद और नकद समकक्ष	326.31	586.62	617.33	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
(iv) अन्य बैंक शेष	618.32	567.58	7.24	126.99	1,423.31	2,015.02	900.00	1,283.69	1,107.73
(v) ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	73.69	58.98	36.31	274.68	233.06	412.63	387.82	85.98	77.40
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	102.85	168.57	151.44	122.72	89.50	12.61	41.61	46.59	20.53
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3,182.27	2,817.51	2,549.23	2,112.88	1,912.05	1,802.60	1,355.73	1,059.04	744.10
कुल वर्तमान संपत्ति (ख)	**7,284.79**	**6,559.19**	**5,377.01**	**6,878.62**	**6,811.71**	**5,743.56**	**5,367.53**	**6,485.01**	**6,117.20**

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्व्यक्त)	2021-22 (पुनर्व्यक्त)	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
वर्तमान देयताएँ									
(क) वित्तीय देयताएँ									
(i) उधारियां	-	-	-	2,052.08	583.07	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	77.50	58.85	43.93	-	-	-	-	-	-
(iii) व्यापार देय	1,233.53	912.91	800.26	1,208.53	967.82	1,666.59	1,343.86	983.61	877.90
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	1,583.91	1,448.40	1,507.01	1,462.63	1,439.31	773.42	833.45	970.23	580.96
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	1,949.37	1,968.63	2,058.26	1,769.81	2,238.49	2,795.20	2,019.67	1,675.22	1,711.83
(ग) प्रावधान	1,184.65	2,430.74	1,032.78	877.63	979.44	960.86	1,757.68	1,663.55	1,370.38
कुल वर्तमान देयताएँ (ग)	**6,028.96**	**6,819.53**	**5,442.24**	**7,370.68**	**6,208.13**	**6,196.07**	**5,954.66**	**5,292.61**	**4,541.07**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ख-ग)	1,255.83	(260.34)	(65.23)	(492.06)	603.58	(452.51)	(587.13)	1,192.40	1,576.13
कुल (क)	**8,698.76**	**6,493.32**	**5,728.68**	**5,057.83**	**6,168.27**	**4,517.51**	**4,022.89**	**4,688.81**	**4,657.43**
(ख) जो बकाया है									
(क) वित्तीय देयताएँ									
(i) उधारियां	-	-	-	-	-	2,350.92	2,176.78	2,015.54	1,866.24
(ii) पट्टा देयताएं	152.73	153.79	156.35	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	324.17	296.51	283.71	232.75	88.45	82.27	65.83	63.15	38.44
(ख) प्रावधान	2,017.51	2,089.30	1,540.54	1,732.65	1,777.15	1,026.30	1,146.70	683.04	690.84
(ग) आस्थगित कर देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	882.63	149.82	474.31	3.62	5.01	5.70	4.88	0.96	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएँ (ख)	**3,377.04**	**2,689.42**	**2,454.91**	**1,969.02**	**1,870.61**	**3,465.19**	**3,394.19**	**2,762.69**	**2,595.52**
इक्विटी									
1. इक्विटी शेयर पूंजी	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी भाग	-	-	-	-	-	1,057.52	1,057.52	1,057.52	1,057.52
3. अन्य इक्विटी	664.72	(853.10)	(1,383.23)	(1,568.19)	(359.34)	(2,123.20)	(2,546.82)	(1,249.40)	(1,113.61)
कुल इक्विटी	**5,321.72**	**3,803.90**	**3,273.77**	**3,088.81**	**4,297.66**	**1,052.32**	**628.70**	**1,926.12**	**2,061.91**
कुल (क+ख)	**8,698.76**	**6,493.32**	**5,728.68**	**5,057.83**	**6,168.27**	**4,517.51**	**4,022.89**	**4,688.81**	**4,657.43**

आय एवं व्यय विवरणी

(बीसीसीएल के क्षेत्रों / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

संचालन आंकड़े

(₹ 'करोड़ में)
(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्व्यक्त)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
(क) से अर्जित:									
1. सकल बिक्री	17,600.81	16,337.56	12,867.34	8,521.62	12,224.47	12,899.98	10,493.56	11,505.53	11,001.01
घटाएं: लेवी	4,384.64	4,004.22	3,421.76	2,371.81	3,256.91	3,522.30	3,193.77	2,883.17	1,936.13
कुल बिक्री	13,216.17	12,333.34	9,445.58	6,149.81	8,967.56	9,377.68	7,299.79	8,622.36	9,064.88
2. अन्य परिचालन राजस्व									
(क) निकासी सुविधा शुल्क	235.30	214.40	185.50	112.86	143.28	167.95	51.19	-	-
(ख) रेत-भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	0.73	-	-	-	-	(0.82)	0.43	2.03	3.74
(ग) परिवहन और लोडिंग लागत की वसूली	661.11	733.19	496.78	304.62	315.17	330.07	252.66	225.36	230.87
कुल अन्य परिचालन राजस्व	897.14	947.59	682.28	417.48	458.45	497.20	304.28	227.39	234.61
संचालन से राजस्व (1 + 2)	**14,113.31**	**13,280.93**	**10,127.86**	**6,567.29**	**9,426.01**	**9,874.88**	**7,604.07**	**8,849.75**	**9,299.49**
3. अन्य आय									
(क) जमा आदि पर ब्याज	168.20	59.08	22.56	56.87	159.24	153.18	137.78	140.47	181.91
(ख) अन्य गैर-परिचालन आय	225.57	367.39	429.41	125.41	603.38	194.07	310.31	174.74	84.05
(ग) म्यूचुअल फंड से लाभांश	-	-	-	-	4.13	25.63	6.71	7.17	3.32
कुल (क)	**14,507.08**	**13,707.40**	**10,579.83**	**6,749.57**	**10,192.76**	**10,247.76**	**8,058.87**	**9,172.13**	**9,568.77**
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:									
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	**7,150.69**	**7,358.12**	**5,788.32**	**5,565.72**	**5,761.35**	**5,866.95**	**6,417.58**	**5,143.94**	**4,602.90**
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	5,371.55	5,670.31	4,504.03	4,164.10	4,155.12	4,183.93	4,338.09	3,361.17	3,343.58
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	807.56	739.70	662.94	667.47	647.57	784.26	495.60	394.74	394.13
(ग) ग्रेच्युटी	215.38	210.39	191.66	226.72	240.04	390.23	1,264.19	191.89	157.35
(घ) अवकाश नकदीकरण	336.84	388.90	100.68	86.09	220.24	163.61	40.21	223.92	101.78
(ङ) अन्य	419.36	348.82	329.01	421.34	498.38	344.92	279.49	972.22	606.06
2. स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	(332.18)	(14.38)	229.13	(463.45)	79.48	258.35	134.00	(397.74)	(76.13)
3. उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	148.11	582.58	572.40
4. खपत सामग्रियों की लागत	742.22	989.82	634.63	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.20
5. संविदागत व्यय	3,168.64	2,391.35	1,962.11	1,476.37	1,211.50	1,312.57	1,292.86	1,491.93	1,532.69
6. वित्त लागत	61.83	55.69	77.75	121.69	221.83	200.66	189.84	173.50	163.17
7. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	340.39	305.43	315.48	208.79	197.53	248.52	276.03	262.80	221.38
8. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(385.69)	672.67	88.44	(193.17)	49.72	100.64	(148.41)	(121.95)	(150.39)

संचालन आंकड़े

(₹ 'करोड़ में)
(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्व्यक्त)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
9. अन्य खर्च	1,669.51	1,418.51	1,292.66	1,135.59	1,283.08	1,185.24	1,374.27	1,740.34	1,505.87
कुल (ख)	**12,415.41**	**13,177.21**	**10,388.52**	**8,326.63**	**9,201.64**	**9,690.71**	**10,184.12**	**9,435.21**	**8,963.09**
कर से पहले लाभ / हानि (क - ख)	**2,091.67**	**530.19**	**191.31**	**(1,577.06)**	**991.12**	**557.05**	**(2,125.25)**	**(263.08)**	**605.68**
कर व्यय	527.21	(134.59)	79.69	(374.58)	72.44	268.28	(734.03)	(93.10)	(3.39)
अवधि के लिए लाभ / हानि (ग)	**1,564.46**	**664.78**	**111.62**	**(1,202.48)**	**918.68**	**288.77**	**(1,391.22)**	**(169.98)**	**609.07**
अन्य व्यापक आय	(62.33)	(179.94)	98.01	(8.51)	(308.64)	134.85	135.74	32.88	65.38
ओसीआई पर कर	(15.69)	(45.29)	24.67	(2.14)	(96.30)	-	41.94	11.38	22.62
कुल अन्य व्यापक आय (घ)	**(46.64)**	**(134.65)**	**73.34**	**(6.37)**	**(212.34)**	**134.85**	**93.80**	**21.50**	**42.76**
कुल व्यापक आय (ग + घ)	**1,517.82**	**530.13**	**184.96**	**(1,208.85)**	**706.34**	**423.62**	**(1,297.42)**	**(148.48)**	**651.83**
पिछले वर्षों में संचित हानि	(865.99)	(1,530.77)	(1,642.39)	(439.91)	(1,358.59)	(1,647.36)	(256.14)	(86.16)	(695.23)
31 मार्च को संचित लाभ /(हानि)	**698.47**	**(865.99)**	**(1,530.77)**	**(1,642.39)**	**(439.91)**	**(1,358.59)**	**(1,647.36)**	**(256.14)**	**(86.16)**
(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित									
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	4,65,70,000	4,65,70,000	4,65,70,000	4,65,70,000	4,65,70,000	2,11,80,000	2,11,80,000	2,11,80,000	2,11,80,000
(ii) शेयरधारकों का निधि									
क) इक्विटी शेयर पूंजी	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	-	-	-	-	-	1,057.52	1,057.52	1,057.52	1,057.52
ग) सामान्य रिजर्व	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99
घ) प्रतिधारित आय	557.48	(1,006.98)	(1,671.76)	(1,783.38)	(580.90)	(1,499.58)	(1,788.35)	(397.13)	(227.15)
ड.) अन्य व्यापक आय	(33.75)	12.89	147.54	74.20	80.57	292.91	158.06	64.26	42.76
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	**5,355.47**	**3,791.01**	**3,126.23**	**3,014.61**	**4,217.09**	**1,816.93**	**1,528.16**	**2,919.38**	**3,089.36**
इक्विटी धारकों को देय इक्विटी	5,321.72	3,803.90	3,273.77	3,088.81	4,297.66	1,052.32	628.70	1,926.12	2,061.91
2. दीर्घकालिक उधार	-	-	-	-	-	2,350.92	2,176.78	2,015.54	1,866.24
3. नियोजित पूंजी	5,342.81	3,775.33	3,126.23	5,066.69	4,800.16	4,167.85	3,704.94	4,934.92	4,955.60
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	3,438.57	2,907.81	2,336.68	1,884.86	1,420.33	1,433.87	1,356.82	1,516.96	1,684.03
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	7,284.79	6,559.19	5,377.01	6,878.62	6,811.71	5,743.56	5,367.53	6,485.01	6,117.20
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	1,255.83	(260.34)	(65.23)	(492.06)	603.58	(452.51)	(587.13)	1,192.40	1,576.13
5. वर्तमान देयताएँ	6,028.96	6,819.53	5,442.24	7,370.68	6,208.13	6,196.07	5,954.66	5,292.61	4,541.07
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	1,333.25	1,251.15	1,037.01	3,004.80	2,414.72	613.72	1,459.92	2,636.38	2,637.66
ख) नकद और नकद समकक्ष	326.31	586.62	617.33	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
ग) अन्य बैंक बैलेंस	618.32	567.58	7.24	126.99	1,423.31	2,015.02	900.00	1,283.69	1,107.73
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:									

संचालन आंकड़े

(₹ 'करोड़ में)
(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्व्यक्त)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
क) स्टोर और पुर्जे (शुद्ध)	117.16	94.60	80.35	61.04	70.27	64.26	60.32	62.49	59.59
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	1,264.42	934.46	898.10	1,126.84	630.50	709.83	968.47	1,226.98	828.60
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध)	105.88	87.48	70.70	65.66	67.27	62.29	61.41	61.04	56.78
(ख) लाभ / हानि से संबंधित									
1. क) सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए)	2,493.89	891.31	584.54	(1,246.58)	1,410.48	1,006.23	(1,659.38)	173.22	990.23
ख) सकल लाभ	3,017.24	2,199.03	1,124.93	(850.62)	1,541.32	1,462.56	(1,422.68)	896.88	1,516.27
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	2,091.67	530.19	191.31	(1,577.06)	991.12	557.05	(2,125.25)	(263.08)	605.68
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	1,564.46	664.78	111.62	(1,202.48)	918.68	288.77	(1,391.22)	(169.98)	609.07
ङ) टीसीआई (कर से पहले)	2,029.34	350.25	289.32	(1,585.57)	682.48	691.90	(1,989.51)	(230.20)	671.06
च) टीसीआई (कर के बाद)	1,517.82	530.13	184.96	(1,208.85)	706.34	423.62	(1,297.42)	(148.48)	651.83
2. क) सकल बिक्री	17,600.81	16,337.56	12,867.34	8,521.62	12,224.47	12,899.98	10,493.56	11,505.53	11,001.01
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	13,216.17	12,333.34	9,445.58	6,149.81	8,967.56	9,377.68	7,299.79	8,622.36	9,064.88
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	12,883.99	12,318.96	9,674.71	5,686.36	9,047.04	9,636.03	7,433.79	8,224.62	8,988.75
3. वस्तुओ की बिक्री की लागत	12,671.88	12,417.23	10,182.77	8,362.83	8,736.36	9,348.21	9,970.80	9,114.86	8,722.94
4. क) कुल व्यय	12,415.41	13,177.21	10,388.52	8,326.63	9,201.64	9,690.71	10,184.12	9,435.21	8,963.09
ख) वेतन और मजदूरी	7,150.69	7,358.12	5,788.32	5,565.72	5,761.35	5,866.95	6,417.58	5,143.94	4,602.90
ग) उपभोग की गई सामग्री	742.22	989.82	634.63	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.20
घ) बिजली और ईंधन	256.77	239.88	244.10	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.70
ङ) वित्त लागत और मूल्यहास	402.22	361.12	393.23	330.48	419.36	449.18	465.87	436.30	384.55
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	61.85	82.49	52.89	39.59	33.10	43.15	41.65	46.65	49.27
6. वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	35,479.00	37,976.00	40,032.00	42,287.00	44,722.00	47,383.00	49,947.00	52,409.00	54,861.00
(क) लाभप्रदता अनुपात									
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में									
क) सकल मार्जिन	18.87	7.23	6.19	(20.27)	15.73	10.73	(22.73)	2.01	10.92
ख) सकल लाभ	22.83	17.83	11.91	(13.83)	17.19	15.60	(19.49)	10.40	16.73
ग) शुद्ध लाभ	15.83	4.30	2.03	(25.64)	11.05	5.94	(29.11)	(3.05)	6.68
2) कुल व्यय के % के रूप में									
क) वेतन और मजदूरी	57.60	55.84	55.72	66.84	62.61	60.54	63.02	54.52	51.35
ख) उपभोग की गई सामग्री	5.98	7.51	6.11	5.71	4.32	5.34	4.91	5.93	6.60
ग) बिजली और ईंधन	2.07	1.82	2.35	2.71	2.54	2.40	2.78	3.12	3.58
घ) वित्त लागत और मूल्यहास	3.24	2.74	3.79	3.97	4.56	4.64	4.57	4.62	4.29
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में									
क) सकल मार्जिन	46.68	23.61	18.70	(24.60)	29.38	24.14	(44.79)	3.51	19.98
ख) सकल लाभ	56.47	58.25	35.98	(16.79)	32.11	35.09	(38.40)	18.17	30.60

संचालन आंकड़े

(₹ 'करोड़ में)
(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023-24	2022-23 (पुनर्व्यक्त)	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
ग) कर से पहले लाभ	39.15	14.04	6.12	(31.13)	20.65	13.37	(57.36)	(5.33)	12.22
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	0.96	1.01	1.08	1.36	0.97	1.00	1.37	1.06	0.96
(ख) तरलता अनुपात									
1) वर्तमान अनुपात	1.21	0.96	0.99	0.93	1.10	0.93	0.90	1.23	1.35
2) त्वरित अनुपात	0.98	0.81	0.81	0.77	0.98	0.80	0.73	0.98	1.15
(ग) टर्नओवर अनुपात									
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात	2.48	3.24	2.89	1.99	2.09	8.91	11.61	4.48	4.40
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार									
क) सकल बिक्री	0.91	0.92	0.97	4.23	2.37	0.57	1.67	2.75	2.88
ख) शुद्ध बिक्री	1.21	1.22	1.32	5.86	3.23	0.79	2.40	3.67	3.49
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में									
क) विविध देनदार	0.10	0.10	0.11	0.49	0.27	0.07	0.20	0.31	0.29
ख) कोयले का स्टॉक	0.10	0.08	0.10	0.18	0.07	0.08	0.13	0.14	0.09
4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक									
क) औसत / वार्षिक खपत	0.14	0.09	0.11	0.14	0.17	0.12	0.12	0.11	0.10
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.89	1.15	1.52	1.54	2.12	1.49	1.45	1.34	1.21
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक									
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	1.18	0.91	1.11	2.38	0.84	0.88	1.56	1.79	1.11
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.20	0.90	1.06	1.62	0.87	0.91	1.17	1.62	1.14
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	1.15	0.91	1.14	2.20	0.84	0.91	1.59	1.71	1.10
(घ) संरचनात्मक अनुपात									
क) ऋण : इक्विटी	-	-	-	-	-	1.11	1.03	0.95	0.88
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	-	-	-	-	1.29	1.42	0.69	0.60
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	1.15	0.81	0.67	0.65	0.91	0.86	0.72	1.38	1.46
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.64	0.77	0.75	0.63	0.34	0.79	0.89	0.52	0.55

वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्रों / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी (₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15
(क) जो स्वामित्व में है	
सकल अचल परिसंपतियाँ	4919.78
घटाएं: मूल्यह्रास और हानि	3599.27
(1) शुद्ध अचल परिसंपतियाँ	**1320.51**
(2) पूँजीगत जारी कार्य	768.71
(3) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	113.91
(4) गैर-वर्तमान निवेश	-
(5) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	134.15
(6) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	114.43
(7) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	
(i) (क) कोयले, कोक आदि की सूची	754.53
(ख) भंडार और पुर्जों आदि की सूची	53.97
(ग) अन्य सूची (इन्वेंटरी)	7.21
(ii) व्यापार प्राप्य	1600.60
(iii) नकद और बैंक शेष	2578.34
(iv) वर्तमान निवेश	13.86
(v) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	878.00
(vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	314.48
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7)	**6200.99**
(8) कम वर्तमान देयताएं और प्रावधान	
(क) अल्पावधि उधार	649.64
(ख) व्यापार देय	80.79
(ग) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	2371.67
(घ) लघु अवधि के प्रावधान	1722.76
कुल वर्तमान देयताएं (8)	**4824.86**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)	1376.13
कुल (क)	**3827.84**
(ख) जो बकाया है	
(1) दीर्घकालिक उधार	-
(2) विलंबित कर उत्तरदायित्व	
(3) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	10.55
(4) दीर्घकालिक प्रावधान	687.59
कुल (ख)	**698.14**

परिचालन सांख्यिकी

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15
कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)	**3129.70**
निम्नलिखित के द्वारा निरूपित	
1. इक्विटी पूंजी	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00
3. रिजर्व और अधिशेष	(1527.30)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	**3129.70**
नियोजित पूंजी	**3129.70**

लाभ एवं हानि विवरणी

(बीसीसीएल के क्षेत्रों / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15
(क) से अर्जित:	
1. सकल बिक्री	9947.01
घटाएं: लेवी (उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क)	1905.28
शुद्ध बिक्री	8041.73
2. अन्य परिचालन राजस्व	
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	2.38
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	215.93
	218.31
परिचालनों से राजस्व (1 + 2)	**8260.04**
3. अन्य आय	
(क) जमा आदि पर ब्याज	233.62
(ख) आरबीआई पावर बॉन्ड पर ब्याज	2.06
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता+B2	-
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	-
(ङ) अन्य गैर-परिचालन आय	113.12
(च) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज	-
कुल (क)	**8608.84**
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:	
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	**4593.93**
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	3311.12
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	383.31
(ग) ग्रेच्युटी	165.28
(घ) अवकाश नकदीकरण	138.42
(ङ) अन्य	595.80
2. स्टॉक में वृद्धि / कमी	(136.48)
3. कल्याण व्यय	0.00
4. सीएसआर खर्च	14.33
5. खपत सामग्रियों की लागत	580.15
6. बिजली और ईंधन	319.45
7. मरम्मत	195.71
8. संविदागत व्यय	1031.48

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15
9. वित्त लागत	3.42
10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	212.98
11. प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना	78.75
12. आबीआर समायोजन	(25.03)
13. अन्य खर्च	585.93
14. पूर्व अवधि समायोजन / अपवादात्मक मदें / असाधारण मदें	0.00
कुल (ख)	**7454.62**
वर्ष के लिए लाभ / हानि (क - ख)	**1154.22**
कर व्यय	391.08
शुद्ध लाभ	**763.14**
पिछले वर्षों से संचित हानि	(2290.44)
बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	(1527.30)
*** 2014-15 में पिछले वर्ष से संचित घाटा, क्रमशः ₹ 140.99 करोड़ के आस्छगित कर और ₹ (-) 39.75 करोड़ के अवमूल्यन के समायोजन के बाद है।**	
(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित	
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	21180000
(ii) अधिमानी शेयरों की संख्या	25390000
(iii) शेयरधारकों की निधि	
क) इक्विटी शेयर कैपिटल	2,118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी	2,539.00
ग) रिजर्व	0.00
घ) संचित लाभ / हानि	(1527.30)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3,129.70
2. दीर्घकालिक उधार	0.00
3. नियोजित पूंजी	3129.70
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	1320.51
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6200.99
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	1376.13
5. वर्तमान देयताएँ	4824.86
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	1600.60
ख) नकदी और बैंक	2578.34

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:	
क) स्टोर और पुर्जों (शुद्ध)	53.97
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	754.53
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध)	58.83
(ख) लाभ / हानि से संबंधित	
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	1370.62
ख) सकल लाभ	1157.64
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	1154.22
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	763.14
2. क) सकल बिक्री	9947.01
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	8041.73
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	7905.25
3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ)	6887.51
4. क) कुल व्यय	7454.62
ख) वेतन और मजदूरी	4593.93
ग) स्टोर और पुर्जे	580.15
घ) बिजली और ईंधन	319.45
ङ) वित्त लागत और मूल्यह्रास	216.40
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	48.35
6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	58875
ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित)	0.00
ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च	
7. क) वर्धित मूल्य	
ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य	
(क) लाभप्रदता अनुपात	
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में	
क) सकल मार्जिन	17.04
ख) सकल लाभ	14.40
ग) शुद्ध लाभ	14.35
2) कुल व्यय के % के रूप में	
क) वेतन और मजदूरी	61.63
ख) स्टोर और पुर्जे	7.78
ग) बिजली और ईंधन	4.29
घ) वित्त लागत और मूल्यह्रास	2.90

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में	
क) सकल मार्जिन	43.79
ख) सकल लाभ	36.99
ग) कर से पहले लाभ	36.88
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	0.86
(ख) तरलता अनुपात	
1) वर्तमान अनुपात	1.29
2) त्वरित अनुपात	1.12
(ग) टर्नओवर अनुपात	
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियाजित पूंजी)	2.57
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार	
क) सकल बिक्री	1.93
ख) शुद्ध बिक्री	2.39
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में	
क) विविध देनदार	0.20
ख) कोयले का स्टॉक	0.09
4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक	
क) औसत / वार्षिक खपत	0.10
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.12
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक	
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	1.15
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.31
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	1.13
(घ) संरचनात्मक अनुपात	
क) ऋण : इक्विटी	-
ख) ऋण : नेट वर्थ	-
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	1.48
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.42

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयर धारकगण
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
धनबाद।

महोदय,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परीक्षित लेखा सहित 53वीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 में कुल लाभ ₹ 664.78 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में ₹ 1,564.66 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया है। अंकेक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां तथा सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

1.0. वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदर्शन का अवलोकन

1.1. वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान बीसीसीएल का कच्चे कोयला का उत्पादन, उत्पादकता एवं उठाव से संबंधित कार्य प्रदर्शन

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2023 -24			2022 - 23	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्त (%)	वास्तविक	वास्तविक	(%)
i)	**कच्चा कोयला (खान के प्रकार के अनुसार)**							
	भूमिगत	मि. टन	1.43	0.77	53.74	0.69	0.08	11.67
	खुली खदान	मि. टन	39.58	40.33	101.91	35.49	4.84	13.63
	कुल	मि. टन	41.00	41.10	155.65	36.18	4.92	13.59
ii)	कोयले के प्रकार के अनुसार	मि. टन						
	कोकिंग कोल	मि. टन	38.81	39.11	100.77	33.72	5.39	16.00
	गैर-कोकिंग कोल	मि. टन	2.19	1.99	90.75	2.46	-0.48	-19.31
	कुल	मि. टन	41.00	41.10	100.24	36.18	4.92	13.59
iii)	मलबा हटाई	मि. टन घन मी.	150.00	149.28	99.42	114.11	41.00	35.93
iv)	उत्पादकता (ओएमएस)							
	भूमिगत	टन	0.34	0.26	76.47	0.19	0.05	26.32
	खुली खदान	टन	7.36	10.05	136.55	8.72	2.41	27.66
	कुल	टन	4.27	5.89	137.94	4.75	1.93	40.63
v)	कोयला उठाव	मि. टन	41.00	39.27	95.78	35.53	3.71	10.43

1.2. धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति

स्टील क्षेत्र में धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति वर्ष 2022-23 में 14.22 लाख टन की तुलना में वर्ष 2023-24 में 14.64 लाख टन थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में (+) 2.95% की वृद्धि को दर्शाता है।

1.3 धुले हुए कोयले एवं विद्युत उद्योग हेतु धुले हुए कोयले का उत्पादन

प्रकार	2023-24		2022-23	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
धुला हुआ कोयला (कोकिंग)	1.980	1.462	1.862	1.434
विद्युत के लिए धुला कोयला	3.926	2.837	3.855	2.485
कुल	5.906	4.300	5.717	3.918

2. प्रबंधन

(क) दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान कंपनी के मामलों की देख-रेख बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गई :

1.	श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	28.12.2021		निरंतर
2.	श्री देबाशीष नंदा, निदेशक (बीडी), सीआईएल	:	23.08.2022		निरंतर
3.	श्री आनंदजी प्रसाद, निदेशक	:	03.01.2022		निरंतर
4.	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त)	:	18.07.2019		29.12.2021 से 13.04.2023 तक निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ
5.	श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक	:	05.02.2022		30.06.2023
6.	श्री उदय ए कावले	:	22.08.2022		19.12.2023
7.	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	:	23.02.2023		निरंतर
8.	श्री राकेश कुमार सहाय, निदेशक	:	14.04.2023		निरंतर
9.	श्री उदय ए कावले	:	01.07.2023		09.10.2023 तक निदेशक (तक.) योजना एवं परियोजना के अतिरिक्त प्रभार के साथ
10.	श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक	:	10.10.2023		निरंतर
11.	श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक	:	20.12.2023		11.01.2024 तक निदेशक (तक.)योजना एवं परियोजना के अतिरिक्त प्रभार के साथ
12.	श्री शंकर नागाचारी, निदेशक	:	12.01.2024		निरंतर
13.	श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021		निरंतर
14.	श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021		निरंतर
15.	श्री सत्यव्रत पंडा, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021		निरंतर
16.	श्री राम कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक	:	31.12.2021		निरंतर

(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की 10 (दस) बैठकें हुईं थी।

3. **शिफ्ट ऑवर के संबंध में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग**

उपकरण	31.03.24 को संख्या (कुल)	31.03.23 को संख्या (कुल)	सीएमपीडीआई मानक		शिफ्ट घंटे के संबंध मेंअंतर % में				अंतर % में	
					2023-24		2021-23			
			(%) उपलब्धता	(%)उपयोग	(%) उपलब्धता	(%)उपयोग	(%) उपलब्धता	(%)उपयोग	उपलब्धता	उपयोग
ड्रैगलाइन	1	1	85	73	67.4	48.7	51.1	38.4	31.9	26.9
शॉवेल	80	90	80	58	77.5	44.3	80.8	47.3	-4.1	-6.4
डंपर	299	318	67	50	80.3	27.2	78.6	25.6	2.2	6.3
डोजर	89	95	70	45	71.2	15.4	71.5	14.7	-0.4	5.1
ड्रिल	76	80	78	40	73.8	20.9	69.4	24.4	6.3	-14.4

4. **धारक कंपनी-सीआइएल**

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बनी हुई है।

5. **अवरोध**

कोयला उत्पादन में कमी की दृष्टि से वर्ष के दौरान बीसीसीएल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख अवरोध:

क) धुले हुए कोयले के उत्पादन में कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2023-24	2022-23
(i)	विद्युत बाधा	0.73	1.30
(ii)	विद्युत एवं यांत्रिक अनुपस्थिति की प्रवृति	1.96	4.19
(iii)	कच्चे कोयले की कमी	1.27	2.23
(iv)	सी सी बंकर का भरा होना	0.12	0.07
(v)	वर्षा/ डुबाव	0.00	0.00
(vi)	परिचालन संबंधी बाधाएं	8.12	9.56
(vii)	रखरखाव में बाधा	0.71	0.77
(viii)	मीडिया शॉर्ट	0.00	0.00
(ix)	अन्य	3.77	2.19
	कुल		**20.31**

6.0 विद्युत

6.1. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वर्ष 23-24 के लिए बीसीसीएल में विद्युत की कुल अनुबंध मांग 193.1 एमवीए थी, जिसमें से डीवीसी की हिस्सेदारी 179.9 एमभीए थी, जो कि बीसीसीएल की कुल विद्युत आवश्यकता का 90% से अधिक है।

बीसीसीएल की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अन्य विद्युत आपूर्ति एजेंसियां आईपीसीएल, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, जेबीवीएनएल हैं।

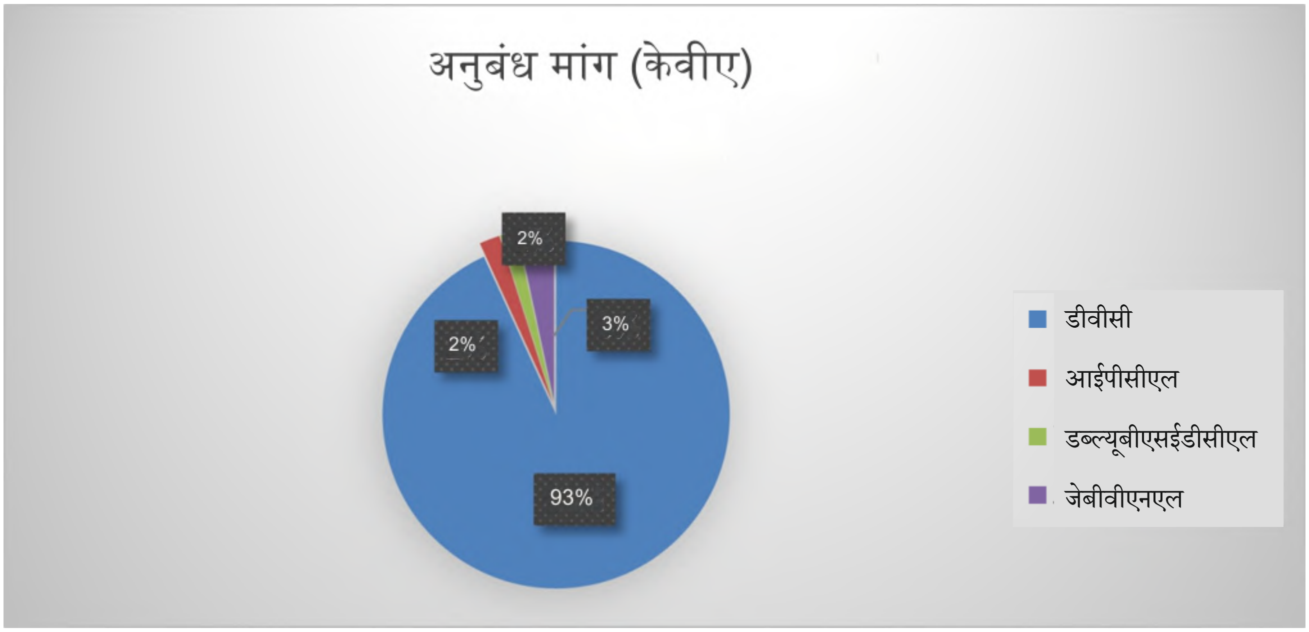

6.2. विद्युत उपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कैप्टिव सेटों का परिचालन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न कैप्टिव डीजी स्टेशनों द्वारा पैदा की गई बिजली का विवरण निम्नलिखित है:

कैप्टिव डीजी सेट	स्थापित क्षमता (एमवीए)	2023-24		2023-23	
		उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे	उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे
मुनिडीह	2×1.1+4.4	7452	29.25	5805	19.17
कुल		7452	29.25	5805	19.17
उपर्युक्त डीजी सेट बीसीसीएल की औद्योगिक/खनन विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करता है।					

6.3 विद्युत उपलब्धता हेतु वैकल्पिक उपाय

कैप्टिव पावर प्लांट मुनिडीह (2X10 एमवी):

2X10 एमवी सीपीपी मुनिडीह की स्थापना वाशरी अपशिष्टों का उपयोग करने, मुनिडीह (एक तृतीय डिग्री की खदान) में विद्युत की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने और अबाध्य विद्युत आपूर्ति के लिए की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1986 में इस परियोजना को अनुमोदित किया गया था। अंतत: 1995 में यह संयंत्र चालू हुआ था और नवंबर, 1996 में विभागीय श्रमशक्ति की मदद से इसका व्यावसायिक परिचालन होने लगा था, जो वर्ष 2003 तक चला था।

पुन: इस संयंत्र को मेसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 18.03.2010 को लीज पर दे दिया गया था और अप्रैल, 2011 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। यद्यपि, ईंधन आपूर्ति एवं पॉवर-टैरिफ से संबंधित दर का कुछ विवाद होने के कारण पट्टाधारी द्वारा दिनांक 15.04.2014 से विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया। बीसीसीएल ने दिनांक 16.12.2015 को सीपीपी को अपने कब्जे में ले लिया।

वर्तमान में, बीसीसीएल ने मुनिडीह में तथाकथित कैप्टिव पावर प्लांट के 'परिसंपति मौद्रीकरण' के लेनदेन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है।

6.4 4 वर्ष 2023-24 एवं 2022-23 के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत

विवरण	2023-24	2022-23
विशिष्ट ऊर्जा खपत (KWH/Te) (कोयले से)	19.83	22.20
समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत (KWH/Te) (कोयले+ओबी)	4.58	5.86
कुल ऊर्जा खपत (MKWH)	815.02	803.09

6.5 ऊर्जा संरक्षण

क. वर्ष 2023-24 में ऊर्जा खपत हेतु किये गए उपाय

क्र. सं.	विवरण	अभ्युक्ति
1.	एल.ई.डी. लाइट्स	बीसीसीएल ने पारंपरिक लाइट फिटिंग की खरीद बंद कर दी है और सभी आधिकारिक औद्योगिक परिसरों में उनकी जगह एलईडी लाइट फिटिंक लगा दी है। 9611 एलईडी लाइट खरीदी गयी है।
2.	ऊर्जा कुशल एसी	94 ऊर्जा कुशल एसी खरीदे और स्थापित किए गए हैं।
3.	ई-व्हीकल	23 ई-व्हीकल खरीदे गए हैं।
4.	ऊर्जा कुशल मोटर	45 ऊर्जा कुशल मोटर खरीदे गए हैं।
5.	हाई मास्ट लाइटिंग टावर	बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में से 8X400W एलईडी लाइट फिटिंग के साथ 100 नग 16 मी. हाई मास्ट लाइटिंग टॉवर स्थापित एवं चालू किए गए हैं।
6.	ऑटो टाइमर स्वीच	103 प्रति ऑटो टाइमर स्वीचों को स्थापित किया गया है।
7.	ऊर्जा कुशल पंखे	बीसीसीएल अब पारंपरिक सीलिंग फैन के स्थान पर ऊर्जा कुशल सुपर पंखे का खरीददारी कर रहा है।
8.	कैपेसिटर बैंक	2000KVAR कैपेसिटर बैंक के स्थान पर पीओ स्थापित किया गया है।

ख. सौर ऊर्जा पहल

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थिति नीचे दी गई है:

	बी1. बीसीसीएल में रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थिति	
क्र. सं.	**परियोजना**	**स्थिति**
1.	1.660 मेगावाट कुल क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र	* 1.66 मेघावाट स्थापित एवं चालू किया गया है।
2.	बीसीसीएल में 44 विभिन्न स्थानों पर 2.428 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप पीवी परियोजनाएँ।	* दिनांक 07.12.2023 को कार्य आदेश जारी किया * 1.68 मेघावाट स्थापित किया गया है। * 0.74 मेघावाट की स्थापना प्रगति पर है।
स्थापित रूफटॉप सौर संयंत्रों ने 1318892.73 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप बर्ष 2023-24 में 688132.28 किलोग्राम CO2 की कमी आई है।		

	बी2. बीसीसीएल में ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट की स्थिति	
क्र. सं.	**परियोजना**	**स्थिति**
1.	भोजूडीह वाशरी में 25 मेघावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	* दिनांक 06.10.2022 को एल.ओ.ए. को स्वीकृत किया गया। * दिनांक 07.04.2023 को कार्यादेश दिया गया। * कार्य प्रगति पर है। * निर्धारित तिथि दिनांक 10.07.2024
2.	20 मेघावाट सौर ऊर्जा संयंत्र दुग्धा वाशरी के समीप	* एल.ओ.ए. दिनांक 14.07.2023 को स्वीकृत किया गया। * कार्य आदेश दिनिांक 24.08.2023 को स्वीकृत किया गया। * कार्य प्रगति पर है। * कार्य समापन की निर्धारित तिथि दिनांक 12.08.2024
3.	प. झरिया क्षेत्र, बीसीसीएल के सरायदह और गरभूडीह गांव में 25 मेघावाट की ग्राउंड सौर ऊर्जा परियोजना	* भूमि के लिए पर्यावरण की मंजूरी का प्रगति पर है।
4.	दुग्धा वाशरी में रेलवे ट्रेक के समीप 20 मेघावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	* जमीन के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।
5.	50 मेघावाट माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	* 50 मेघावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना को सीआईएल द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए पूरे भारत में सौर परियोजना के योजना में शामिल किया गया है।

7. वित्त

7.1. पूंजीगत संरचना

प्राधिकृत शेयर पूंजी	**₹ करोड़ में**
₹ 1000/- मूल्य के 5,10,00,000 इक्विटी शेयर	5,100.00
कुल	**5,100.00**
सब्सक्राइब्ड एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
₹ 1000/- मूल्य के 20330126 इक्विटी शेयर, प्रत्येक नकद में पूर्ण प्रदत्त	2,033.01
₹ 1000/- मूल्य के 26239874 इक्विटी शेयर, नकद के अलावा प्राप्त पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रदत्त के लिए आबंटित के रूप में	2,623.99
कुल	**4,657.00**

7.2. वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को पिछले वर्ष ₹1517.82 करोड़ की तुलना में ₹ 530.13 करोड़ का कुल लाभ/ (हानि) हुआ है। इसका विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
मूल्यह्रास एवं नुकसान, ब्याज, कर तथा परिशोधन (ईबीआईडीए) से पहले लाभ (+)/ हानि (-)	2,493.89	891.31
घटाएं: मूल्यह्रास एवं नुकसान	340.39	305.43
ब्याज, कर और परिशोधन से पहले लाभ	2,153.50	585.88
घटाएं: ब्याज	61.83	55.69
कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2,091.67	530.19
घटाएं: कर व्यय	527.21	(134.59)
उक्त अवधि का लाभ (पीएटी)	**1,564.46**	**664.78**
अन्य व्यापक लाभ	(62.33)	(179.94)
घटाएं: व्यापक आय पर कर	(15.69)	(45.29)
कुल व्यापक आय	(46.64)	(134.65)
कुल अवधि में व्यापक आय	**1,517.82**	**530.13**

* चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने लाभांश राशि ₹44.4325 करोड़ (कुल बकाया लाभांश का 5% जो कि ₹ 888.65 करोड़) जिसे कंपनी की एजीएम में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। साथ ही ₹ 78.22 करोड़, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) के 5% के बराबर है, को सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है ताकि कंपनी के वित्तीय स्थिति को ठीक किया जा सके।

7.3. पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट	वास्तविक खर्च
वित्त वर्ष 2023-24	1500.00	1043.86
वित्त वर्ष 2022-23	1000.00	986.50

7.4 बीसीसीएल में कैपेक्स पर एमओयू (2023-24) पैरामीटर की स्थिति

	पैरामीटर का नाम	भारिता	लक्ष्य 2023-24, ₹करोड़ में	उपलब्धि
3.	कैपेक्स	14	1000.00	1043.86

7.5. वर्ष 2023-24, 2022-23 और 2021-22 के दौरान राजकोषीय भुगतान(₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24				2022-23	2021-22
	प. बंगाल	झारखण्ड	केन्द्रीय राजकोष	कुल	कुल	कुल
कोयले की रॉयल्टी	-	1807.66	-	1807.66	1413.76	1163.15
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (डीएमफटी)	-	539.52	-	539.52	400.83	361.12
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमइटी)	-	-	36.39	36.39	27.74	21.23
कोयले पर उपकर	5.61	-	-	5.61	33.06	3.42
कोविड उपकर	-	43.22	-	43.22	34.86	38.31
वन पारगमन शुल्क	-	20.33	-	20.33	13.01	15.12
विक्रय कर/वैट	-	-	-	0.00	0.00	0.00
केंद्रीय विक्रय कर	-	53.55	-	53.55	0.00	0.00
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-	0.00	0.00	0.91
बाजार कर (MADA)	-	103.25	-	103.25	42.55	51.61
पेशाकर	0.28	7.69	-	7.97	4.14	5.90
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	227.17	227.17	227.25	164.66
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	0.04	230.13	-	230.17	227.25	164.66
अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	3.67	3.67	11.71	3.41
जीएसटी (राज्य को क्षतिपूर्ति) उपकर	-	-	1573.60	1573.60	1306.78	1290.69
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	-	0.00	0	12.39
कुल	5.93	2805.35	1840.83	4652.11	3742.94	3296.58

8. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (नवोन्मेष)

1. बीसीसीएल के 5 वर्षों में इसके आधार सुरक्षा बुनियादी ढांचे और आईसीसीसी के कार्यान्वयन के लिए जेम (GeM) अनुबंध जारी किया गया है, वर्तमान में यह संस्थापन अवस्था में है। एआई बेस इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल केंद्र के चलते (आईसीसीसी) समेकित अधिसूचना जैसे जीपीएस, सर्वश्रेष्ठ वीटीएस, सीसीटीवी और आरएफआईडी एक ही स्थान से ट्रैकिंग करना आसान बना देगा।

2. उपस्थिति दर्ज करने के लिए माइंस सहित बीसीसीएल के प्रत्येक उपस्थिति बिंदु पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की गई है और इसे वेतन की तैयारी के लिए एसएपी (सैप) के साथ एकीकृत किया गया है।

3. कोयला भवन में नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) स्थापित की गई है ताकि नेटवर्क प्रशासक को प्रभावित उपयोगकर्ता या संचालन को बाधित करने से पहले समस्याओं की तुरंत पहचान करने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिल सके।
4. सिनीडीह कर्मशाला में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है।

9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। समय-समय पर नए सदस्यों को शामिल कर बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित है:-

1. श्री सत्यव्रत पंडा, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल
2.श्री मुरलीकृष्णा रमैया, निदेशक (कार्मिक), सदस्य
3.श्री राकेश कुमार सहाय, निदेशक (वित्त), सदस्य
4.श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी)/संचालन, सदस्य
5.श्री शंकर नागाचारी, निदेशक (तक.), परियोजना एवं योजना, सदस्य

जोखिम प्रबंधन समिति को एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में श्री डी. अखोड़, महाप्रबंधक (खनन)/समन्वय इसके मुख्य जोखिम अधिकारी हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान समय-समय पर आयोजित आरएमसी बैठक में सहमति के अनुसार विभिन्न जोखिमों की पहचान की जाती है और आवश्यकतानुसार इसे आरटीएम में जोड़ा या हटाया जाता है।

10. कंप्यूटर एवं प्रणाली:

एसएपी (सिस्टम एनालायसिस प्रोग्राम) का परिचय:

बीसीसीएल ने एसएपी आधार पर ईआरपी समाधान के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

1. **<u>व्यापक एसएपी कार्यान्वयन:</u>** बीसीसीएल ने एक्सेंचर के साथ मिलकर अपनी सभी सहायक कंपनियों में एसएपी को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसमें वित्त और नियंत्रण (एफआईक.), सामग्री प्रबंधन (एमएम), प्लांट रखरखाव (पीएम), बिक्री और वितरण (एसडी), उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली और मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम) सहित सात मॉड्यूल शामिल हैं। इस एकीकरण ने खरीद से लेकर परियोजना प्रबंधन और मानव संसाधन संचालन तक विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।

2. **<u>अस्पताल प्रबंधन प्रणाली:</u>** बीसीसीएल में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन से स्वचालन के व्यापक दायरे का संकेत मिलता है, जिससे कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। इस प्रणाली ने रोगी पंजीकरण, निदान, दवा जारी करने और समग्र अस्पताल संचालन को डिजिटल कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण अधिक कुशल हो गया है। यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है

3. **<u>वास्तविक समय प्रेषण और ट्रक आवंटन:</u>** एसएपी के उपयोग से आंतरिक प्रेषण सहित वास्तविक समय प्रेषण प्रबंधन संभव हुआ है। एसएपी एकीकरण के माध्यम से स्वचालित ट्रक आवंटन दक्षता को बढ़ाता है और माल का समय पर परिवहन सुनिश्चित करता है। इससे मैनुअल त्रुटियों में कमी आई है और लॉजिस्टिक्स संचालन को अनुकूलित किया गया है।

4. **डीजल खपत ट्रैकिंग:** आईओसीएल से डीजल डिस्पेंसिंग इकाइयों को एसएपी में एकीकृत करने से डीजल की खपत की निगरानी संभव हो गई है। इस एकीकरण से प्रति वाहन ईंधन उपयोग की सटीक ट्रैकिंग की सुविधा मिली है, जिससे पारदर्शिता और लागत नियंत्रण को बढ़ावा मिला है। बीपीसीएल के साथ चल रहे एकीकरण से इस क्षमता का विस्तार और अधिक ईंधन प्रदाताओं तक होगा।

5. **बैंक इंटरफेस एकीकरण:** विभिन्न एसएपी मॉड्यूल के साथ बैंक इंटरफेस के एकीकरण से वित्तीय लेनदेन मैनूयल होता है। एसबीआई सर्वर के साथ एसएपी के एकीकरण से बीसीसीएल में वेतन के एकीकृत भुगतान को सक्षम करने से भुगतान प्रसंस्करण, पे-रोल प्रबंधन और अन्य वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और त्रुटियों का जोखिम कम हुआ है।

कुल मिलाकर, ये उपाय बीसीसीएल की अपनी सहायक इकाइयों में परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। एसएपी-आधारित समाधानों का एकीकरण प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम कर और आंकड़ों की सटीकता को बढ़ाकर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

11. भूगर्भीय अनुसंधान एवं ड्रिलिंग

11.1 अन्वेषण एवं ड्रिलिंग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआई के द्वारा खोजपूर्ण ड्रिलिंग नहीं की गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान बीसीसीएल कमान क्षेत्र में 23 पेइजोमेट्रिक कुओं के निर्माण कार्य के लिए 2503.00 मी. ड्रिलिंग की गयी है। जो ईसी के आदेश में उल्लेखित विशिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता थी।

11.2 भूगर्भीय मूल्यांकन

क्र. सं.	कार्य का विवरण	हायर्ड की सं.	पैचों का अध्ययन	वृद्धि / कमी (% में)
		2022-23	2023-24	
1.	3.00 मीट्रिक टन से कम भंडार के लिए कोयला मात्रा के आकलन हेतु विचलन प्रस्ताव सहित किराए पर लिए गए एचईएमएम पैच का अध्ययन	19	22	+15.79% (यह प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है)

11.3 सीबीएम अनुसंधान

11.3.1 झरिया सीबीएम ब्लॉक-1

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं.-19018/12/2015-ONG-I दिनांक 08.05.2018 के अनुसार सीबीएम नीति के आंशिक संशोधन के अनुसार झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 को बीसीसीएल पट्टाधारित क्षेत्र में चिह्नित किया गया है, जिसमें सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों को कोयला युक्त क्षेत्रों से सीबीएम के लिए अन्वेषण एवं दोहन अधिकार प्राप्त करने के लिए समेकित नियम एवं शर्ते प्रदान की गई है, जिसके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टा है। इस ब्लॉक में कपुरिया, मुनिडीह, झारमा सेक्टर और सिंगरा कोल ब्लॉक शामिल है।

इस ब्लॉक के विकास का काम 20 सितंबर, 2021 को बीसीसीएल और पीईपीएल के बीच हस्ताक्षरित राजस्व साझाकरण अनुबंध (आरएससी) के तहत सीएचएम डेवलपर (सीबीएमडी) के रूप में प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीएल) को दिया गया है। यह लगभग 26.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है।

- ब्लॉक अभी अन्वेषण चरण में है।
- अन्वेषण चरण के लिए पर्यावरण मंजूरी दिनांक 19.06.2023 को दी गई। स्थापना की सहमति (सीटीई) की अनुमति दिनांक 02.12.2023 को दी गई और संचालन की सहमति (सीटीओ) की अनुमति दिनांक 31.03.2024 को दी गई।
- 5 कोर छिद्रों की ड्रिलिंग करके ब्लॉक की खोज का कार्य शुरू किया गया है, जिसके बाद गैस सामग्री, कोयला सीम की मोटाई, गैस संतृप्ति, पारगम्यता आदि जैसे महत्वपूर्ण सीबीएम मापदंडों के निर्धारण के लिए 5 परीक्षण कुओं का निर्माण किया जाएगा।

12. अनुसंधान एवं विकास

बीसीसीएल के अनुसंधान एवं विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	विवरण	पदनाम
1.	अध्यक्ष	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2.	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
3.	सदस्य	निदेशक (वित्त)
4.	सदस्य सचिव	महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास)
5.	सदस्य	महाप्रबंधक (वाशरी प्रभाग)
6.	सदस्य	विभागाध्यक्ष (परियोजना व योजना)
7.	सदस्य	संबंधित विभाग (परियोजना पर निर्भर)

12.1 आधुनिकीकरण

कंपनी यह प्रयास कर रही है कि भूमिगत खानों के परिचालन में एसडीएल जैसे मध्यम स्तरीय तकनीक को बदलकर उसके स्थान पर लांगवाल एवं कंटीन्यूअस माइनर तकनीक जैसे व्यापक उत्पादन वाली तकनीक को अपनाया जाए। कंपनी बीसीसीएल में पहली बार हाईवॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी लागू करने जा रही है। बीसीसीएल ने रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर एमडीओ मोड के माध्यम से अपनी कुछ बंद भूमिगत खानों से उत्पादन फिर से शुरू करने की पहल की है।

12.2 लाँगवाल तकनीक

वर्तमान में मुनिडीह खदान में, XVI (T) सीम के लॉन्गवॉल फेस के साथ-साथ XV सीम के ड्रेवेज से कोयले का उत्पादन चल रहा है। वर्ष 2023-24 में 0.484 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है।

मुराईडीह भूमिगत खदानों में लॉन्गवॉल टेक्नोलॉजी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दो इंकलाईनों के एयर शाफ्ट और ड्राइवेज का सिंकिंग। पूरा हो गया है। फीडर ब्रेकर और शटल कारों के साथ बोल्टर माइनर को भूमिगत तक पहुँचाया गया। एक बार वन मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद इस खदान से गैलरियों के इन-सीम ड्राइव द्वारा कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा।

12.3 कंटीन्यूअस माइनर प्रौद्योगिकी:

सीएमपीडीआई द्वारा फुलारीटांड यूजी सेक्शन की प्योर बेनेडीह इंक्लाईन माइन और अमलगमेटेड ब्लॉक-II ओसी माइन की संपत्ति पर विचार करते हुए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें कंटीन्यूअस माइनर की शुरूआत की गई है। उसी की परियोजना रिपोर्ट यानी प्योर बेनेडीह - ब्लॉक-II यूजी माइन (1.92 एमटीवाई क्षमता) अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

12.4 रामनागोर कल्याणेश्वरी ओसीपी:

सीएमपीडीआई द्वारा बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक और सेल (एसएआईएल) के रामनागोर ब्लॉक के संयुक्त दोहन के लिए (04 एमटीवाई + 30%) दक्षता वाली परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। चूंकि इनमें से कोई भी ब्लॉक एकल आधार पर खनन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए बीसीसीएल ने और सेल ने कल्याणेश्वरी कोयला ब्लॉक का एक साथ से दोहन करने का इरादा किया है। वर्तमान में पी.आर. अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

12.5 हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी:

वर्तमान में बीसीसीएल में दो हाईवॉल खनन परियोजनाएं शुरू की गई है, पहला एक एकीकृत ब्लॉक-2 ओसीपी (एबीओसीपी) और दूसरा राजापुर ओसीपी। हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एबीओसीपी ब्लॉक-2 क्षेत्र में 15 जनवरी, 2024 से उत्पादन शुरू हो गया है। राजापुर ओसीपी में हाईवॉल खनन के लिए समझौते पर दिनांक 21.11.2023 को हस्ताक्षर किए गए है।

12.6 बंद हो चुकी भूमिगत खानों में एमडीओ की भागीदारी:

बीसीसलएल द्वारा राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ मोड़ के माध्यम से कुछ बंद खदानों को फिर से खोलने, विकास और संचालन के लिए पहचान की गई है। बंद पड़ी 10 खदानों के लिए निविदा निकाले गए।

इन 10 खदानों में से 06 खदानों को राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ मोड के माध्यम से संचालन के लिए आवंटित किया गया है। इन 6 खदानों में से 05 खदानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जबकि 01 खदान के लिए एलओए जारी किया गया है।

शेष 4 खदानों में से, एकीकृत ईस्ट भगतडीह सिमलाबहाल कोलियरी के लिए बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। एकीकृत धर्माबांद कोलियरी के लिए दिनांक 15.04.2024 को पुनः निविदा जारी की गई है। बेगुनिया और लोहापट्टी खदानों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है।

12.7 चालू खनन परियोजनाएं:

क्र. सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
1.	मुराईडीह भूमिगत (बरोरा क्षेत्र) (9वीं वार्षिक योजना अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन- 20.435 एमटी) पूंजी : ₹ 339.875 करोड़	2.00	• पूर्ण टर्नकी आधार 9वें वार्षिक उत्पादन अवधि में न्यूनतम गारंटीशुदा 20.435 मिलियन टन के लिए व्यापक उत्पादन तकनीकी पैकेज द्वारा मुराइडीह भूमिगत खान के सीम I/III को कोयले तक अभिगम और निष्कर्षण के लिए विकसित करने का अनुबंध मेसर्स मिनोप-माहेश्वरी माइनिंग - बीएचईसी (चीन) कंसोर्टियम को दिया गया। बोर्ड द्वारा यह परियोजना दिनांक 14.02.2011 को अनुमोदित की गयी और करार पर दिनांक 22.06.2012 को हस्ताक्षर हुए। • डीजीएमएस द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण शाफ़्ट सिंकिंग और इंक्लाइन ड्राइवेज का काम दिनांक 20.11.2015 से रुका रहा। • इन दौरान, दिनांक 01.06.2016 से मेसर्स मिनोप संवेदक द्वारा करार में भुगतान की कुछ शर्तों में आशोधन के लिए सभी कार्य लंबित रखे गए। • डीजीएमएस से मंजूरी मिलने के बाद, काम शुरू करने के लिए मेसर्स मिनोप के साथ मामला आगे बढ़ाया गया और जनवरी, 2020 से काम फिर से शुरू हो गया है। • 2 इंक्लाइन और एयर शाफ्ट की सिंकिंग के लिए सुरंग मार्ग बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। • एक बार वन मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद, गैलरी की इन-सीम ड्रिवेज द्वारा इस खदान से कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा, एफसी प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
2.	मुनिडीह XV सीम भूमिगत (डब्ल्यू जे एरिया) (पीएसएलडब्ल्यू) (न्यूनतम गारंटी उत्पादन-9 एपीपी में 22.5 एमटी) पूंजीः ₹ 1230.27 करोड़	2.50	• दिनांक 03.07.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 279 वीं बैठक तथा दिनांक 12.08.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 272 वीं बैठक में किए अनुमोदन के अनुसार मेसर्स इंद्-एससीसीएल-सीमजीएसई कंसोर्टियम को 9 वर्ष की वाणिज्यिक उत्पादन अवधि के दौरान कुल न्यूनतम 22.50 मिलियन टन गारंटीशुदा उत्पादन, बीमा व माल ढुलाई समेत कुल पूंजी लागत ₹ 1230.273 करोड़ पर कार्य सौंप दिया गया है। इसके बाद कंसोर्टियम के साथ अप्रैल, 2014 में करार हुआ। • प्रारंभ में, भूमि एवं अन्य समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हुई। • शॉफ्ट सिंकिंग से दोनों इनक्लाइंस के XVI सीम से XV सीमैन ड्राइव तक बहाव पूरा हो गया। • कंसोर्टियम के भागीदारों में से एक, मेसर्स सीजीएमई, को यूरोप में अपनी निर्माण इकाई से लॉन्गवॉल उपकरण की आपूर्ति करनी थी, जो बंद हो चुकी थी। मेसर्स सीजीएमई को लॉन्गवॉल उपकरण की आपूर्ति के लिए यूक्रेन से मेसर्स कोरम ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में दिनांक 15.02.2022 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लॉन्गवॉल उपकरणों के लिए एलसी दिनांक 05.05.2022 को खोला गया है। • रूस के साथ युद्ध से उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति के कारण, यूक्रेन में मेसर्स कोरम का बहुत सारा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और उन्हें अपने विनिर्माण आधार को चेक गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अपनी एक सहयोगी कंपनी यानी मेसर्स टी मशीनरी की सुविधा को पट्टे पर लेना पड़ा। • उपर्युक्त के मद्देनजर, बीसीसीएल ने दिनांक 06.12.2022 को आयोजित अपनी 395वीं बोर्ड बैठक में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी, जैसे i) मेसर्स कोरम के पते में परिवर्तन, ii) लोडिंग पोर्ट के लिए संशोधन और iii) मूल देश के लिए संशोधन। • वर्तमान में ट्रंक रोड, नाबदान और लॉन्गवॉल पैनल की तैयारी के लिए इन-सीम ड्राइवेज का काम चल रहा है। भूगर्भीय गड़बड़ी के लगातार सामना करने के कारण इन-सीम ड्राइवेज की प्रगति बहुत धीमी है।

क्र. सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
3.	नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा एक्सपेंशन ओसीपी (6 एमटीवाई) (वैरिएंट- II)	6.0 (संशोधित 8.5 एमटीवाई)	• एनटी-एसटी ओसी परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता 6.0 एमटीवाई है, को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 03.02.2014 को आयोजित अपनी 304वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था और तत्पश्चात सीआईएल बोर्ड द्वारा दिनांक 12.02.2014 को आयोजित अपनी 304वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, जिसमें कुल पूंजी परिव्यय 555.52 करोड़ रुपये तथा आईआरआर 18.59% था, जिसे किराये पर एचईएमएम आधार पर कार्य किया जाना था। • यह परियोजना दो किराये के एचईएमएम पैचों के माध्यम से चल रही थी और इस परियोजना का पिछले 3 वर्षों का उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है: वर्ष: 2021-22 / 2022-23 / 2023-24 लक्ष्य (मि.ट.): 2.90 / 5.10 / 3.80 उत्पादन (मि.ट.): 3.17 / 5.30 / 3.83 • एमडीओ संचालन मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 8.5 एमटीवाई क्षमता के एकीकृत एनटीएसटी कुजामा ओसीपी के लिए एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट (आरपीआर) को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 12.09.2022 को और सीआईएल बोर्ड द्वारा दिनाक 04.01.2023 को अनुमोदित किया गया है। • 6.0 एमटीवाई की एनटीएसटी विस्तार परियोजना को 8.5 एमटीवाई क्षमता के संशोधित एकीकृत एनटीएसटी कुजामा ओसीपी में सम्मिलित कर दिया गया है। • एमडीओ ऑपरेटर को दिनांक 18.09.23 को एलओए जारी कर दिया गया है तथा दिनांक 22.12.23 को अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एमडीओ मोड में कार्य शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

12.8 त्वरित लदाई पद्धति (रैपिड लोडिंग सिस्टम- आरएलएस)

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	स्थिति
महेशपुर, गोविंदपुर क्षेत्र में रैपिड लोडिंग पद्धति (आरएलएस) (क)एसआईएलओ पूंजी - ₹ 134.24 करोड़ (ख) आरएलएस के माध्यम से कोयले की निकासी के लिए महेशपुर साइडिंग का निर्माण पूंजी - ₹ 82.40 करोड़ मार्ग की लंबाई- 3.5 कि.मी.	5.0	**एसआईएलओ की स्थिति** • दिनांक 5.4.2011 को मेसर्स एस. के. सामंता ऐंड कंपनी (प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में कार्य तथा सेवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया था और करार पर दिनांक 18.05.2011 को हस्ताक्षर हुए थे। • एसआईएलओ के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। • दिनांक 18.09.2020 को पीजी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यह दिनांक 15.10.2019 से परिचालित है। **साइडिंग की स्थिति** • आरएलएस के माध्यम से कोयला निकासी के लिए साइडिंग के निर्माण के लिए चरण-III के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मेसर्स राइट्स को दिनांक 30.08.2019 को प्रदान किया गया है।

परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	स्थिति
		• मेसर्स राइट्स द्वारा सिविल कार्य हेतु स्वीकृत पत्र मेसर्स एचसीपीएल-एमबीपीएल (जेवी) देवघरान को दिनांक 10.12.2019 को सौंपा गया। • एजेंसी ने दिनांक 02.03.2020 से कार्य शुरू कर दिया है। **साइडिंग की कार्य स्थिति** **• रेल की आपूर्ति:** पूर्ण **सिविल कार्य:** कार्य प्रगति पर है। **--प्रमुख पुल संख्या-**1:-पूर्ण **--प्रमुख पुल संख्या-3:-** कार्य प्रगति पर है। A1 एवं A2 की एबटमेंट दीवार का निर्माण पूरा हो गया। **--प्रमुख पुल संख्या-2:-**उत्खनन का काम जारी है। -एसआईएलओ से आगे अंतिम बिंदु तक तल का निर्माण और नाली का काम 1.5 कि.मी. का कार्य प्रगति पर है। (8 %पूर्ण) **• ओएचई कार्य:-** दिनांक 30.09.2023 को एलओए जारी किया गया। **• एस ऐंड टी कार्य:-** मूल्यांकन के तहत दिनांक 04.01.2024 को निविदा खोली गई। • समग्र भौतिक प्रगति- 68%, वित्तीय प्रगति- 74.40% • अनुमानित समापन तिथि - अगस्त, 2024

12.9 नयी स्वीकृत परियोजना

ब्लॉक- ई ओसीपी (15.0 एमटीवाई)

ब्लॉक-ई ओसी परियोजना, जिसकी उत्पादन क्षमता 15.0 एमटीवाई है, मेसर्स नितिन नकुल ऐंड कंपनी द्वारा तैयार वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ दिनांक 02.12.2023 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 407वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 26.03.2024 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 463वीं बैठक में 85% उत्पादन स्तर पर 29.11% आईआरआर के साथ ₹5850.83 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृत पूंजी के साथ काम किया जाना है।

12.10 विदेशी सहयोग

वर्तमान में, बीसीसीएल में विदेशी सहयोग से कोई परियोजना नहीं चल रही है।

12.11 पूंजीगत परियोजनाएं एवं योजनाएं

I. वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत क्षमता एवं पूंजी के साथ ₹20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

शून्य

II. वर्ष 2023-24 के दौरान ₹20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएँ जिन्होंने योगदान देना शुरू कर दिया है।

क्र.सं.	परियोजनाएं	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़ में)	उत्पादन (एमटीवाई)
1	बीओएम अवधारणा पर 5.0 एमटीपीए मधुबंद एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी की स्थापना।	वाशरी	5	302	0.2569

III. वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी के साथ स्वीकृत ₹20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएं।

क्र.सं.	अनुषंगी कंपनी	परियोजनाएं	प्रकार	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (₹' करोड़ में)
1	बीसीसीएल	ब्लॉक-ई ओसीपी	ओपेन कास्ट	26.03.2024	15.0	5850.83

IV. वर्ष 202-24 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी के साथ स्वीकृत ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत वाली गैर खनन परियोजनाएं।

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत पूंजी (₹' करोड़ में)
1	चक्रानुक्रम के आधार पर मौजूदा 1.6 एमटीपीए मुनीडीह कोल वाशरी का नवीनीकरण	13.01.2024	138.99
2	20 एमवाई सौर ऊर्जा संयंत्र, दुग्धा वाशरी	23.06.2023	138.02

V. वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत वाली आरपीआर/आरसीइएस

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई))	स्वीकृत पूंजी (₹' करोड़ में)
1	एनटीएसटी कुजामा ओसीपी12.09.2022 - बीसीसीएल बोर्ड द्वारा	04.01.2023 - सीआइएल बोर्ड द्वारा8.5	(पूर्व क्षमता 6.5 एमटीपीए) कुल: 7094.3686	बीसीसीएल का हिस्सा: 4011.8508

VI. वर्ष 2022-23 के दौरान बंद परियोजनाएं

शून्य

12.12 सीएमएम/सीबीएम परियोजना:

<u>झरिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक से मिथेन का दोहन</u>

• बीसीसीएल में कपूरिया, मुनीडीह, जरमा और सिंगरा ब्लॉकों के खनन पट्टाधारित लगभग 26.55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वाणिज्यिक विकास के लिए चिह्नित किया गया है।

• 26.55 वर्ग कि.मी. के इस चिह्नित क्षेत्र में 25 बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) के गैस-इन-प्लेस का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक विस्तृत 30 वर्षीय उत्पादन प्रोफाईल तैयार की गयी है।

• परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की गयी और इसे दिनांक 03.08.2018 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 345 वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित किया गया।।

• निविदा दिनांक 30.10.2020 को जारी की गयी और मेसर्स पीईपीएल योग्य पाया गया। तत्पश्चात, दिनांक 8 जून 2021 को बीसीसीएल द्वारा एलओए जारी किया गया।

• राजस्व बंटवारा अनुबंध दिनांक 20 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षरित किया गया था और बैंक गारंटी 30 अक्टूबर, 2021 को जमा की गई।

• सीएमपीडीआईएल द्वारा ईएमपी तैयार किया गया है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 31 मार्च 2022 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।

• राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, झारखंड द्वारा पर्यावरण मंजूरी दिए जाने के बाद दिनांक 29.11.2023 को सीबीएम ब्लॉक में अन्वेषणात्मक कोरहोल्स की ड्रिलिंग शुरू हुई, जो सीआईएल पट्टाधारित क्षेत्रों के तहत सीबीएम परियोजना के अन्वेषण चरण की शुरूआत को चिह्नित करती है। 2 अन्वेषण बोरहोल पूरे हो चुके हैं तथा 3 अन्वेषण बोरहोल की ड्रिलिंग प्रगति पर है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन की सहमति भी प्रदान की गई है।

12.13 बीसीसीएल में कोल ब्लॉक

दामागोरिया का पूर्वी कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी):

- कोयला मंत्रालय ने सीएमएसपी अधिनियम-2015 के अंतर्गत बीसीसीएल को पत्र सं. CBA2-13011/1/2017-CBA2 दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से ईस्ट दामागोरिया कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी) आवंटित किया है। दिनांक 26.09.2019 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी तथा बीसीसीएल के अधिकृत पदाधिकारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 25.10.2019 को कोयला मंत्रालय को 50% अग्रिम भुगतान के एवज में ₹ 62.50 करोड़ रुपये तथा निर्धारित राशि के एवज में ₹ 17.341668 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, कार्य प्रदर्शन प्रतिभूति के तौर कोयला मंत्रालय को ₹ 124.3328 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी है।
- आदेश सं. F. No. 103/2/2015-NA-Part (1) दिनांकित 21.11.2019 के माध्यम से कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किया गया।
- सीएमपीडीआई द्वारा ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ब्लॉक के तहत आंशिक भूमि वाली एक खनन योजना तैयार की गई है और दिनांक 06.05.2020 को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।
- इस कल्याणेश्वरी कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सीतारामपुर ब्लॉक और सेल एवं ईसीएल के शेष पट्टाधारित (लीजहोल्ड) क्षेत्रों के साथ कल्याणेश्वरी ब्लॉक का एक सीमा ओवरलैप मुद्दा है।
- बीसीसीएल द्वारा कल्याणेश्वरी ब्लॉक के सीमा से संबंधित मुद्दों को शीघ्र समाधान करने और सीतारामपुर ब्लॉक को बीसीसीएल को आवंटन करने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
- बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक और सेल के रामनगर ब्लॉक पर संयुक्त रूप से काम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- चूंकि इनमें से कोई भी ब्लॉक एकल आधार पर खुली खदान खनन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए बीसीसीएल और सेल ने कल्याणेश्वरी कोयला ब्लॉक और रामनगर कोयला ब्लॉक का एक इकाई के रूप में संयुक्त रूप से दोहन करने का इरादा किया।
- बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक और सेल के रामनगर ब्लॉक के संयुक्त दोहन के लिए (04 एमटीवाई + 30%) क्षमता वाली परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में पीआर अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

12.14 उत्पादन कार्ययोजना: बीसीसीएल

बीसीसीएल द्वारा अगले तीन वर्षों तक कोयला उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन-योजना बनायी गयी है:-

वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27
उत्पादन (मि.टन)	45	50	53
वृद्धि (%)	9.75	11.11	6

12.15 **भूमिगत उत्पादन**

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान भूमिगत उत्पादन:

(टन)

विवरण	(2023-24)	(2022-23)	पिछले साल की तुलना में वृद्धि (%)
एसडीएल उत्पादन	123694	133109	(-)7.07
हाईवॉल ऊपादन (ब्लॉक -II)	158447	-	-
लांगवाल (मुनीडीह कोलियरी)	483600	552695	(-)12.50
कुल बीसीसीएल	**765741**	**685804**	**(+) 11.65**

ब्लॉक- II खदान में हाईवॉल खनन की शुरूआत इस वित्तीय वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

कम उत्पादन के कारण:

कम उत्पादन के कारण निम्नानुसार हैं:

1. लांगवाल पैनल डी-17/XVI सीम के उत्पादन भूगर्भीय गड़बड़ी के कारण प्रभावित हुआ जिसके लिए लांगवाल फेस री-ओरिएंटेशन की आवश्यकता थी, पैनल डी- 18/XVI सीम का विकास भी 3 मीटर से अधिक थ्रो के अज्ञात दोष के कारण प्रभावित हुआ।

2. जागीडीह में उपरी सीम में पानी जमा होना, अन्य खदानों में एसडीएल, यूडीएम तथा हॉलेज का अचानक से खराब होना।

आगामी 4 वर्षों के लिए उत्पादन कार्ययोजना:

वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
प्रस्तावित उत्पादन (मि.टन)	**2.000**	**3.305**	**4.935**	**11.460**
अपेक्षित वृद्धि (%)	161	65	49	132

बंद भूमिगत खदानों का एमडीओ कार्यक्रम:

एमडीओ मोड पर संचालन के लिए 27 बंद भूमिगत खदानों की पहचान की गई। इनमें से 06 खदानों के लिए राजस्व साझेदारी के आधार पर एलओए जारी किया गया है, जिसमें पी.बी. क्षेत्र (भागाबंद और के. बी. 10/12 पिट) की 2 खदानों को पी. बी. परियोजना के साथ जोड़ा गया है। 4 खदानों के लिए एनआईटी जारी की गई है और अन्य के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

6 खदानों के एलओए की स्थिति निम्नांकित है:-

खदान का नाम	अनुबंध की तिथि	कोयला उत्पादन आरंभ होने की अपेक्षित तिथि
सलानपुर कोलियरी	27.06.2023	01.05.2025
पी. बी. परियोजना	15.9.2023	01.04.2025
लोयाबाद	28.10.2023	01.09.2026
खरखरी	22.1.2024	01.09.2025
मधुबंद	11.12.2023	01.02.2025
अमलाबाद	बीजी जमा करने को विस्तारित तिथि 08 अप्रैल, 2024 है, समझौते का पालन किया जाना है।	10.04.2027

रेलवे साइडिंग अवसंरचना

कार्य	स्थिति
गोविंदपुर क्षेत्र में आरएलएस के माध्यम से कोयले की निकासी के लिए महेशपुर साइडिंग का निर्माण	साइडिंग निर्माण का कार्य प्रगति पर है और लगभग 68% कार्य पूरा हो चुका है। अगस्त 2024 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

13. भू-संपदा

वर्ष	दिए गए नियोजन	भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)				क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)				पंजीकरण एवं अन्य लागत	प्रमुख लेनदेन (₹ करोड़ में)				इसमें शामिल कुल राशि (₹ करोड़)
		एल.ए.	सी बी ए	प्रत्यक्ष क्रय	कुल	भूमि के बदले में	नियोजन के बदले में	अन्य आर एंड आर लाभ	कुल		सरकारी भूमि के स्थानांतरण के लिए किया गया भुगतान	जीएमजेजे भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए भुगतान	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए डीएलडी को भुगतान	कुल	
1	2	3	4	5	6=3+4+6	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14	15=12+13+14	16=10+11+15 2
2022-23	0	0	0	7.085	7.085	14.696	0.047	2.11	16.853	1.481	0	0	271.25	271.25	289.584
2023-24	**0**	**0**	**0**	**2.693**	**2.693**	**2.539**	**0.109**	**3.742**	**6.39**	**0.228**	**149.786**	**48.191**	**87.51**	**285.487**	**292.105**

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की ग्राफिक प्रस्तुति
वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का भुगतान किया गया, वर्ष 2022-23 के संबंध में

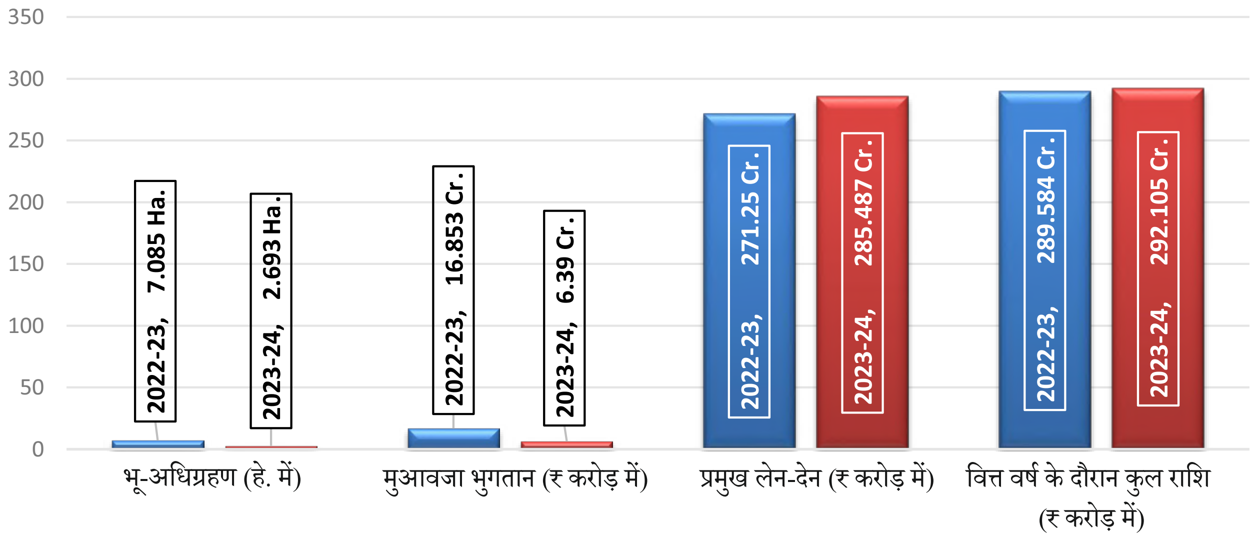

14. विदेशी सहयोगः

बीसीसीएल में वर्तमान में विदेशी सहयोग से चलने वाली कार्यान्वयन के लिए कोई परियोजना नहीं है।

15. विपणन

15.1 कच्चे कोयले की आपूर्ति का विवरण

क्षेत्र	लक्ष्य (मि.टन)	वर्ष 2023-24 में वास्तविक (मि.टन)	% उपलब्धि	वर्ष 2022-23 में वास्तविक (मि. टन)	पिछले वर्ष से % वृद्धि
पॉवर (सीपीपी समेत)	30.00	30.81	102.70	27.51	12.00
स्टील	1.50	1.00	66.40	1.16	-14.00
उर्वरक	0.50	0.49	97.90	0.39	24.40
ई-ऑक्शन (एसएफई के अतिरिक्त)	1.76	1.45	82.30	1.23	17.40
अन्य एन आर एस लिंकेज	0.75	0.59	78.60	0.82	-27.80
वाशरी के लिए	6.50	4.86	74.70	4.42	9.90
आंतरिक उपभोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	41.01	39.19	95.60	35.53	10.30

टिप्पणीः सीआईएल के एएपी लक्ष्य के अनुसार

वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार कच्चे कोयले का प्रेषण

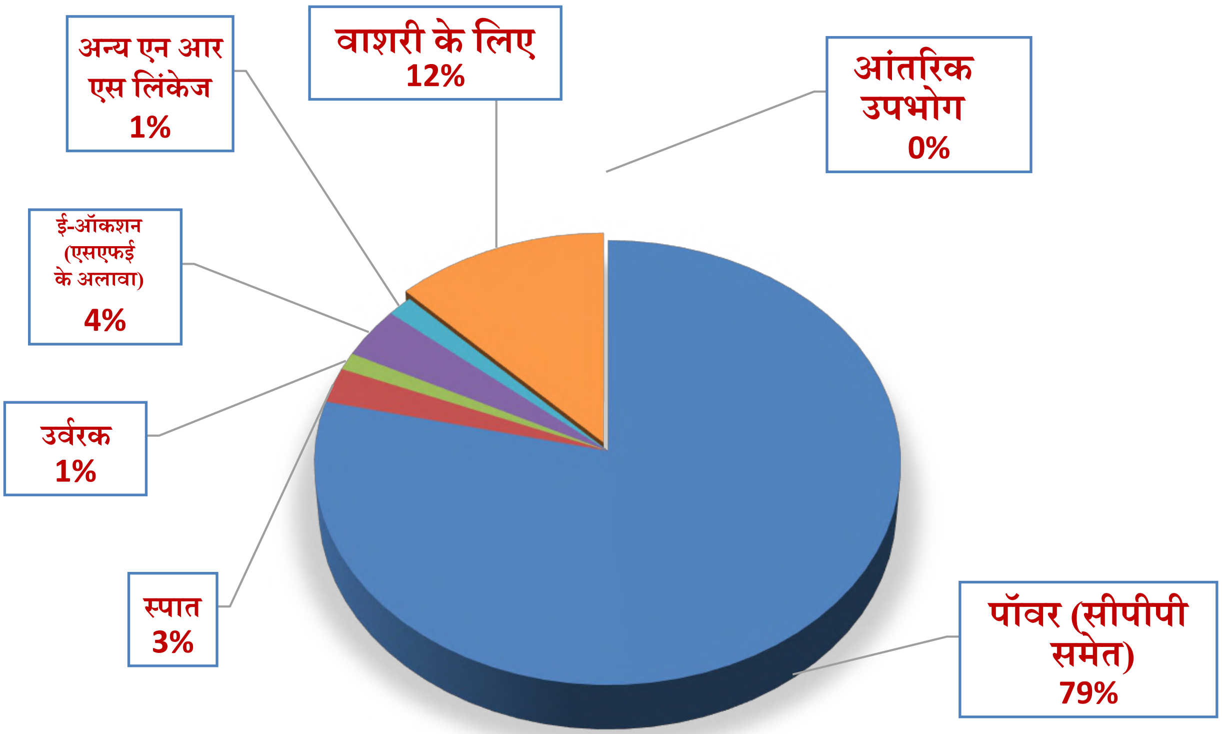

15.2 (क) बिक्री पर की गई वसूली

पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल बिक्री की तुलना में प्राप्ति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वर्ष	सकल बिक्री (₹ करोड़)	वसूली (₹ करोड़)	वसूली का %
1	2023-24	18892.54	19143.36	101.33%
2	2022-23	17337.06	17211.29	99.27%
3	2021-22	13583.90	15916.82	117.17%
4	2020-21	8959.95	8005.91	89.35%
5	2019-20	12705.84	10004.21	78.74%

15.3. ई-नीलामी

वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला एवं कोयला उत्पादों के लिए स्पॉट ई-नीलामी योजनाएं आयोजित की गई थीं और स्पॉट ई-नीलामी के लिए कुल 60.41 लाख टन की मात्रा की पेशकश की गई थी तथा जिनमें से 28.06 लाख टन की निविदा पूरी हो चुकी है तथा बेची गई वास्तविक मात्रा 23.2 लाख टन थी। स्पॉट ई-नीलामी का प्रदर्शन इस प्रकार है:

बीसीसीएल: वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाबद्ध ई-निलामी:

2024			
योजना का नाम	**बोली की मात्रा (लाख टन में)**	**उठाव की मात्रा (लाख टन में)**	**अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)**
एक्सक्लूसिव ई-नीलामी	-	1.22	-
स्पॉट ई-नीलामी	28.06	18.71	491.45
आयात प्रतिस्थापन के लिए विशेष स्पॉट ई-नीलामी	-	3.27	-
कुल बीसीसीएल	**28.06**	**23.2**	**491.45**

टिप्पणी: सीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल स्पॉट ई-नीलामी आयोजित की जानी आवश्यकता है, क्योंकि सभी नीलामियों को एक ही विंडो में जोड़ा जाता है। ई-नीलामी में पिछले वर्ष की बुकिंग के मुकाबले उठाई गई मात्रा में प्रेषण भी शामिल है।

15.4. वर्ष 2023-24 में एफएसए के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के उपभोक्तावार आपूर्ति

विद्युत कंपनी का नाम	वर्ष 2023-24 में एसीक्यु (लाख टन में)	कोयला एवं कोयला उत्पाद की आपूर्ति (लाख टन में)	पूर्ति %
डीवीसी	115.51	123.84	107%
एनटीपीसी	36.83	65.15	177%
यूपीआरवीयूएनएल	2.82	8.92	316%
एचपीजीसीएल	18.84	24.43	130%
पीएसईबी	3.33	3.15	95%
डीपीएल	8.11	7.03	87%
एमपीएल	18.43	28.52	155%
बज बज (इकाई-III)	4.58	5.31	116%
एमजीटीपीपी	8.89	13.39	151%
झबुआ पावर लि.	1.47	1.46	99%
कुल बिजली उपयोगिता	**218.81**	**281.20**	**129%**

टिप्पणी: वर्ष 2023-24 के दौरान फ्लेक्सी पॉलिसी के अनुसार एफएसए के तहत पीएसईबी को कोयले की आपूर्ति में नाभा पावर लिमिटेड की आपूर्ति शामिल है।

16. विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय:

16.1 एचईएमएम की खरीद

16.1.1. वर्ष 2023-24 के दौरान एचईएमएम कैपेक्स:

क्र.सं.	मद विवरण	मात्रा (संख्या)	मूल्य (₹ करोड़ में)	पी.ओ. तिथि
1	12 टी क्रेन	7	1.31	23-05-2023
2	पे-लोडर	1	0.59	19-07-2023
3	रिपर शॉवल	1	3.20	25-07-2023
4	मोबाइल सर्विस वैन	8	4.59	01-09-2023
5	5-6 कम शॉवल	3	38.47	28-11-2023
6	60 टी डंपर	15	75.84	29-12-2023
	कुल		**124.01**	

वर्ष 2023-24 के सभी एचईएमएम खरीदारी आदेश को दूसरे से तीसरे तिमाही के भीतर दे दिए गए और वर्ष 2023-24 के 4थे तिमाही के भीतर पूरी मात्रा की आपूर्ति की गई। वर्ष 2023-24 के भीतर 100% एचईएमएम कैपेक्स की मांग को पूरा किया गया।

16.2.1 सीसीटीवी निगरानी प्रणाली

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सीपीएसयू को एक ऑडर दिनांक 22.12.2023 को बोली खुलने से 3 महीने से भी कम समय में ₹88.31 करोड़ मूल्य की एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के साथ सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की आपूर्ति के लिए दिया गया। इस प्रणाली की खरीद, एमओसी/सीआईएल के दिशा-निर्देश के अनुपालन में बीसीसीएल मे अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम था।

16.2.2 एमओयू लक्ष्य: अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद, लक्ष्य 100%

क्र.सं.	मद	लक्ष्य (₹ करोड़ में)	वास्तवित (₹ करोड़ में)	उपलब्धि (%)
1	वस्तु	170.00	341.65	**200.97%**
2	सेवा	2711.00	2786.17	**102.77%**
	कुल	2881.00	3127.82	**108.57%**

वस्तुओं की खरीद में **200%** से अधिक उपलब्धि के साथ, वस्तुओं और सेवाओं के लिए बीसीसीएल की समग्र उपलब्धि **100%** के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के मुकाबले **108.57%** थी।

16.2.3 एमओयू अनुपालन मानदंड

वर्ष 2023-24 के अनुपालन मानदंड क्रम सं. 4, 5 एवं 6 निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	अनुपालन मानदंड	लक्ष्य	वस्तविक वस्तु	वास्तविक सेवा	वास्तविक वस्तु एवं सेवा
1.	संबंध पोर्टल के अनुसार कुल खरीद में से एमएसईएस से वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद	25 %	67.96%	9.70%	11.25%*
2.	संबंध पोर्टल के अनुसार कुल खरीद में से एससी/एसटी एमएसईएस से वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद	4%	0.85%	0.01%	0.04%*
3.	संबंध पोर्टल के अनुसार कुल खरीद में से महिला एमएसईएस से वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद	3%	4.68%	0.14%	0.26%*

*सीआईएल द्वारा सेवा उपलब्धि की गणना की समीक्षा के लिए उच्च मूल्य वाले खनन सेवा अनुबंधों को बाहर रखने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है, क्योंकि ऐसे उच्च मूल्य वाले खनन अनुबंध सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं।

16.2 .4 एमएसईएस विक्रेता विकास कार्यक्रम

एमएसएमई-धनबाद/रांची के सहयोग से 21 एवं 22 दिसंबर, 2023 को सीआईएसएफ ग्राउंड, बीसीसीएल में एक राष्ट्रीय स्तर का वीडीपी आयोजित किया गया, जिसमें एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा 70 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए और 10 सीपीएसयू ने भाग लिया। राष्ट्रीय वीडीपी के अलावा, एमएसई के लिए बीसीसीएल द्वारा 3 और स्थानीय स्तर के वीडीपी भी आयोजित किए गए।

16.2.5 स्क्रैप निपटान नीति

क. जेम (जीईएम) के निर्देशों के अनुपालन करते हुए, जेम के माध्यम से स्क्रैप की नीलामी के लिए नीति तैयार की गई। जेम में पहले से ही स्क्रैप नीलामी आयोजित की गई है।

ख. बीसीसीएल बोर्ड के अनुमोदन से घोषित गैर-चलती अप्रचलित वस्तुओं के निपटान हेतु नीति तैयार की गई।

ग. स्क्रैप निपटान के आंकड़ें।

क्र.सं.	मानदंड	2022-23 (₹ करोड़ में)	2023-24 (₹ करोड़ में)	परिवर्तन (%)
	स्क्रैप निपटान से प्राप्त राशि16.268.17(-) 49.75%	16.26	8.17	(-) 49.75%

17. गुणवत्ता नियंत्रण

17.1 नमूना एकत्रण (तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण की स्थिति)

क) तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए नमूना एकत्रण एवं विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए घोषित ग्रेड के अनुरूप कुल प्रतिशत इस प्रकार है:-

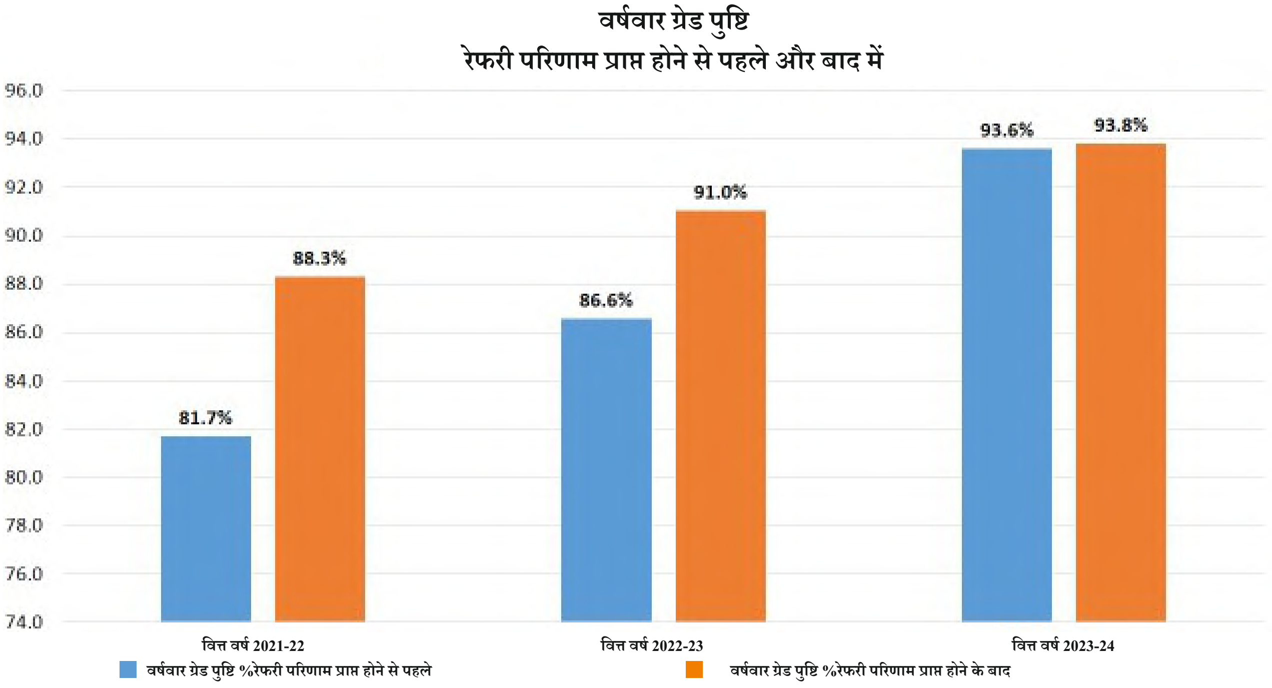

टिप्पणी

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केवल 5.92% रेफरी परिणाम प्राप्त हुए हैं

आज की तिथि तक, 2023-24 के लिए, अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 की अवधि के लिए तीसरे पक्ष के नमूने/संयुक्त नमूने (रेफरी परिणामों के बिना) के कारण ग्रेड की पुष्टि 93.6% है।

ग्रेड पुष्टिकरण की उपर्युक्त प्रवृति ग्रेड प्राप्ति में निरंतर सुधार दर्शाती है।

ख) सीएसआईआर-सीआईएमएफआर ने दिनांक 11.11.23 से बीसीसीएल के लोडिंग पॉइंट्स पर अपनी थर्ड पार्टी सैंपलिंग गतिविधि बंद कर दी है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के तत्वावधान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बिजली और गैर-विद्युत क्षेत्र के लिए अपीलीय/रेफरी प्रावधान के साथ लोडिंग पॉइंट्स पर कोयले के नमूनों के संग्रह, तैयारी और विश्लेषण के लिए 11 थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों (टीपीएसए) को सूचीबद्ध किया है।

बीसीसीएल के लोडिंग स्थल पर सूचिबद्ध 11 तृतीय पक्ष सैम्पलिंग एजेंसियों के साथ तृतीय पक्ष सैम्पलिंग गतिविधि के संचालन के लिए नए त्रिपक्षिय समझौते इस प्रकार है:-

क्र. सं.	संयंत्र/उपभोक्ता	एसीक्यू (मि.टन मे)	टीपीएस एजेंसी	टीपीए हस्ताक्षर की तिथि	तृतीय पक्ष सैम्पलिंग स्थिति
1.	एचपीजीसीएल	1.88	आईजीआई प्रा. लि.	29/11/23	दिनांक 12/02/24 को शुरू
2.	एनटीपीसी	3.683	क्यूएसीक्यू प्रा. लि.	18/12/23	दिनांक 15/02/24 को शुरू
3.	डीपीएल	0.811	आईजीआई प्रा. लि.	08/02/24	दिनांक 12/02/24 को शुरू
4.	आरवीयूएनएल	0.41	केसीएस प्रा. लि.	17/02/24	दिनांक 03.04.2024 को शुरू
5.	डीवीसी	11.551	आईजीआई प्रा. लि.	15/03/24	दिनांक 21/03/24 को शुरू
6.	सेल	1.9327	क्यूसीआई	30/03/24	दिनांक 01/04/24 को शुरू
7.	पीआरवीयूएनएल (हरदूआगंज	1.255	क्यूएसीए प्रा. लि.	03/04/24	दिनांक 01/05/24 से शुरू होगा
8.	एमपीएल	1.843	क्यूसीआई	11/04/24	दिनांक 01/05/24 से शुरू होगा

बीसीसीएल के अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए कोयला प्रेषण के सभी तरीकों के लिए सभी लोडिंग पॉइंट्स पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग का सफल कार्यान्वयन किया गया है और शेष उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रियाधीन है। एफएसए और एमओयू के अनुसार, बीसीसीएल द्वारा थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए सभी सक्षम शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसियां नमूनाकरण कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो एफएसए के प्रावधानों के अनुसार लोडिंग छोर पर संयुक्त नमूनाकरण किया जाता है।

17.2 वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्धियां

(क)वर्ष 2022-23 के लिए, रेफरी के परिणाम प्राप्त होने के बाद तृतीय पक्ष सैंपलिंग के आधार पर ग्रेड की पुष्टि 86.6% से बढ़कर 90.0% हो गई है।

(ख)वर्ष 2023-24 में इस तिथि को अप्रैल, 2023 से फरवरी, 2024 की अवधि के लिए तीसरे पक्ष (रेफरी परिणामों के बिना) के कारण घोषित ग्रेड की पुष्टि करने वाला समग्र प्रतिशत 93.6% (अनंतिम) रहा. जबकि वित्त वर्ष 2021-22 (रेफरी परिणामों के बिना) के दौरान यह 86.6% था।

(ग) वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न कोलियरियों के 12 (बारह) सीमों के आरओएम (ROM) अंश के एक नए ग्रेड को अधिसूचित किया गया है।

(घ) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में पीआरपी और सैप (एसएपी) सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया।

बीसीसीएल को 49वें सीआईएल स्थापना दिवस के अवसर पर गुणवत्ता जागरूकता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

17.3 गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

क) ग्रेड के रखरखाव तथा उपभोकेताओं को पिसे हुए कोयले की आपूर्ति के लिए एसओपी तैयार किया गया है और इसे बीसीसीएल के क्षेत्रों में वितरित किया गया है। एसओपी कोयला उत्पादन एवं प्रेषण, उपभोक्ताओं को बोल्डर तथा बाहरी सामग्री से मुक्त पिसे हुए कोयले की आपूर्ति करने के हर चरण में कार्यकारी (अधिकारियों) की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

ख) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रेषित कोयले के ग्रेड की जांच नियमित तौर पर साईडिंगों में की जाती है और इसके बाद प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है।

ग) प्रत्येक क्षेत्र की ग्रेड स्लिपेज रिपोर्ट मासिक आधार पर संकलित की जाती है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्रों को भेजा जाता है।

ध) बीसीसीएल के क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाता है।

ड) गुणवत्ता, आकार प्रेषण, तीसरे पक्ष के नमूने आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह सभी क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधकों / क्षेत्रीय गुणवत्ता प्रबंधकों के साथ गुणवत्ता समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

च) तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण कार्य की निगरानी के लिए सभी लोडिंग केंद्रों पर प्रत्येक पाली में अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों का एक समर्पित दल तैनात किया गया है। टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जाता है कि तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण एजेंसी द्वारा नमूने को समुचित तरीके से एकत्र एवं तैयार जाय।

छ) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाता है।

ज) उत्पादन एवं डिस्पैच से सीधे तौर पर जुड़े सभी सुपरवाईजरी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे निम्नलिखित माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण कोयले का उत्पादन करें:-

1. चयनात्मक खनन को अपनाना।
2. उचित ड्रिलिंग/ब्लॉस्टिंग पैटर्न को अपनाए।
3. पत्थरों एवं शेल को अपने स्तर पर ही अलग कर दें।
4. फेस एवं स्टॉक यार्ड में ट्रकों में लोडिंग के समय सावधानियां बरतें।
5. सीमों में आग एवं अन्य खनन समस्याओं के कारण समिश्रित कोयले का उचित तरीके से प्रबंध किया जाय।

झ) कार्यस्थल/कोल डंप/रेलवे साइडिंग में उचित प्रकाश का प्रबंध है।

ञ) फायरी एवं गैर-फायरी कोयले का भंडारन अलग-अलग किया जाता है।

ट) अग्नि प्रभावित सीम के मामले में, सीसीओ द्वारा आग और गैर-अग्नि क्षेत्रों के कोयला सीम विशेष के लिए अलग-अलग ग्रेड घोषित किए गए हैं।

ठ) घोषित ग्रेड के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन और प्रेषण हेतु उपचारात्मक उपायों के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर विचार-मंथन कर ग्रेड स्लिपेज को कम किया जाता है।

ड) उपभोक्ताओं की संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्ता और आकार के प्रेषण और शिकायत निवारण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएल के उपभोक्ताओं के साथ बैठक (बैठकें), टेलीफोन / टेक्स्ट संदेश वार्तालाप किया जाता है।

ढ़) बिजली घर (घरों)/उपभोक्ताओं से प्राप्त बड़े आकार की असंगत सामग्री के साथ मिश्रित खराब गुणवत्ता वाले कोयले और बड़े आकार के कोयले की कथित प्राप्ति के संबंध में शिकायत तुरंत संबंधित प्राधिकारी को उसी दिन के भीतर भेजी जाती है। संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और विपणन एवं विक्रय विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे साइडिंग, डंप और कोयले का आकलन करने के लिए संबंधित क्षेत्र का दौरा करते हैं और भविष्य के लिए शिकायत (शिकायतों) को खत्म करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और क्रश्ड कोयले के प्रेषण के संबंध में क्षेत्र के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। ।

ण) प्रत्येक महीने के अंत में, बीसीसीएल और संबंधित बिजली घर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न बिजली घरों में पत्थर का मूल्यांकन किया जाता है (एफएसए के अनुसार)।

18. ऊर्जा संरक्षण

18.1 ऊर्जा की खपत:

विवरण	2023-24	2022-23
खरीदी गई यूनिट (एमकेडब्लूएच)	815.02	803.09
कुल बिल राशि (₹ करोड़ में)	472.88	448.78
* बिल की राशि में वृद्धि डीवीसी द्वारा एफपीपीपीए (ईंधन मूल्य और बिजली खरीद समायोजन) शुल्क को शामिल करने के कारण हुई है।		

19. सुरक्षा

19.1 वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दुर्घटना संबंधी आंकड़े:

दुर्घटना का विवरण	2022-23	2023-24
प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	4	4
मृतकों की संख्या	5	5
गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	4	5
गंभीर चोटों की संख्या	4	6

19.2 कानुन के अनुसार खदानों में सुरक्षा स्थिति की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया:

कर्मियों, मशीनों और खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल की खदानों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार नियमत: खनन गतिविधियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक कर्मियों की तैनाती।

(ii) डीजीएमएस द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार खदानों का संचालन।

(iii) सुरक्षा समिति और कामगार निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण।

(iv) समय सारणी के अनुसार आईएसओ द्वारा खानों का निरीक्षण।

(v) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण।

(vi) डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।

(vii) सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रस्तुत करना।

(viii) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का औचक निरीक्षण।

(ix) एसएमपी में खदान के जोखिमों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।

(x) बीसीसीएल की सभी परिचालन खदानों ने साइट विशिष्ट, जोखिम आधारित एसएमपी तैयार किया है।

(xi) किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए माइंस रेस्क्यू स्टेशन को पर्याप्त बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है।

भविष्य में पिछले खान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारत्मक कार्रवाई

- बीसीसीएल के पिट सुरक्षा समिति की बैठकों में दुर्घटनाओं पर गहन चर्चा और विश्लेषण।
- कार्य जोखिम विश्लेषण (जेएचए) आधारित सीओपी और एसओपी का निर्माण और कार्यान्वयन।
- आईएसओ, एएसओ और अन्य वैधानिक तरीकों के द्वारा जांच-सूची आधारित निरीक्षण।
- आवधिक समीक्षा तथा सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) के द्वारा लेखा परीक्षा करना।
- सुरक्षा उल्लंघनों के लिए ‘’शून्य सहनशीलता’’ के सिद्धांत में सुरक्षा अनुशासन लागू करना।
- “सुरक्षा के लिए रोड मैप” के सभी 15 मापदंडों का कार्यान्वयन।
- बीसीसीएल के सभी खदानों में “प्री-शिफ्ट सेफ्टी टॉक” की प्रथा को लागू करना।
- परिवार परामर्श, स्वास्थ्य परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श सहित मासिक सुरक्षा अभियान और सुरक्षा अभियान का आयोजन।
- एचआरडी, बीसीसीएल में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बाहरी प्रशिक्षण प्रदान करके पीएसी और वर्कमेन इंस्पेक्टर के संगठन को मजबूत करना।

जनवरी-मार्च, 2023 तिमाही के दौरान व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गई।

क. वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा-2023 – बीसीसीएल के खदानों में सफलतापूर्वक आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:

कार्यक्रमों के नाम	कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अवधि
यूजी/ओसीपी/ई एंड एम/उत्खनन मॉड्यूल के लिए ट्रेड परीक्षण	8-11 जनवरी, 2024
रेसक्यू कक्ष निरीक्षण	22-24 जनवरी, 2024
एमआरएस, धनसार में प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता	2 फरवरी, 2024
चालू/उत्पादक देने वाली खदानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण (पीएमई केंद्र, वीटीसी, सीएचपी, साइडिंग, कार्यशालाएं आदि)	15-27 जनवरी, 2024
सिजुआ स्टेडियम, सिजुआ क्षेत्र में समापन समारोह	3 फरवरी, 2024

52वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता

डीजीएमएस के तत्वावधान में तेलंगाना के रामागुंडम में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 11 से 15 दिसंबर, 2023 तक आयोजित 52वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 कोयला कंपनियों की 16 बचाव टीमें और 9 गैर-कोयला बचाव टीमें शामिल थीं, जिसमें एक महिला बचाव टीम ने भाग लिया। यह भारतीय बचाव सेवाओं के इतिहास में पहली महिला बचाव टीम थी।
इस प्रतियोगिता में बीसीसीएल की दो टीमों ने भाग लिया और तीन पुरस्कार प्राप्त किए – 1. बीसीसीएल ए टीम ने कोयला कंपनियों की 16 बचाव टीमों के बीच इस प्रतियोगिता में **पांचवां पुरस्कार** प्राप्त किया। 2. बीसीसीएल बी टीम ने मार्च पास्ट ड्रिल इवेंट में **प्रथम पुरस्कार** प्राप्त किया। 3. बीसीसीएल ए टीम ने वैधानिक कार्यक्रम में **तृतीय पुरस्कार** प्राप्त किया।

ख. डीजीएमएस द्वारा अनुमति पत्र संख्या डीजीएमएस/ओएच(मुख्यालय)/प्राथमिक चिकित्सा/01/2023/02/08 धनबाद दिनांक 24.02.2023 माइंस रेस्क्यू स्टेशन (एमआरएस), धनसार को 'प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देने और प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र' के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

डीजीएमएस ने माइन रेस्क्यू स्टेशन, धनसार, बीसीसीएल को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने और प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करने अनुमति दी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एमआरएस धनसार द्वारा निम्नलिखित संख्या में प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये गए हैः-

विभागीय-पुरूष कर्मचारी -204

विभागीय-महिला कर्मचारी- 27

संवदि कर्मी - 05

निजी अभ्यर्थी - 32

ग. डीजीएमएस के परिपत्र (टेक)/02 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के माध्यम से प्रसारित राजमहल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश के अनुपालन में बाहरी वैज्ञानिक एजेंसी सीआईएमएफआर द्वारा बीसीसीएल के अग्नि प्रभावित ओसी पैच का बाह्य सुरक्षा ऑडिट।

बीसीसीएल के सबसे अधिक अग्नि प्रभावित 10 ओसी पैचों की सुरक्षा ऑडिट बाहरी वैज्ञानिक एजेंसी द्वारा कराने के लिए, सीआईएमएफआर को कार्य आदेश संख्या 5700151962 दिनांक 01.12.2022 के तहत नियुक्त किया गया है। तदनुसार, सीआईएमएफआर ने निम्नलिखित सभी 10 पैचों की सुरक्षा ऑडिट किया गया-

क्र.सं.	ओसी पैच / खान का नाम	बीसीसीएल के क्षेत्र
1.	भौंरा साउथ कोलियरी के 4 पैच	पूर्वी झरिया
2.	मोदीडीह तेतुलमारी के पैच 'ए'	सिजुआ
3.	कनकनी हायर्ड पैच	सिजुआ
4.	न्यू बेनीडीह हायर्ड पैच	ब्लॉक-2
5.	एकेडब्लूएमसी का तेतुलमारी हायर्ड पैच	कतरास
6.	पैच आर जीकेकेसी	कुसुण्डा
7.	एना फायर पैच	कुसुण्डा
8.	आरओसीपी के 'एबी' पैच	बस्ताकोला
9.	आरओसीपी के 'बीसी' पैच	बस्ताकोला
10.	बसंतीमाता-दहीबाड़ी विभागीय ओसी पैच	सीवी क्षेत्र

वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया विषेश सुरक्षा ऑडिट
1. ओवी डंप स्थिरता एवं निगरानी- बीसीसीएच के सभी ओसी खदानें (27 नग)
2. अग्नि उपकरण पर तकनीकी ऑडिट- सभी यूजी, ओसी और सीएचपी (31 नग)
3. संबंधित आईएसओ द्वारा यूजी स्ट्रेटा विफलता- बीसीसीएल के सभी भूमिगत खदानें (05 नग)

घ. चिकित्सा जांच और परामर्श- 16 जुलाई, 2021 को आयोजित 144वीं सीएमडी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सक्रिय खनन कार्य में तैनात उच्च जोखिम वाले कर्मचारी (50 वर्ष से अधिक आयु के) समूह के लिए 'चिकित्सा जांच एवं परामर्श' का आयोजित करने हेतु बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अगस्त, 2021 से मासिक आधार पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

19.3 सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए बीसीसीएल के खदानों में सीआईएल के विभिन्न हालिया निर्देशों का अनुपालनः

I. सुरक्षा मित्र मंडली (सुरक्षा सर्कल) का गठन –

खदान के स्तर, क्षेत्रीय स्तर, कंपनी स्तर तथा सीआईएल स्तर पर कर्मी निरीक्षक, पीएससी सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी आईएसओ, नोडल अधिकारी (सुरक्षा मित्र) सीआईएल की तैनाती।

II. "टेक - 5" सुरक्षा दृष्टिकोण की अवधारणा - "रुकें और सोचें, खतरों को देखें, जोखिम का आकलन करें, परिवर्तन करें और सुरक्षित रूप से काम करें" की अवधारणा को अपनाने के लिए।

III सुरक्षा दृष्टिकोण का "एबीसीडी"- ए-एवेयरनेस (जागरूकता), बी- बीवेयर (सावधानी), सी- कंसिसियस (जागरूकता), डी- डिलिजेंट (मेहनती)

IV. शून्य दुर्घटना / शून्य नुकसान" प्राप्त करने के लिए सुरक्षा लक्ष्य के लिए रोड मैप – कार्यपालक निदेशक (सुरक्षा), सीआईएल द्वारा एक कार्य योजना तैयार किया गया है, जिसमें "सुरक्षा संस्कृति" और "सुरक्षा वातावरण" दोनों समानांतर चलेंगे, इसमें प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट के साथ, 52 सप्ताह की अवधि के भीतर विभिन्न कार्यों को पूरा किये जाने वाले कार्य सम्मिलित होंगे। विभिन्न कार्य और कार्रवाई योग्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं-

क. सुरक्षा दृष्टिकोण, व्यवहार, चेतना में सुधार

ख. कर्मचारियों के बीच नियोक्ता-संचालित सुरक्षा संस्कृति, समावेशी सुरक्षा संस्कृति, साथी भावना, सहानुभूतिपूर्ण सोच के माहौल को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा सर्किलों / सुरक्षा समूहों का गठन।

ग.'केस स्टडी आधारित सुरक्षा वार्ता' और 'सुरक्षा वीडियो साझा करना' शुरू करके सुरक्षा के लिए "अधिगम संस्कृति" विकसित करना।

घ.सुरक्षा के उद्देश्य पर 'प्रेरणादायक मॉडल' का प्रदर्शन।

ङ.सुरक्षा के लिए विशिष्ट 'संगठनात्मक अनुशासन और व्यवहार' में सुधार।

च.आईएसओ (नोडल) और महाप्रबंधक (सुरक्षा) द्वारा स्थिति के अनुसार कार्य योजना गतिविधियों को जोड़ने और संशोधित करने के लिए हर 3 महीने में नियमित समीक्षा।

V. व्यक्तिगत सुरक्षा परामर्श" की अवधारणा को लागू करना - सुरक्षित प्रथाओं और सुरक्षा वातावरण पर प्रश्नावली के बाद सलाह, सुझाव, सहायता, मदद, समर्थन और मार्गदर्शन के रूप में व्यक्तिगत परामर्श, परिवार परामर्श और रेफरल द्वारा परामर्श।

VI. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की तैयारी/संशोधन- बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में चल रही मौजूदा 'आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' को सभी बीसीसीएल के खदानों के लिए 'खान विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के दायरे के साथ एक समान आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' तैयार करने हेतु फिर से देखा गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का मसौदा बीसीसीएल की सभी खानों को परिचालित कर दिया गया है।

VII. विशिष्ट खनन गतिविधियों के लिए एक समान अभ्यास अनुसूची (एसओपी) - वर्तमान में प्रचलित विभिन्न खनन गतिविधियों के एसओपी की समीक्षा/संशोधन आईएसओ द्वारा 'खान विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के दायरे के साथ एक विशिष्ट कार्य के लिए एक समान एसओपी' विकसित करने और तैयार करने के लिए की गई है।

19.4 वर्ष 2023-24 में किये अन्य सुरक्षा उपाय

मानदंड	कार्यान्वयन स्थिति
एसएमपी (सुरक्षा प्रबंधन योजना)	बीसीसीएल की सभी चालू खदानों द्वारा एसएमपी तैयार किया गया है और इन एसएमपी की समीक्षा आईएसओ के सहयोग से की गई है।
सुरक्षा लेखा परीक्षा : 2023-24	बीसीसीएल की सभी चालू खदानों के सुरक्षा ऑडिट- 2023-24 के चरण I, II और III को पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट जमा कर दी गई है। सुरक्षा ऑडिट के तीनों चरणों में बताई गई कमियों को संबंधित खानों द्वारा ठीक करने की प्रक्रिया में है।
महाप्रबंधक (एस एंड आर) की क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ मासिक बैठकें	सभी महीनों में नियमित रूप से आयोजित
संविदात्मक श्रमशक्ति के लिए आईएसओ द्वारा जारी दिशानिर्देश	अनुबंधित व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन के लिए सीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्रों को सूचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसओ नोडल अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करते हैं कि संविदा कर्मचारियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और इसकी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक टिप्पणियों को दर्ज किया गया है और अनुपालन की स्थिति की निगरानी की जाती है।
आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का निरीक्षण	बीसीसीएल के विभुन्न खदानों के आईएसओ अधिकारियों द्वारा प्रति माह औसतन 15 निरीक्षण किए गए हैं।

(ख) **(1)आग, बाढ़ और डंप स्लोप स्थिरता पर मॉक रिहर्सल-** वर्ष **2023-24 में,** आग, **बाढ़ और डंप ढलान स्थिरता** के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के मामले में तैयारियों की जांच के लिए बीसीसीएल की विभिन्न खानों में कुल 96 (छियानवे) मॉक रिहर्सल आयोजित किए गए हैं-

विवरण	2022-23	2023-24
बीसीसीएल की सभी खदानों में आग, बाढ़ और डंप ढलान स्थिरता पर मॉक रिहर्सल की सं.	92	96

(ii) **(ii) द्वि-पक्षीय निरीक्षण (क्षेत्रीय स्तर)-** बीसीसीएल सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों और मुख्यालय के अधिकारियों के साथ खान अधिकारियों की टीम द्वारा बीसीसीएल के खदानों / वाशरियों का निरीक्षण किया जाता है।

2023-24	
निरीक्षण की तिथि	**खदानों का निरीक्षण किया**
07.06.2023	सीवी क्षेत्र
03.07.2023	सिजुआ क्षेत्र
21.07.2023	गोविंदपुर क्षेत्र
22.07.2023	कुसुण्डा क्षेत्र
28.08.2023	पू. झ. क्षेत्र
29.08.2023	कतरास क्षेत्र
18.12.2023	प. झ. क्षेत्र
03.01.2024	मुनीडीह एवं महुदा वाशरी

05.01.2024	पी बी क्षेत्र
10.02.2024	ब्लॉक-II और मधुबंद वाशरी
17.02.2024	लोदना क्षेत्र
24.02.2024	बरोरा क्षेत्र
04.03.2024	भोजूडीह एवं पाथरडीह वाशरी
15.03.2024	बस्ताकोला क्षेत्र

(iii) वर्ष 2021 में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा समिति के साथ क्षेत्र स्तरीय **त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति** की बैठकें आयोजित की गई, विवरण निम्नलिखित है:

2023-24	
बैठक की स्थिति	**क्षेत्र का नाम**
19.12.2023	सी वी क्षेत्र
22.12.2023	कतरास क्षेत्र
28.12.2023	सिजुआ क्षेत्र
29.12.2023	गोविंदपुर क्षेत्र
09.01.2024	पी बी क्षेत्र
12.03.2024	बरोरा क्षेत्र
13.03.2024	ब्लॉक-II क्षेत्र
19.03.2024	कुसुंडा क्षेत्र
22.03.2024	बस्ताकोला क्षेत्र
27.03.2024	डब्ल्यू जे क्षेत्र
28.03.2024	ई जे क्षेत्र

(iv) **कंपनी स्तरीय द्वि-पक्षीय सुरक्षा समिति** की बैठक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों के साथ आयोजित की गई, विवरण निम्नलिखित है:

2023-24
बैठक की तिथि – 09 मार्च, 2024 तल- III सभागार, कोयला भवन, बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद

(v) **कंपनी त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति** की बैठक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ आयोजित की गई, विवरण निम्नलिखित है:

2023-24
बैठक की तिथि –21 अप्रैल, 2023 तल- III सभागार, कोयला भवन, बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद

19.5 सीएमआर- 2017 के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों का वैज्ञानिक अध्ययन -

कोयला खान विनियमन- 2017 के विनियमन संख्या 106(2), 196 और विनियमन संख्या 123(1) के अनुपालन में, मशीनीकृत ओपनकास्ट वर्किंग के मामले में 'अल्टीमेट पिट स्लोप, डंप स्लोप और स्लोप स्थिरता' के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन (पंजीकरण संख्या 106(2)), ओसी खानों में ब्लास्टिंग अध्ययन (पंजीकरण संख्या 196), 'स्ट्रेटा नियंत्रण एवं निगरानी योजना (एससीएमपी)' - पंजीकरण संख्या 123(1) और आरएमआर निर्धारण (पंजीकरण संख्या 123(2)) का कार्य बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में सीआईएमएफआर, आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, बीआईटी सिंदरी, एनआईटी जोधपुर आदि जैसी 'वैज्ञानिक एजेंसियों' के माध्यम से किया गया है। अतः वर्ष 2017 में पंजीकरण संख्या 106 (2) के लागू होने से लेकर मार्च, 2024 तक बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में विभिन्न मापदंडों पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों की स्थिति निम्नानुसार है

मापदंड	संख्या
ओसीपी में अंतिम पिट ढलान, डंप ढलान और ढलान स्थिरता	**36** ओबी डंप
ओसी खानों में ब्लास्टिंग अध्ययन (पंजीकरण संख्या 196)	**19** ओसी पैच
स्तर नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएमपी) - पंजीकरण संख्या 123(1) और आरएमआर निर्धारण (पंजीकरण संख्या 123(2) और संरचनात्मक स्थिरता परीक्षण	**06** यूजी माइंस में **11**
कुल	**66**

19.6 वर्ष 2023-24 के लिए सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के लिए की गई खरीद कार्रवाई की स्थिति

वस्तुओं का नाम	खरीदी गई संख्या	खरीद की स्थिति
माईनिंग शू-पुरुष	27155 जोड़ें	दिसंबर, 2023 में आपूर्ति की गई।
माईनिंग शू-महिला	2200 जोड़ें	मार्च, 2024 में 2200 जोड़ों के लिए जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से निविदा जारी की गई। वर्तमान स्टॉक - 164 जोड़े
हेलमेट	6647 नग	दिसंबर, 2023 में आपूर्ति की गई।
गमबूट	12448 जोड़ें	मार्च, 2024 में आपूर्ति की गई।

19.7 <u>एमआरएस धनसार, बीसीसीएल के माध्यम से खान बचाव सेवाएं</u>

क. परिचय: - माइंस रेस्क्यू स्टेशन (एमआरएस) धनसार वर्ष 1941 से 1985 तक भारत के कोयला खनन उद्योगों को केंद्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति, एक केंद्रीय सरकारी संगठन के तहत सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 1985 के बाद प्रशासनिक रूप से बीसीसीएल द्वारा नियंत्रित और एमआरएस और इसके तीन बचाव कक्षों, अर्थात आरआर मुनीडीह, आरआर सुदामडीह और आरआर मधुबन के माध्यम से बीसीसीएल, टाटा-स्टील झरिया डिवीजन और सेल-सीडी की सभी खदानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

स्थान: - माइंस रेस्क्यू स्टेशन बीसीसीएल धनबाद-झरिया रोड के पश्चिम में धनसार में स्थित है, और धनबाद रेलवे स्टेशन से 4.0 किमी दूर है।

रेस्क्यू रूम मुनीडीह धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यह निकटतम रेलवे स्टेशन करकेंद से 6 किमी दूर है और मुनीडीह प्रोजेक्ट बीसीसीएल के पास है।

रेस्क्यू रूम सुदामडीह धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन भौरा के पास और क्षेत्रीय अस्पताल सुदामडीह के ठीक सामने है।

रेस्क्यू रूम मधुबन धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन जमुनी हॉल्ट है।

ख. एमआरएस और इसकी तीन इकाइयों का क्षेत्राधिकार:-

क्र.सं.	इकाइयों का नाम	नियंत्रण कक्ष संख्या	सेवारत कोयला खदानें
1.	एमआरएस धनसार	9931188280	बीसीसीएल, टाटा स्टील झरिया डिवीजन और सेल-सीडी की सभी कोलियरियां।
2.	आरआर मुनीडीह	9931188284	लोहापट्टी कोलियरी को छोड़कर पीबी क्षेत्र और डब्ल्यूजे क्षेत्र की सभी कोलियरियां।
3.	आरआर सुदामडीह	9931188281	ईजे क्षेत्र और सेल-सीडी की सभी कोयला खदानें।
4.	आरआर मधुबन	9931188285	कतरास, गोविंदपुर, बरोरा, ब्लॉक II क्षेत्र और लोहापट्टी कोलियरी की सभी कोलियरियां।

ग. एमआरएस के तहत बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या = 285
(बीसीसीएल कर्मचारी = 219, टाटा-स्टील कर्मचारी = 41, सेल-सीडी कर्मचारी = 25)

घ. उपकरण विवरण:- एमआरएस धनसार और इसकी तीन इकाइयों में सभी उपकरणों का रखरखाव खान बचाव नियम 1985 के अनुसूची-I और अनुसूची-II के नियम 11(1) और (2) के अनुसार किया जाता है ताकि खान आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

क. एससीबीए-133 नग।
ख. रिवाइविंग उपकरण- 26 नग।
ग. एससीएसआर- 24 नग।
घ. एसी रेस्क्यू वैन- 1 नग।
ड. फायर टेंडर-1 नग।
च. बकेट स्ट्रेचर- 4 नग।
छ. एयर लिफ्टिंग बैग- 4 सेट।
ज. डमी बॉडी- 3 नग।
झ. वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर-4 नग।
ञ. टेलिस्कोपिक टाइप सीढ़ी- 1 नग।
ट. एलईडी सर्च लाइट-2 नग।
ठ. हाइड्रोलिक कॉम्बी-टूल-1 सेट।

ड. उपलब्धि (2023-24)

1. वर्ष 2023 के दौरान आपातकालीन निपटान

• बचाव और रिकवरी कार्य-
क) दिनांक 31.01.2023 को शक्ति मंदिर के पास आशीर्वाद टॉवर बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया गया और कई लोगों को बचाया गया।
ख) दिनांक 25.5.2023 को गोधर कोलियरी में 4 पिट परित्यक्त शाफ्ट को सील किया गया।
ग) दिनांक 29.07.2023 को घनुडीह मल्लाह बस्ती की सतह की दरार से एक व्यक्ति के जले हुए शव को निकाला गया।
घ) धोबी कुल्ली के पास बीसीसीएल के गोंदुडीह खास कुसुंडा कोलियरी में रिकवरी कार्य किया गया, जहां दिनांक 17.09.2023 और 18.09.2023 को गड्ढे के धंसने से तीन महिलाओं के शव बरामद किए गए।
ड.) एमआरएस - 04 में मॉक रिहर्सल का अभ्यास किया गया।
च) विभिन्न कोलियरियों में मॉक रिहर्सल में भाग लिया गया - 96

• अग्निशमन - 46 स्थान (शॉवल फायर, डम्पर फायर, ड्रिल मशीन, वाशरी, सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्क्रैप, कोयला स्टॉक के पास बुश फायर, बुश फायर और अपार्टमेंट फायर।)

च. अन्य उपलब्धियाँ:-

• 268 व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी किए गए, जिनमें बीसीसीएल पुरुष = 205, निजी उम्मीदवार = 32, ठेका श्रमिक = 05 तथा महिला = 27
• एमआरएस धनसार में प्राथमिक चिकित्सा एवं क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
• अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता, 2023 में 3 विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता।

- कोल इंडिया इंटर सब्सिडियरी फर्स्ट एड प्रतियोगिता में फर्स्ट एड इवेंट में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- दिनांक 11.08.2023 को 1 बैच का एससीएसआर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
- 24 कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया (बीसीसीएल = 14, टाटा = 07, सेल = 03)।

20. कार्मिक:

20.1 श्रमशक्ति से संबंधित सामान्य आंकड़ें:

बीसीसीएल की श्रमशक्ति 1 अप्रैल, 2023 को 37037 थी और 31 मार्च, 2024 को 33920 है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3117 (8.41%) श्रमशक्ति की कमी दर्शाती है।

श्रमशक्ति की तुलनात्मक स्थिति

दिनांक 01.04.2023 की तुलना में दिनांक 31.03.2024 को कंपनी की तुलनात्मक श्रमशक्ति निम्नलिखित है: -

क्र.सं.	श्रेणी	स्थिति		वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
		31.03.2023	31.03.2024	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक
I	अधीकारी	2001	1894	-107
II	मंथली रेटेड	5635	6329	694
III	डेली रेटेड	28719	25540	-3179
IV	पीस रेटेड	0	1	1
V	प्रशिक्षु	682	156	-526
	कुल	**37037**	**33920**	**-3117**

दिनांक 31.04.2023 की तुलना में मौजूदा श्रमशक्ति में 3117 (8.41%) की शुद्ध कमी

श्रमशक्ति में हुई कमी का विवरण	
विवरण	**2023-24**
सेवानिवृत्ति	2102
मृत्यु	453
कंपनी से अलग होना (बर्खास्तगी और सेवा समाप्ति के कारण)	70
इस्तीफा	69
सह (प्रशिक्षु 9.3.2) को अभी सैप (SAP) में दर्ज किया जाना है	171
अन्य कंपनी में स्थानांतरण	150
अन्य (पोस्टिंग ऑर्डर बदल गया और रद्द/डुप्लिकेट रिकॉर्ड)	1
सैप (SAP) डेटा और अन्य के साथ सामंजस्य पर	408
कुल कमी	3424

श्रमशक्ति में हुई वृद्धि का विवरण	
विवरण	**2023-24**
नई भर्ती	37
एनसीडब्ल्यूए 9.3.0 के तहत आश्रित रोजगार	225
पुनर्स्थापना	2
अन्य सहायक कंपनियों से स्थानांतरित होकर आना	43
कुल कमी	**307**

शुद्ध कमी (वर्ष 2023-24 के दौरान) = 3117

20.2 श्रमशक्ति बजट (गैर-अधिकारियों के लिए)

स्वीकृत जनशक्ति बजट 2023-24 का सारांश निम्नलिखित है:

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	दिनांक 01.04.2024 को वर्तमान में कुल श्रमशक्ति (अधिकारी को छोड़कर)	**32026**
2.	वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल श्रमशक्ति (गैर-अधिकारी)	**28394**
3.	दिनांक 01.04.2024 को श्रमशक्ति आधिक्य	**3632**

लक्षित उत्पादन कार्यक्रम के लिए आगामी वर्ष में खदान के मशीनीकरण की विस्तार को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध मशीनों एवं श्रमशक्ति संसाधनों पर श्रमशक्ति बजट आधारित है। प्रत्येक परियोजना/स्थापना में श्रमशक्ति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए शून्य आधारित बजट की अवधारणा का पालन किया जाता है।

उत्पादन लक्ष्य और संबद्ध गतिविधियों को पूरा करने के लिए वैधानिक, पैरामेडिकल, प्रमुख एवं आवश्यक पदनामों/श्रेणियों के लिए श्रमशक्ति का आवश्यकता आधारित प्रावधान किया जाता है।

20.3 संरचित बैठकें:

वर्ष 2022-23 के दौरान संरचित बैठकों की सं.	वर्ष 2023-24 के दौरान संरचित बैठकों की सं.
22	**33**

20.4 अनुकंपा आधारित रोजगार:

मद	स्वीकृत मामलों की संख्या	
एनसीडब्ल्यूए का खंड 9.3.0	**2022-23**	**2023-24**
(रोजगार)	**425**	**318**
9.5.0 (एमएमसी)	**07**	**12**
कुल	**432**	**330**

20.5 श्रमशक्ति का युक्तिकरण:

क. स्थानांनतरण

मद	2022-23	2023-24
अंतर क्षेत्र स्थानांतरण	207	207
अंतर कंपनी स्थानांतरण	12	64
रूपांतरण (यूजी से सतह तक)	77	878
कुल	296	1149

ख. वैधानिक श्रमशक्ति का चयन (आंतरिक)

मद	2022-2023	2023-24
माईनिंग सरदार	02	12
ओवरमैन	45	15
सर्वेयर	02	00
कुल	**49**	**27**

ग. सुरक्षा/पैरामेडिकल स्टाफ/क्लर्क आदि का नियमितीकरण।

	2022-2023	**2023-24**
नियमित किये गये सामान्य मजदूरों की संख्या191253	191	253

20.6 नई पहल/डिजिटलीकरण रोजगार दावे:

क. उत्कर्ष के अलावा, एनसीडब्ल्यूए के तहत सभी अनुमोदन स्कैन की गई प्रति/सॉफ्टकॉपी में रखे जा रहे हैं

ख. शिकायतों के निपटान एवं सहायता के लिए कॉल सेंटर/हेल्पलाइन की शुरूआत।

20.7 प्रशिक्षण और विकास:

विभागीय कर्मचारियों के कैरियर विकास और उनके उचित और लाभकारी उत्थान के लिए 'उत्थान' नामक एक योजना शुरू की गई है और कोयला मंत्रालय ने इसकी बहुत सराहना की है और सलाह दी है कि इसी योजना को सीआईएल की अन्य अनुषंगी कंपनियों में भी शुरू किया जा सकता है। उत्थान के तहत चार (4) प्रेरणा सत्र आयोजित किए गए हैं। चार (4) बैचों में कुल 116 कर्मचारियों को वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है:

मद	**2022-23/ लाभार्थियों (एचडीएस) की संख्या**	**2023-24/ लाभार्थियों (एचडीएस) की संख्या**
प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला	2 90	4 116

20.8 शिकायत निवारण:

मद	**2022-23 में निपटाई गई शिकायतों की संख्या**	**2023-24 में निपटाई गई शिकायतों की संख्या**
समाधान	134	212
सीपी ग्राम (CPGRAM)	648	419
हेल्प डेस्क	परिचालन में नहीं	199

1 जनवरी, 2024 (कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए) तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई पदोन्नतियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

अनुषंगी कंपनी	समूह	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व (1.1.24 तक)					कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बी.सी. सी. एल.	ए	1818	239	79	451	31											
	बी	1746	264	393	739							320	43	15			
	सी	17962	2942	3848	4358							1204	216	59			
	डी (ईएस)	12573	2171	2249	3479							322	41	19			
	डी (एस)	483	483									14	14	0			
	कुल	34582	6099	6569	9027	31						1860	314	93			

सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण (दिनांक 01.01.24 तक)

अनुषंगी कंपनी	कर्मचारियों की संख्या					कर्मचारियों की संख्या					कर्मचारियों की संख्या					कर्मचारियों की संख्या					कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	दृष्टिबाधित दिव्यांग	श्रवण	अस्थि	4थी श्रेणी	कुल	दृष्टिबाधित दिव्यांग	श्रवण	अस्थि	4थी श्रेणी	कुल	दृष्टिबाधित दिव्यांग	श्रवण	अस्थि	4थी श्रेणी	कुल	दृष्टिबाधित दिव्यांग	श्रवण	अस्थि	4थी श्रेणी	कुल	दृष्टिबाधित दिव्यांग	श्रवण	अस्थि	4थी श्रेणी
	ग्रुप - ए					ग्रुप - बी					ग्रुप - सी					ग्रुप - डी					कुल				
बी. सी. सी. एल.	1818	12	5	4		1746	1		1		17962			5		13056	3	1	17		34582	16	6	27	0

दिनांक 01.04.2023 तक ठेका श्रमिकों का विवरण										
गतिविधियाँ	ठेका श्रमिकों की कुल संख्या		एससी ठेका श्रमिकों की संख्या		एसटी ठेका श्रमिकों की संख्या		ओबीसी ठेका श्रमिकों की संख्या		अल्पसंख्यक	
	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
खनन	4076	3	486	1	169	0	1857	0	0	0
परिवहन	793	19	124	3	33	3	194	4	119	1
सिविल	215	52	15	10	5	0	08	12	29	0
वॉच एंड वार्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	253	6	81	1	34	1	84	29	54	0
कुल	5337	80	706	15	241	4	2143	45	202	01
	5417		721		245		2188		203	

दिनांक 01.04.2024 तक ठेका श्रमिकों का विवरण										
गतिविधियाँ	ठेका श्रमिकों की कुल संख्या		एससी ठेका श्रमिकों की संख्या		एसटी ठेका श्रमिकों की संख्या		ओबीसी ठेका श्रमिकों की संख्या		अल्पसंख्यक	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
खनन	3296	0	434	0	187	0	1260	0	0	0
परिवहन	761	43	153	7	68	2	167	15	116	1
सिविल	287	42	1	0	5	0	2	14	33	0
वॉच एंड वार्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	602	53	105	8	66	6	124	18	16	0
कुल	4946	138	693	15	326	8	1553	47	210	1
	5084		708		334		1600		211	

21. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली एवं रणनीति का उद्देश्य कर्मचारियों के कौशल, दक्षता, प्रतिबद्धता, प्रेरणा एवं वफादारी सहित श्रमशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु बाज़ार के बदलते हुए परिस्थितियों के आलोक में उनके मौजूदा ज्ञान एवं क्षमताओं को लगातार बढ़ाकर और उनको प्रशिक्षण एवं पुन:प्रशिक्षण प्रदान कर एक नया एवं कुशल कर्मचारी बनाना है, ताकि अन्य के मुकाबले स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल किया जा सके।

एचआरडी कॉम्प्लेक्स, कल्याण भवन के आंतरिक प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रों में अवस्थित 11 समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरे वर्ष सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा, कंपनी ने देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को भेजने की व्यवस्था की है, जिसमें आईआईसीएम, रांची भी शामिल है। सभी संवर्गों के प्रबंधन प्रशिक्षुओं को आईआईसीएम, रांची में आरंभिक प्रशिक्षण, तकनीकी/कार्यात्मक और प्रबंधकीय कौशल विकास कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाता है।

विभाग औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के छात्रों को कॉर्पोरेट जगत से भी परिचय कराता है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी द्वारा 1,137 छात्रों को औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, बीसीसीएल प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न संवर्गों/व्यावसायों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत और । भारत की। वित्त वर्ष 2023-24 में 1105 प्रशिक्षुओं (अर्थात ठेका श्रमिकों सहित श्रमशक्ति का 2.60%) को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सीआईएल द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 में उपलब्धियाँ:

21.1 प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या का लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण:

	2023-24					
स्थान	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**प्राप्ति %**	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**प्राप्ति %**
मा.सं.वि.	4062	4531*	111.54%	4607	5767	125.2
जी.वी.टी.सी.	7361	8270	112.34%	7719	8212	106.4
कुल	11423	12801	112.06%	12326	13979	113.4

*इसमें 206 कर्मियों का सिम्युलेटर प्रशिक्षण शामिल है।

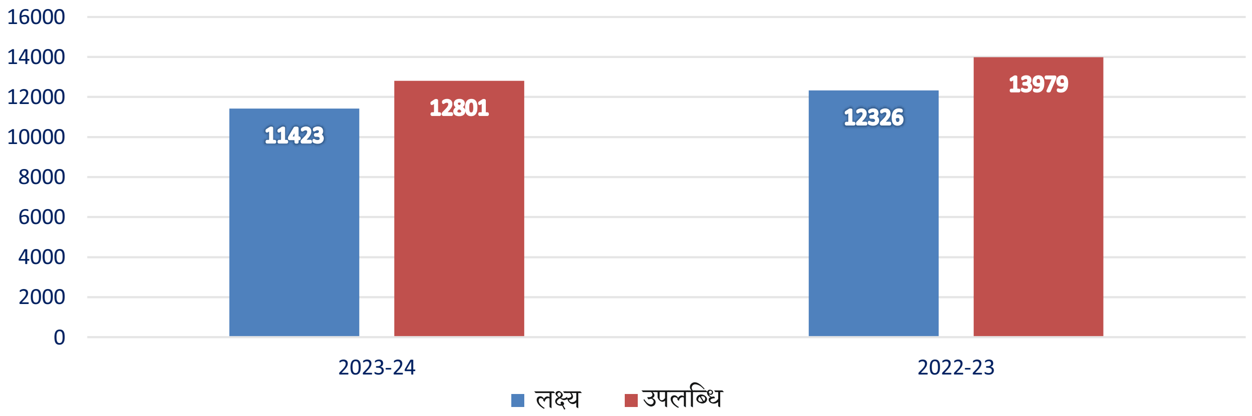

21.2 सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या:

विवरण	2023-24	2022-23
माइन मैनेजरशिप	44	64
ओवरमैनशिप	05	35
माइनिंग सरदारशिप	61	18
सर्वेयरशिप	33	06
गैस टेस्टिंग	203	111
इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर	66	157
कुल	412	280

21.3 प्रशिक्षित की गई महिला कर्मचारियों की सं.

विवरण	2023-24	2022-23
अधिकारी	346	357
सुपरवाइजर	27	41
श्रमिक	355	212
कुल	**728**	**610**

21.4 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

संस्थान का नाम	2023-24	2022-23
एम.डी.डी.	2546	3187
एम.टी.डी.	1041	912
इ.एम.टी.डी.	944	1668
कुल	**4531**	**5767**

टिप्पणी:

एम.डी.डी – प्रबंधन विकास विभाग

एम.टी.डी. – खनन प्रशिक्षण विभाग

ई.एम.टी.डी. – उत्खनन एवं यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण विभाग

21.5 बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

बाह्य प्रशिक्षण	2023-24	2022-23
आई आई सी एम, रांची	464	396
देश में	905	861
विदेश	01	00
कुल	**1370**	**1257**

21.6 समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

विवरण	2023-24	2022-23
बुनियादी	273	370
पुनश्चर्या	4837	5164
विशेष एवं अन्य प्रशिक्षण	1407	1044
राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अनुशंसा के अनुसार	1753	1634
कुल	**8270**	**8212**

21.7 समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ठेका मजदूरों की संख्या:

2023-24	2022-23
989	1865

21.8 तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रदान किया गया नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण:

2023-24	2022-23
1137	1113

21.9 वर्ष 2023 -24 के दौरान शामिल प्रशिक्षुओं की संख्या:

श्रेणी	ट्रेड	2023-24	2022-23
ट्रेड एप्रेंटिस (आईटीआई)	विभिन्न ट्रेड	558	567
फ्रेशर एप्रेंटिस एवं कौशल प्रमाणपत्र धारक	कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक	21	29
होल्डर्स	प्रयोगशाला तकनीशियन (पैथोलॉजी)	34	
टेक्निशियन एप्रेंटिस (पीडीपीटी)	खनन	185	286
	गैर खनन	217	150
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (पीजीपीटी)	खनन	9	03
	गैर खनन	81	115
कुल प्राप्ति (लक्ष्य 1100 में से)		1105	1150

वर्ष 2023-24 के दौरान मानव संसाधन विकास के विभिन्न प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गये प्रशिक्षण का विवरण :

विवरण	प्रशिक्षित कर्मी		कार्य दिवस	
प्रशिक्षण विभाग	**Target**	**Achv.**	**Target**	**Achv.**
एम.डी.डी	2340	2546	4820	4327
एम.टी.डी.	840	1041	1740	2213
ई.एम.टी.डी.	882	944	1989	2391
कुल	4062	4531	8549	8931

वर्ष 2023-24 के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग, कल्याण भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

1. दिनांक: 02 एवं 03 मई, 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान,स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा "न्यूमोकोनियोस के निदान के लिए आईएलओ वर्गीकरण का उपयोग" पर एचआरडी कल्याण भवन, बीसीसीएल, जगजीवन नगर, धनबाद में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। आईसीएमआर-एनआईओएच के दो वैज्ञानिक संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित थे।

2. दिनांक: 27-05-2023 को बीसीसीएल के संविदात्मक और विभागीय सफाई कर्मचारियों के लिए "मानव स्कैवेंजिंग अधिनियम 2013 और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एसओपी" के तहत एक कार्यशाला का आयोजन।

3. दिनांक: 31-05-2023 को सीजीडब्ल्यूबी से एनओसी के लिए नवीनीकरण आवेदन के संबंध में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जारी वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार श्री देबाशीष बंदोपाधाय, एसआरएम, सीएमपीडीआई, मुख्यालय द्वारा एक परस्पर संविदात्मक सेमिनार का आयोजन किया गया।

4. दिनांक: 24/25/26-07-2023 एवं 28/29/30-08-2023 एवं 28/29/30-09-2023 को सैप ईआरपी में प्रोक्योर-टू-पे प्रक्रियाओं में शामिल अधिकारी/कार्मिकों के लिए "इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट |सीएमसी प्रक्रियाओं| को किराए पर लेने" संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

5. सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुसार, 16-08-2023 से 15-11-2023 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के तहत एचआरडी, बीसीसीएल में 05 कैपसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए।

➢ जांच में आईओ/पीओ की भूमिका"

➢ **साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा**

➢ **नैतिकता और शासन**

➢ संगठन के प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ

➢ सार्वजनिक क्रय

6. बीसीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग, कल्याण भवन, जगजीवन नगर, धनबाद में "दैनिक रखरखाव गतिविधियों पर पर फोकस करते हुए मेंटेनेंस मॉड्यूल" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

7. "तनाव प्रबंधन" पर कार्यक्रम का आयोजन ,
दिनांक: 03-11-2023
प्रतिभागियों की सं. :- 30

8. "भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" कार्यक्रम का आयोजन,
दिनांक:- 04-11-2023
प्रतिभागियों की सं. 31

9. सीवीओ, सीएमपीएफओ, धनबाद के निर्देशानुसार, दिनांक 23 और 24-11-2023 को "पीएफ/पेंशन प्रकोष्ठ के बीसीसीएल अधिकारियों के लिए अनुसूची-सी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कल्याण भवन, बीसीसीएल, जगजीवन नगर, धनबाद में किया गया।

10. दिनांक 2 दिसंबर 2023 को मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल, जगजीवन नगर धनबाद में बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए “मोटिवेशनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट” पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री नवीन कुमार चौधरी, सीएमडी, ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल ऑफ बिज़नेस, मुंबई उपस्थित थे।

11. सीआइएल द्वारा जारी नवीनतम,नियम दिशानिर्देश,मैनुअल एवं एसओपी।
दिनांक- 12.2023 एवं 16.03.2024

12.सीआईएल के परचेस मैनुअल का अद्यतन।
दिनांक: 21.02.2024

13.दिनांक: 20 एवं 21 मार्च, 2024 को सतर्कता दिशानिर्देशों के अनुसार सिविल एवं विद्युत एवं यांत्रिक विभाग के सहयोग से मानव संसाधन विकास विभाग बीसीसीएल में सीआईएल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक (इ-एमबी)कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

14. दिनांक: 27 एवं 28 मार्च,2024 को ब्रह्माकुमारी धनबाद द्वारा तनाव मुक्त जीवन पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

15. मिशन "उत्थान"

श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा श्री मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक(कार्मिक), बीसीसीएल के मार्गदर्शन में बीसीसीएल के कर्मचारी, शिक्षित जेनरल मजदूर के करियर विकास के लिए एक पहल शुरू की गई। इसके तहत डीजीएमएस द्वारा आयोजित खनन सुपरवाइजरी परीक्षा में सम्मिलित होने तथा सक्षमता की सांविधिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोचिंग क्लास आयोजित की जाती है। कार्यक्रम का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशक मंडल द्वारा किया गया। डीजीएमएस,आईआईटी (आईएसएम),धनबाद,सिम्फर धनबाद के प्रख्यात संकाय तथा बीसीसीएल के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कक्षाएं ली गयी जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बारे में भी बताया। मिशन उत्थान के तहत मानव संसाधन विकास विभाग, कल्याण भवन में माइनिंग सरदारशीप(यूजी) परीक्षा 18-23 दिसम्बर,2023 (40 अभ्यर्थी)तथा 05-10 फ़रवरी,2024 (21अभ्यर्थी), इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस परीक्षा 26-29 फ़रवरी,2024 (25),सर्वेयरशीप परीक्षा 18-22 मार्च, 2024 (23 अभ्यर्थी)के दौरान चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों को किताब भी उपलब्ध कराया गया| "मिशन उत्थान" कर्मचारियों के करियर ग्रोथ के साथ साथ विभागीय श्रमशक्ति से रिक्त सांविधिक पदों को भरने में मदद मिलेगी|

16. 20 सितंबर, 2023 को क्षेत्रीय विद्युत सुरक्षा अधिकारियों के कार्य और दायित्व पर एक दिवसीय क्रैश कार्यक्रम का आयोजन

सुरक्षा विभाग,बीसीसीएल के पहल पर मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा "बीसीसीएल के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अधिकारियों के कार्य एवं उनका दायित्व" पर एक दिवसीय क्रैश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रुप से श्री प्रवीण एस, उप निदेशक (विद्युत), डीजीएमएस, श्री सीएच लक्ष्मीनारायण, उप निदेशक (विद्युत), डीजीएमएस, श्री आर के झा, महाप्रबंधक (विद्युत एवं यांत्रिक), श्री पी एन शर्मा, महाप्रबंधक (उत्खनन), श्री एके दुबे, महाप्रबंधक (उत्खनन), श्री बीपी सिंह, महाप्रबंधक (सुरक्षा/ विद्युत एवं यांत्रिक), श्री आरके साहा,विभागाध्यक्ष(एचआरडी) एवं आईएसओ अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीसीसीएल के क्षेत्रीय विद्युत सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी(विद्युत एवं यांत्रिक विभाग) समेत कुल 37 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में, उत्पादन प्राप्त करने हेतु खनन मशीनरी को चलाने के लिए बिजली की भूमिका, रखरखाव और संचालन में सुरक्षा, रजिस्टर व रिकॉर्ड रखने, बिजली संबंधी विनियम, नए संशोधन, कार्यस्थल पर विद्युत खतरे से बचाव संबंधी विद्युत के सुरक्षित प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में विस्तार से जानकारी दी गई।

17. कंपनी स्तरीय ट्रेड टेस्ट- वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा 2023

डीजीएमएस के मार्गदर्शन में 8 से 10 जनवरी, 2024 तक कंपनी स्तर पर मानव संसाधन विकास विभाग में तीन दिवसीय ट्रेड टेस्ट -वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा-2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस ट्रेड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य बीसीसीएल, सेल, टिस्को, पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत शॉवेल ऑपरेटर, एसडीएल /एलएचडी ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, हॉलेज ऑपरेटर, ड्रेसर, मैकेनिकल फिटर, ई पी फिटर, ब्लास्टिंग इन चार्ज जैसी विभिन्न श्रेणियों के कुशल कर्मियों का चयन करना है। ट्रेड टेस्ट का आयोजन इन कंपनियों के नामित अधिकारियों द्वारा किया गया। ट्रेड टेस्ट का उद्देश्य सुरक्षा पहलुओं के प्रति प्रोत्साहित करना था।

18. महिलाकर्मियों के लिए कार्यक्रम

- दिनांक: 14 मार्च 2024 को मानव संसाधन विकास विभाग में महिला कर्मियों के लिए "महिला सशक्तीकरण" विषय पर कार्यक्रम, संकाय- श्री आकांक्षा सिन्हा, आईआईटी आईएसएम, धनबाद। सहभागिता- 27 महिला कर्मी।

- दिनांक: 15 मार्च 2024 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यक्रम, संकाय श्रीमती सुजाता कुमारी, वरीय प्रबंधक (कार्मिक) एवं श्रीमती स्वेता कुमारी प्रबंधक (कार्मिक)। सहभागिता- 34 महिला कर्मी।

- दिनांक : 19 मार्च 2024 को "लिंग संवेदनशीलता" पर कार्यक्रम। संकाय- प्रोफेसर आकांक्षा सिन्हा, आईआईटी आईएसएम, धनबाद। सहभागिता- 30 महिला कर्मी

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित वातावरण बनाने के साथ-साथ स्थायी आदेश, कैरियर विकास, महिला कर्मियो के लिए बनाये गए विभिन्न प्रावधानों आदि के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में बीसीसीएल मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय इकाई से महिला प्रतिभागी शामिल हुई। सभी कार्यक्रम सफल रहा।

19. बाह्य प्रशिक्षण विभाग

मानव संसाधन विकास विभाग ने वर्ष 2023-24 में बीसीसीएल के सुरक्षा विभाग के सहयोग से खरबेला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर मुंडली, ओडिशा, (सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र) में बीसीसीएल के 500 सुरक्षाकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क बनाने के लिए चार सप्ताह की विशेष आवासीय प्रशिक्षण प्रदान दिया गया। उन्हें अपने कौशल और तकनीकों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे चोरी आपराधिक कृत्य, आपात स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित व सटीक तरीके से कार्य करें और इन कृत्यों से निपटने के लिए तैयार हो सकें।

22. कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियां

I. शिक्षा:

क) वेज बोर्ड कर्मचारियों के वैसे बच्चे, जो किसी भी सरकारी संस्थान में बी.टेक या एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उनके ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल पर होने वाले खर्च पर वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जो निम्नांकित है:-

वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की स्थिति				
वित्तीय वर्ष	**कुल बच्चे**	**एमबीबीएस**	**बी.टेक**	**रकम(₹)**
ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति	53	01	52	50,08,801/-

ख) कोल इंडिया छात्रवृति:

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, कक्षा V एवं इसके ऊपर की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों के 14 मेधावी बच्चों को 42,660/- की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

ग) स्कूल:

स्कूलों की संख्या

क्रम सं	स्कूल	संख्या
1.	परियोजना स्कूल-पूर्ण वित्तपोषित	**08**
2.	परियोजना स्कूल-स्वचालित(बीसीसीएल सिर्फ आधारभूत संरचना प्रदान करती है)	**03**
3.	प्राइवेट समिति द्वारा संचालित स्कूल (बीसीसीएल)	**12**
4.	अन्य शैक्षणिक संस्थान जिसे समय-समय पर मदद की जाती है	**00**
	कुल	**23**

स्कूलों को अनुदान:

प्राइवेट समिति द्वारा संचालित 12 स्कूलों को वित्तीय वर्ष 2023- 24 में वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया। इस संबंध में कोल इंडिया के नियम और शर्तों के आधार पर वित्तीय अनुदान की गणना की जाती है।

प्राइवेट समिति द्वारा संचालित स्कूल	
वित्तीय अनुदान की रकम (₹)	₹36,36,000/-

बीसीसीएल के कमान क्षेत्र के 11 स्कूलों को परियोजना और अर्द्ध परियोजना स्कूलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से तीन अर्द्ध परियोजना स्कूलों को सिर्फ आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान की गई जिसमें दो डीएवी पब्लिक स्कूल तथा एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है।

अन्य आठ परियोजना स्कूल - 06 डीएवी पब्लिक स्कूल तथा 02 सरस्वती विद्या मंदिर (इन स्कूलों के संचालन के लिये बीसीसीएल द्वारा इन स्कूलों को घाटा में चलने पर अनुदान राशि एवं आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की गई)। इन तीनों विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,59,41,080.22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,51,74,985.24 की राशि के साथ, वित्तीय वर्ष 2023 24 में कुल 3,11,16,065 रुपये की राशि घाटा अनुदान के तौर पर प्रदान किया गया।

परियोजना स्कूल	
वित्तीय अनुदान की रकम(₹.)	₹ 3,11,16,065/-

II. हितकारी गतिविधियां:

क) बीसीसीएल बीएफएस: बीसीसीएल में कर्मचारियों के लिए बीसीसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसायटी चल रही है। वर्तमान में सभी कर्मचारी इस सोसायटी के सदस्य हैं| अंशदान के रूप में हर महीने ₹50/- की कटौती की जाती है।

बीसीसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसायटी				
जनवरी 2024 तककी प्राप्तियाँ और व्यय (2023-2024)				
प्राप्ति शीर्ष	**राशि**	**लाभ**	**रकम (₹)**	**व्यक्तियों की संख्या**
		वित्तीय सहायता (मृत्यु उपरांत @ ₹75000 each)	1,94,00,000/-	342
सदस्यता	**1,80,69,380/-**	बीसीसीएल छात्रवृति (कक्षा 6-10 @ ₹ 800/- प्रति कक्षा 11-12 @ ₹ 1200/- प्रति कक्षा 12 से ऊपर @₹ 3000/- प्रति	1,43,600/-	107
		लंबी बीमारी	1,70,568/-	2
		मानदेय @1500/- प्रति	16,55,250/-	2349
कुल	**1,80,69,380/-**	**कुल**	**2,13,69,418/-**	2800

ख) ओबीएफएस : बीसीसीएल के अधिकारियों और उनके परिवारों के हितो के लिए अधिकारी हितकारी निधि सोसाइटी काम कर रही है। सदस्यों के अंशदान के रूप में जो निधि जमा होती है उससे इन सदस्यों को लाभ दिया जाता है।
लाभ का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

50 सेवानिवृत अधिकारियों को अंशदान वापस	₹222000/-
37 लाभार्थी को विधवा मासिक भुगतान	₹882500/-
अधिकारियों के पति/पत्नी को मृत्यु उपरांत एक मुश्त ₹5 लाख का भुगतान	₹2500000/-
ओबीएफएस के तहत कुल लाभ	**₹3,604,500/-**

I. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न पर रोकथाम:

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लिए कंपनी में सकारात्मक माहौल है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उपर्युक्त विषय पर ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिस पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

II. सीआईएल में समान अवसर नीति

कोल इंडिया में उपर्युक्त नीति का कंपनी में अक्षरशः पालन किया गया है। "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" के तहत शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास किसी भी प्रकार के भेदभाव से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

III. कल्याण बोर्ड:

क) कल्याण बोर्ड के सदस्यों की बैठक 08.12.2023 को आयोजित की गई जिसमें कंपनी स्तर पर सकारात्मक सुझाव और परामर्श के कार्यान्वयन लिए चर्चा की गई।

ख) कल्याण प्रावधानों के तहत कॉलोनियों में जल और साफ-सफाई पर विशेष बल देने के साथ, कॉलोनियों को चिन्हित कर अपग्रेड किए जाने का निरीक्षण कार्य कल्याण बोर्ड द्वारा जल्द संपन्न किया जाना है।

IV. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवसः

दिनांक 14.03.2024 को विप्स (पब्लिक सेक्टर में महिलाएं) के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 मनाया गया, जिसमें 400 से अधिक प्रतिभागी मौजूद थे जिन्होंने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक योगदान दिया। वीआईपी एवं गणमान्य लोगों ने विभिन्न बहुरंगी प्रदर्शनों की सराहना की। बीसीसीएल से 21 सफल महिलाओं को कंपनी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ गैर-पारंपरिक नौकरियां कर रही थीं जैसे शॉवल ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, डम्पर ऑपरेटर कोयला नमूनाकरण कार्य, कोयला चोरी रोकने के लिए खदानों में सुरक्षा गार्ड आदि।

इस अवसर पर बीसीसीएल बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक श्रीमती शशि सिंह और धनबाद सदर अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनीता चौधरी भी मौजूद थीं। इस अवसर पर बीसीसीएल की प्रथम महिला श्रीमती मिली दत्ता, श्रीमती पुरोबिता रामैया, श्रीमती नमिता सहाय, श्रीमती सुमन काजला भी मौजूद थीं।

V. खेल गतिविधियाँ

बीसीसीएल में दिनांक 5 से 9 नवंबर, 2023 तक सिजुआ स्टेडियम, बीसीसीएल में "अंतर-कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट" आयोजित किया गया।

यह आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था जिसमें देश भर में फैली 10 कोयला कंपनियों के अधिकारियों सहित 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस टूर्नामेंट का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को पदनाम या किसी अन्य पहलू से परे एक मंच पर खिलाड़ी के रूप में जोड़ना है। यह टूर्नामेंट प्रतिभागियों के आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है।

इस टूर्नामेंट की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से की गई थी जिसमें सिजुआ मैदान का जीर्णोद्धार, कर्मचारियों को अभ्यास और भागीदारी के लिए विरमित करना, प्रतिभागियों, मेहमानों, अधिकारियों सहित ग्रउंड स्तर पर शामिल कर्मचारियों के लिए उपहार और स्मृति चिन्ह खरीदना शामिल था।

फाइनल मैच के रोमांचक मुकाबले में एमसीएल उपर्युक्त टूर्नामेंट का विजेता बना।

प्रतिभागियों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और बीसीसीएल नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ेगा।

VI. वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित खेल आयोजनों के लिए अंतर क्षेत्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया:-

Sl.	कार्यक्रम	क्षेत्र
1.	फुटबॉल	सिजुआ
2.	ब्रिज	ईजे
3.	टेबल टेनिस	डब्ल्यूजे
4.	कैरम	कुसुंडा
5.	शतरंज	बरोरा
6.	बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग	गोविंदपुर
7.	लॉन टेनिस	मुख्यालय
8.	कबड्डी	गोविंदपुर
9.	हॉकी ट्रायल	मुख्यालय
10.	वॉलीबॉल	पीबी
11.	क्रिकेट	लोदना
12.	बैडमिंटन	ब्लॉक-II
13.	विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय खेल	जोन I- बरोरा
		जोन II- सिजुआ
		जोन III- लोदना
		जोन IV- सीवी
14.	एथलेटिक्स (केंद्रीय खेल)	डब्ल्यूजे
15.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	ब्लॉक-II

VII. विभिन्न कल्याण प्रावधानों पर रिपोर्ट जो हर महीने कोल इंडिया को भेजी जाती है:

क) आवास (मार्च 2024)

स्टैंडर्ड हाउस 59172 है

ख) **जल आपूर्ति** (आच्छादित संख्या) **(मार्च 2024)**

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल संख्या **169600** है

बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 2.20 लाख ग्रामीणों को सामुदायिक उपयोग अथवा पीने के उद्देश्य से पानी उपलब्ध कराया जाता है।

ग) चिकित्सा (मार्च 2024)

डिस्पेंसरी	अस्पताल	चिकित्सक	एम्बुलेंस	शैय्या
68	11	146	62 (+2 एडवांस लाइफ सपोर्ट सहित +2 बेसिक लाइफ सपोर्ट)	743

घ) वैधानिक कल्याण सुविधाएं (मार्च 2024)

कैंटीन	**क्रेच**	**पिट हेड बाथ**	**रेस्ट शेल्टर**
11	1	10	52

ङ) सहकारिता (मार्च 2024)

केंद्रीय सहकारी	**प्राथमिक सहकारी**	**ऋण समितियां**	**कुल**
08	05	05	18

च) बैंकिंग सुविधाएं (मार्च 2024)

बैंकिंग सुविधाएं (मार्च 2024)	**विस्तार काउंटरों की सं.**	**सैटेलाइट बैंक शाखाएँ**	**कुल**
13	**00**	**00**	**13**

23.पेंशन

विशेष उपलब्धियां:

ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल के माध्यम से निर्बाध डेटा प्रोसेसिंग

सीएमपीएफओ (कोल माइन प्रोविडेंट फ़ंड ऑर्गनाइज़ेशन) के पब्लिक पोर्टल पर बीसीसीएल के पेंशन विभाग द्वारा 33,351 कर्मचारियों का डेटा कुशलतापूर्वक संसाधित किया गया। सदस्यों द्वारा सीएमपीएफओ वैबसाइट पर साफ़तपूर्वक एनरोल कर लॉगिन कर के अपना जानकारी हासिल किया जा सकता है।

<u>सेवानिवृत्ति मामलों के निष्पादन में सक्रिय प्रबंधन:-</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तैयारी में, बीसीसीएल ने 1,557 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पहचान की, जिनके दावों के निपटान में तेजी लाने और समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए चार महीने पहले सीएमपीएफओ को भेज दिया गया।

<u>पीएफ और पेंशन दावों का ऑनलाइन जमा :-</u>

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, फरवरी 2024 से सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को सी डक द्वारा विकसित सी.एम.पी.एफ.ओ. के सी केर्स पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन भेजा और निपटाया जाना है, जैसे कि बी.सी.सी.एल. ने फरवरी 2024 की 197 और मार्च 2024 की 116 सेवानिवृत्ति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित और संसाधित किया है। दावे को समय पर निपटाने की प्रतिबद्धता के साथ कोलियरी और एरिया द्वारा आगे ऑनलाइन प्रस्तुतियाँ की जा रही हैं।

<u>अभिनव रिपोर्टिंग और पारदर्शिता:-</u>

बीसीसीएल ने संयुक्त रिपोर्टिंग गतिविधियाँ शुरू कीं और वेबसाइट पर लंबित पीएफ-पेंशन दावों को प्रदर्शित किया। बीसीसीएल के नेतृत्व में सीएमपीएफओ ने सभी खनन कंपनियों में इस अभ्यास को अपनाया।

<u>पेंशन वितरण के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण:-</u>

पेंशन प्रकोष्ठ ने पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीएफओ के साथ मिलकर काम किया।

<u>डिजिटल नवाचारों को अपनाना:-</u>

बीसीसीएल उद्योग के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये उपलब्धियाँ कुशल और पारदर्शी पेंशन-संबंधी प्रक्रियाओं के प्रति बीसीसीएल के समर्पण को दर्शाती हैं। पीएफ और पेंशन विभाग की टीम सीआईएल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल करने के लिए समर्पित है।

1. गतिविधियां

(क) <u>वाईवाई स्टेटमेंट का वितरण:</u>

वर्ष 2023-24 के वाईवाई स्टेटमेंट की प्रति SAP-ERP डेटाबेस पर आसानी से उपलब्ध करा दी गयी है एवं कर्मचारियों के बीच एक प्रति वितरण करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को सीएमपीएफ-पेंशन के मद में किये गए उनके योगदान के बारे में वे सतर्क रह सके।

(ख) <u>सीपीई 03/2023 के लिए वार्षिक सीएमपीएफ वीवी स्टेटमेंट प्रस्तुत करना:</u>

सभी क्षेत्रों/इकाइयों/मुख्यालय ने सीपीई 03/2023 का वीवी स्टेटमेंट विहित प्रपत्र में भरकर सीएमपीएफओ के पास जमा कर दिया है। सीपीई 03/2024 का वीवी स्टेटमेंट SAP-ERP में उपलब्ध है तथा इसकी जाँच कर ससमय सीएमपीएफओ के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु जमा कर दिया जाएगा।

(ग) <u>सेमिनार/कार्यशालाएं/समन्वय बैठकें:</u>

पेंशन सेल ने पीएफ-पेंशन दावों को शीघ्र संसाधित करने हेतु इसके निपटान प्रणाली में सुधार तथा मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए इस कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों एवं यूनियनों के साथ समन्वय बैठक के दौरान एक एसओपी एवं दिशानिर्देश जारी किया है। विभाग ने प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए यूनियन के प्रतिनिधियों तथा सीएमपीएफओ के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों साथ साथ सेवानिवृत कर्मियों एवं सदस्यों द्वारा उठाए गए शिकायतों को भी सुलझाया गया है।

(घ) संवाद :-

दिनांक: 13 जनवरी 2024 को जुबली हॉल में एक परिचयात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 200 से अधिक सेवानिवृत कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सीएमपीएफ सहित सेवा अंत बकाया से संबंधित शिकायतों/शिकायतों का समाधान किया गया।

1. **क्षेत्रों में बैठक**

क्रम	बैठक की तिथि	क्षेत्रों के नाम/स्थान
1	08.08.2023	ईजे एवं लोदना क्षेत्र
2	10.08.2023	वशरी एवं बस्ताकोला क्षेत्र
3	14.08.2023	कतरास एवं सिजुआ क्षेत्र
4	17.08.2023	बरोरा एवं ब्लॉक-II क्षेत्र
5	21.08.2023	कुसुण्डा एवं पी.बी. क्षेत्र
6	23.08.2023	सी.भी. क्षेत्र
7	24.08.2023	डब्लू.जे. एवं गोविंदपुर क्षेत्र

2. **समन्वय बैठक:**

सीएमपीएफएफ सीएमपीएस दावों के लंबित रहने और उसके निपटान के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए सीएमपीएफ के सहायक आयुक्त, डी-। और डी-2 तथा कोयला कंपनी के अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय बैठक के माध्यम से विस्तृत विचार-विमर्श। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ इकाई स्तर पर तिमाही समन्वय बैठक आयोजित।

3. **एचआरडी में प्रशिक्षण सत्र:**

23 और 24 नवंबर 2023 को एचआरडी में दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जहां उप आयुक्त सीएमपीएफओ श्री ए.के. सिन्हा तथा श्री प्रभात कुमार (प्रबंधक-एचआर) बीसीसीएल ने पीएफ विभाग में कार्यरत बीसीसीएल के सभी क्लर्कों को सीएमपीएफ/सीएमपीएस दावों के कुशल प्रस्तुतीकरण तथा उसके बाद निपटान पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशिक्षण दिया।

4. **सी-केयर्स पोर्टल प्रशिक्षण:**

सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से सीएमपीएफ/सीएमपीएस दावों को संसाधित करने के लिए 01.03.2024 को बीसीसीएल मुख्यालय में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रीय जीएम, एपीएम, अधिकृत अधिकारी और डीलिंग सहायकों ने भाग लिया। इसके बाद 2 और 3 मार्च 2024 को दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें अधिकृत अधिकारियों और डीलिंग सहायकों ने सीडैक द्वारा विकसित ऑनलाइन सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से सीएमपीएफ दावों को सीएमपीएफओ को वास्तविक समय में संसाधित करने में भाग लिया।

(ङ) पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हेतु जागरूकता:

पेंशनभोगियों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए प्रिंट मिडिया, डिजिटल मिडिया, बैनर आदि के माध्यम से अभियान चलाया गया है। पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए यूएसबी फिंगर प्रिंट स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है और क्षेत्रवार अभियान भी चलाया गया गया है। मार्च 2022 से, पेंशन सेल ने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर आधार-आधारित फेस रिकग्निशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग शुरू कर दिया है। एंड्रॉइड फेस ऐप की मदद से, पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान, फेस ऐप के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक हैंड आउट पेश किया गया था जो प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ और अन्य दस्तावेजों के साथ जागरूकता पैदा करने और उपयोग के लिए दिया जाता है। नवंबर 2023 के दौरान, बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों द्वारा संचालित अभियानों में फेस रिकग्निशन ऐप "जीवन प्रमाण फेस ऐप" के माध्यम से 500 से अधिक डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार किए गए।

(च) <u>ठेका कर्मियों के पीएफ-पेंशन का निपटान:</u>

बीसीसीएल के पेंशन विभाग और संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने मिलकर काम करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए ठेका कर्मियों के पीएफ-पेंशन दावों के संसाधित एवं निपटान के लिए विभाग सीएमपीएफओ के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। सदस्यता के पंजीकरण के लिए ठेका श्रमिक को सीएमपीएफओ के दायरे में लाने के लिए यह विभाग निरंतर प्रयासर करता है। तथापि,100% ठेका श्रमिकों के पास सीएमपीएफ/ईपीएफ की सदस्यता है।

(छ) <u>सीएमपीएफओ दावा निपटान के लिए एसओपी:</u>

सीएमपीएफओ द्वारा परिचालित एसओपी के साथ पीएफ-पेंशन दावा प्रस्तुत करने और उसे संसाधित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली हेतु इकाइयों एवं क्षेत्रों के बीच एसओपी का वितरण किया गया है और इसे बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

ज) नया सहज फॉर्म और नामांकन फॉर्म पूरी तरह से लागू किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

झ) लंबित पीएफ-पेंशन दावों पर रिपोर्ट: लंबित पीएफ-पेंशन दावों पर माह-बार संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पारदर्शिता के लिए इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा सीएमपीएफओ ने अप्रैल, 2023 से प्रभावी समन्वय समिति की बैठक, पेंशन अदालत और संयुक्त रिपोर्टिंग आयोजित करने के लिए एसओपी पेश की है, जिससे मौजूदा प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आई है।

ञ) संशोधित पीपीओ: आयुक्त, सीएमपीएफओ, धनबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या सीपीएफ/सीपी/111(26)/पेन/एमआईएससी/एच किउ /वॉल्यूम-I11/520 दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि उनके कार्यालय वर्तमान में संशोधित पीपीओ जारी करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके जीवनसाथी को पेंशन का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करना है और वर्तमान में बीसीसीएल के 2000 से अधिक पेंशनभोगियों के आवेदन सीएमपीएफओ, धनबाद को भेजे गए हैं। सीएमपीएफओ, धनबाद के सहयोग से यह ठोस प्रयास तेजी से अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए तैयार है।

(च) <u>सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से सीएमपीएफ/सीएमपीएस दावों की ऑनलाइन निष्पादन</u> : सीएमपीएफ और सीएमपीएस दावे अब फरवरी 2024 से सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से सीएमपीएफओ, धनबाद को प्रस्तुत किए जा रहे हैं और फरवरी 2024 और मार्च 2024 के सभी पीएफ दावों का पहले ही निपटारा हो चुका है और पीएफ राशि भी उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कर दी गई है। सीएमपीएस दावों को भी तत्काल आधार पर सीएमपीएफओ को उनके निपटान के लिए भेजा जा रहा है।

छ) <u>संयुक्त रिपोर्टिंग योजना:</u> संदर्भ सं. PF/120/System Improvement/Joint reporting/VIG/HQ/119 दिनांक 18.05.2022, के माध्यम से सभी अनुषंगियों के निदेशक (का.), निदेशक (का.) सीआईएल, सीवीओ (सीआईएल) तथा सभी अनुषंगियों के सीवीओ को भेजे गए परामर्श के अनुसार पहले चरण में दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान बीसीसीएल द्वारा प्राप्त और संदर्भित सभी मामलों को संकलित किया गया और निपटान के लिए उन्हें भेजे गए प्रत्येक दावे की स्थिति को इंगित करने के लिए सीएमपीएफओ को भेजा गया है। सिवाय कुछ मुकदमा वाले मामले को छोड़ अधिकतर दावों का सफलतापूर्वक निपटान कर लिया गया है।

सीएमपीएफ/सीएमपीएस दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए अब यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप लंबित दावों की संख्या में भारी कमी आई है। इसके अलावा, लंबित दावों के स्तर का भी पता लगाया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति महिना प्राप्त पेंशन दावे

माह	पिएफ /पेंशन दावों की प्राप्ति संख्या
अप्रैल -23	273
मई -23	318
जून -23	326
जुलाई -23	240
अगस्त -23	272
सितम्बर -23	223
अक्टूबर-23	253
नवम्बर -23	255
दिसम्बर -23	298
जनवरी-24	358
फरवरी -24	569
मार्च -24	184
कुल	3569

टिप्पणी :- "*" केवल उन पीएफ मामलों को दर्शाया गया है जो दावों के प्रसंस्करण को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने पर निपटाए गए हैं)

संयुक्त रिपोर्टिंग के क्रियान्वयन के बाद दावों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई हैः-

1. बीसीसीएल और सीएमपीएफओ के पास लंबित मामलों की संख्या के साथ-साथ लंबित मामलों के कारण के बारे में सटीक जानकारी होगी, जिससे संबंधित प्रबंधन को लंबित दावों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
2. दावेदार/ सदस्य / आश्रितों को अपने दावों की स्थिति के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
3. सीएमपीएफओ और बीसीसीएल अधिकारियों के बीच निर्धारित मासिक बैठक में लंबित दावों पर चर्चा की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा।

बीसीसीएल का पेंशन सेल सीएमपीएफ योजना 1948 एवं सीएमपीएस 1998 के तहत शासित पीएफ और पेंशन के दावों को समय पर जमा करने और अग्रेषित करने के लिए सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। विभाग का विशेष ध्यान 'मिशन बिस्वास' पर रहता है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीएफ-पेंशन दावों को सुचारू रूप से संसाधित करने के लिए सीएमपीएफ अधिकारियों और क्षेत्र / इकाइयों के साथ नियमित रूप से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाता है सीएमपीएफओ द्वारा इन प्रस्तुत दावों का समयबद्ध निपटान किया जा सके।

2. सीएमपीएफ कार्यालय में 'मिशन विश्वास' के तहत जमा किए गए पेंशन दावों के आंकड़े:

(क)

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सेवनिवृति की संख्या	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त एवं प्रस्तुत कुल पेंशन दावे (मिशन विश्वास)
1921	**1755**

(ख)

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त पेंशन दावे (मिशन विश्वास के अलावा)	वर्ष 2023 -24 के दौरान सीएमपीएफओ को प्रस्तुत पेंशन दावे (मिशन विश्वास के अलावा)
1636	1636

3. **3.वर्ष 2023-24 में सीएमपीएफ कार्यालय द्वारा पेंशन दावों के निपटान के आंकड़े: 3557प्राप्त दावे के विरुद्ध 2061 पेंशन दावे का निपटान किया गया।**

24. औद्योगिक संबंध तथा विधिक अद्यतन

24.1 वर्ष 2023-24 में बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृष्य

परस्पर संवाद तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, कल्याण, नियोजन तथा अन्य कार्मिक संबंधी मामलों के निपटान के लिए प्रबंधन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सुव्यवस्थित द्विपक्षीय फोरम का गठन किया गया है।

कैलेंडर वर्ष 2023-24 में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ संरचनात्मक बैठकें इकाई, क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट स्तर पर आयोजित की गईं और इस तरह कार्यस्थल पर एक प्रभावी सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित किया गया, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान औद्योगिक संबंध की 33 संरचनात्मक बैठकें आयोजित की गई। हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक प्रतिनिधियों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित की गई। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान तीन केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। विवादों एवं शिकायतों के निपटान एवं समाधान के लिए प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश के साथ सकारात्मक पहल की गयी है।

बीसीसीएल में एक ऑनलाइन और मोबाइल अनुकूल शिकायत निवारण पद्धति प्रचलित है जहां प्राप्त शिकायतों को प्राप्त एवं पंजीकृत किया जाता है तथा समय सीमा के अंदर निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है। सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2023-24 के दौरान बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध मधुर सद्भाव पूर्ण तथा शांतिपूर्ण बना रहा और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच परस्पर सद्भाव की समझ विकसित हुई।

औद्योगिक संबंध स्थिति रिपोर्ट

	वर्ष	
विवरण	**2022-23**	**2023-24**
हड़ताल	-	1
भूख हड़ताल	_	-
घेराव	_	1
प्रदर्शन	05	2
हमला	_	-
बाधा/ व्यवधान	_	-
धीरे चलो	_	-
धरना	01	-
कामबंदी	_	-

हड़ताल, प्रदर्शनऔर धरना का विवरण:

हड़ताल-1,

बीएमएस को छोड़ कर सभी सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा दिनांक 16.02.2024 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। उत्पादन एवं कार्य दिवस प्रभावित नाही हुआ।

घेराव-1

दिनांक 17.09.2023 को कुसुंडा क्षेत्र अंतर्गत जीकेकेसी कोलियरी के अधीन धोबी कुली बस्ती में भू-धसान की घटना को लेकर दिनांक 18.09.2023 से 21.09.2023 तक स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जीकेकेसी कोलियरी का घेराव किया गया। इसमें उत्पादन एवं कार्य दिवस प्रभावित नाही हुआ।

प्रदर्शन-2

1. ठेका मजदूरों की 5.0 एनएलडब्लू के तहत एइचपीसी वेतन मांग पर बीसीकेयू(सीटू) द्वारा पाथरडीह कोल वाशरी के गेट पर प्रदर्शन. इसमें उत्पादन एवं कार्य दिवस प्रभावित नाही हुआ.

2. जेएमएस द्वारा अपने 9 सूत्री मांगो को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन को प्रेषित मांगपत्र, पत्रांक: सिभीए/एसईसी/24/36 दिनांक 20.02.2024 के आलोक में दिनांक 28.02.2024 से 29.02.2024 बीसीसीएल मुख्यालय के गेट पर दो दिवसीय प्रदर्शन किया गया.

<u>हेल्प डेस्क</u>

बीसीसीएल में कोर्पोरेट स्तरीय एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क की शुरुवात दिनांक 01.09.2023 से की गई है जहाँ कर्मचारी एवं सेवानिवृत कर्मियों के शिकायतों का निवारण किया जाएगा(खासकर मेडिकल एवं पीएफ पेंशन समाधान). आपातकालीन परिस्तिथिलके लिए 01 टोल फ्री नंबर 18003450144 तथा 02 लैंडलाइन नंबर (0326-2230145) एवं (0326-2236499) उपलब्ध कराई गई है.

"सीएल (आर एंड ए) अधिनियम 1970 और झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2021 के तहत ठेकेदार की जिम्मेदारियां" पर संवेदीकरण कार्यक्रम.

कार्मिक एवं औधोगिक संबंध विभाग

कार्य प्रदर्शन एवं उपलब्धियाँ 2023-24

क्रम सं.	कार्य/ कार्य-आबंटन	उपलब्धियाँ
1.	एसओपी का विनियमन और अनुकंपा नियोजन सहित कार्मिक सेवा मामलों का तेजी से निपटान।	• मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन और मैट्रिक प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले रोजगार दावों के निपटान में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए परिचालित एसओपी का अनुपालन प्रभावकारी रूप से सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त, बीसीसीएल में पहले से ही प्रचालित रोजगार मामलों के लिए एसओपी की पुष्टि की गई है और रोजगार के विभिन्न मामलों से निपटने में आसानी के लिए सीआईएल द्वारा जारी एसओपी में विलय कर दिया गया है। • इसी तरह, अनुपस्थिति संबंधी मामलों से निपटने के लिए एसओपी, कर्मचारियों द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एसओपी इत्यादि मामलों के निष्पक्ष और त्वरित निपटान के लिए विनियमित किया गया। • टर्मिनल बकाया और नियोजन मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और वंचित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष के दौरान विशेष अभियान चलाए गए। • कर्मचारियों के करियर विकास के अवसरों की पहचान और उन्मुखीकरण के लिए, अनुमोदित श्रमशक्ति बजट 2023-24 की रिक्तियों के एवज में सीआईएल स्थापना दिवस, 2023 के अवसर पर उच्च ग्रेड/श्रेणी में कुल 1432 पदोन्नति/उन्नयन कार्य प्रभावित हुए। • ग्रेड-3 वेतनमान में क्लर्क के पद पर 201 विभागीय उम्मीदवारों के चयन का लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम घोषित किया गया और इसका हल किया गया, इस प्रकार योग्य अभ्यर्थियों के लिए अपने करियर को सुधारने और उनका विश्वास जीतने का मार्ग प्रशस्त हुआ। • कंपनी की आवश्यकता के अनुसार श्रमशक्ति के लाभकारी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2023-24 के दौरान अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण के कुल 222 मामले प्रभावित हुए।
2.	प्रणाली/वृत्तिमूलक सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मानव संसाधन प्रक्रियाओं का एकीकरण।	• मानव संसाधन प्रक्रिया पुनर्रचना की अवधारणा का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मानव संसाधन प्रक्रियाओं को आत्मसात कर तथा कार्यों को अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के साथ पूरा करने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश प्रभावी ढंग से किया जाता है और इस प्रकार चीजों को तेजी से और उपयुक्त तरीके से किया जाता है। • **'उत्कर्ष'-** अनुकंपा रोजगार के दावों के लिए एक ऑनलाइन फ़ाइल ट्रैकिंग एवं प्रबंधन प्रणाली शुरूआत 24-02-2023 को की गई ताकि दावेदारों को उनके दावे की स्थिति को दरवाजे पर ही एक्सेस करने में सुविधा मिल सके। • **कर्मचारियों को अधिमानतः** महीने के पहले दिन वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर एसएपी / ईआरपी व तकनीकी मॉड्यूल का लाभ उठाना।

क्रम सं.	कार्य/ कार्य-आबंटन	उपलब्धियाँ
		• प्रभावी मानव संसाधन हस्तक्षेप के रूप में, रिकॉर्ड प्रतिधारण और कार्यक्षमता में आसानी के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखों के डिजिटलीकरण और संरक्षण की प्रतिबद्धता के तहत विशेष अभियान के रूप में 34000 कर्मचारियों के 26 पहचाने गए महत्वपूर्ण सेवा दस्तावेजों और अन्य प्रशंसापत्रों की स्कैनिंग के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता को लगाया गया है।
3.	कर्मचारियों और हितधारकों के कैरियर के विकास और कल्याण के लिए विशेष पहल। है।	• कर्मचारी के हित और सहभागिता के तहत, दिसंबर, 2023 में 'उत्थान' (उन्नति, नए अवसर और तकनीकी ऊंचाईयों को ऊपर ले जाने के लिए प्रशिक्षण) नामक एक योजना शुरू की गई| मिशन का उद्देश्य लगभग 967 अकुशल/अर्धकुशल कर्मचारियों के एक समूह के प्रयासों को बनाए रखना है,जो योग्य हैं अर्थात +2 की न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा अंडरग्राउंड/ओपनकास्ट में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव रखतें हैं, उन्हें अपने करियर में उन्नति व बीसीसीएल / सीआईएल में लाभकारी प्रयोजन के लिए डीजीएमएस से माइनिंग सरदार योग्यता प्रमाणपत्र, ओवरमैन योग्यता प्रमाणपत्र इत्यादि के वैधानिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके| • मई, 2024 तक कुल 157 कर्मचारियों ने द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी की परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। • 02 लैंडलाइन नंबर (0326-2230145/2236499) और 01 टोल फ्री नंबर (18003450144) के साथ एक 'हेल्प डेस्क' सितंबर, 2023 में बीसीसीएल में शुरू किया गया ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर उनके शंका/शिकायतों के निपटान के विषय में परेशानीमुक्त जानकारी मिल सके। मार्च, 2024 तक कुल 171 प्राप्त शिकायतें में से 144 शिकायतों का निपटान किया गया। • 13-01-2024 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 'संवाद' नामक एक परामर्श-सह-अभिविन्यास सत्र आयोजित किया गया, जो प्रबंधन के अपनी शिकायतों, समाचारों और दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है ताकि उनका तेजी से निवारण किया जा सके। • कर्मचारियों और हितधारकों को अपनी शिकायत संबंधी मामलों को उठाने तथा उसका शीघ्र हल करने हेतु एक ओपन विंडो प्रदान करने के लिए बीसीसीएल वेबसाइट के माध्यम से संचालित "समाधान" नामक एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का संचालन किया गया।
4.	संरचनात्मक औद्योगिक संबंध और ट्रेड यूनियनों/हितधारकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध	• पूरे वर्ष इकाई, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर पंजीकृत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 03 सीसीसी और 33 संरचनात्मक आईआर बैठकें आयोजित की गईं, इस प्रकार निरंतर उत्पादन-उत्पादकता मामलों के लिए मंच तैयार किया गया।

क्रम सं.	कार्य/ कार्य-आबंटन	उपलब्धियाँ
		• विविध बाधाओं और दायरे में सीमाओं के साथ एक चुनौतीपूर्ण और विविध सामाजिक-भौगोलिक परिधि में काम करना, प्रभावी हस्तक्षेप और हितधारकों के साथ घनिष्ठ संपर्क के साथ वित्त वर्ष **2023-24** के दौरान मानव दिवस हानि, उत्पादन हानि और मजदूरी हानि के संदर्भ में शून्य हानि क्षमता हासिल की।

• **औद्योगिक संबंध परिदृश्य (2022-24)**

विवरण	वर्ष		अभ्युक्ति
	2022-23	2023-24	
हड़ताल	0	1	सीटीयू द्वारा 16-02-2024 को आहूत कोयला क्षेत्र सहित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। उत्पादन और श्रम दिवसों की कोई हानि दर्ज नहीं की गई।
भूख हड़ताल	0	0	
घेराव	0	1	भू-धंसान की घटना के कारण 18-09-2023 से 21-09-2023 तक जीकेकेसी कोलियरी, कुसुंडा क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घेराव किया गया। उत्पादन और श्रम दिवसों की कोई हानि दर्ज नहीं की गई।
प्रदर्शन	5	2	▪ ठेकेदार श्रमिकों को एचपीसी मजदूरी की मांग के समर्थन में पाथरडिग कोल वाशरी में बीसीकेयू (सीटू) द्वारा प्रदर्शन। उत्पादन और श्रम दिवसों की कोई हानि दर्ज नहीं की गई। ▪ जेएमएस द्वारा बीसीसीएल मुख्यालय में उनके द्वारा उठाये गए 9 चार्टर बिन्दुओं के समर्थन में 28-02-2024 से 29-02-2024 तक 02 दिवसीय प्रदर्शन।
हमला	0	0	
प्रतिरोध	0	0	
गो-स्लो	0	0	
धरना	1	0	
कार्य में बाधा	0	0	

क्रम सं.	कार्य/ कार्य-आबंटन	उपलब्धियाँ
5.	लागू अध्यादेश के तहत संविदा श्रम प्रबंधन संबंधी अनुपालन।	• लागू अध्यादेश के तहत ठेका श्रमिक संबंधी सांविधिक/गैर-सांविधिक, विनियामक और निषेधात्मक उपबंधों के मुख्य अनुपालनों का संचालन करना। ठेका श्रमिकों को एचपीसी वेतन समय पर वितरण, ईपीएफ/सीएमपीएफ के तहत उनके कवरेज की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की गई, जिसमें इस आशय के माहवार आंकड़े रखे गए। • 2023-24 की शुरुआत और अंत में अनुबंध श्रमिकों की आबादी।

मिशन उत्थान के अंतर्गत सामान्य मजदूरों के लिए डीजीएमएस द्वारा वैधानिक पदों के लिए ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रेरणा सत्र का आयोजन किया गया।

सीएमडी, बीसीसीएल ने एचआरडी बीसीसीएल में सामान्य मजदूरों के लिए माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और सर्वेयर की योग्यता परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू किए गए पाठ्यक्रमों को संबोधित किया

24.2 विधिक अद्यतन:

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2023 तक लंबित	31 मार्च, 2024 तक लंबित	वर्ष के दौरान वृद्धि / कमी	वर्ष के दौरान लंबित मामलों में प्रतिशत वृद्धि / ह्रास
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	36	41	5	(+) 13.88%
उच्च न्यायालय	937	855	82	(-) 8.75%
जिला न्यायालय	691	609	82	(-) 11.86%
पंचाट	07	04	03	(-) 42.85%
कुल	1671	1509	162	(-) 9.69%

25. चिकित्सा

25.1 केंद्रीय अस्पताल, धनबाद की उपलब्धि-2023

1. केंद्रीय अस्पताल, धनबाद कोल इंडिया लिमिटेड का एकमात्र अस्पताल है जो तीन विषयों में डीएनबी पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें एनबीईएमएस द्वारा कुल 08 सीटें प्रदान की गई हैं, जेनरल मेडिसिन विभाग के चार (4) प्रशिक्षुओं सहित पहले बैच ने पहले ही अपनी थ्योरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा तीन (03) प्रशिक्षुओं को वर्ष 2023 में डीएनबी की डिग्री प्रदान की गई है।
2. डीएनबी पाठ्यक्रमों (नेत्र विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, एनेस्थिसियोलॉजी) के लिए 03 विशिष्टताओं में नए प्रत्यायन के लिए आवेदन किया| 12-02-2024 को एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा एनेस्थिसियोलॉजी विभाग के लिए मूल्यांकन किया गया और दो सीटें, एक एमबीबीएस डीएनबी के लिए और एक पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी के लिए प्रदान की गई हैं। एनबीईएमएस द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा नेत्र विज्ञान विभाग का डीएनबी सीटों के लिए मूल्यांकन 23/03/2024 को किया गया| उम्मीद है कि सीएचडी को नेत्र विज्ञान में भी डीएनबी सीटें मिलेंगी।
3. विभिन्न विभागों के लिए नई मशीनें और उपकरण खरीदे गए जो इस प्रकार है:-

क. 2 ब्लड स्टोरेज कैबिनेट (एक 180 यूनिट तथा दूसरा 120 यूनिट रक्त भंडारण की क्षमता वाली), रक्तदाताओं द्वारा आरामपूर्वक रक्त दान करने के लिए 2 ब्लड-डोनर काउच तथा दान किए गए रक्त को एंटी कोगुलेंट के साथ उपयुक्त तरीके से मिलाने के लिए 2 ऑटोमेटेड ब्लड मिक्सचर ब्लड सेंटर सीएचडी के लिए खरीदे गए।

ख) हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए टिशू सेक्शन कटिंग के लिए एक ऑटोमेटेड माइक्रोटोम।

ग) नियोनेटल आईसीयू के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक बबल सी-पीएपी, सात वार्मर, तीन एलईडी फोटोथेरेपी मशीन तथा तीन मल्टीपैरा मॉनिटर खरीदे गए।

घ) मेडिसिन विभाग की क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 08 मल्टीपैरा मॉनिटर, 12 सिरिंज पंप और 03 BI-PAP मशीनें खरीदी गई।

ङ.) प्रसूति एवं स्त्री रोग ऑपरेशन थियेटर के लिए 02 ओटी टेबल खरीदी गई।

च) प्रसूति एवं स्त्री रोग ऑपरेशन थियेटर के लिए एक हिस्टेरोस्कोप और एक लेप्रोस्कोप खरीदा गया जिसे प्रसूति एवं स्त्री रोगियों के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस्तेमाल किया जा रहा है।

छ) डायलिसिस यूनिट में कुल 08 बेड अपग्रेड किए गए और 03 नई डायलिसिस मशीनें प्रतिष्ठापित की गई हैं। अब 2 शिफ्टों में डायलिसिस किया जा रहा है और वर्ष 2023 में 3173 मरीजों का डायलिसिस किया गया।

ज) ऑर्थोपेडिक ओटी में एक नया आर्थ्रोस्कोप लगाया गया है। इस आर्थ्रोस्कोप की खरीद के बाद, घुटने के एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। पूर्व में मरीज को ऐसी सर्जरी के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाता था।

झ) 3 हाई एंड एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन खरीदे गए और तीन अलग-अलग ओटी में प्रतिष्ठापित किए गए (एक जनरल सर्जरी में, एक ऑर्थो में और एक स्त्री व प्रसूति विभाग में)।

ण) नेत्र विभाग में नए उपकरण जैसे 2 रिफ्रेक्शन चेयर यूनिट, 01- केराटोमीटर, 01- फेकोमल्सीफिकेशन मशीन और 01-ऑपरेटिंग ऑप्थेलमिक माइक्रोस्कोप लगाए गए। फेको मशीन की स्थापना के बाद सीएचडी में मोतियाबिंद के लिए फेको-सर्जरी शुरू हुई। अब सीएचडी में इंट्राविट्रल इंजेक्शन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

4. मरीजों और उनके अटेंडेंट को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर **छह नये आरओ वाटर कूलर सह प्यूरीफायर** प्रतिष्ठापित किए गए।

5. **सेंट्रल हॉस्पिटल, धनबाद के 10 डॉक्टरों** ने सीसीएल के दीक्षांत समारोह केंद्र में कार्यशाला और चिकित्सा सम्मेलन (सीआईएमईसीओएन 2023) में भाग लिया। डॉ अंशुल कुमार सिंह को फ्री पेपर श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार तथा डॉ प्रदीप तिवारी को तृतीय पुरस्कार मिला।

6. **02 नए लेक्चर हॉल का निर्माण तथा मौजूदा नर्सिंग स्कूल भवन का उन्नयन-** केंद्रीय अस्पताल, धनबाद के अंतर्गत नर्सिंग स्कूल चलाने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद तथा झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल (जेएनआरसी) के मानकों का अनुपालन करते हुए दो नए लेक्चर हॉल का निर्माण किया गया है।

7. सीएचडी भवन, नर्सिंग छात्रावास तथा नर्सिंग स्कूल की एपीपी से छत का उपचार पूरा हुआ- सीएचडी के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों की छतों पर एपीपी शीट बिछाने तथा छत का समुचित उपचार करने के बाद अब सीपेज की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पहले सीपेज एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब एपीपी कार्य के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे भवन का जीवनकाल बढ़ गया है तथा रखरखाव लागत में कमी आई है।

8. **कैजुअल्टी तथा लेबर रूम का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य पूरा हुआ-** लेबर रूम तथा कैजुअल्टी वार्ड की स्थिति पहले बहुत खराब थी। अब कैजुअल्टी वार्ड तथा लेबर रूम का जीर्णोद्धार कर उसे स्पेशलिटी अस्पतालों के मानकों के अनुरूप बनाया गया है।

9. **केन्द्रीय अस्पताल परिसर में नए कैंटीन का निर्माण शुरू-** सीएचडी में स्वास्थ्यकर और स्वच्छ भोजन खाने के लिए कोई समर्पित स्थान नहीं था। चूंकि अस्पताल व्यस्त रहता है और कर्मचारी और डॉक्टर अधिकांश समय काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सी.एच.डी. में स्वास्थ्यकर और स्वच्छ जलपान की तत्काल व्यवस्था के लिए कैंटीन के निर्माण की आवश्यकता थी। अब काम शुरू हो गया है और जल्द ही पूरा हो जाएगा।

10. **04 इनडोर वार्डों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है-** महिला मेडिकल वार्ड -2, पुरुष मेडिकल वार्ड -1, महिला सर्जिकल वार्ड और महिला मेडिकल वार्ड -1 की स्थिति बहुत दयनीय थी और इनकी तत्काल मरम्मत और जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। कार्य प्रगति पर है और इन सभी चार वार्डों का जीर्णोद्धार पूरी तरह से किया जाएगा ताकि वे एक उन्नत और अच्छी तरह से काम करने वाले अस्पताल के मानकों के अनुरूप हो सके सकें।

11. **सीएचडी में नई सीवरेज लाइन, अपशिष्ट पाइप लाइन, सेप्टिक टैंक, इंस्पेक्शन चैम्बर, नाली और वर्षा जल संचयन आदि का निर्माण कार्य शुरू हो गया है-** सीएचडी में सीवरेज पाइपलाइन, सेप्टिक टैंक और अपशिष्ट उपचार पाइपलाइन बहुत खराब स्थिति में थे, जिससे अस्पताल में समस्याग्रस्त पैदा हो रही थीं। सेप्टिक टैंक और इंस्पेक्शन चैम्बर भी बहुत पुराने (लगभग 70 वर्ष से अधिक) थे और बहुत गहरे बने थे। सेप्टिक टैंक और इंस्पेक्शन चैम्बर की सफाई सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरी थीं। अब, भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए नवीनतम तकनीक वाले पाइपलाइनों और नवनिर्मित सेप्टिक टैंक और इंस्पेक्शन चैम्बर के साथ एक नई सीवरेज लाइन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, पर्यावरण मानदंडों का पालन करते हुए दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण किया जाएगा।

13. **सेंट्रल हॉस्पिटल, जगजीवन नगर, धनबाद में कमर्शियल/इंडस्ट्रियल मॉड्यूलर किचन** बनाने का ठेका दिया गया है- सीएचडी में किचन की स्थिति अच्छी नहीं थी और ना ही नवीनतम मानदंडों के अनुसार नहीं थी। श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नवीनतम मानदंडों के अनुसार एक नया मॉड्यूलर किचन की आवश्यकता थी| काम शुरू हो गया है|

25.2 वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त कार्य/कार्य

1. पीएमई (आवधिक चिकित्सा जांच)

क) वर्ष 2023-24 के दौरान 9051 कर्मचारियों का पीएमई किया गया

ख) न्यूमोकोनियोसिस - वर्ष 2023-24 के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं हुआ|

2. 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य शिविर आयोजित

क) केंद्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल और एरिया अस्पतालों द्वारा बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 38 स्वास्थ्य शिविरों का लगाये गए|

ब) मेगा स्वास्थ्य शिविरों के नाम

i) जीवन शैली के बारे में जागरूकता

ii) स्त्री रोग संबंधी विकृतियों के बारे में जागरूकता -

-गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को कैसे रोकें और युवा लड़कियों में टीकाकरण को प्रोत्साहित करें।
-स्तन कैंसर के बारे में जानकारी।

iii) 50+ आयु वर्ग के कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के सामान्य स्वास्थ्य जांच और परामर्श

iv) बोन मिनरल डेंसिटी शिविर।

v) थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग जांच शिविर।

vi) क्विज कांटेस्ट के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह समारोह।

vii) विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस समारोह – निरीक्षण और जागरूकता शिविर के माध्यम से।

viii) वेक्टर जनित रोग (मलेरिया, फलारिया, डेंगू आदि)और उनके रोकथाम से संबंधित जागरूकता शिविर व कार्यस्थल और टाउनशिप की सफाई।

ix) मधुमेह के बारे में जागरूकता और रोकथाम -

-जांच
-जीवनशैली प्रबंधन
-खान-पान की आदतें

हमारे अस्पतालों में नियमित उपचार होता है ताकि हम किसी के दिल, गुर्दे, तंत्रिका को विशेष रूप से बचा सकें।

x) उच्च रक्तचाप (HTN) क्लिनिक - रक्तचाप (BP) और हृदय संबंधी बीमारियों की नियमित जाँच और उनका उचित उपचार।

xi) प्रजनन और यौन स्वास्थ्य जागरूकता शिविर।

xii) नेत्र और विजिबल इक्विटी की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम।

xiii) निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जाँच शिविर (भारत सरकार द्वारा “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के तहत)।

xiv) स्कूल में 'स्वास्थ्य शिविर' आयोजित करना

-बच्चों की सामान्य जाँच

-बच्चों में जागरूकता।

वर्ष 2023 के दौरान आयोजित शिविरों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
38	2723

26. राजभाषा

बीसीसीएल में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राजभाषा अधिनियम और नियमों की विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, हमारी कंपनी ने सभी हितधारकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और सर्वोत्तम संभव सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उपयोग करने की भी पहल की है। हमारी कंपनी ने अपने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2023-24 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित वार्षिक कार्य योजना तैयार की है। कंपनी निरंतर निगरानी और विभिन्न स्तरों पर नियमित प्रयासों के माध्यम से अपने वार्षिक कार्यक्रम के सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही।

त्रैमासिक समीक्षा बैठकें:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें निर्धारित समय पर हुई। वर्ष के दौरान सभी चार त्रैमासिक समीक्षा बैठकें 29 जून 2023, 29 सितम्बर 2023, 13 अक्टूबर 2023 और 29 जनवरी 2024 को आयोजित की गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सुझावों के तहत समीक्षा अवधि के दौरान कई नई पहल किए गए| मुख्य पहल के रूप में, राजभाषा पखवाड़ा के अलावा राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। वर्ष के दौरान हिंदी के प्रचार के लिए कुल 8 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रत्येक तिमाही में निर्धारित वार्षिक राजभाषा-कैलेंडर के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें भी आयोजित की गई|

कार्यशालाएं:

अधिकारियों और कर्मचारियों प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे अपने नियमित कार्य आसानी से हिंदी में कर सकें। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में उपलब्ध तकनीकी और आईटी सुविधाओं जैसे कंठस्थ ट्रांसलेशन मेमोरी टूल ,यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग, वॉयस टाइपिंग, हिंदी ओसीआर, फॉन्ट कन्वर्टर, मशीन अनुवाद, ई-डिक्शनरी आदि के लिए गहन प्रशिक्षण भी दिया गया। वर्ष के दौरान बीसीसीएल मुख्यालय, मानव संसाधन विकास और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 60 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

सेमिनार, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम:

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 02 फरवरी 2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह पांच सत्रों में आयोजित किया गया जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविदों ने व्याख्यान दिए थे। सेमिनार का उद्घाटन बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकों द्वारा किया गया । इस अवसर पर हिंदी पुस्तक मेला और राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई ।

20फरवरी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए एक अन्य कार्यक्रम विभागीय 'कवि सम्मेलन' का भी आयोजन किया गया | इस कार्यक्रम में डा. हिमांशु शेखर चौधरी,विभागाध्यक्ष,विदेशी भाषा विभाग,बीबीएमकेयू ,धनबाद को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था।

चित्र 2: 9वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

चित्र 3: अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्ज्वलन

29 मई, 2023 को सभी प्रकार के राजभाषा निरीक्षणों से संबंधित एक राजभाषा संगोष्ठी भी आयोजित की गई।. राजभाषा विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से दो संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था। संगोष्ठी में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

हिंदी प्रकाशन:

हमारी कंपनी नियमित रूप से अपनी अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका '**कोयला भारती**' नाम से प्रकाशित करती है। यह कॉर्पोरेट पत्रिकाओं के बीच एक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका है। इस पत्रिका के 39वें और 40वें अंक वर्ष 2023-24 के दौरान प्रकाशित किए गए। पत्रिका के ये अंक क्रमशः 28 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के अवसर पर और 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जारी किए गए । वर्ष के दौरान नगर अधिकारिक कार्यान्वयन समिति, धनबाद की अर्धवार्षिक पत्रिका **'राजभाषा संदेश'** के दो अंक भी प्रकाशित हुए। वर्ष के दौरान बीसीसीएल के कर्मियों के लिए 'कार्यालय सहायिका' नामक एक पॉकेट साइज बुकलेट भी प्रकाशित की गई |

इन प्रकाशनों के अलावा, एक अन्य हिंदी पत्रिका **'कोल रश्मि'** भी बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा प्रकाशित की गई।

राजभाषा पखवाड़ा:

राजभाषा पखवाड़ा 14 सितंबर, 2023 से 28 सितंबर, 2023 तक मनाया गया। पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी अनुवाद और शब्दावली प्रतियोगिता, स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता,स्कूली बच्चों के लिए हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, गृहिणियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार और प्रतिभागिता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बीसीसीएल मुख्यालय में कुल 61 अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों और छ: विभागों (तकनीकी एवं गैर तकनीकी श्रेणी) को वर्ष के दौरान अपने कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रदर्शन के लिए **"स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति राजभाषा सम्मान"** से सम्मानित किया गया। इन कार्यालयों का चयन कॉरपोरेट स्तरीय राजभाषा निरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार किया गया। पुरस्कार और शील्ड दिनांक 28 सितंबर 2023 को राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में प्रो.उदय नारायण सिंह पूर्व रिटा.कुलपति,विश्वभारती यूनिवर्सिटी, शांतिनिकेतन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्हें "बीसीसीएल कोयला भारती राजभाषा सम्मान" से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय और आईटी अवसंरचना:

हमारी कंपनी के पास एक सुस्थापित केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय है। वर्तमान में साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, कंप्यूटर, जीवन प्रबंधन और अन्य विषयों पर कुल 4900 मानक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर साल सैकड़ों महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

कंपनी में उपलब्ध सभी कंप्यूटर सिस्टम यूनिकोड मानक और द्विभाषी टाइपिंग सुविधा द्वारा समर्थित हैं। बदलते परिदृश्य में,राजभाषा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 'कंठस्थ ट्रांसलेशन मेमोरी टूल का प्रशिक्षण दिया है। बीसीसीएल मुख्यालय के सभी कार्यालय हिंदी और अंग्रेजी में वॉयस टाइपिंग सुविधा से लैस हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास):

हमारी कंपनी 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' के मंच के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार में अग्रणी रही है। हमारी कंपनी के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रयासों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा मान्यता दी गई। वर्ष 2023-24 में टॉलिक की पहली बैठक 25 जुलाई,2023 को और दूसरी बैठक 24 नवम्बर, 2023 को हुई थी।

निरीक्षण:

कंपनी में राजभाषा निरीक्षण भी राजभाषा नियमों के अनुसार किया गया। आंतरिक निरीक्षण समिति ने वर्ष के दौरान चिकित्सा, कल्याण, विधि, श्रमशक्ति एवं नियोजन,प्रशासन,सर्वेक्षण,परि.वयोजना,विद्युत एवं यांत्रिक,असैनिक अभियंत्रणविभाग,सीएचडी,एचआरडी,आईईडी,पर्यावरण, वाशरी निर्माण जैसे 14 विभागों सहित   पूर्वी झरिया,पुटकी बलिहारी,कुसुंडा,बस्ताकोला,सीवी क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किया है।

पुरस्कार और अन्य उपलब्धियां:

- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद द्वारा 24 नवम्बर, 2023 को आयोजित इसकी अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक में प्रथम पुरस्कार (राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को गाजियाबाद में 29 अक्टूबर, 2023 को यूएसएम पत्रिका और राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास द्वारा आयोजित 31वें अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। इसी सम्मेलन में, कंपनी के निदेशक (कार्मिक) और प्रबंधक (राजभाषा) को भी राजभाषा के प्रति उनके योगदान के लिए एक शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया।

- गोवा में 08 नवंबर, 2023 को राजभाषा एवं प्रबंध विकास संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को राजभाषा के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

27. सतर्कता

वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ निवारक सतर्कता, दंडात्मक कार्रवाई, निगरानी एवं जांच पर बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त टिप्पणी:

<u>प्रस्तावना</u>

किसी भी संस्थान में सतर्कता विभाग प्रबंधन का एक अभिन्न अंग होता है तथा यह नैतिकता ,सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता में मूल्य आधारित उन्नयन के जरिए संस्था को इसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है |इससे समाज में संस्था /कंपनी की बेहतर सार्वजानिक छवि निखारने में मदद मिलती है |केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को वर्तमान में विशेष महत्व दिए जाने के कारण यह किसी संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने लेनदेन या कार्यों में साफ सुथरी छवि के सूचक के रूप में अति उच्च पैमाने पर अपनी पहचान बनाए |कंपनी के ध्येय एवं मिशन को पूरा करने के ख्याल से सतर्कता विभाग /बीसीसीएल ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत भ्रष्टाचार से लड़ने, इसकी रोकथाम, अनियमितताओं को दूर करने और समता, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उन्नयन के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनायी है जो इस प्रकार है :-

1. **निवारक:** जैसा कि यह शब्द स्वयं संकेत करता है कि यह एक ऐसी पहल है जिससे ‘’सतर्कता के दृष्टिकोण’’ से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। इस प्रविधि में जागरूक करने तथा अन्य व्यावहारिक उपाय जैसे जहां आवश्यक हो प्रबंधन के साथ मिलकर प्रणाली विकास के लिए समुचित दिशानिर्देश जारी कर भ्रष्टाचार से बचने के रास्ते बंद करना, विभिन्न स्तरों पर संस्था के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, परामर्श देना शामिल है।

2. **दण्डात्मक:** इस पहल के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जो "सतर्कता" के दृष्टिकोण से किसी गलत कार्य के लिए दोषी पाये जाते हैं। दण्डात्मक कार्रवाई प्रायः समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत है।
3. **निगरानी:** यह तरीका शिकायत, समाचार पत्र आदि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित औचक निरीक्षण करने से संबंधित है। ऐसे निरीक्षण का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे भ्रष्ट कार्यों को रोका जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा अपने उपर्युक्त क्षेत्रों में की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

निवारक सतर्कता

क) <u>औचक जांच</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने 29 औचक जांच किए। औचक निरीक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

i. रेलवे साइडिंग से कोयले के परिवहन में अनियमितताएं।
ii. सिविल टेंडरिंग/मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं।
iii. वजन घर (वे-ब्रिज)।
iv. कोल स्टॉक का मापन।
v. डीजल की चोरी।
vi. आउटसोर्सिंग पैच/सी एम सी में निविदा प्रक्रिया।
vii. आईटी (IT) कार्यों का क्रियान्वयन।

ख) <u>गहन जाँच:-</u>

सीटीई प्रकार के कार्यों की गहन जांच का महत्व निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण है। सतर्कता विभाग ने कुल 06 सीटीई प्रकार के गहन जाँच शुरूकिए। सभी की जांच चल रही है।

ग) <u>सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन</u>

सचिव,सीवीसी द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 08/09/23 दिनांक 11.09.2023 में निहित सीवीसी आयोग के निर्देशानुसार 31.10.2023 से 05.11.2023 तक "**भ्रष्टाचार को ना कहें , राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहें** "थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 मनाया गया तथा सीवीसी द्वारा संप्रेषित दिशानिर्देशों के अनुपालन में संगठनात्मक ढांचे में ऊपर से नीचे तक जागरूकता लाने के लिए सरकारी कामकाज एवं संबंधित गतिविधियों में भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियमों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे बीसीसीएल एवं इसके कार्यालयों में 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 का सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया | इस अवसर पर थीम पर आधारित कॉर्पोरेट एवं क्षेत्रीय स्तर पर, विभिन्न प्रतियोगिताओं /गतिविधियों का आयोजन कर अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई,और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में अपने निरंतर प्रयासों को निवेश करते हुए सभी को निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से सभी सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023" की प्रस्तावना के अनुसार, पूरे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और विभिन्न स्थानों पर इसके कार्यालयों में **तीन महीने का अभियान** (16 अगस्त 2023 - 15 नवंबर 2023) चलाया गया।

इस अवसर पर कॉरपोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में अपने लगातार प्रयास करते हुए निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से सभी आधिकारिक कार्य सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का आयोजन किया गया।

सप्ताह के दौरान, संवेदीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत बीसीसीएल मुख्यालय और बीसीसीएल के 34,000 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी क्षेत्रों/इकाई/कोलियरियों में "अखंडता शपथ" समारोह के साथ हुई।

घ. <u>कंपनी के अंदर आयोजित गतिविधियां/कार्यक्रम</u>

I. सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2023" के कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 31.10.2023 को सुबह 11:00 बजे बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत के गणतंत्र के संस्थापक नेताओं में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देकर और कारपोरेट गीत बजाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय स्तर पर बीसीसीएल के कार्यकारी निदेशकों सहित समस्त महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण और संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर में अधिकारियों/कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित जानकारी का अनावरण करने के साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन से संबंधित दिशानिर्देशों और सभी गतिविधियों / कार्यक्रम वीएडब्ल्यू-2023 के व्यापक प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया गया। इसके बाद कार्यकारी निदेशकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गृह पत्रिका "**चेतना**" एवं "**ई-संग्रह**" का विमोचन किया गया।

II. गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सतर्कता जागरूकता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच पीआईडीपीआई शिकायतों के प्रावधानों को प्रसारित करने के लिए एक पीआईडीपीआई गैलरी तैयार की गई थी, जिसका उद्घाटन कार्यकारी निदेशकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी किया गया।

III. सतर्कता जागरूकता सप्ताह -23 के थीम के साथ पूरी अवधि (30.10.23 से 05.11.23तक) के दौरान एक गुब्बारा काफी ऊँचाई तक बांध कर रखा गया था|

IV. सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा गुब्बारों को उड़ाना और 'सतर्कता रथ' की रवानगी:
दिनांक 31.10.2023 को उद्घाटन समारोह के बाद, सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा नारे एवं जागरूकता के संदेशों से युक्त गर्म हवा के गुब्बारे भी उड़ाये गए और 'सतर्कता रथ' रवाना किया गया। विकास एवं समृद्धि की उंचाई को छूने के लिए भारत की अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले गुब्बारे छोड़े गए।

इस अवसर पर सतर्कता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सतर्कता रथ एक चार पहिया वाहन है जो चारों ओर से सतर्कता संदेशों से ढका हुआ है और एक पब्लिक ऑडियो डिवाइस के साथ पूरे सप्ताह धनबाद शहर के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा ताकि आम जनता को विषय और अन्य मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। इस उद्देश्य कुल 5 रथों की व्यवस्था की गई है|

V. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान पूरे बीसीसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2023 के थीम पर पीआईडीपीआई चर्चा, ग्राम सभा, निबंध/प्रश्नोत्तरी/ड्राइंग प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़, प्रभात फेरी आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

VI. इस सप्ताह के दौरान बीसीसीएल के एचआरडी विभाग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

VII. सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2023 के उद्घाटन समारोह को YouTube चैनल पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2023 के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और X.com जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न गतिविधियों को पोस्ट करने के लिए भी किया गया था।

ड.) प्रतियोगिताओं का आयोजन (संस्थान के अंदर आयोजन):

तालिका 'क': प्रतियोगिताओं का आयोजन

राज्य का नाम	शहर/स्थान	निर्दिष्ट कार्यक्रम(वाद-विवाद/वाग्मिता/पैनल चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या
झारखंड	धनबाद/बीसीसीएल मुख्यालय	अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	19
झारखंड	धनबाद/बीसीसीएल मुख्यालय	कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	24
झारखंड	धनबाद/बीसीसीएल मुख्यालय	गृहणियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	02
झारखंड	धनबाद/बीसीसीएल मुख्यालय	कर्मचारी के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता	02
झारखंड	धनबाद/बीसीसीएल मुख्यालय	कर्मचारी के बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता	01
झारखंड	बरोरा क्षेत्र	कर्मचारी लिए निबंध प्रतियोगिता	30
झारखंड	ब्लाक- II क्षेत्र	कर्मचारी लिए निबंध प्रतियोगिता	30
		कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	30
झारखंड	गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय	कर्मचारियों के लिए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और कर्मचारियों के लिए समूह चर्चा	33
झारखंड	कतरास क्षेत्रीय कार्यालय	कर्मचारी लिए निबंध प्रतियोगिता	20

झारखंड	सिजुआ क्षेत्रीय कार्यालय	कर्मचारी के लिए चित्रकला प्रतियोगिता	20
		कर्मचारी के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता	25
झारखंड	बस्ताकोला क्षेत्र	कर्मचारी लिए निबंध प्रतियोगिता	35
		कर्मचारी लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	40
झारखंड	ई जे क्षेत्र	कर्मचारी लिए निबंध प्रतियोगिता	15
झारखंड	वाशरी डिवीज़न ,सरायढेला	कर्मचारियों के लिए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता	30

तालिका 'ख': अन्य गतिविधियाँ

क्रम सं.	गतिविधियाँ	विवरण
1.	पैम्फलेट/बैनर का वितरण	388 पोस्टर/290 स्टिकर
2.	कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 388	09 कार्यशाला,04 ग्राम सभा तथा 01 नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था।
3.	पत्रिका/न्यूजलेटर का निर्गम	1. चेतना" पत्रिका की 100 हार्ड कॉपी और ई-संस्करण प्रकाशित किए गए| 2. बीसीसीएल के कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) 2023 का ई-संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।
4.	कोई अन्य गतिविधियाँ	1. आम जनता/नागरिकों के बीच भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बारे में संदेश का प्रसार करने के लिए, बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों द्वारा धनबाद तथा उसके आसपास व्यापक प्रचार के लिए पोस्टर और ऑडियो क्लिप के साथ "सतर्कता रथ" को हरी झंडी दिखाई गई। 2. पुटकी बलिहारी क्षेत्र द्वारा पीआईडीपीआई पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

च. कंपनी से बाहर की गतिविधियां

क) स्कूली बच्चों की भागीदारी

राज्य का नाम	शहर/कस्बे/ गांव का नाम	स्कूल का नाम	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तारीख	प्रतिभागियों की सं.
झारखंड	बीसीसीएल मुख्यालय धनबाद कोयला नगर	डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर	02.11.2023 को क्विज प्रतियोगिता	39
झारखंड	बरोरा एरिया, बाघमारा, धनबाद	नेहरू बालिका विद्यालय, डुमरा	02.11.2023 को कक्षा 7वीं से 10वीं के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता	94
		डीएवी पब्लिक स्कूल, बरोरा	02.11.2023 को कक्षा 7वीं से 10वीं के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता	60
झारखंड	ब्लॉक II बाघमारा, धनबाद	सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, बाघमारा	03.11.2023 को कक्षा 7वीं से 9वीं के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता	30
		सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, बाघमारा	03.11.2023 को कक्षा 10वीं से 12वीं के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता	30
झारखंड	गोविंदपुर क्षेत्र, भटमुरना, धनबाद	मध्य विद्यालय, भटमुराना	03.11.2023 को निबंध लेखन प्रतियोगिता	20
		एसवीएम, सिनीडीह, धनबाद	03.11.2023 तक क्विज प्रतियोगिता	32
			03.11.2023 को भाषण प्रतियोगिता	
			04.11.2023 को स्लोगन लेखन	
झारखंड	कतरास क्षेत्र, तेतुलमारी धनबाद	बालिका उच्च विद्यालय, तेतुलमारी	02.11.2023 को पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता	30
झारखंड	सिजुआ क्षेत्र, धनबाद	बालिका उच्च विद्यालय, तेतुलमारी	03.11.2023 को निबंध लेखन प्रतियोगिता	26
झारखंड	कुसुंडा क्षेत्र, धनबाद	डीएवी पब्लिक स्कूल, कुसुंडा	03.11.2023 को निबंध लेखन प्रतियोगिता	50
			03.11.2023 को चित्रकला प्रतियोगिता	50

झारखंड	पुटकी बलिहारी क्षेत्र	डीएवी पब्लिक स्कूल, अलकुसा	03.11.2023 को निबंध लेखन प्रतियोगिता	35
			03.11.2023 को पेंटिंग प्रतियोगिता	28
झारखंड	पश्चिमी झरिया क्षेत्र, धनबाद	कारीटांड़ हाई स्कूल, मनहलाडीह	04.11.2023 को चित्रकला प्रतियोगिता	28
		इंडियन स्कूल फॉर लर्निंग, मूनीडीह	04.11.2023 को निबंध लेखन प्रतियोगिता	29
झारखंड	बस्ताकोला एरिया, धनबाद	आदर्श श्रमिक उच्च विद्यालय, गोलकडीह	04.11.2023 को निबंध लेखन प्रतियोगिता	45
झारखंड	लोदना क्षेत्र, धनबाद	डीएवी पब्लिक स्कूल, बनियाहीर	03.11.2023 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	25
			04.11.2023 को चित्रकला प्रतियोगिता	25
			03.11.2023 को निबंध-प्रतियोगिता	30
झारखंड	पूर्वी झरिया क्षेत्र	विद्या विहार विद्यालय, मेन कॉलोनी, सुदामडीह	31.10.2023 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	21
पश्चिम बंगाल	सी.वी. क्षेत्र, चिरकुंडा, धनबाद	नंदलाल इंस्टीट्यूशन, चिरकुंडा	प्रभात फेरी	60
झारखंड	वाशरी डिवीजन, सरायढेला,	सी सी डब्ल्यू ओ , सरायढेला	प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिता	60
कुल				847

तालिका ख): कॉलेज के छात्रों की भागीदारी

राज्य का नाम	**शहर/कस्बे/ गांव का नाम**	**कॉलेज का नाम**	**आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तारीख**	**प्रतिभागियों की सं.**
झारखंड	कतरास, धनबाद	कतरास कॉलेज	निबंध लेखन	22
कुल				**22**

तालिका ग): "जागरूकता ग्राम सभाएं"

राज्य का नाम	शहर/कस्बे/गांव का नाम	कॉलेज का नाम	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तारीख	प्रतिभागियों की सं.
झारखंड	कतरास क्षेत्र, बीसीसीएल, धनबाद	लकरका गांव	02.11.2023 को ग्राम सभा का आयोजन	50
झारखंड	बस्ताकोला क्षेत्र ,धनबाद	अमटाल पंचायत	03.11.2023 को ग्राम सभा का आयोजन 40	40
झारखंड	पूर्वी झरिया क्षेत्र,	बलियापुर पूर्व पंचायत	26.09.2023 को ग्राम सभा का आयोजन	70
		वार्ड न. 50, परशियाबाद	26.09.2023 को ग्राम सभा का आयोजन	40
कुल				**200**

तालिका घ): सेमिनार/कार्यशालाएं

राज्य का नाम	शहर/कस्बे/ गांव का नाम	आयोजित सेमिनार / कार्यशालाओं की संख्या	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तारीख	प्रतिभागियों की सं.
झारखंड	ब्लॉक II क्षेत्र, धनबाद	01	03.11.2023 को भ्रष्टाचार को ना कहें: राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें	60
झारखंड	सिजुआ क्षेत्र, टेटुलमारी, धनबाद	01	03.11.2023 को भ्रष्टाचार को ना कहें: राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें	77
झारखंड	कुसुंडा क्षेत्र, धनबाद	01	14.10.2023 को सेमिनार	100
झारखंड	पीबी क्षेत्र, पुटकी, धनबाद	02	17.10.2023 को भ्रष्टाचार को ना कहें: राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें तथा 20.09.2023 को सेमिनार	48
झारखंड	पश्चिमी झरिया क्षेत्र, मूनीडीह	01	20.09.2023 को सेमिनार	60
झारखंड	बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद	01	05.10.2023 को सेमिनार	100
झारखंड	एचआरडी, कल्याण भवन, धनबाद।	02	03.11.2023 और 04.11.2023 को कार्यशालाएं	60
कुल				**505**

छ . अन्य गतिविधियां

क्रम सं.	गतिविधियां	विवरण
1.	बैनर/पोस्टर आदि का प्रदर्शन	1. 388 पोस्टर/290 स्टिकर/200 पम्फलेट, बीसीसीएल मुख्यालय के मुख्य द्वार के सामने बड़े आकार के होर्डिंग (30 फीट* 10 फीट) का प्रदर्शन। 2. बीसीसीएल मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह संदेश वाले हाई राइज बैलून (225 फीट) की उड़ान। 3. रंगीन हवा के गुब्बारे उड़ाये गए 4. जनता में सतर्कता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से धनबाद में सार्वजनिक स्थानों पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा मु.सतर्कता अधिकारी द्वारा संदेश का प्रसारण (टेलीकास्ट)।
2.	शिकायत निवारण कैम्पों के आयोजन की सं.	1. कोयला भवन मुख्यालय में पीआईडीपीआई कियोस्क/गैलरी 2. 09 शिकायत निवारण कैम्पों का आयोजन
3.	सोशल मीडिया का उपयोग	सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों को पोस्ट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्स ऐप और X. कॉम जैसे संगठन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 का उद्घाटन समारोह का ऑनलाइन स्ट्रीम YouTube चैनल पर किया गया।

ज) सिस्टम में सुधार:-

प्रक्रियाओं, प्रणालियों में समग्र सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग की अनुशंसा पर विभिन्न क्षेत्रों/कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए गए:-

1. जीपीएस-वीटीएस के डेटा मिलान और परिवहन/एचओई अनुबंधों के एनआईटी/टीडी में इसके विशिष्ट संशोधन और जीपीएस-वीटीएस प्रणाली में भूमि-बाड़ को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए मानक स्थापित करने सबंधी प्रणालीगत सुधार।
2. प्रणालीगत सुधार उपायों के रूप में बीसीसीएल के तोल सेतुओं पर ट्रकों की स्थिति पर मानक तय करना।
3. बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बीसीसीएल में सेंट्रल मॉनिटरिंग प्लेटफार्म में विभिन्न आईटी मॉड्यूल का उन्नयन और एकीकरण।
4. डीजल चोरी को रोकने के लिए प्रणाली में सुधार हेतु उपाय।
5. बीसीसीएल में संवेदनशील पोस्टिंग अवधि के लिए एसएपी में अलर्ट जनरेशन।
6. सैप में कंपनी आवास/तिमाही विवरण अद्यतन करना।
7. कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की स्कैनिंग और ईआरपी के एचआर मॉड्यूल में अपलोड करना।

ख.) दण्डात्मक सतर्कता

वर्ष 2023-24 के दौरान जांच के लिए उठाए गए मामलों के विवरण की समेकित स्थिति निम्नलिखित है:-

जांच हेतु लिए गए मामलों की संख्या			06	
वैसे मामले जिनकी जांच पूरी नहीं हुई			06	
अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाये गए मामलों की संख्या			मामले	व्यक्ति की संख्या
	i)	बड़ा	04	07
	ii)		03	04
संपन्न विभागीय जांच			मामले	व्यक्ति की संख्या
			05	05
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जुरमाना लगाया गया है			मामले	व्यक्ति की संख्या
	i)	बड़ा	07	30
	ii)	छोटा	04	14
किए गए औचक जाँच/निरिक्षण की संख्या				29
किए गए कार्य /अनुबंध की गहन जांच				06
अभियोजन स्वीकृति की संख्या				02

उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीबीआई ने 01 बीसीसीएल अधिकारी के खिलाफ अवैध रिश्वत, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार आदि से संबंधित 01 मामले दर्ज किए हैं।

ग. निगरानी जांच

निगरानी सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना की पहचान करना और उसकी पुष्टि करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, धनबाद के परामर्श से बीसीसीएल के लिए सहमत सूची तैयार की गई थी। उक्त अवधि के संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की गई थी।

घ. सतर्कता अनापत्ति/ स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा 9863 कर्मियों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

28. बीसीसीएल में ट्रांजेक्शन ऑडिट अनुच्छेदों और सूचना का अधिकार मामलों की स्थिति

(संदर्भ: भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 24.01.2018)

क. 31.03.2024 तक लंबित भाग IIA IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	पैरा का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1	बरोरा	2017-21	1	अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप 4.9 लाख टन आर ओएम कोयले की कमी हो गयी जिसका मूल्य 58.72 करोड़ है।	जवाब प्रक्रियाधीन
2	एम एम	2014-16	2	वैट क्रेडिट का उपयोग न करने के कारण 8.71 करोड़ की परिहार्य हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन

ख. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उत्तर दिए गए भाग IIB IR पैरा और लंबित निपटान का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र /इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
1	वाशरी डिवीजनडी	2016-20	1	कच्चे कोयले की कम प्राप्ति के कारण वाशरीज बेकार पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप 14.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
2	(टी) ओपी	2020-22	1	₹94.88 करोड़ रुपए आर्थिक दंड लगाया गया।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
3	एम एंड एस	2017-20	1	स्वयं की वाशरी से लाभ का गलत निर्धारण और उपलब्ध क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप 19.52 करोड़ रुपए के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
4	एम एम	2016-17	2	एमएआरसी के लिए अनुमोदित बजट नहीं लेने, पुन निविदा देने और उच्च लागत पर क्रय आदेश प्रदान करने के कारण लागत में 78.12 करोड़ रुपए की वृद्धि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
5	डी(टी) पी एवं पी	2015-19	2	अपरिमेयकारक को ध्यान में रखते हुए मजदूरी वृद्धि की गणना के परिणामस्वरूप 13.41 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
6	डी(पी)	2013-16	1	एमओयू रेटिंग प्रदान करने के लिए डीपीई को गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण 47.89 करोड़ रूपये पीआरपी का अधिक भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

ग. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उत्तर दिए गए भाग IIB IR पैरा और लंबित निपटान का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र /इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
1	एम एंड एस	2017-20	3	(ख) कोयले की कम लोडिंग के कारण राजस्व की हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
2	डी(टी) ओपी	2017-19	3	(ख) डीजल की अधिक खपत।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
3	डी(टी) ओपी	2020-22	3	संविदा हायरिंग में एनआईटी की नियम और शर्तों का उल्लंघन।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
4	ईजे	2013-15	3	ईजे क्षेत्र के अंतर्गत सुदामडीह में साइडिंग के 5 प्रस्तावित प्लेटफार्म और घाट वाल पर कलवर्ट पीसीसी ड्रेन लो के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

क्रम सं.	क्षेत्र /इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
5	डब्ल्यूजे	2017-21	2	मूनीडीह यू/जी परियोजना के XV सीम में विकास कार्य पूरा करने में विलंब।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
6	डब्ल्यूजे	2017-21	4	कोयला उत्पादन शुरू होने में विलंब के कारण 0.91 एमटी कोयला उत्पादन की हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
7	डी (टी) पी एंड पी	2020-21	3	पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों का पालन न करना (क) ₹2.24 करोड़ के मुआवजे का भुगतान। (ख) वैध पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना जयरामपुर कोलियरी का प्रचालन। (ग) उपचारात्मक योजना के निष्पादन में देरी।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
8	पीबी	2018-22	1	ठेकेदार से गुणवत्ता कटौती की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि। (क) किराए पर लिए गोलीचक पैच की गुणवत्ता कटौती की राशि की कम वसूली के कारण हानि। (ख) घटिया श्रेणी के कोयले की आपूर्ति।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
9	पीबी	2018-22	2	प्रभार भत्ते का अनुचित भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
10	पीबी	2018-22	3	जल भराव वाली खदान से पानी निकालने के लिए पंपों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण उत्पादन बंद करना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
11	पीबी	2018-22	4	चिकित्सा और विविध प्रकार के अग्रिम का समायोजन न करना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
12	एम एम	2019-22	4	संधारित्र बैंकों की खरीद में असाधारण विलंब से ऊर्जा प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान होता है।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
13	डब्ल्यू. डब्ल्यू.जेड.	2012-14	3	हैंड पिक रिजेक्ट पर मालभाड़ा प्रभारों के भुगतान के कारण 274.98 लाख रुपए तक के राजस्व की हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

14	वाशरी डिवीजन	2016-20	1	पाथरडीह 5 एमटीपीए नई वाशरी के कम उपयोग के कारण 63.08 लाख रु का दंडात्मक विद्युत मांग प्रभार।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
15	वाशरी डिवीजन	2016-20	2	महुदा वाशरी के अनिष्टाव प्रचालन के परिणाम स्वरूप 4.43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
16	वाशरी डिवीजन	2016-20	3	सेल को घटिया श्रेणी के धुले हुए कोयले की आपूर्ति के कारण 9.36 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
17	वाशरी मुख्यालय	2011-14	2	वाशरी ऋण पर प्राप्त कच्चे कोयले का ग्रेड स्लिपेज।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
18	ब्लॉक-II	2018-22	2	संधारित्र बैंकों की खरीद में अत्यधिक विलंब के कारण 10.87 करोड़ रुपये के ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
19	ब्लॉक-II	2018-22	6	85टी डंपरों का प्री-मेच्योर सर्वे ऑफ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
20	एम एम	2017-19	5	क्षैतिज पंप सेटों की समयपूर्व विफलता।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
21	ईजे	2018-22	1	कोयला सघनता के अविवेकपूर्ण प्रयोग के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रु का अधिक भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
22	ईजे	2018-22	2	निजी ठेकेदार को 2.59 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान। ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
23	ईजे	2018-22	3	बाधाओं की अनुचित अनुमति।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
24	डी(टी) ओपी	2019-20	4	विविध अनियमितताएँ (क) बिजली शुल्क के शीघ्र भुगतान पर छूट।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
25	डी(टी) ओपी	2020-22	2	एचईएमएम अनुबंध को बंद करने में देरी से ब्याज की हानि हुई।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
26	डी(टी) ओपी	2017-19	2	एल.बी.सिंह और उनसे जुड़े व्यक्तियों के स्वामित्व वाली फर्मों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें काली सूची में डालना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
27	सीएमसी	2016-18	2	1143 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय और 297 करोड़ रुपए की ब्याज की परिणामी हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

28	सीएमसी	2018-20	3	17.20 करोड़ रुपये मूल्य के 66154 मिलियन टन कच्चे कोयले की कम प्राप्ति का गैर-समाधान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
29	कुसुंडा	2014-17	1	खान क्षमता और उत्पादन योजना के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप 179.44 करोड़ रुपये की लागत पर एचईएमएम अनुबंध दिया गया।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
30	कुसुंडा	2014-17	8	ग्रेड स्लिपेज के कारण परिहार्य हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
31	डी(टी) ओपी	2019-20	1	अपूर्ण रैपिड लॉजिंग सिस्टम के अविवेकपूर्ण संचालन के कारण रू 2.17 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
32	डब्ल्यूजे	2017-21	1	कैप्टिव पावर प्लांट का संचालन न करना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
33	डी (पी)	2016-19	5	झरिया एक्शन प्लान के तहत अग्निशमन गतिविधियों के लिए फैंड का गैर लेखांकन।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
34	डी (पी)	2016-19	7	भूमि मुआवजे के मद में भारी मात्रा में ब्याज का संचय।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
35	गोविंदपुर	2013-16	1	क्षेत्रीय स्टोर, गोविंदपुर क्षेत्र में कैपिटल स्टोर मदों का उपयोग न किए जाने के कारण 112.64 लाख रुपए की राजस्व हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
36	गोविंदपुर	2016-19	4	कोयले की कमी के कारण 91 लाख रुपए की हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
37	गोविंदपुर	2016-19	5	नवनिर्मित केंद्रीकृत कार्यालय में महाप्रबंधक कार्यालय को स्थानांतरित न करने के परिणामस्वरूप 3.48 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
38	गोविंदपुर	2016-19	6	34.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
39	गोविंदपुर	2016-19	7	98.52 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
40	सीएमसी	2018-20	4	विलम्ब शुल्क और अंडरलोडिंग/ओवरलोडिंग शुल्कों का परिहार्य भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
41	एम एम	2017-19	4	स्कैनिया टिप्पर की खरीद पर ठेकेदार को अनुचित लाभ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

42	डी(टी) पी एंड पी	2020-21	1	सीआईएसएफ बैरकों के निर्माण में अत्यधिक विलंब।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
43	डी(टी) पी एंड पी	2020-21	4	बालू खनन पट्टे का अभ्यर्पण न करना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
44	कतरास	2017-20	2	ब्रेकडाउन वाहनों पर रोड टैक्स और बीमा प्रीमियम का भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
45	कतरास	2017-20	3	मूल्य बोलियों के मूल्यांकन में अपनाई गई अनुचित प्रक्रिया।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
46	ब्लॉक-II	2018-22	5	(क)मधुबन वाशरी में कच्चे कोयले की कमी के कारण 10.65 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि। (ख)मधुबन वाशरी में कच्चे कोयले की 1.79 करोड़ रुपये की कमी।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
47	बस्ताकोला	2018-21	2	2(क) बिजली लोड फैक्टर छूट की अनुपलब्धता के कारण 2.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ अर्जित करने का अवसर चला गया। 2(ख) जमानत राशि जमा न करने पर 33.74 लाख रुपये का परिहार्य जुर्माना लगाया जाना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
48	ब्लॉक-II	2015-18	1	24.92 करोड़ रुपये की कोयले की कमी।।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
49	ब्लॉक-II	2015-18	2	पुर्जों की खरीद के लिए 35.44 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
50	कतरास	2017-20	4	विविध अनियमितताएं (क) प्राप्तियों के रूप में खान बंद करने के व्यय की अधिक बुकिंग। (ख) ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन। (ग) अग्रिमों के समायोजन में देरी।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
51	ब्लॉक-II	2018-22	1	क) विभागीय एचईएमएम का उपयोग नहीं होने के कारण 7.18 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित
52	ईजे	2018-22	5	विविध कमियां क) प्रभार भत्ते का अविवेकपूर्ण भुगतान। ख) यू/जी में श्रमशक्ति का अकारण नियोजन	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

53	डब्ल्यूजे	2017-21	5	दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र। (i) कंपनी के रिकॉर्ड से LW-35 डम्पर का गायब होना।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित

घ . 31.03.2024 तक लंबित भाग IIB IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	टिप्पणियां
1	बरोरा	2017-21	1	परिहार्य व्यय राशि ₹1.70 करोड़	उत्तर प्रक्रियाधीन है
2	बरोरा	2017-21	2	फुलारीटांड़ कोलियरी के पैच-बी में खनन कार्य में विविध विसंगतियां (क) ओबी की अनुचित डंपिंग। (ख) निजी ठेकेदार से विलंब शुल्क की वसूली नहीं होना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
3	बरोरा	2017-21	3	विविध अनियमितताएं (क) अनवेटेड कोयले की आपूर्ति। (ख) एसडीएल की ग्राउंडिंग के लिए निर्देशों का पालन न करना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
4	बस्ताकोला	2013-15	1	ठेकेदार से अतिरिक्त सेवा कर प्रतिपूर्ति की वसूली न करने के कारण 2.47 करोड़ रुपये का नुकसान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
5	बस्ताकोला	2015-18	2	कोयले की कमी के कारण 7.31 करोड़ रुपये का नुकसान ।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
6	बस्ताकोला	2018-21	1	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना बाधा मुक्त साइट प्रदान न करने से लीड घंटों में वृद्धि हो सकती है।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
7	बस्ताकोला	2018-21	3	विविध अनियमितताएं 3(क) सरप्लस मैनपावर की तैनाती। 3(ख) प्रोफेशनल टैक्स की वसूली के तहत। 3(ग) लाइसेंस फीस की वसूली के तहत ₹ 2.32 लाख रुपये ।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
8	ब्लॉक-II	2015-18	5	वाशरी को कच्चे कोयले का प्रेषण और उसे धोए गए पावर कोयले के रूप में बेचना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
9	ब्लॉक-II	2018-22	1	(क) विभागीय एचईएमएम का उपयोग नहीं होने के कारण 7.18 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
10	ब्लॉक-II	2018-22	3	कोयला परिवहन ठेकेदार को 3.54 करोड़ रुपये का अविवेकपूर्ण भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है

11	ब्लॉक-II	2018-22	4	ठेकेदार से 4.86 करोड़ रुपये की वसूली की अत्यल्प संभावनाएं।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
12	सीएमसी	2018-20	1	वेतन वृद्धि की गणना के लिए गलत कारक पर विचार करने के कारण 2.83 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
13	डी (एफ)	2012-13	7	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनकी पात्रता से अधिक आवास पर कब्जा-कम किराए की वसूली के कारण संभावित हानि।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
14	डी (पी)	2016-19	3	परियोजना विद्यालयों को घाटे से अधिक की वित्तीय सहायता के रूप में 404.18 लाख रुपये का भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
15	ईजे	2018-22	4	घटिया ग्रेड के कोयले की आपूर्ति के परिणामस्वरूप ग्रेड स्लिपेज हुआ।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
16	गोविंदपुर	2018-22	5	विविध कमियां (ग) 1.08 करोड़ रुपये के दंडात्मक बिजली मांग शुल्क का भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
17	गोविंदपुर	2019-23	1	आउटसोर्सिंग संविदा की प्रमुख बाधाओं को हल करने में विफलता के कारण पुनर्निविदा पर बचे हुए कार्य को निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
18	गोविंदपुर	2019-23	2	दो निष्क्रिय फीडर ब्रेकर होने के बावजूद ठेकेदार को 3.13 करोड़ रुपए के क्रशिंग प्रभारों का परिहार्य भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
19	गोविंदपुर	2019-23	3	भूमि अधिग्रहण न किए जाने की वजह से 67.26 लाख टन कोयला भंडारण में रोक।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
20	गोविंदपुर	2019-23	4	एचईएमएम उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों का वास्तविक जरूरतों का विश्लेषण न किए जाने के कारण संचय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
21	गोविंदपुर	2019-23	5	तीव्र लदान प्रणाली का प्रचालन न किए जाने के कारण 7.35 करोड़ रु के विलंब शुल्क/ओवरलोडिंग प्रभारों का परिहार्य भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
22	गोविंदपुर	2019-23	6	जले हुए तेल की अल्प वसूली के कारण 22.80 लाख रुपए के राजस्व की हानि।	उत्तर प्रक्रियाधीन है

23	कुसुंडा	2014-17	4	अंतर वेतन की गलत गणना के कारण 68.29 लाख रुपये का अधिक भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
24	कुसुंडा	2014-17	6	खनिक क्वार्टर के निर्माण पर 22.70 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
25	कुसुंडा	2014-17	7	एचईएमएम ठेकेदारों को 29.47 लाख रुपये का अनुचित भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
26	लोदना	2016-19	1	कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समग्र अनुबंध को विभाजित करने की गुंजाइश की तलाश न करना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
27	लोदना	2016-19	2	चूककर्ता ठेकेदार के पास ₹ 6.34 करोड़ रुपये लंबित बकाया राशि की वसूली नहीं।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
28	लोदना	2016-19	3	वेतन वृद्धि और विलम्ब शुल्क का अधिक भुगतान ₹ 4.60 करोड़।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
29	एम एंड एस	2017-20	1	कच्चे कोयले और वाशरी उत्पादों के मूल्य निर्धारण में देरी।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
30	एम एंड एस	2017-20	2	कोयले की डीम्ड डिलीवर की गई मात्रा का मिलान न करना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
31	एम एम	2017-19	3	ई-कचरे का गैर-निपटान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
32	एम एम	2019-22	2	3.69 करोड़ रुपए के हॉरिजॉन्टल पंप की अविवेकपूर्ण खरीद।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
33	सिजुआ	2015-22	2	खनन अनुबंधों का अनुचित निष्पादन (क) किए गए कार्य की मात्रा सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त भुगतान जारी करना। (ख) अनुबंध की शर्तों के विचलन में जुर्माना न लगाना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
34	सिजुआ	2015-22	4	विविध अनियमितताएं (क) डीजल की अधिक खपत। (ख) शोवेल को फिर से चालू करने की संभावनाओं की तलाश नहीं करने के परिणामस्वरूप इसका समय से पहले सर्वे ऑफ हो गया।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
35	डब्ल्यूजे	2017-21	5	दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र (ii) NHAI से भूमि मुआवजा प्राप्त न होना	उत्तर प्रक्रियाधीन है

ड. वर्ष 2023-24 के लिए आरटीआई के आंकड़े।

विवरण	सं.
प्राप्त आवेदन की सं.	2207
उत्तर दिये गए आवेदन की सं.	1862
अस्वीकृत आवेदन की सं.	55
प्राप्त अपील की सं.	297
निपटान किए गए अपील की सं.	278
नामित सीपीआईओ की सं.	16
प्रथम अपीलीय प्रधिकारण की सं.	16

➢ वर्ष 2023-24 में कोई जुर्माना या किसी अन्य प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई।

21. आरटीआई अधिनियम के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नानुसार है:-

1.अनुकंपा नियुक्ति 9.4.3, 9.4.0 तथा भूमि के बदले नियोजन योजना से संबंधित प्रश्न।
2.निविदा/एनआईटी विवरण से संबंधित।
3.पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि सेवाओं से संबंधित मामले।
4.पेंशन/सीएमपीएफ मामलों का भुगतान।
5.आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संबंधित विवरण।
6.स्थानांतरण/पोस्टिंग से संबंधित विवरण।

29. बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण ।

बीसीसीएल में नई वाशरियों का निर्माण
और
2023-24 में इस्पात क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नई पहल

➢ भारतीय धुले कोकिंग कोल मूल्य निर्धारण के लिए आयात समता तंत्र का कार्यान्वयन
  - बीसीसीएल और सेल की एक इनहाउस टीम द्वारा सरकारी क्षेत्र में पहली बार संरचित मूल्य निर्धारण तंत्र।

➢ अत्याधुनिक स्तर पर वाणिज्यिक प्रचालन। 5.0 एमटीपीए मधुबंद वाशरी, दिनांक 29.11. 2023 को भारत में सबसे बड़ी क्षमता वाली कोकिंग कोल वाशरी में से एक|

➢ 2.0 एमटीपीए दुग्दा कोल वाशरी का मुद्रीकरण – 12.03.2024 को निविदा जारी|

➢ पुरानी वाशरियों के मुद्रीकरण के लिए बीसीसीएल की यह पहल भारत में अपनी तरह की पहली पहल है जिसका लक्ष्य भारत सरकार के दृष्टिकोण - आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप इस्पात बनाने के लिए स्वदेशी धुले हुए कोकिंग कोयले के उत्पादन और खपत को बढ़ाना है।

➢ इस्पात क्षेत्र को गुणवत्ता वाले धुले हुए कोकिंग कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी मौजूदा धुलाई क्षमता को मजबूत करने की दिशा में 1.6 एमटीपीए मुनीडीह कोल वाशरी के नवीकरण के लिए कार्य प्रदान करना।

➢ बजटीय लक्ष्य (₹180.00 करोड़) की तुलना में पूंजीगत व्यय (₹178.03 करोड़) का 98.91% की उपलब्धि।

बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

- **परिचय**

➢ बीसीसीएल अपने उपभोक्ताओं (स्टील प्लांट एवं पावर प्लांट) को बेहतर गुणवत्ता वाला एवं समान आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

➢ बीसीसीएल स्वदेशी धुलाई वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

➢ बीसीसीएल नई वाशरियों को प्रतिष्ठापित कर अपनी कोयला धुलाई क्षमता को बढ़ाकर 18.6 एमटीपीए करने की योजना बनाई है।

➢ 1.6 एमटीपीए दहीबाड़ी वाशरी, 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी और 5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी को पहले ही वाणिज्यिक परिचालन में डाल दिया गया है।

➢ 03 वाशरियां बीओएम अवधारणा के तहत कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

- **बीओएम आधार पर लागू होने के लिए बनने वाली नयी वाशरियों की वर्तमान स्थिति**

  वर्तमान में, बीसीसीएल 7.0 एमटीपीए धुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए 03 वाशरियों को स्थापित करने में जुटा हुआ है। इन 3 वाशरियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वाशरी	क्षमता (एमटीपीए)	बीओएम ऑपरेटर	वाशरी चालू होने की अपेक्षित तिथि	स्थिति
1	पाथरडीह II	2.5	एसीबी (इंडिया) लि.	सितम्बर-24	40 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डिजाइन और इंजीनियरिंग, सिविल और संरचनात्मक कार्य, उपकरणों की खरीद, स्थापना आदि प्रगति पर हैं।
2	भोजूडीह	2.0	एसीबी (इंडिया) लि.	जून-24	87 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डिजाइन और इंजीनियरिंग, सिविल और संरचनात्मक कार्य, उपकरणों की खरीद, स्थापना आदि प्रगति पर हैं।
3	मुनीडीह	2.5	एसीबी (इंडिया) लि.	सितम्बर -27	निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड को 17.08.2022 को एलओआई जारी कर दिया गया है। ईसी की प्रतीक्षा।
	कुल	**7.0**			

वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

क . बी.ओ.एम. अवधारणा के तहत नयी वाशारियों का निर्माण (बिल्ड-ऑपरेट-मेनटेन)

1. एमटीपीए मधुबन वाशरी

➢ कार्यप्रदर्शन गारंटी परीक्षण पूरा हुआ।
➢ 29.11.2023 को वाशरी का वाणिज्यिक परिचालन शुरू।

2. 1.6 Mtpa मुनीडीह वाशरी का नवीनीकरण

➢ मेसर्स मेको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जेवी) को 25.01.2024 को कार्यादेश निर्गत।
➢ 30.03.2024 को अनुबंध पर हस्ताक्षर।

ख. नई वाशरियों के लिए रेलवे साइडिंग का विकास

1. 2.0 एमटीपीए भोजूडीह वाशरी

➢ सिविल कार्य पूरा : 85%
➢ ओ एच ई कार्य पूरा : 83%
➢ एस एंड टी कार्य पूरा : 87%

2. एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

➢ सिविल कार्य पूरा: 70 %
➢ ओ एच ई कार्य पूरा: 78 %
➢ एस एंड टी कार्य पूरा: 45%

3. 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

➢ सिविल कार्य पूरा: 65%
➢ ओ एच ई : 25%

नई पहल

1. बीसीसीएल की पुरानी मौजूदा वाशरियों का मुद्रीकरण

i. भारत सरकार के दृष्टिकोण - आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप इस्पात क्षेत्र को स्वदेशी कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बीसीसीएल बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 3/2022 के माध्यम से बीसीसीएल की पुरानी मौजूदा वाशरियों की 4 (चार) के मुद्रीकरण को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया था।

ii. इन 04 मौजूदा वाशरियों के मुद्रीकरण की लेनदेन योजना तैयार करने के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में मैसर्स एसबीआई कैप को काम दिया गया है।

iii. 12.03.2024 को 2.0 एमटीपीए दुग्दा वाशरी के मुद्रीकरण के लिए निविदा जारी की गई।

2. 2023-24 में बीसीसीएल –टीएसएल वाशिंग वेंचर का प्रदर्शन

वर्ष 2019-20 में एक नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित किया गया था तथा भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस्पात क्षेत्र को स्वदेशी कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ टाटा स्टील लिमिटेड की अप्रयुक्त धुलाई क्षमता का उपयोग करने के लिए संचालित किया जा रहा था - आत्मनिर्भर भारत।

2023-24 में कार्य प्रदर्शन

i. टीएसएल वाशरिज को आपूर्ति किए गए कच्चे कोकिंग कोल- 1.61 मिलियन टन।

ii. धुले हुए कोयला उत्पादों का प्रेषण: 0.843 मिलियन टन।

iii. आयात प्रतिस्थापन।

- वर्ष 2023 -24 में इस्पात संयंत्रों/देश के लिए 0.843 मिलियन टन धुले कोकिंग कोल।

- इस उद्यम ने वर्ष 2023 - 24 में बीसीसीएल द्वारा इस्पात क्षेत्र को धुले हुए कोकिंग कोयले की कुल आपूर्ति का 57% योगदान दिया|

- सेल ने इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से आपूर्ति किए गए धुले कोकिंग कोल [@ 18.5% राख स्तर] की निरंतर गुणवत्ता की सराहना की है और बीसीसीएल ने वर्ष 2023-24 तक इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से लोड किए गए प्रत्येक रैक पर बोनस अर्जित किया|

चित्र

5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी में अतिरिक्त सचिव (कोयला) और अध्यक्ष, सीआईएल का दौरा

5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी में अतिरिक्त सचिव (कोयला) और अध्यक्ष, सीआईएल का दौरा

2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी निर्माणाधीन

2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

30. **झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति**

आग, भू-धंसान एवं पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान

भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को झरिया कोलफील्ड के लिए ₹ 7,112.11 करोड़ और रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए ₹ 2661. 73 करोड़ के अनुमानित निवेश साथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धसान एवं पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए अनुमोदित किया था। इसकी कार्यान्वयन अवधि को 10+2 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो 11 अगस्त, 2021 को समाप्त हो गया।

कैबिनेट सचिव के निर्देशानुसार 25 अगस्त 2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अनुमोदन के अधीन है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पट्टाधारित क्षेत्र में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की सार- स्थिति।

आग से निपटना: झरिया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से बीसीसीएल द्वारा कोयला खदान अग्नि सर्वेक्षण/अध्ययन शुरू किया गया था। 2021-22 के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, 27 स्थानों से उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आग बुझाया जाना है। उनमें से, 16 स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया और अब वे प्रचालन में हैं। शेष 11 स्थानों से, एनआरएससी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 10 स्थानों पर आग में कमी या मामूली आग दिखाई गई है, और समग्र सतही आग क्षेत्र घटकर 1.8 वर्ग किमी तक हो गयी है। इसलिए इन स्थानों पर सरफेस ब्लैंकेटिंग से आग बुझायी जा रही है। शेष 1 स्थान पर आग बुझाने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाई गई जिसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए सीआईएल को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

पुनर्वास- मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थलों में कुल 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। सिंफर, आईएसएम, व्हिज़ मंत्रा और जेआरडीए ने 2020 में 595 साइटों का सर्वेक्षण इस प्रकार पूरा कर लिया है:

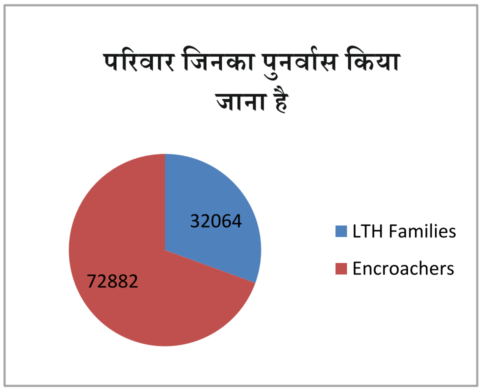

बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप "झरिया विहार" में 14874 आवासों का निर्माण किया गया है जिसमें 5035 आवास आवंटित किए गए हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों से 2813 परिवारों (गैर एलटीएच) को नए आवासों में स्थानांतरित किया गया है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए, निर्माण हेतु 15713 घरों में से 11798 घरों को मार्च 2023 तक पूरा कर लिया गया है और बीसीसीएल के 4205 कर्मचारियों को इन घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जेआरडीए को 8000 घर सौंपे जा रहे हैं।

31. **पर्यावरण एवं परिस्थितिकी**

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण प्रबंधन है, जो कंपनी के कर्मचारियों और समर्पित प्रबंधन प्रणाली के ठोस प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि कामकाजी वातावरण में परिवर्तन गतिशील हैं, इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और उसी के अनुसार पहल किया जाता है। पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यालय में एक समर्पित पर्यावरण विभाग है और सभी क्षेत्रों में इससे संबद्ध पर्यावरण इंजीनियरों को रखा गया है।

बीसीसीएल ने पर्यावरण सुधारने के लिए सतत और बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। पर्यावरणीय स्थिति/गतिविधियों का सारांश निम्न प्रकार है:-

(क) बीसीसीएल की खदानों एवं वाशरियों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति

बीसीसीएल ने एक क्लस्टर अवधारणा तैयार की है (जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिसंबर 2009 में अनुमोदित किया था) जिसके तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने और उसके प्रबंधन के लिए अपनी सभी चालू/निष्क्रिय/प्रस्तावित खदानों (पिट हेड वाशरीज सहित) को 17 क्लस्टरों में बांटा गया है।

<u>पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की स्थिति:</u>

<u>खदानेः</u>

- सभी चालू, बंद तथा प्रस्तावित खदानों के 17 क्लस्टरों की पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त है।
- क्लस्टर क्षमता को अपरिवर्तित रखते हुए व्यक्तिगत खदान की आवश्यकता के अनुसार संशोधन प्राप्त किया जाता है। कुजामा कोलियरी की क्षमता वृद्धि और बेरा, दोबारी, कुईंया और घनुडीह ओसी के एकीकरण के लिए, क्लस्टर VIII की 20% वृद्धि लागू की गई है, जिसकी अनुशंसा ईएसी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ईसी द्वारा की गई है, जिसका इंतजार है।
- 17 क्लस्टरों की कुल उच्चतम क्षमता 93.04 एमटीपीए है।

वाशरीः

- प्रत्येक 1.6 एमटीपीए की मानक क्षमता के लिए मुनिडीह वाशरी, सुदामडीह वाशरी और दहीबाड़ी वाशरी की पर्यावरणीय मंजूरी क्रमशः क्लस्टर XI, X और XVI के तहत उपलब्ध है।
- पाथरडीह कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए तथा प्रस्तावित पाथरडीह कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, मधुबन कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए, दुग्दा कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, भोजूडीह कोल वाशरी 2 एमटीपीए के लिए पर्यावरणीय मंजूरी उपलब्ध है।
- क्लस्टर XI के विस्तार के हेतु नई मूनीडीह वाशरी 2.5 एमटीपीए को शामिल करने के लिए ईसी के अनुदान के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है और विचार-विमर्श के बाद नए एडीएस उठाए गए जिनका अनुपालन किया जा रहा है। सीएमपीडीआई द्वारा क्लस्टर XI के तहत खनन योजना और क्लोजर योजना का संशोधन तैयार किया जा रहा है।

सीबीएमः

कोल बेड मीथेन परियोजना (झरिया ब्लॉक I) की ईसी प्राप्त हुई, जिसके बाद सीटीई/सीटीओ हुआ। अन्वेषण कार्य चल रहा है।

पर्यावरणीय अनुपालन :

बीसीसीएल द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी की सभी शर्तों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है और अनुपालन रिपोर्ट नियामक प्राधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जा रही है। इसे बीसीसीएल के आधिकारिक वेवसाइट पर मंजूरी पत्रों के साथ अपलोड किया जाता है।

- ईसी की शर्तों के अनुसार, जेएसपीसीबी, रांची के परामर्श के आधार पर मॉनिटरिंग लोकेशन क्लस्टर आधार पर तय की जाती है। सीएमपीडीआई, आरआई-II को खदान/वाशरियों की पर्यावरणीय निगरानी का काम सौंपा गया है।
- ईसी के तहत आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं। भूजल की निगरानी, उपग्रह आधारित भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण मानचित्रण, सड़क परिवहन को कम करके प्रदूषण में कमी आदि का काम सीएमपीडीआई को सौंपा गया है।
- एनईईआरआई, नागपुर के माध्यम से किए गए स्रोत विभाजन अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, सभी हितधारकों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा की गई है।

- बीसीसीएल के पास 13 ट्रक माउंटेड और 08 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन हैं, इसके अलावा 109 पारंपरिक वाटर स्प्रिंकलर और 18 मिस्ट स्प्रिंकलर (28 केएल) हैं।

दिनांक 13.07.2024 को माननीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा ट्रक माउंटेड फॉग कैनन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

- खदानों, साइडिंग और वाशरीज के लिए 40 ऑनलाइन पीएम10 एनालाइजर खरीदे गए, जिनमें से 39 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोर्टल से जुड़े हैं।
- 12 सीओएएक्यूएमएस की खरीद पूरी हो चुकी है। हालांकि स्थापना के दौरान, सभी इकाइयों (पीएम2.5) में एक सेंसर मानदंडों का पालन नहीं करता पाया गया। इसलिए, एनआईटी के अनुसार मामले को संसाधित किया जा रहा है।
- 01 मैकेनिकल स्वीपर की खरीद की गई है और परिचालन में है। 04 इकाइयां खरीद के अधीन हैं और 04 इकाइयां किराए पर ली जा रही हैं।

बस्ताकोला क्षेत्र में मैकेनिकल स्वीपर

- बीसीसीएल की खदानों के क्लस्टर में भूजल निगरानी के लिए स्थापित सभी 23 पाईज़ोमीटर कुओं में डीडब्ल्यूएलआर स्थापित किया गया है। खदान पंपों को डिजिटल फ्लो मीटर प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए खरीद पूरी हो चुकी है और स्थापना और कनेक्टिविटी का काम चल रहा है।
- एनआरएससी ने टाइम सीरिज कोल माइन फायर मैपिंग (थर्मल इंफ्रारेड) कर वर्ष 2014, 2018 एवं 2021 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। समय-समय पर अध्ययन किया जा रहा है।
- खानों और वाशरी के अलावा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी पर्यावरणीय मानदंडों का पालन कर रही हैं, जैव चिकित्सा नियमों के अनुसार निपटान कर रही हैं। ईटीपी सीएचडी, कोयला नगर अस्पताल, कतरास, बरोरा, बस्ताकोला, लोदना और सिजुआ क्षेत्रों में चालू है। पीबी, डब्ल्यूजे और ईजे क्षेत्र खरीदे और स्थापित किए गए और चालू किए जा रहे हैं।

केंद्रीय अस्पताल, बीसीसीएल में ईटीपी

पीबी क्षेत्र में फ्लो मीटर

- वायु प्रदूषण रोकने के लिए हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) को लगातार विकसित किया जा रहा है।

(ख) वानिकी मंजूरी:

बीसीसीएल द्वारा राज्य वन विभाग, राज्य भू-राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार वन भूमि की पहचान की जा रही है और आवश्यकतानुसार वानिकी मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

- कुईया कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में 16.49 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन के लिए चरण-I प्रस्ताव (234.08 हेक्टेयर की निरंतरता में पहले ही डायवर्ट किया जा चुका है): एमओईएफ और सीसी नई दिल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्न का अनुपालन डीएफओ, धनबाद के सहयोग से किया जा रहा है।
- मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र में 133.69 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन के लिए चरण I एफसी प्रस्ताव: नोडल ऑफिसर द्वारा उठाया गया प्रश्न, जीएम जेजे भूमि का एनओसी प्रतीक्षित है (17.01.2024 को 27.30 हेक्टेयर के लिए ₹48,19,08,919/- का भुगतान) और मुरैडीह कोलियरी के चरण I एफसी प्रस्ताव के प्रसंस्करण के लिए एफआरए प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है। जिला अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भूजल अनापत्ति प्रमाण पत्र: भू-जल अनापत्ति प्रमाणपत्रः वैधता अवधि के भीतर सभी लागू क्लस्टरों की एनओसी का नवीनीकरण। बैठक के दौरान 03 क्लस्टरों की ईएसी आयोजित की गई और एनओसी विस्तार पर सहमति बनी।

(घ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से सहमति : खदानों के सभी क्लस्टरों के सीटीओ को नवीकृत किया गया है।

(ड.) हरित पहल:

1) वर्ष 2022-23 तक, बीसीसीएल ने 1631.53 हेक्टेयर भूमि पर 34, 84,699 वृक्षारोपण (35,694 बाड़युक्त वृक्षारोपण समेत) कर जैविक सुधार का कार्य किया है।

2) 2023-24 में, 100 हेक्टेयर के ग्रीन इनिशिएटिव लक्ष्य के मुकाबले, घास लगाने सहित 100.45 हेक्टेयर कार्य पूरा हो चुका है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:

i.बीसीसीएल क्षेत्र (विभागीय) में पौधारोपण: 35.5 हेक्टेयर

ii.बीसीसीएल क्षेत्र (विभागीय) में घास लगाना: 13.1 हेक्टेयर

iii.अवक्रमित वन में पौधारोपण (राज्य वन के माध्यम से): 50 हेक्टेयर

iv.एनएच (डब्ल्यूबीएफडीसी के माध्यम से) के किनारे पौधारोपण पूरा हो चुका है: 1.85 हेक्टेयर

पारिस्थितिक पुनर्स्थापन स्थल, एबीओसीपी, ब्लॉक-II क्षेत्र

ईको पार्क

बीसीसीएल खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले स्थानीय समुदायों से जुड़ने के उद्देश्य से खनन क्षेत्रों में कंपनी द्वारा विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर प्राकृतिक वनरोपण करने के साथ-साथ कुछ विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर ईको-पार्क को भी विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने लोदना क्षेत्र में गोकुल इको-कल्चरल पार्क, कुसुंडा क्षेत्र में वृंदावन इको पार्क, कतरास क्षेत्र में पारसनाथ उद्यान, सिजुआ क्षेत्र में तेतुलमारी बायो-डाइवर्सिटी पार्क, बस्तकोला क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इको-पार्क और गोवर्धन इको-पार्क नाम से 06 इको पार्क विकसित किए हैं। इसके अलावा कोयला नगर में पंचवटी इको-पार्क विकसित किया गया है।

दिनांक 13.07.2023 को कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी द्वारा गोवर्धन ईको-पार्क, बस्ताकोला क्षेत्र का उद्घाटन

वृंदावन इको-पार्क, जीकेकेसी, कुसुंडा क्षेत्र

पारसनाथ उद्यान, एकेडब्ल्यूएमसी, कतरास क्षेत्र

गोवर्धन इको पार्क, बेरा, बस्ताकोला क्षेत्र

(छ) खदान बंदी योजना का कार्यन्वयन

- बीसीसीएल ने खदानों/खानों के समूह के लिए 56 खान बंदी योजनाएं तैयार की हैं। 56 खदानों में से 14 खदानें परिचालन में नहीं हैं, हालांकि, सालनपुर, लोयाबाद, पीबी समूह के खान और मधुबन के पुन: संचालन हेतु अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रों खाते में वार्षिक बंदी लागत को नियमित रूप से जमा किया जा रहा है और बीसीसीएल ने समापन गतिविधि कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आश्वासन के रूप में 2024-25 के लिए जमा राशि सहित खान बंदी के कार्य के कार्यान्वयन के लिए एस्क्रो खाते में प्रतिभूति जमा के रूप में दिनांक 31.03.2024 तक ₹ 711.9 करोड़ (लगभग) जमा किया है, जो बीसीसीएल के प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- वर्ष 2009 से पहले बंद / परित्यक्त / बंद खानों के संबंध में 28.10.2022 को कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बीसीसीएल ने 09 खानों के लिए पुनर्परिचालन पहल की है और अस्थायी खान बंद करने की योजना तैयार की है जिसे तुरंत फिर से चालू नहीं किया जाना है।
- सीसीओ ने ₹ 43.88 करोड़ प्रतिपूर्ति के लिए जारी कर दिए हैं, जिसमें प्रगतिशील बंदी गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के एवज में 20 खदानों के ₹ 36.415 करोड़ (दावा की गई राशि का 50%) तदर्थ प्रतिपूर्ति और 06 खदानों अंतिम भुगतान सम्मिलित है।
- खदान बंद करने के ऑडिट के दूसरे चरण के लिए, कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ज.) पर्यावरण संबंधी जगरूकता

बेहतर पर्यावरण विकसित करने हेतु बीसीसीएल द्वारा सभी स्टेक होल्डरों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) **ईको-माइनिंग परिभ्रमण (Eco Mining Tourism):** वर्ष 2016-17 से बीसीसीएल अपने खनन क्षेत्रों और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों पर ईको माइनिंग पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य कंपनी और अन्य हित धारकों के बीच खाई को पाटना तथा खनन गतिविधियों को प्रदर्शित कर कंपनी की सकारात्मक छवि बनाना और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों/ ईको पार्क को विकसित करना है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्थानों से लोग इस पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल तथा ईको-पार्क को यह जानने के लिए देखने आते हैं कि विकृत हो चुकी खनित क्षेत्रों को किस तरह से मनोरम भू-दृश्य में पुनरुद्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 में, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के लगभग 300 छात्रों ने इन इको-पार्कों का दौरा किया और कोयला क्षेत्रों में इको-पार्क विकास के रूप में बीसीसीएल द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

धनबाद पब्लिक स्कूल के छात्र

(ख) **बीसीसीएल का पर्यावरण संबंधी समाचार पत्र:** बीसीसीएल 2015 से पर्यावरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बीसीसीएल द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं, नई तकनीकों को साझा करने, बहुमूल्य जानकारी का प्रसार करने और जागरूकता का प्रचार करने के लिए मंच प्रदान करने हेतु एक पर्यावरण समाचार पत्र "पर्यावरण दर्पण" प्रकाशित कर रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वर्ष पर्यावरण दर्पण का 20वां संस्करण विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर जारी किया गया। जागरूकता के लिए समाचार पत्र को बीसीसीएल वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

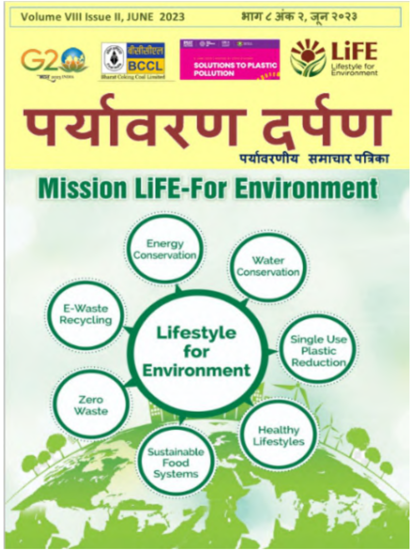

पर्यावरण दर्पण के 20वें संस्करण का विमोचन

ग) आसपास के लोगों और अन्य हितधारकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और कंपनी की पर्यावरण अनुकूल छवि बनाने के लिए, पर्यावरण विभाग और बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दिवस मनाए हैं जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व ओजोन दिवस आदि। इन अवसरों पर वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध लेखन, नारा लेखन, ओजोन परत क्षरण के बारे में जागरूकता पर प्रस्तुति आदि जैसी कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। पर्यावरण विभाग बीसीसीएल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छी प्रथाओं को भी साझा कर रहा है।

नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस केअवसर पर डीएवी, कोयला नगर में जूट बैग का वितरण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन

घ) मिशन लाइफ़: पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ़स्टाइल, भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। बीसीसीएल ने रांची में पर्यावरण और वन मंत्रालय के कार्यक्रम में भाग लिया और अपने खनन क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया।

कोयला भवन मुख्यालय में खानों में पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में विभा (VIBHA) के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसे दिनांक 11.05.2023 को श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ला (ईएसी सदस्य, कोयला खनन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) और श्री जे.के.पांडेय (मुख्य वैज्ञानिक, सीआईएमएफआर धनबाद) ने संबोधित किया।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, बीसीसीएल ने दिनांक 22.05.2023 से 05.06.2023 तक मिशन लाइफ के तहत विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की हैं, जिसमें तालाब की सफाई, जागरूकता अभियान और मिशन लाइफ प्रतिज्ञा कार्यक्रम, "प्लास्टिक के एकल उपयोग को न कहें" विषय पर जागरूकता अभियान, जूट के बैग के साथ लाल मिट्टी की बोतल का वितरण, वृक्षारोपण अभियान, कर्मचारियों के बीच पर्यावरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नारा और शपथ ग्रहण समारोह, जल संचयन की सफाई, 'कला निकेतन' की टीम द्वारा "मिशन लाइफ" के विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक, वीटीसी जागरूकता कार्यक्रम-प्रतिज्ञा, प्रस्तुति, बातचीत सत्र, प्लास्टिक सफाई अभियान, एलईडी और कपड़े के थैले का वितरण, ईंधन मुक्त परिवहन साधनों को अपनाने के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जूट बैग के साथ लाल मिट्टी का बोतल वितरण, जिसकी थीम थी "प्लास्टिक के एकल उपयोग को ना कहें"।

सिजुआ क्षेत्र के 'कला निकेतन' की टीम द्वारा "मिशन लाइफ" के विभिन्न थीमों पर नुक्कड़ नाटक

मिशन लाइफ के तहत बीसीसीएल में वृक्षरोपण गतिविधियां

घ) सभी पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ, पर्यावरण स्वीकृति अनुपालन सार्वजनिक जानकारी के लिए बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इन्हें क्षेत्रों और मुख्यालय स्तर पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। बीसीसीएल की विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन गतिविधियाँ भी बीसीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ञ.) प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

क. वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. परिवहन वाले रास्तों (हॉल रोड) पर उड़ने वाली धूल को कम करने के उद्देश्य से 109 मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, धूल को प्रभावकारी तरीके से कम करने के लिए फुहारे लगे 13 ट्रक माउंटेड फॉग कैनन तथा 08 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन लगाए गए हैं।

ii. बरोरा, ब्लॉक- II, कतरास, पूर्वी झरिया, सिजुआ,सिजुआ, कुसुंडा, बस्ताकोला क्षेत्र, पुटकी बलिहारी क्षेत्र और मुनीडीह वाशरी में व्हील वाशिंग व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

iii. सीएचपी से बाहर उड़ने वाले कोयले के धूल (कोल डस्ट) की रोकथाम के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) की घेराबंदी की जा रही है।

iv. डस्ट इक्स्ट्रैक्टर युक्त ड्रिल/गीला ड्रिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।

v. धूल उत्सर्जन की रोकथाम के लिए निष्क्रिय ओवर बर्डेन (ओबी) पर घास उगाया जाता है।

vi. वायु-गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

बीसीसीएल में फॉग कैनन

ख. जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. बीसीसीएल की विभिन्न खानों की कर्मशालाओं से निकलने वाले तेल एवं ग्रीस के रोकथाम से जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा रहा है।

ii. ओबी डंपों से गाद और सतही अपवाह से बचने के लिए ओबी डंपों के चारों ओर टो वॉल और गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है।

iii. बहते हुए तेल एवं ग्रीस के अवशेष से तेल को इकट्ठा करने के लिए अवशेष को ड्रमों में एकत्र किया जाता है और उसे एक उंची एवं पक्की जगह पर रखा जाता है और उसके बाद इसके तलछट वाले तेल को जमा किया जाता है। वाहनों एवं एचइसामग्री प्रबंधन के रखरखाव के दौरान उपयोग किए गए तेल एकत्र किए जाते हैं और इसे लीक प्रूफ ड्रम में ढक्कन बंद करके रखा जाता है। उपयोग किए गए तेल, जो हानिकारक अपशिष्ट (श्रेणी 5.1) की श्रेणी में आता है, के भंडारण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग विधिवत रूप से प्राधिकार-पत्र लिया जाता है। इस्तेमाल किये गए इस तेल को ई-नीलामी के माध्यम से अधिकृत रिसायकलरों को नीलाम किया जाता है।

iv. खदान के पानी का धूल दमन, अग्निशामक जैसे औद्योगिक उपयोग के अलावा, इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। पीने के पानी के रूप में उपयोग के लिए खदान के पानी को प्रेशर फिल्टर / रैपिड ग्रेविटी फिल्टर / स्लो सैंड फिल्टर से ट्रीट किया जाता है। खान जल के लाभकारी उपयोग के लिए सीआईएल, सीएसआर विभाग द्वारा राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार बीसीसीएल से खदान के पानी का उपयोग कर योजनाओं को लागू करेगी।

v. भूजल को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/सीआईएसएफ कैंप/बीसीसीएल क्वार्टरों में 23 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भूजल स्तर की निगरानी के लिए पीजोमीटर लगाया गया है और इसके लिए डीडब्ल्यूएलआर लगाया जा रहा है।

बरोरा क्षेत्र में पीजोमीटर और डीडब्ल्यूएलआर

ग. तेलयुक्त खतरनाक ठोस अपशिष्ट का निपटान

यह खतरनाक अपशिष्ट श्रेणी 5.2 के तहत आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिवत अनुमति लिया जाता है और इन अपशिष्टों को खास तौर पर बनाए गए शेडों में रखा जाता है और राज्य में उपलब्ध अधिकृत सार्वजनिक संग्रह एवं निपटान स्थल के माध्यम से निपटान किया जाता है।

घ. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

उपकरणों से निकलने वाली ध्वनियों को नियमित रखरखाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लास्टिंग का कार्य केवल 14:00 से 15:00 बजे के बीच, यानी पाली परिवर्तन के दौरान किए जाते हैं। कर्मचारियों को जहां भी आवश्यकता होती है वहां ईयर-मफ और ईयर-प्लग दिए जाते हैं।

ङ. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में इन-हाउस इंसीनरेटर कार्यरत है, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पतालों में बायो-मेडिकल वेस्ट का निपटान अधिकृत CBWTF के माध्यम से किया जा रहा है।

(I) **विविध:** सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल में पर्यावरण, सामाजिक और सतत गतिविधियों के लिए कोयला मंत्रालय के एसडीसी के तत्वावधान में एक सतत विकास सेल भी काम कर रहा है। बीसीसीएल द्वारा विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाया गया है जैसे एलईडी लाइट (9611), ऊर्जा कुशल एसी (94), सुपर फैन (762), ई-वाहन (23), ऊर्जा कुशल वाटर हीटर (10), ऊर्जा कुशल मोटर्स (45) और ऑटोटाइमर इन स्विच (103) की खरीद। 2023-24 में खदान से निकले 90.5% पानी (1116.04 एलकेएल) का उपयोग किया गया है।

32. सिविल

1. **बीसीसीएल कर्मचारियों को खदानों के संकटग्रस्त क्षेत्र (कोयला धारित क्षेत्र) से गैर-कोयला धारित क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत निर्मित आवासों में स्थानांतरित करना।**

क्र सं.	मास्टर प्लान के तहत निर्मित आवासों का विवरण	निर्माण स्थल	दिनांक 31.03.2024 तक अधिभोगित/ स्थानांतरित आवासों की सं.	टिप्पणी
1	एनसीबी क्षेत्रों में बीसीसीएल की विभिन्न मौजूदा कॉलोनियों में 344 इकाइयों (96 बी-टाइप और 248 माईनर्स आवासों) का निर्माण। (मास्टर प्लान बजट)	भूली- 96 बी टाइप	96	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		कोल डंप कॉलोनी, कतरास- 248 एमक्यू	248	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
2	एनसीबी क्षेत्रों में बीसीसीएल की विभिन्न मौजूदा कॉलोनियों में 344 माईनर्स आवासों का निर्माण। (मास्टर प्लान बजट)	कतरास - 360 एमक्यू	360	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		कुसुंडा - 600 एमक्यू	600	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		लोदना - 192 एमक्यू	192	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
3	बीसीसीएल की विभिन्न मौजूदा कॉलोनियों में तीन स्थलों पर मास्टर प्लान के तहत 4080 आवासों (माईनर्स आवासों) का निर्माण (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में)। (मास्टर प्लान बजट)	कतरास - 240 एमक्यूएस	240	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		मुरली नगर- 396 एमक्यूएस	396	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		जगजीवन नगर- 568 एमक्यूएस	568	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		कार्मिक नगर- 1268 एमक्यूएस	634	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		गोविंदपुर क्षेत्र- 156 एमक्यूएस	nil	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।
		कुसुम विहार- 1452 एमक्यूएस	352	शिफ्टिंग कार्य पूर्ण।

4	बीसीसीएल में एनसीबी भूमि पर पूर्वी झरिया क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, लोदना क्षेत्र, चांच विक्टोरिया क्षेत्र और बस्ताकोला क्षेत्र के अंतर्गत करमाटांड टाउनशिप में मास्टर प्लान के तहत 4020 यूनिट माईनर्स आवासों का निर्माण (प्रत्येक 12 यूनिट के ट्रिपल स्टोरी ब्लॉक में)। (मास्टर प्लान बजट)	सीवी क्षेत्र-420 एमक्यूएस	222	शिफ्टिंग कार्य प्रगति पर है।
		लोदना एरिया-360 एमक्यूएस	90	बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति अभी होना बाकी है।
		गोविंदपुर - 1428 एमक्यूएस	71	विद्युत कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है, 1116 क्वार्टर जेआरडीए को सौंपे जाएंगे।
		कोयला नगर- 1116 एमक्यूएस	nil	बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति का कार्य प्रगति पर है। 1116 क्वार्टर जेआरडीए को सौंपे जाएंगे।
		कुसुंडा - 480 एमक्यूएस	6	बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति अभी होना बाकी है।
		बस्ताकोला - 216 एमक्यूएस	nil	बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति अभी होना बाकी है।
5	एनसीबी क्षेत्र में बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों पर 2248 आवासों (बी, सी और डी - टाइप आवास) का निर्माण। (मास्टर प्लान और पूंजी बजट)	बी टाइप- 1584	242	कार्य प्रगति पर है (समापन के अंतिम चरण में), आबंटन प्रगति पर है।
		सी टाइप- 520	80	
		डी टाइप- 144	51	
6	करमाटांड मौजा में 4008 यूनिट माईनर्स आवासों का निर्माण। (पूंजी बजट)	करमाटांड - 4008 खनिकों का क्वार्टरों	nil	कार्य प्रगति पर है (समापन के अंतिम चरण में)।
	कुल पूर्ण आवासों की सं.	**15713**	**4448**	

33. जनसंपर्क

बीसीसीएल के जनसंपर्क विभाग ने नियोजित गतिविधियों को क्रियान्वित करने, ब्रांड दृश्यता बढ़ाने और हितधारक जुड़ाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे सक्रिय दृष्टिकोण और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से, हमने अपने दर्शकों के साथ सार्थक संबंधों को बढ़ावा देते हुए विभिन्न मीडिया चैनलों पर बीसीसीएल की उपस्थिति को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। हम इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और अपने उद्योग में एक अग्रज के रूप में बीसीसीएल की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

लघु प्रचार वीडियो: द्वि-मासिक योजना के बावजूद, हमने 6 के अपने लक्ष्य को पार करते हुए 19 आकर्षक प्रचार वीडियो का सफलतापूर्वक निर्माण एवं रिलीज किया है।

कोयला मंत्रालय
कोयला @CoalMinistry

कोयला मंत्रालय, मानवता की सेवा!

सुश्री सुलेखा हांसदा ने टुंडी के शिबू सोरेन इंटर कॉलेज में सीएसआर के तहत शुद्ध पेयजल सुविधा स्थापित करने के लिए बीसीसीएल को धन्यवाद दिया।
देखें

ई-न्यूज़लैटर: 12 मासिक रिलीज़ के लक्ष्य के साथ, हमने अपने दर्शकों के साथ लगातार संचार सुनिश्चित करते हुए लक्ष्य हासिल किया।

प्रेस विज्ञप्तियाँ: हमने आवश्यकतानुसार 213 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करके अपनी नियोजित मात्रा को पार कर लिया है, जो मीडिया आउटलेट्स के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाता है।

वेबिनार: सभी चार त्रैमासिक वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जो ज्ञान साझा करने और सामुदायिक जुड़ाव के लिए मूल्यवान प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम आए।

होर्डिंग्स और विशेष विज्ञापन: हमने अपने ब्रांड को 9 होर्डिंग्स और अख़बारों में 8 विशेष विज्ञापनों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए रणनीतिक स्थानों और विशेष अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करता है और पार करता है।

पत्रिकाओं/स्मारिकाओं में प्रचार विज्ञापन: 36 प्रचार विज्ञापनों का निर्माण करके, हमने अपनी नियोजित मात्रा को दोगुना कर दिया है, जिससे व्यापक पहुँच और दृश्यता सुनिश्चित हुई है।

प्रायोजन/प्रदर्शनी: 31 प्रायोजन/प्रदर्शनियों में हमारी भागीदारी ने प्रासंगिक उद्योग आयोजनों में बीसीसीएल की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, नेटवर्किंग अवसरों और ब्रांड पहचान को बढ़ावा दिया है।

शीर्ष प्रबंधन के लेख/साक्षात्कार: 5 व्यावहारिक लेखों और साक्षात्कारों के माध्यम से, हमने हितधारकों को बीसीसीएल के नेतृत्व के दृष्टिकोण और दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया है।

कर्मचारी जुड़ाव के लिए सेमिनार: संगठन के भीतर सहयोग एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तिमाही आधार पर छह सफल कर्मचारी जुड़ाव सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

सोशल मीडिया उपस्थिति: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का रणनीतिक उपयोग बीसीसीएल में हमारे जनसंपर्क प्रयासों का आधार रहा है, जिसका उद्देश्य ब्रांड दृश्यता को बढ़ाना, जुड़ाव को बढ़ावा देना और हमारे दर्शकों के साथ संबंधों को पोषित करना है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, सोशल मीडिया पर हमारे समर्पित फोकस ने सभी प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म पर उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो हमारी डिजिटल आउटरीच रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। हमने 241 सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर और प्रकाशित करके अपेक्षाओं को पार कर लिया है, जो एक सक्रिय ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बीसीसीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के फ़ॉलोअर्स की संख्या

बीसीसीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के फ़ॉलोअर्स की कुल संख्या				
	31.03.2023	31.03.2024	वृद्धि	% वृद्धि
फेसबुक	11201	12831	1630	14.55
एक्स.कॉम	14162	15162	1000	7.06
इंस्टाग्राम	9807	16411	6604	67.34
यूट्यूब	380	796	416	109.47
लिंक्डइन	-	853	-	-
कू	-	35	-	-
थ्रेड्स	-	1644	-	-

बीसीसीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के कुल फ़ॉलोअर्स की संख्या

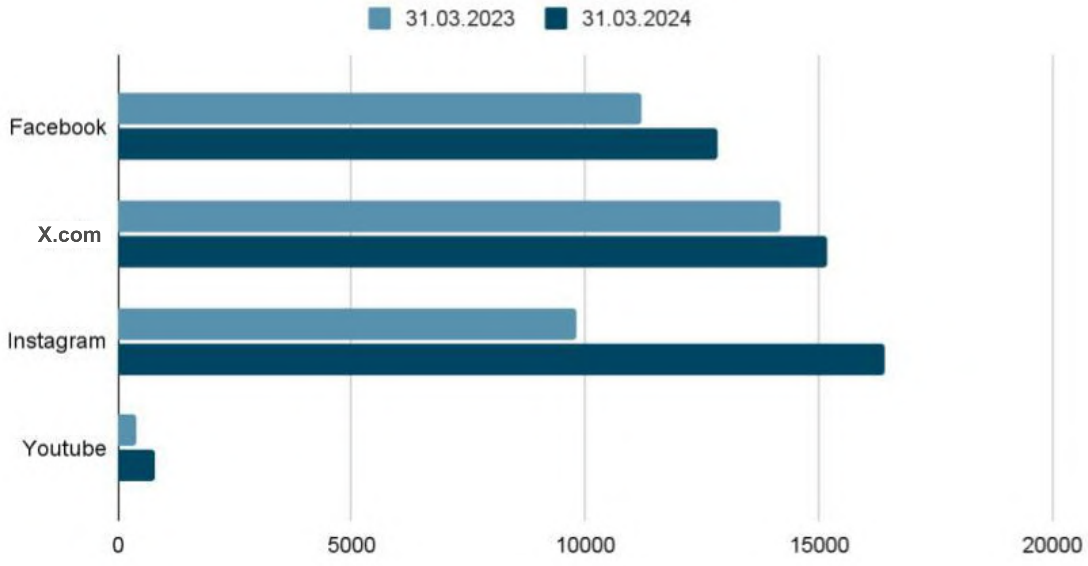

यह पर्याप्त वृद्धि इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म के अनुरूप विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट रणनीति का लाभ उठाने में हमारी निपुणता को रेखांकित करती है।

हमारे यूट्यूब चैनल ने घातांक वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें फ़ॉलोअर्स में 109.47% की चौंका देने वाली वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2023 तक 380 फ़ॉलोअर्स की मामूली शुरुआत से, हमारे चैनल पर अब 796 फ़ॉलोअर्स हैं।

फेसबुक, एक्स.कॉम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे स्थापित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हमारी मज़बूत उपस्थिति के अलावा, हमने उभरते डिजिटल स्पेस में रणनीतिक विस्तार शुरू किया है। ऑनलाइन संचार के विकसित होते परिदृश्य और हमारे दर्शकों की विविध प्राथमिकताओं को पहचानते हुए, हमने लिंक्डइन, कू और थ्रेड्स सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी उपस्थिति के विकास की पहल की है।

34. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों के भाग में टिप्पणी -2 के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणी-38 के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में -

यह पुष्टि की जाती है कि:

1. वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें से किसी भी प्रकार के भौतिक तथ्यों को नहीं हटाया गया है।
2. इस प्रकार की लेखाकरण नीतियों का चयन किया एवं उनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं एवं औचित्य पूर्ण निर्णय लिये गए है तथा प्राक्कलन तैयार किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सत्य एवं सही चित्र प्रस्तुत हो सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा उनके अनुरक्षण, धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त अन्वीक्षण हेतु समुचित एवं भरपूर ध्यान रखा गया है।
4. चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।
5. 31 मार्च, 2023 समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया है, इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है, जिनका संचालन प्रभावी तरीके से किया जाता है।
6. लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली की खोज की है, जो पर्याप्त है और जिनका संचालन प्रभावी तरीके से होता है।

35. बीसीसीएल के वार्षिक लेखा का निरीक्षण

कोल इंडिया लिमिटेड के किसी अंशधारक की मांग पर उनके निरीक्षण हेतु बीसीसीएल के कंपनी सचिवालय में वार्षिक लेखा उपलब्ध रहेगा।

36. व्हिसल ब्लोअर नीति

बीसीसीएल की व्हिसल ब्लोअर नीति लागू है। बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 24.05.2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई। वर्ष के दौरान, इस तंत्र के तहत कोई प्रकटीकरण प्राप्त होने की सूचना नहीं है।

37. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन

कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकता और उक्त अधिनियम के तहत सीआईएल की नीति के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कोयला भवन स्थित बीसीसीएल मुख्यालय सहित बीसीसीएल में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) काम कर रही है। सभी महिला कर्मचारियों (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) को उक्त नीति के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। बीसीसीएल मुख्यालय के आईसीसी सदस्य इस प्रकार हैं:

1.श्रीमती निर्मला किरण, वरीय प्रबंधक (कार्मिक), कल्याण, मुख्यालय- पीठासीन अधिकारी

2.श्री रवि कुमार, वरीय प्रबंधक (कार्मिक), विधि, मुख्यालय

3.श्रीमती अर्चना कुमारी, प्रबंधक (कार्मिक), प्रशासन, मुख्यालय

4.श्रीमती मौसमी दास, अध्यापक, डी.ए.वी. कोयला नगर

कंपनी में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लिए सकारात्मक माहौल है। उपर्युक्त विषय पर कोई भी शिकायत, "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के तहत किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई में परिणत नहीं हुई है।

38. सत्य निष्ठा समझौता का कार्यान्वयन

बीसीसीएल में सत्यनिष्ठा संधि लागू है। सत्यनिष्ठा संधि को लागू करने के लिए दिनांक 04 मार्च, 2009 को धनबाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में सत्यनिष्ठा संधि में शामिल की गई निविदाओं (वस्तुओं, सेवाओं और अनुबंधों सहित) का प्रतिशत निम्नानुसार है।

वर्ष	निविदा का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी.के तहत निविदाओं का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी. बनाम निविदाओं का कुल मूल्य को शामिल करते हुए निविदाओं का प्रतिशत
2022-23	9321.76	9025.62	96.82%
2023-24	3300.08	3060.47	92.74%

39. बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें वर्ष 2023-24 में बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई।

40. वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ए) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसार, 31 मार्च 2024 को वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://www.bcclweb.in/files/2024/04/MGT7_2324.pdf

41. धारा 149 की उपधारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा

निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2023-2 के दौरान अपनी घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

1. श्रीमती शशि सिंह
2. श्री आलोक कुमार अग्रवाल
3. श्री राम कुमार राय
4. श्री सत्यब्रत पांडा

42. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव (दक्षता सहित)

वर्ष 2023-24 के दौरान बीसीसीएल बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई

1. श्रीमती. शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक;
2. श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक;
3. श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक, और
4. श्री राम कुमार रॉय, स्वतंत्र निदेशक

उपर्युक्त नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप नियम 5 के संदर्भ में खुद को आईआईसीए के साथ पंजीकृत कराया और श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक ने वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है। श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक, और श्री राम कुमार रॉय, स्वतंत्र निदेशक, दोनों ने ही वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है।

हालाँकि, श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक को ऑनलाइन दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है क्योंकि वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनके पास 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 579 (E) दिनांक 19.08.2021 के तहत कंपनियों के नियम 6(4) (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के दूसरे प्रावधान के अनुसार ऑनलाइन दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है।

43. निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति, जिसमें धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यताएं, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामले निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं।

एमसीए ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए उपर्युक्त छूट दी थी।

44. निदेशकों, केएमपीएस और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति-धारा 178(4).

एमसीए ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए सरकारी कंपनियों के निदेशकों को उपर्युक्त छूट दी थी।

45. बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है, इसका संकेत देने वाला एक वक्तव्य।

एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए मूल्यांकन तंत्र को छूट दी थी।

46. सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा एक सहकर्मी-समीक्षित कंपनी सचिव फर्म मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा आयोजित किया था। उनकी नियुक्ति को 24 अप्रैल, 23 को आयोजित बीसीसीएल की 400वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट' एमआर-3 के रूप में प्राप्त की है और उनकी टिप्पणी की प्रतिक्रिया अनुबंध VIII में संलग्न है।

47. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2013 के नियम 2 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की स्थिति

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय लागत लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 02.09.2023 को प्रस्तुत की गई थी और उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 को एक्सबीआरएल मोड में एमसीए के साथ दायर की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेख कंपनी द्वारा बनाए और बनाए रखे जाते हैं।

आभार

कंपनी की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार खासकर कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा दिए गए अपरिमित सहयोग तथा बहुमूल्य दिशा-निर्देश के लिए आपके निदेशकगण धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण राज्य सरकार तथा इसके जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग तथा कंपनी के बहुमूल्य सहायता के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले रचनात्मक परामर्श के लिए भी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तथा उनके सतत सहयोग के लिए ऋणी है। वर्ष के दौरान जब महामारी के कारण पूरा देश किसी न किसी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में था ऐसे में कंपनी में उत्पादन तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी पूर्ण आस्था के साथ सहयोग देने वाले कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियनों को भी धन्यवाद दिया जाता है।

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्न है :

परिशिष्ट

I. सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।

II. अनुसंधान एवं विकास।

III. कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट।

IV. प्रबंधन का विश्लेषण एवं वार्ता रिपोर्ट।

V. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक।

VI. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग द्वारा लेखा की समीक्षा।

VII. .सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कृते, निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन - 08519303)

दिनांकः 22 जुलाई, 2024
स्थान – धनबाद।

अनुलग्नक-I

1. बीसीसीएल में सीएसआर की संक्षिप्त रूपरेखा

विश्व के वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में, किसी संगठन की भलाई उस समाज की भलाई पर भी निर्भर करती है जिसमें वह अपना व्यवसाय संचालित करता है। परिणामस्वरूप, व्यवसाय आज अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के लाभ अर्जित करने के तरीकों का उपयोग करने के साथ अपनी छवि को सुधारने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसायों के रूप में खुद के स्थापित करते हैं। बीसीसीएल, अपनी कोयला खनन गतिविधियों को अंजाम देने के साथ-साथ सीएसआर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो मुख्य रूप से इसके परिचालन क्षेत्रों में और इसके आसपास रहने वाले समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है।

सीआईएल ने दिनांक 08.04.2021 से अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। दिनांक 17.06.2021 को आयोजित इसकी 379 वीं बैठक में बीसीसीएल बोर्ड ने सीएसआर नीति पर विचार-विमर्श कर उसे अपनाया। सीआईएल, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ-साथ समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिदेशानुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताओं को शामिल करने के बाद तैयार की गई सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित करते समय नीति के निम्न क्षेत्रों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है:

i) भूख,गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।

ii) विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं

iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के प्रति होने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए उपाय करना।

iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने सहित गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'स्वच्छ गंगा फंड' में योगदान देना।

v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा सहित ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों, एवं स्थलों की देख-रेख करना और कला-कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रचार और विकास करना।

vi) सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

vii) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

ix)

(क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इनक्यूबेटरों को सहायता उपलब्ध कराना और

(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी); परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), औषध विभाग, आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व अन्य निकायों के अंतर्गत कार्यरत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा स्वायत्त निकायों को सहयोग प्रदान करना।

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

xi) मलिन बस्ती (स्लम क्षेत्र) का विकास।

xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

बीसीसीएल अपनी विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाज को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहने वाला एक जिम्मेदार कारपोरेट रहा पिछले साल से, बीसीसीएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास आदि से संबंधित अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने का प्रयास किया है।

बीसीसीएल अपने संचालन क्षेत्र अर्थात धनबाद जिले के साथ-साथ पूरे झारखंड राज्य में एक प्रमुख सामाजिक विकास संचालक रहा है। निम्नलिखित ग्राफ वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक बीसीसीएल के सीएसआर बजट (सीएसआर नीति के अनुसार) बनाम व्यय को दर्शाता है:-

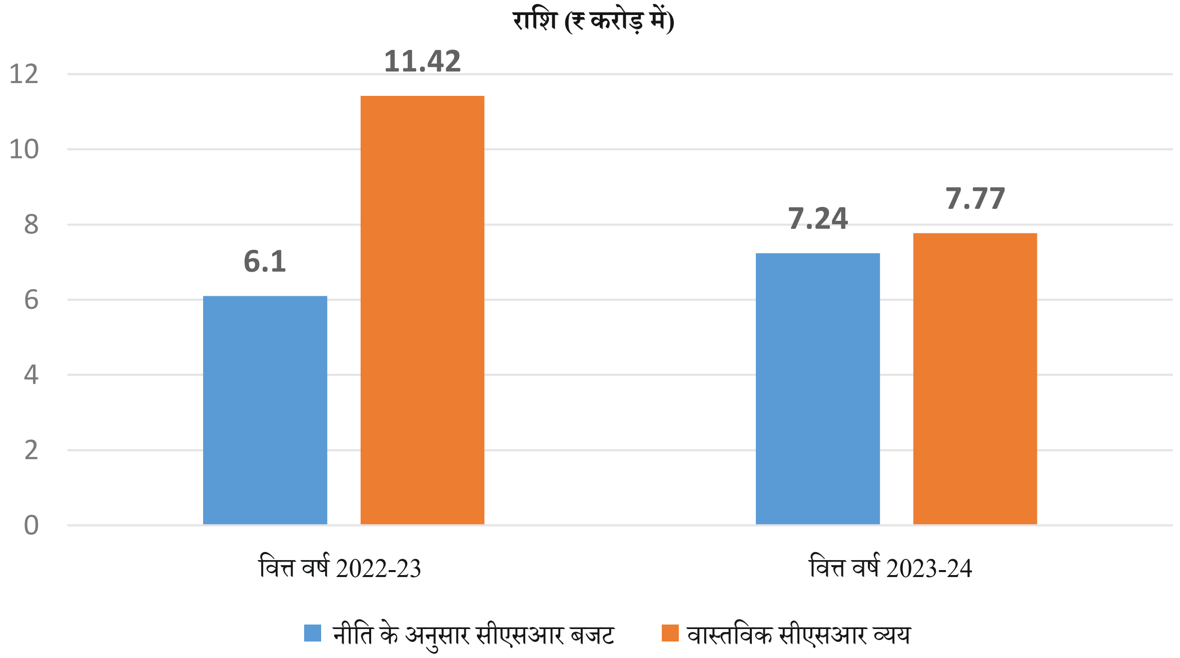

चित्र 1- वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्त वर्ष 2023-24 में सीएसआर बजट बनाम व्यय

वित्तीय वर्ष	कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर बजट (₹ करोड़ में)	नीति के अनुसार सीएसआर बजट (₹ करोड़ में)	सीएसआर बजट आवंटित (₹ करोड़ में)	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
2022-23	0	6.1	11.42	11.42
2023-24	0	7.24	*10.09	7.77

* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10.09 करोड़ के सीएसआर बजट आवंटन में से, सीएसआर बजट से ₹ 7.77 करोड़ की राशि खर्च की गई है और वित्त वर्ष 2023-24 की चल रही परियोजनाओं के लिए ₹ 2.31 करोड़ की राशि 'अव्ययित सीएसआर खाते' में जमा की गई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

क) कौशल विकास:

I. **सिपेट में युवाओं का प्रशिक्षण:** बीसीसीएल ने एक परियोजना शुरू की है, जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), रांची के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्लास्टिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान की गयी है। कुल 80 युवा सिपेट, रांची में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय ₹ 56.00 लाख है।

II. **जीडीए- एडवांस्ड:** एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत हेल्थकेयर और पैरामेडिक्स में प्रशिक्षण 120 महिला उम्मीदवारों को प्रदान किया जा रहा है; जिनमें से 80% एससी/एसटी/ओबीसी हैं। इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय ₹ 29.64 लाख है।

III. **बीएफएसआई- क्रेडिट प्रोसेसिंग अधिकारी** – बैंकिंग, वित्तीय, सेवा और बीमा क्षेत्र में आवासीय प्रशिक्षण 150 उम्मीदवारों को प्रदान किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश वंचित पृष्ठभूमि से हैं, जिस पर ₹ 41.75 लाख का व्यय होगा।

IV. **इंडो डेनिश टूल रूम के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों पर कौशल विकास प्रशिक्षण -** आईडीटीआर वाराणसी में 30 उम्मीदवारों को सीएनसी मिलिंग, रूम एयर कंडीशनर और होम अप्लायंस तकनीशियन, हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स तकनीशियन आदि ट्रेडों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें बोर्डिंग और फूडिंग सुविधाएं शामिल हैं। इसकी लागत ₹ 24.49 लाख है ।

V. **एनएसडीसी के माध्यम से एमएसडीआई केंद्र -** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से एक बहु कौशल विकास संस्थान (एमएसडीआई) की स्थापना बेलगरिया पुनर्वास टाउनशिप में की जा रही है, ताकि क्षेत्र की 60 महिलाओं को 'फैशनप्रेन्योर (परिधान + ईडीपी)' पर कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके, जिस पर ₹ 86.54 लाख की लागत आएगी।

ख) विद्यालयों को सहयोग : स्वास्थ्य और शिक्षा

I. **मिनी विज्ञान प्रयोगशालाएँ:** चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) फाउंडेशन के सहयोग से धनबाद के 05 सरकारी स्कूलों में मिनी विज्ञान प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय ₹ 22.96 लाख है।

II. **बुनियादी ढांचे का विकास कार्य:** शहीद शक्ति नाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय में ₹ 24.36 लाख की लागत से एक पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रेमीय ऋषिकेश विश्वविद्यालय, अमलाबाद, चंदनकियारी में ₹ 27.38 लाख की लागत से एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। भुनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर कॉलेज धनबाद में ₹ 8.13 लाख की लागत से पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। चेतना महाविद्यालय, सहराज गोविंदपुर (एक आदिवासी स्कूल) में ₹ 11.79 लाख की लागत से एक कॉमन रूम का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ₹ 3.6 लाख की लागत से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से खरीदे गए सैनिटरी पैड को धनबाद के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को वितरित किया गया है।

ग) वंचितों की सहायता करना:

I. **बहुउद्देश्यीय हॉल -** ₹45.34 लाख की लागत से स्थानीय लोगों के सामाजिक समारोहों, उत्सवों की सुविधा के लिए बेलगरिया के प्राघा गांव में एक बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण किया जा रहा है।

II. **पेयजल सुविधा-** ₹13.71 लाख की लागत से बरोरा क्षेत्र के दामोदा कोलियरी के अंतर्गत घुटवे गांव में जलापूर्ति सुविधा स्थापित की गई है।

2. वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर समिति की संरचना और आयोजित बैठकें

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	पदनाम/निदेशक पद कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान संपन्न सीएसआर समिति बैठकों की संख्या	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
01	श्रीमती शशि सिंह	(30/11/2021 से सदस्य के रूप में और 20/07/2022 से अध्यक्ष के रूप में बनी हुई हैं)	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	4	4	4
02	श्री संजय कुमार सिंह	27/02/2023 से 30/06/2023 तक सदस्य के रूप में	सदस्य / निदेशक (तकनीकी)	4	1	1
03	श्री उदय ए कावले	19/09/2022 से 19/12/2023 तक सदस्य के रूप में	सदस्य/निदेशक (तकनीकी)	4	3	3
04	श्री मुरली कृष्ण रमैया	17/03/2023 से सदस्य के रूप में	सदस्य/निदेशक (कार्मिक)	4	4	3
05	श्री राकेश कुमार सहाय	24/01/2024 से सदस्य के रूप में	सदस्य/निदेशक (वित्त)	4	4	4
06	श्री संजय कुमार सिंह	29/10/2023 से सदस्य के रूप में	सदस्य/निदेशक (तकनीकी)	4	2	2
06	श्री शंकर नागचारी	24/01/2024 से सदस्य के रूप में	सदस्य/निदेशक (तकनीकी)	4	1	1

क्र.सं.	सीएसआर समिति की बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थिति
01	35वीं बैठक	23.06.2023	श्रीमती शशि सिंह
			श्री उदय ए कावले
			श्री मुरलीकृष्ण रमैया
			श्री राकेश कुमार सहाय
			श्री संजय कुमार सिंह
02	36वीं बैठक	28.10.2023	श्रीमती शशि सिंह
			श्री उदय ए कावले
			श्री मुरलीकृष्ण रमैया
			श्री राकेश कुमार सहाय
			श्री संजय कुमार सिंह
03	37वीं बैठक	02.12.2023	श्रीमती शशि सिंह
			श्री उदय ए कावले
			श्री मुरलीकृष्ण रमैया
			श्री राकेश कुमार सहाय
			श्री संजय कुमार सिंह
04	38वीं बैठक	15.03.2024	श्रीमती शशि सिंह
			श्री मुरलीकृष्ण रमैया
			श्री राकेश कुमार सहाय
			श्री शंकर नागचारी (वीसी)

3. वेबलिंक - जहां सीएसआर समिति के गठन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं (वार्षिक कार्य योजना) की जानकारी कंपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है-

   Web-link - https://www.bcclweb.in/?page_id=13446

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में संपन्न सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो। - लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

   अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ₹ (246.91) करोड़ है।

शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)		
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राशि**
1	2022-23	645.01
2	2021-22	191.31
3	2020-21	(1577.06)
4	कुल	(740.74)
5	औसत	(246.91)
6	औसत का 2%	(4.94)

(ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:

अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार बीसीसीएल के औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ (4.94) करोड़ होगा।

बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है तथा सीएसआर के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की नीति का अनुपालन करती है। इसकी सीएसआर नीति के तहत बीसीसीएल नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीएसआर फंड का आवंटन करेगा:

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के लिए, सीएसआर के लिए निधि का आवंटन निम्नलिखित दो राशियों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा:

i. कंपनी अधिनियम के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%; अथवा

ii. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन ₹ 2.00 प्रति टन।

अपनी सीएसआर नीति का पालन करते हुए, बीसीसीएल ने ऊपर दिए गए बिंदु
(ii) के आधार पर सीएसआर निधियों का आवंटन निम्नानुसार किया:
वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन ---------------------------- **36.18 मिलियन टन.**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 2.00 प्रति टन कोयला उत्पादन ------------ **₹ 7.24 करोड़ (निकटतम पूर्णांक)**

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बीसीसीएल के कोयला उत्पादन के अनुसार सीएसआर बजट ---- **₹ 7.24 करोड़**
सीएसआर बजट आवंटित ---- **₹ 10.09 करोड़**

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से बाकी अधिशेष - शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित (सेट-ऑफ) की जाने वाली राशि, यादि कोई हो –

वर्ष	वर्तमान वर्ष के सीएसआर बजट से खर्च राशि (₹ करोड़ में)	पिछले वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते से खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)	कुल सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
2021-22	2.99	0.00	2.99
2022-23	8.50	1.94	10.44
2023-24	7.77	1.72	9.49
	सेट ऑफ के उपलब्ध कुल राशि		**22.92**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (क+ख-ग)**: ₹ 0 (कंपनी अधिनियम के अनुसार)**

(च) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व: **₹ 7.24 करोड़ (सीएसआर नीति के अनुसार)**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य): **₹ 7.77 करोड़।**

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]: ₹ 7.24 करोड़

(ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित (खर्च न की गयी) राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण की गई कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे उपबंध के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरण की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
7.77	2.31	30.04.2024	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो - **वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में सेटऑफ के लिए ₹ 22.92 करोड़ उपलब्ध हैं**

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
i	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	0 (नकारात्मक होना)
ii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	7.77
iii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	7.77
iv	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों, यदि कोई हो	शून्य
v	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	7.77

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	आलोच्य वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (₹ करोड़ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2022-23	2.92	1.72	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.2
2	2021-22	1.94	1.94	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
3	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है: लागू नहीं क्योंकि परिसंपत्तियों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

9. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है - लागू नहीं

ह./-
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

ह./-
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

ह./-
[अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (लाख रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	शहीद शक्ति नाथ महतो मेमोरियल हाई स्कूल में पुस्तकालय का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	24.36	23.51	0.85	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	प्राघा गांव, बेलगरिया में टैंक के निर्माण के साथ पंप की स्थापना सहित बहुउद्देशीय हॉल और गहरी बोरिंग का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	45.34	32.53	12.81	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	चेतना महाविद्यालय सहराज (जनजातीय विद्यालय) में कॉमन रूम/ हॉल का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	11.78	11.52	0.26	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	सिपेट रांची में 80 उम्मीदवारों के लिए प्लास्टिक प्रसंस्करण ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	56	44.8	11.2	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	120 उम्मीदवारों के लिए जीडीए पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	29.64	20.75	8.89	नहीं	एनएसडीसी	सीएसआर 00002914

6.	150 उम्मीदवारों के लिए बीएफएसआई पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	41.75	29.22	12.53	नहीं	प्रमिथ फाउंडेशन	सीएसआर 00002914
7.	लॉ कॉलेज, धनबाद में ऑडिटोरियम का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	47	0.00	47	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	30 उम्मीदवारों के लिए इंडो डेनिश टूल रूम के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	24.49	18.5	5.99	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	बेलगरिया पुनर्वास केंद्र में एनएसडीसी के माध्यम से एमएसडीआई केंद्र की स्थापना।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	86.54	43.27	43.27	नहीं	एनएसडीसी	सीएसआर 00005903
10.	भुनेश्वर यादव सुखदेव नारायण इंटर महाविद्यालय में संबद्ध सिविल कार्यों के साथ पुरुष और महिला के लिए अलग - अलग शौचालयों का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	8.13	7.47	0.66	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	धनबाद के 05 सरकारी स्कूलों में लघु विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	22.96	11.48	11.48	नहीं	सी आर वाई	सीएसआर 00000805
12.	प्रेमीय ऋषिकेश विश्वविद्यालय, अमलाबाद, चंदनकियारी में छात्रावास का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	27.38	15.43	11.95	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	राजकीय मध्य विद्यालय, दुबरडीह पंचायत (डब्ल्यूजे) में रसोई कक्षों का निर्माण, जल भंडारण टैंक, पेवर ब्लॉक बिछाना और विविध सिविल कार्य।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	7.23	5	2.23	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

14.	बौआं कलां (उत्तर पंचायत) बरकी बौआं, जीकेकेसी (कुसुंडा) में सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी, मार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों का विकास।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	7.31	1.28	6.03	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	दामोदा कोलियरी (बरोरा) के पास घुटवे गांव के लिए पानी की आपूर्ति पाइप लाइन प्रदान करना और इसे लगाना।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	13.71	10.14	3.57	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	कतरास स्थित राजेन्द्र बालिका उच्च विद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	13.77	3.65	10.12	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	पीबी क्षेत्र के आस-पास के गांवों में सोलर लाइट उपलब्ध कराना और इसे लगवाना।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	19.19	0.00	19.19	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	पीबी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में आरओ प्लांट प्रदान करना और लगवाना।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	1.47	0.00	1.47	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	पुटकी मध्य विद्यालय और पुटकी उच्च विद्यालय कुस्तोर मध्य विद्यालय के सरकारी स्कूलों में सीलिंग पंखे प्रदान करना और लगवाना।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	1.06	0.00	1.06	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	सीएसआर शीर्ष (बरोरा) के तहत एएमपीसी, बरोरा क्षेत्र में एलईडी आधारित सौर सड़क प्रकाश प्रणाली की आपूर्ति, फिटिंग और स्थापना के लिए प्रस्ताव।	अनुसूची VII की मद संख्या (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	18.95	0.00	18.95	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

21.	विक्टोरिया ईस्ट फ्री प्राइमरी स्कूल (पश्चिम बंगाल सरकार), लालबाजार के लिए कक्षा डेस्क और बेंच (कॉम्बो) के 30 सेट, 7 कार्यालय टेबल और कुर्सियां, और 1 स्टील अलमारी प्रदान करना।	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	2.33	1.97	0.36	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	सरायढेला पंचायत भवन परिसर, सरायढेला, धनबाद (सी सी डब्ल्यू ओ) में सामुदायिक शेड प्रदान करना और उसे ठीक करना।	अनुसूची VII की मद संख्या (iii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	5.31	3.98	1.33	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
							515.7	**284.5**	**231.2**			

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान।		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख)	कार्यान्वयन का तरीका -प्रत्यक्ष (हां/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	
				राज्य	जिला			नाम।	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि सुविधा के माध्यम से सैनिटरी पैड की खरीद और वितरण।	भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	3.60	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	कोविड-19 (बिल का निपटान)	भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	82.28	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	हर घर तिरंगा	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं।	हाँ	झारखंड	धनबाद	25.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	धनबाद के टीबी रोगियों को पोषक भोजन युक्त टोकरियाँ प्रदान करना।	भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	5.04	नहीं	सीआई एनआई	सीएसआर 00000494

		और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।							
5.	कार्य निष्पादन के डिपॉजिटरी मोड के माध्यम से नागरिक समाज की जरूरी आवश्यकताओं के रूप में शरीर, मन और सुरक्षा सहित मानव स्वास्थ्य देखभाल के लिए धनबाद जिला प्रशासन के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में सी एस आर कार्य।	भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	321.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद जिला प्रशासन के माध्यम से कार्य निष्पादन के डिपॉजिटरी मोड के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की कलाकृति/प्रतिमा का निर्माण।	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा सहित ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों, एवं स्थलों की देख-रेख करना और कला-कार्यो सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रचार और विकास करना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	5.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	प्रारंभिक कार्य हेतु शेष परियोजनाओं पर एनएसडीसी समझौता ज्ञापन साइनिंग अमाउंट।	विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं।	हाँ	झारखंड	धनबाद	36.50	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	2023-24 की कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण हेतु कंबलों की खरीद।	भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	10.65	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

9.	गोविंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल इनटेक स्थल धर्माबांध जल उपचार संयंत्र से आला देवघरा गांव तक 100 मिमी व्यास डीआई पाइप बिछाना।	भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।	हाँ	झारखंड	धनबाद	3.76	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल						**492.83**			

परिशिष्ट-II

वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसंधान और विकास (आरएंडडी)

कोयला मंत्रालय / सीआईएल द्वारा वित्तपोषित बीसीसीएल के कमांड क्षेत्र में एस एंड टी/आर एंड डी परियोजनाओं की स्थिति

1. अनुसंधान एवं विकास विभाग

1.1 पूर्ण हुई अनुसंधान एवं विकास परियोजना

1.1.1 <u>शीर्षक:</u> भूभौतिकीय तकनीक का उपयोग करके भूमिगत कोयला खदानों में दुर्गम पुराने कार्यों में खनन प्रेरित उप-सतही गुहाओं और जलभराव वाले क्षेत्रों के कारण होने वाले खतरों का अध्ययन।

कार्यान्वयन एजेंसी (पीआई): प्रो. संजीत कुमार पाल, एसोसिएट प्रोफेसर और अनुप्रयुक्त भूभौतिकी (एजीपी) विभाग के प्रमुख, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद।
कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमपीडीआईएल, ईसीएल और बीसीसीएल।
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई: 10.06.2023
कोयला मंत्रालय की एसएंडटी योजना के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना: ₹199.96 लाख

परियोजना का उद्देश्य:

1. भूमिगत कोयला खदानों में उप-सतह गुहिकायों या आग प्रभावित क्षेत्रों के कारण क्षेत्रों की अस्थिरता के जोखिम का आकलन, जिससे जमीन के नीचे खड्डे, धंसाव या अचानक ढहने का खतरा होता है, साथ ही दुर्गम/संदिग्ध स्थानों पर जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी के अचानक आने का जोखिम भी शामिल है।
2. भारतीय कोयला खदानों में पुरानी और परित्यक्त भूमिगत कार्यप्रणाली के दुर्गम स्थानों में जलभराव वाले क्षेत्रों की उपस्थिति की जांच और पहचान।
3. अत्याधुनिक तकनीकों और प्रोटोकॉल का उपयोग करके खदानों में उप-सतह गुहाओं या आग और पानी के प्रवेश के कारण अस्थिर क्षेत्रों से जोखिम को कम करने के लिए दिशा-निर्देश विकसित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर, निम्नानुसार अध्ययन किए गए:

1) बागदीगीह कोलियरी, लोदना क्षेत्र में कोयले की आग के कारण अस्थिर क्षेत्रों का मानचित्रण/चित्रण और लक्षण वर्णन।

निष्कर्ष और दिशा-निर्देश:

क) चुंबकीय और प्रतिरोधकता विधि के तुलनात्मक विश्लेषण से आग से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों का पता चलता है। अध्ययन क्षेत्र की प्रतिरोधकता प्रोफ़ाइल में कुल छह प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसके साथ चुंबकीय डेटा प्राप्त किया गया है।

ख) ईआरटी और माइक्रो-मैग्नेटिक सबसे उपयुक्त विधियाँ हैं, वरीयता क्रम में दी गई है 1) ईआरटी, 2) माइक्रो-मैग्नेटिक

ग) चूँकि कोयला आग क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए भूकंपीय, जीपीआर और माइक्रो-ग्रेविटी विधियाँ हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोयला आग के कारण होने वाला धंसाव बहुत आम है।

2) जोगिडीह कोलियरी, गोविंदपुर क्षेत्र-III, चांदमारी 9 पिट कोलियरी (यूजी), बस्ताकोला क्षेत्र में पुराने और परित्यक्त भूमिगत कार्यों के दुर्गम स्थान में जल जमाव वाले क्षेत्रों का मानचित्रण/चित्रण और लक्षण वर्णन।

निष्कर्ष और दिशा-निर्देश:

क) ईआरटी और स्व-संभाव्य (एसपी) विधियाँ इस अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

ख) प्रतिरोधकता के तीन मानक सरणियाँ वेनर-श्लमबर्गर, डिपोल-डायपोल और पोल-पोल सरणी का उपयोग छिपे हुए पानी के जमाव के लिए किया जा सकता है जो पहुंच से बाहर प्रतिकूल भूवैज्ञानिक या संपपिट स्थान पर हो।

ग) गैलरी छत या कोयला अवरोध से पानी के रिसाव का पता लगाने के लिए स्व-संभावित (एसपी) सर्वेक्षण अत्यधिक पसंद किया जाता है।

1) चूंकि, इलेक्ट्रो-काइनेटिक क्षमता का इसका सिद्धांत तकनीकी रूप से रिसाव के लिए उपयुक्त है और इलेक्ट्रो-काइनेटिक क्षमता में अंतर के कारण वोल्टेज विकसित होता है।

2) यह आकार में छोटा, पोर्टेबल और डेटा अधिग्रहण के लिए आसान है।

घ) भूकंपीय सर्वेक्षण, जीपीआर हाइपर स्टैकिंग 200 और माइक्रो-मैग्नेटिक सर्वेक्षण इस अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

1.2 बीसीसीएल में चलायी जा रही कोयला मंत्रालय / सीआईएल की एस एंड टी/आर एंड डी परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना चालू होने की तिथि	परियोजना पूरा होने की तिथि	कुल अनुमोदित लागत (रु. लाख में)	स्थिति
क.	सीआइएल अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजना				
1	शुष्क और रासायनिक बेनिफेसीकरण के माध्यम से निम्न श्रेणी के भारतीय कोयले का उन्नयन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/02/09/2021 **कार्यान्वयन एजेंसी :** आईआईटी खडगपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2024	**₹144.30** आई आई टी खडगपुर - ₹ 121.89 सीएमपीडी आईएल ₹ 22.41	आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य कोयले के स्थूलतर आकार के लिए शुष्क सज्जीकरण प्रौद्योगिकी (एयर डेंस मीडियम फ्ल्युडाइज्ड बेड सेपरेटर) विकसित करना है, इसमें स्वच्छ कोयले की अधिकतम प्राप्ति और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए बारीक कणों को फ्रोथ फ्लोटेशन के साथ उपचारित किया जाएगा। बीसीसीएल में समर्थित: **30.10.2020** सीआइएल से अनुमोदित **24.09.2021** - बीसीसीएल से नमूना एकत्र किया गया।
2	कार्बन मूल्यों के प्रतिलाभ के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडलिंग और बारीक कण (फाइन्स) का प्रभावी उपयोग परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/02/11/ कार्यान्वयन एजेंसी : एनएमएल, जमशेदपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2023	**₹ 144.02** एनएमएल जमशेदपुर - ₹ 126.52 सी एम पी डी आइ एल- ₹ 14.50	आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य है:- i. कोकिंग कोल वाशरियों के मिडलिंग से लगभग 18% राख पर धुले कोयले की प्राप्ति की संभावना का पता लगाना ii. कार्बन रिकवरी को बढ़ाने के लिए 18% राख वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोसेस फ्लोशीट विकसित करना बीसीसीएल समर्थित: 18.02.2021 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -परियोजना के पहले चरण के लिए पाथरडीह वाशरी, बीसीसीएल से नमूने एकत्र किए गए। **- परियोजना रिपोर्ट का मसौदा सीएमपीडी आईएल को जमा किया गया।**

3	माडलिंग और सिम्युलेशन विश्लेषण के माध्यम से सीआइएल के अंतर्गत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/02/10/2021 कार्यान्वयन एजेंसी : एनएमएल, जमशेदपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2023	**₹ 264.04** एन एम एल जमशेदपुर ₹ 169.54 सीएमपीडी आइएल ₹ 94.50	परियोजना का उद्देश्य कोयला धुलाई, सिम्युलेशन विश्लेषण करने और कोल वाशिंग संयंत्र की दक्षता में सुधार के लिए इष्टतम मानदंडों का अनुमान लगाने में इकाई संचालन (क्रशिंग, क्लासीफिकेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन) के लिए स्टेडी स्टेट प्लांट स्केल मॉडल विकसित करना है। बीसीसीएल समर्थित: 18.02.2021 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -परियोजना के लिए मुनीडीह वाशरी को चुना गया है। -मसौदा परियोजना रिपोर्ट जमा की गयी।
4	जैव-स्कंदक का उपयोग करके कोल वाशरी उत्प्रवाह से महीन कणों को पृथक करना और प्राप्त करना परियोजना कोड: सीआईएल/ आरएंडडी/ 02/13/2022 **कार्यान्वयन एजेंसी:**आईआईटी आईएसएम, धनबाद	15 मार्च, 2022	14 मार्च, 2024	**₹ 54.87** आइआइटी आइएसएम ₹ 54.87 बीसीसीएल-शून्य	इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे अपशिष्ट का उपयोग करना है जिसमें अन्य अशुद्धियों के साथ -साथ कोयले के कणों की उच्च सांद्रता होती है। यदि कोयला चूर्ण पुन: प्राप्त हो जाता है तो यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि सफाई क्षमता में भी सुधार होगा और अतिरिक्त ताजे पानी का प्रयोग कम होगा। बीसीसीएल समर्थित: 25.06.2021 सीआइएल से अनुमोदित- 06.09.2021 -नमूने मुनीडीह तथा दहीबाड़ी कोल वाशरी वाशरी बीसीसीएल से एकत्र किए गए |

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना चालू होने की तिथि	परियोजना पूरा होने की तिथि	कुल अनुमोदित लागत (रु. लाख में)	स्थिति
ख.	**एमओसी एस एंड टी परियोजना**				
1.	कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के संवेदनशील और चुनिंदा अन्वेषण के लिए मल्टीवाल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स (एमडब्ल्यूसीएनटी) का वृत्रिमूलक एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक डिपोजिशन **परियोजना कोड :** एमटी -177 **क्रियान्वयन एजेंसी:** अमेटी यूनिवर्सिटी	15 अक्टूबर, 2022	14 अक्टूबर, 2024	**₹ 41.39** अमेटी - **₹41.39** बीसीसीएल-शून्य	परियोजना का उद्देश्य कोल माइन मीथेन (सीएमएम) की संवेदनशील और चयनात्मक पहचान के लिए एक मल्टीवॉल कार्बन नैनोट्यूब (एमडब्ल्यूसीएनटी) विकसित करना है| बीसीसीएल समर्थित : **10.02.2022.** एमओसी से अनुमोदित : **12.10.2022** - संस्थान में एमडब्ल्यूसीएनटी आधारित नैनोकम्पोजिट्स का संश्लेषण और लक्षणीकरण किया जा रहा है।

2.	CO_2 कैप्चर करने के लिए के लिए छिद्रपूर्ण अवशोषक विकसित करने के लिए कोल गैंग का उपयोग। क्रियान्वयन एजेंसी: आईआईटी, कानपुर।	23 दिसंबर, 2022	22 दिसंबर, 2024	**₹ 84.73** आई आई टी कानपुर - ₹ 84.73 बीसीसीएल- शून्य	परियोजना का उद्देश्य कोल गंगू का उपयोग करके कम लागत वाले छिद्रपूर्ण ठोस शोषक और कार्बन कैप्चर के लिए उपयुक्त रासायनिक संशोधक का विकास करना है। बीसीसीएल समर्थित: **26.07.2022.** एम ओ सी से अनुमोदित **23.12.2022.** - नमूने बीसीसीएल से एकत्र किए गए हैं।

1.3 आर एंड डी परियोजना जहां बीसीसीएल के लिए समर्थन पत्र प्रदान किया गया है तथा सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा है-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तावक	बीसीसीएल द्वारा समर्थित
1	**एस एंड टी परियोजना:** कोयला धुलाई विशेषताओं, उत्कृष्ट कोयला प्लवनशीलता और नैनोबबल प्रौद्योगिकी द्वारा सतत अपशिष्ट उपचार के बैच अध्ययन।	आईआईटी-रोपड़	31.05.2023
2	**एस एंड टी परियोजना:** आर्थिक व्यवहार्यता और बढ़ी हुई दक्षता के लिए ड्रिल, रोड हेडर और शियरर्स के घिसे हुए पिक्स की रेट्रोफिटिंग।	आईआईटी, आईएसएम	22.06.2023
3	**एस एंड टी परियोजना:** खुली खदानों में बेंच फायर का दूर से आकलन और उससे निपटने के लिए सहयोगी रोबोटिक प्रौद्योगिकी का विकास।	सीएसआईआर-सिंफर सीएसआईआर – सीएमईआरआई	22.06.2023
4	**एस एंड टी परियोजना:** बड़े पैमाने पर भू-तकनीकी भरण अनुप्रयोगों के लिए कोल टेलिंग एक्सट्रैक्ट्स (सीटीई) की पुनः प्रयोज्यता का मूल्यांकन	आईआईटी-धारवाड़	19.10.2023
5	**एस एंड टी परियोजना:** ऊर्जा संचयन और गैस बेस सेंसर अनुप्रयोग के लिए कोयला व्युत्पन्न मूल्यवर्धित कार्बनयुक्त नैनोमटेरियल	सीएसआईआर-सीएमईआरआई दुर्गापुर	02.01.2024
6	**एस एंड टी परियोजना:** पर्यावरणीय और परिचालन लोडिंग के तहत कोयला खदानों के अपशिष्ट/ओवरबर्डन डंप बेंचों के स्वास्थ्य आकलन के लिए ट्विन-आधारित एसपीएच (स्मूथेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स) मॉडलिंग और एकीकृत निगरानी प्रणाली।	आईआईटी, रुड़की आईआईटी-आईएसएम, धनबाद	13.01.2024
7	**एस एंड टी परियोजना:** कोयला उद्योग के लिए पायलट 5 जी अनुप्रयोग और उपयोग मामलों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।	टेक्समिन, आईआईटी (आईएसएम)	21.02.2024
8	कोयला खनन क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव समुदाय का उपयोग करके खनन के बाद त्वरित सुधार पर अध्ययन।	सीएसआईआर-सिंफर	05.03.2024

1.4 विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित, अनुसंधान एवं विकास का अध्ययन करने के लिए बीसीसीएल से ली गई अनुमति-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान	बीसीसीएल से समर्थन पत्र
1	सीबीएम उत्पादन से संबंधित कोल बेड पारगम्यता गोंडवाना के भारतीय कोयले के लिए लागू है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है आई आईएसईआर भोपाल	आइआइएसईआर भोपाल	06.11.2023

1.5 ओवर बर्डन से रेत निकालने वाले संयंत्र के प्रतिष्ठापन की स्थिति:

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कोल कंपनियों को ओबी के लाभकारी उपयोग के लिए निदेश दिए हैं। इस संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी अनुषंगियों में ओबी से रेत निकालने वाले संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बीसीसीएल के दामोदा ओसीपी, बरोरा क्षेत्र में ओबी से रेत संयंत्र लगाने के लिए साइट के रूप में चयन किया गया है:-

सीएमपीडीआइएल द्वारा बिल्ड ऑपरेट (बीओ) के आधार पर एक मॉडल एनआइटी तैयार किया गया था, जिसे सीआइएल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा दिनांक 01.02.2022 को बीसीसीएल को सूचित किया गया था। मॉडल दस्तावेज को कस्टमाइज किया गया एवं बीसीसीएल उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया गया था।

दिनांक 12.12.2022 को "बिल्ड-ऑपरेट (बीओ) अवधारणा पर दामोदा ओसीपी, बरोरा क्षेत्र, बीसीसीएल में 1.10 एमटीपीए ओबी थ्रूपुट क्षमता के रेत/एग्रीगेट पृथक्करण संयंत्र (ओबी से रेत/एग्रीगेट) की स्थापना" के लिए एनआईटी जारी की गई थी।

दिनांक 28.01.2023 बोली को खोली गई।
एक ही पार्टी ने भाग लिया यानी इंड2इंड ऊर्जा सॉल्यूशन प्रा.लिमिटेड।

एलओए दिनांक 21.04.2023 को जारी किया गया है।
दिनांक 26.06.2023 को कार्यस्थल सौंपा गया और कार्य आदेश जारी किया गया।
वैधानिक मंजूरी का कार्य प्रगति पर है।

अनुलग्नक-III

कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023-24 पर रिपोर्ट

1. **कॉरपोरेट दर्शन**

   बीसीसीएल विधि, नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर मूल्य, नैतिक व्यवहार पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए वचनबद्ध है।

2. **निदेशक मंडल**

   बीसीसीएल के संस्थागत अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के खंड 31 (ग) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या दो से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है।

3. **बोर्ड का गठन**

   31 मार्च 2024 तक, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, 4 कार्यात्मक निदेशक, 2 गैर-कार्यकारी निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

4. **बोर्ड की बैठक:**

   वर्ष 2023-24 के दौरान 10 (दस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई,जो इस प्रकार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठकों की सं.	बैठक की तारीख
01	399वीं बैठक	10.04.2023
02	400वीं बैठक	24.04.2023
03	401वीं बैठक	02.06.2023
04	402वीं बैठक	23.06.2023
05	403वीं बैठक	21.07.2023
06	404वीं बैठक	05.08.2023
07	405 वीं बैठक	02.09.2023
08	406वीं बैठक	29.10.2023
09	407 वीं बैठक	02.12.2023
10	408 वीं बैठक	24.01.2024

वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड बैठकों और एजीएम की उपस्थिति का विवरण निम्न है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	गत वार्षिक आमसभा में उपस्थित रहे या नहीं
1	श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	10	हाँ
2	श्री आनंदजी प्रसाद	सरकारी निदेशक	10	हाँ
3	श्री देबाशीष नंदा	सरकारी निदेशक	10	हाँ
4	श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10	हाँ
5	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	10	हाँ
6	श्री सत्यब्रत पांडा	स्वतंत्र निदेशक	10	हाँ
7	श्री राम कुमार राय	स्वतंत्र निदेशक	10	हाँ

8	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक	04	नहीं
9	श्री उदय ए कावले	निदेशक	09	हाँ
10	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	निदेशक	09	हाँ
11	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक	03	नहीं
12	श्री राकेश कुमार सहाय	निदेशक	09	हाँ
13	श्री शंकर नागचारी	निदेशक	01	नहीं

टिप्पणी: बीसीसीएल के सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने निदेशक (वित्त, अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 01 बोर्ड बैठक में भी भाग लिया है और श्री उदय ए कावले ने वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक (तकनीकी / पी एंड पी, अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 03 बोर्ड बैठकों में भी भाग लिया है।

5. लेखा परीक्षा समिति:

(क) गठन

बीसीसीएल के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के अनुसरण में किया गया है। बीसीसीएल की लेखापरीक्षा समिति में पाँच स्वतंत्र निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक, एक कोल इंडिया से नामित निदेशक और एक सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति का अध्यक्ष होता है। 31 मार्च 2024 तक, लेखा परीक्षा समिति (बीसीसीएल निदेशक मंडल की एक उप-समिति) में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	स्थिति
1	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष
2	श्री आनंदजी प्रसाद	सदस्य
3	श्री देबाशीष नंदा	सदस्य
4	श्रीमती शशि सिंह	सदस्य
5	श्री सत्यब्रत पांडा	सदस्य
6	श्री राम कुमार राय	सदस्य
7	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य
8	श्री शंकर नागचारी	सदस्य

ख) लेखा परीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र:

i) कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;
ii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी;
iii) वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट;
iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
v) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
vi) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;
vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

ग. लेखा परीक्षा समिति की बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की आठ बैठकों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं .	लेखापरीक्षा समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
1	138वीं बैठक	10.04.2023
2	139 वीं बैठक	24.04.2023
3	140 वीं बैठक	23.06.2023
4	141 वीं बैठक	21.07.2023
5	142 वीं बैठक	02.09.2023
6	143 वीं बैठक	29.10.2023
7	144 वीं बैठक	02.12.2023
8	145 वीं बैठक	24.01.2024

सदस्यों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की बैठक में भाग लिए जाने का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष	08
2	श्री आनंदजी प्रसाद	सदस्य	08
3	श्री देबाशीष नंदा	सदस्य	08
4	श्रीमती शशि सिंह	सदस्य	08
5	श्री सत्यब्रत पांडा	सदस्य	08
6	श्री राम कुमार राय	सदस्य	08
7	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	03
8	श्री उदय ए कावले	सदस्य	07
9	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	03
10	श्री शंकर नागचारी	सदस्य	01
टिप्पणी: श्री मुरलीकृष्ण रमैया, निदेशक (का.) ने आमंत्रित सदस्य के रूप में लेखापरीक्षा समिति की 02 बैठकों में भाग लिया। श्री राकेश कुमार सहाय, डी(एफ) ने स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में लेखापरीक्षा समिति की 07 बैठकों में भाग लिया।			

6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 15.03.2024 (शुक्रवार) को स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गयी।

7. व्हीसिल ब्लोअर नीति :

बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 24.05.2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया। परन्तु दिनांक 18.06.2022 को आयोजित बीसीसीएल की 390 वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल की संशोधित व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुरूप इसे संशोधित और अनुमोदित किया गया है। नई नीति बीसीसीएल की वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है|

8. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई:

क्र. सं .	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक	बैठक की तारीख
1	11वीं बैठक	24.04.2023
2	12वीं बैठक	21.07.2023
3	13वीं बैठक	06.10.2023
4	14वीं बैठक	15.03.2024

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री सत्यब्रत पांडा	अध्यक्ष	04
2	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	01
3	श्री उदय ए कावले	सदस्य	03
4	श्री राकेश कुमार सहाय	सदस्य	04
5	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	सदस्य	04
6	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	00
7	श्री शंकर नागचारी	सदस्य	01

9. **अधिकार प्राप्त उप-समिति:**

(क) ईएससी (टी) की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ईएससी (टी) की पाँच बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्न है:

क्र. सं .	ईएससी (टी) की बैठकों की सं.	बैठक की तारीख
1	32 वीं बैठक	02.06.2023
2	33 वीं बैठक	05.08.2023
3	34 वीं बैठक	28.10.2023
4	35वीं बैठक	02.12.2023
5	36 वीं बैठक	11.01.2024

ईएससी (टी) की बैठक में भाग लेने वाले का सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री आनंदजी प्रसाद	अध्यक्ष	05
2	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	सदस्य	05
3	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	01
4	श्री उदय ए कावले	सदस्य	04
5	श्री राकेश कुमार सहाय	सदस्य	05
6	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	03

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

सीएसआर समिति की बैठक और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई थीं:

क्र. सं.	ईएससी (टी) बैठक की संख्या	बैठक की तिथि
1	35वीं बैठक	23.06.2023
2	36वीं बैठक	28.10.2023
3	37वीं बैठक	02.12.2023
4	38वीं बैठक	15.03.2024

सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्रीमती शशि सिंह	अध्यक्ष	04
2	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	01
3	श्री उदय ए कावले	सदस्य	03
4	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	सदस्य	03
5	श्री राकेश कुमार सहाय	सदस्य	04
6	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	02
7	श्री शंकर नागचारी	सदस्य	01

11. आम सभा की बैठक:

पिछले 3 वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय और स्थान इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	बैठक स्थल
2022-23	21.07.2023	10.30 पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2021-22	26.07.2022	10.30 पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2020-21	04.08.2021	10.00 पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

12. बीसीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न :

बीसीसीएल के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड और उसके नॉमिनी के पास हैं।

13. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत नियम (8)(5)(iiiक) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक का विवरण:

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई:

1.श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक;
2.श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक;
3.श्री सत्यव्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक; तथा
4.श्री राम कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप-नियम 5 (iiiक)के संदर्भ में, 01.12.2019 को यथा संशोधित, बोर्ड की राय है कि वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक के पास कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता, सत्यनिष्ठा और अनुभव है।

उपर्युक्त नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने खुद को आईआईसीए के साथ पंजीकृत कर लिया है, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 6 की उप-धारा 1 (ख) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा में उपस्थित होना / उत्तीर्ण होना बाकी है।

18.12.2020 तक संशोधित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ उप नियम 4 के अनुसार, श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक ने 2022-23 के दौरान 10 मार्च 2023 को IICA द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री सत्यव्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक और श्री राम कुमार रॉय, स्वतंत्र निदेशक ने 2023-24 के दौरान IICA द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की।

हालांकि, श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक, को ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है क्योंकि वह एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 579 (ई) दिनांक 19.08.2021 द्वारा जारी कंपनी नियम 6 (4) (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता नियम) के दूसरे प्रावधान के अनुसार जिसे 10 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है, उसे ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा से छूट दी गई है।

अनुलग्नक-IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I. औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), एक मिनीरत्न कंपनी और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, भारत में कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों में कार्यशील एक प्रमुख कंपनी है। कोकिंग कोयले के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में, बीसीसीएल देश के कुछ सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में काम करती है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र, जो 273 वर्ग किमी में फैला है, और रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो 32 वर्ग किमी (झारखंड में 19 किमी^{2} और पश्चिम बंगाल में 13 किमी^{2}) में फैला है।

झरिया कोयला क्षेत्र देश में प्राइम कोकिंग कोयले का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें लोकल और परसिस्टेंट सीम समेत 40 से अधिक कोयला होरिजंस हैं, जिनमें से कुछ भारत में धातुकर्म कोयले का अनन्य भंडार हैं। बराकर कोयले के कोकिंग गुण धीरे-धीरे ऊर्ध्वाधर और पार्श्व (पूर्व से पश्चिम) में भी कम हो जाते हैं। अधिकतर सीम XVIII से IX/X प्रकृति में कोकिंग हैं और सीम VIII-C से V/IV/VII (संयुक्त सीम) कम वाष्पशील मध्यम कोकिंग कोयला (LVMC) हैं। सीम IV से I गैर-कोकिंग कोयला हैं, हालांकि कुछ ब्लॉकों में इन निचली सीम में अच्छी कोकिंग प्रवृत्ति दिखती हैं। यह उल्लेखनीय है कि सीम I झरिया कोयला क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में कोकिंग पाया गया है।

प्रारंभ में, बीसीसीएल को कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के दौरान छोटी, अव्यवस्थित भूमिगत और ओसी खदानें विरासत में मिलीं, जिन्हें पहले निजी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाता था, जिससे पुराने कामकाज में आग, धंसाव और पानी जमा हो जाता था। कोयला क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, जिनमें टाउनशिप और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित महत्वपूर्ण परिवहन नेटवर्क हैं, जो खनन कार्यों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, बीसीसीएल देश में कोकिंग कोयले के प्राथमिक उत्पादक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

01.04.2020 तक बीसीसीएल के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत कुल खनन योग्य कोयला भंडार 5.3 बिलियन टन है। इसमें से लगभग 1.60 बिलियन टन (30%) प्राइम कोकिंग कोयला है, 2.1 बिलियन टन (40%) कम वाष्पशील मध्यम कोकिंग (एलवीएमसी) कोयला है। इस प्रकार कोकिंग कोल रिजर्व कुल रिजर्व का लगभग 70% है।

वर्तमान में, बीसीसीएल द्वारा कुल कोयला उत्पादन में कोकिंग कोल की हिस्सेदारी 90% से अधिक है, लेकिन इसमें प्राइम कोकिंग कोल का केवल एक छोटा प्रतिशत है, बाकी मीडियम कोकिंग/एलवीएमसी कोयला है। सीएमपीडीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार, बीसीसीएल द्वारा उत्पादित मीडियम कोकिंग/एलवीएमसी कोयले का केवल 60-70% ही वाश करने के लिए लिहाज से किफायती है।

इस खनन योग्य भंडार का दोहन ओपन कास्ट (ओसी) विधि या भूमिगत (यूजी) विधि से किया जा सकता है। ज्यादातर, 300 मीटर तक स्थित भंडार ओसी विधि के माध्यम से दोहन के लिए उपयुक्त हैं, जबकि गहरे भंडार का दोहन यूजी विधि के माध्यम से किया जाता है।

बीसीसीएल, कोयला उत्पादन के अलावा, अपनी वाशरियों के माध्यम से कोयला धुलाई भी करता है, जो 2023-24 में इस्पात क्षेत्र को 14.66 लाख टन धुले और सीधे फीड कोयले की आपूर्ति करती है। कंपनी ने कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और दोहन के लिए दो ब्लॉकों की पहचान की है। झरिया सीबीएम ब्लॉक I वर्तमान में अन्वेषण चरण में है, जबकि झरिया सीबीएम ब्लॉक II भी जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा, बीसीसीएल ने 2025-26 तक अपनी सौर परियोजनाओं से 285 मेगावाट बिजली पैदा करके शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

II. ताकत और कमजोरी

ताकत (एस)	कमजोरी (डब्ल्यू)
• 40 मि.मी. के दायरे में कोयला संसाधनों का केंद्रीकरण। • आयात समता मूल्य से बहुत ही कम मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराने की क्षमता • सुरक्षित बाजार और स्टील निर्माण उद्योग में मांग वाले प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र स्रोत। • ऊपर स्तर में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले और नीचे स्तर में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की मौजूदगी • राख की मात्रा कम करने के लिए कोकिंग कोल की धुलाई के लिए मौजूदा वाशरी की उपलब्धता और नई बनने वाली वाशरी । • 07 मेगा परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने की योजना। • अधिकांश रिजर्व मुख्य रूप से प्रमुख भूवैज्ञानिक गड़बड़ी से मुक्त है। • झरिया मास्टर प्लान के माध्यम से कोयला युक्त क्षेत्र पर संरचनाओं को हटाने के लिए चल रही कार्रवाई। • सीएमएम और सीबीएम उत्पादन के लिए संभावित क्षेत्र/रिजर्व • ऊपरी भाग का विकास किया जा चुका। एक बार भूमि उपलब्ध होने पर, बेहतर ग्रेड के कोयले का खनन आसानी से किया जा सकता है • अच्छी सड़क/रेल कनेक्टिविटी के साथ अनुकूल भौगोलिक स्थिति • कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच बढ़ती जागरूकता, जिससे सकारात्मक मानसिकता बनती है। • उच्च राख मात्रा वाले कोकिंग कोल की धुलाई के लिए नई वाशरी स्थापित की जा रही हैं।	• अतीत में अवैज्ञानिक खनन • कोयला-धारित क्षेत्र घनी आबादी अवस्थित हैं, ज्यादातर अनधिकृत निवासियों द्वारा खनन गतिविधि की सुचारू प्रगति में बाधा उत्पन्न किया जाता है। • ऊपर घनी बस्ती होने के कारण डी-पिलरिंग ऑपरेशन के लिए डीजीएमएस की अनुमति प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। • बड़ी संख्या में विरासत में मिली छोटी यूजी खदानें मशीनीकरण के लिए बहुत मुश्किल हैं। • आग एवं जलजमाव से प्रभावित मल्टी-सीम कार्यक्षेत्र की उपस्थिति • श्रमशक्ति के तर्कसंगत पुनर्नियोजन में ट्रेड यूनियनों द्वारा उत्पन्न बाधाएं • बाहरी ओबी डंप के लिए भूमि की अनुपलब्धता • सीएस और आरएस खतियान में विभिन्न प्रविष्टियों में विसंगतियाँ, जिसके कारण अनावश्यक कानूनी परेशानी और भूमि अधिग्रहण में देरी होती है • खनन से उत्पन्न परिचालन सुरक्षा जोखिम • डीप साइड में गहरे जमा होने के कारण ओपनकास्ट की खुदाई में बाधा आती है। • पुराने भूमिगत कार्य खंभों पर खड़े हैं और या तो जल से भरे हैं या आग के नीचे हैं। इन कोयला भंडारों के निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता। • कोयला सीम का स्वतः गर्म होना

III. अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
• लंबी अवधि के लिए अपरिमित बाजार की उपलब्धता । • मास्टर प्लान के क्रियान्वयन पर जारी किए गए प्राइम कोकिंग कोल से विदेशी मुद्रा बचाने की क्षमता होगी • इस्पात क्षेत्र में कोकिंग कोयले की बाजार स्थिति अनुकूल है, जिसके परिणामस्वरूप आयातित कोयले में कमी आई है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। • रियायती खदानों का परिसंपत्ति मुद्रीकरण। • भूमि बैंक मुद्रीकरण। • सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।	• खनन उद्देश्य के लिए एलए एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने में असमर्थता। • झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में देरी, जिससे आस-पास के निवासियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है और साथ ही नीचे आग लगने से अमूल्य कोयला भंडार नष्ट हो रहा है। • आसानी से खनन योग्य कोयला भंडार समाप्त होने और निवासियों के स्थानांतरण में देरी के कारण खनन परियोजनाओं के शुरू होने में देरी हो रही है। • खनन क्षेत्र से अनधिकृत लोगों को स्थानांतरित करने में देरी।

अवसर	चुनौतियाँ
• खान पर्यटन के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने का अवसर। • कोयला आधारित मीथेन ब्लॉकों की पहचान	• अवैध खनन के कारण कोयला हवा के संपर्क में आ जाता है, जिससे स्वतःस्फूर्त दहन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। • वाशरी में उत्पन्न अपशिष्टों की बिक्री के लिए उपभोक्ताओं की कमी।

IV. खंडवार और उत्पादवार प्रदर्शन

कच्चे कोयले का उत्पादन प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान बीसीसीएल की कच्चे कोयले का उत्पादन, उत्पादकता तथा उठाव (आफटेक) प्रदर्शन:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24			गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	वास्तविक	शुद्ध	%
i)	**कच्चा कोयला (खदान के प्रकार के अनुसार)**							
	यूजी	मि.टन	0.686	1.425	0.766	53.75	0.08	11.66%
	ओसी	मि.टन	35.493	31.575	40.33	127.73	4.837	13.63%
	कुल	मि.टन	36.179	41.00	41.096	100.23	4.917	13.59%
ii)	**कोयले के प्रकार के अनुसार**							
	कोकिंग कोल	मि.टन	33.716	38.951	39.109	100.41	5.393	16.00%
	नन कोकिंग कोल	मि.टन	2.463	2.049	1.987	96.97	-0.476	-19.33%
		मि.टन	36.179	41.00	41.096	100.23	4.917	13.59%
iii)	**ओबी हटाई (आर/एच के अलावा)**	घन मी.	114.474	150.00	149.231	99.49	34.7568	30.36%
iv)	**उत्पादकता (ओएमएस)**							
	यूजी	टन	0.19	0.34	0.26	76.47	0.07	36.84%
	ओसी	टन	8.72	7.36	10.04	136.41	1.32	15.14%
	समग्र	टन	4.75	4.27	5.88	137.70	1.13	23.79%
v)	**कोयले का उठाव**	मि.टन	35.563	41.00	39.27	95.78	3.707	10.42%

कोयला धुलाई एवं वाशरी उत्पादों का कार्य प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टील सेक्टर को धुले और सीधे फीड कोयले की आपूर्ति 14.66 लाख टन तक पहुंच गई, जो 2022-23 में 14.22 लाख टन थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.09% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति 2023-24 में 48.57 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले 20 वर्षों में उच्चतम स्तर है।

(In million tonnes)

प्रकार	2023-24		2022-23		2021-22	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
उत्पादन						
धुला कोयला (सी)	2.65	1.462	1.862	1.434	1. 691	1 .209
धुला पावर कोयला	4.06	2.840	3.855	2.485	3.246	1.817
कुल	6.71	4.302	5.717	3.918	4. 937	3.026
धुले हुए कोयले की आपूर्ति		1.462		1.422		7.48

V. दृष्टिकोण

क. उत्पादन का दृष्टिकोण (प्रोडक्शन आउटलुक)

➢ बीसीसीएल ने कोयला उत्पादन में लगातार गिरावट का अनुभव किया, जो 2016-17 में 37.04 मिलियन टन से घटकर 2020-21 में 24.66 मिलियन टन रह गया। हालांकि, 2021-22 में यह गिरावट उलट गई, जिससे बाद के वर्षों में उल्लेखनीय और स्थिर वृद्धि हुई। 2021-22 में उत्पादन बढ़कर 30.51 मिलियन टन हो गया, 2022-23 में और बढ़कर 36.18 मिलियन टन हो गया और 2023-24 में 41.10 मिलियन टन तक पहुंच गया।

वर्ष 2016-17 से 2024-25 के दौरान परिकल्पित और हासिल उत्पादन वृद्धि

वास्तविक (मिलियन टन)									लक्ष्य (मिलियन टन)
प्रकार	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
यूजी	1.68	1.08	0.9	1.04	0.61	0.81	0.686	0.766	2.00
विभागीय ओसी	11.62	9.73	9.96	7.72	7.52	8.37	9.653	9.696	10.00
हायर किए गए ओसी	23.74	21.8	20.18	18.97	16.53	21.34	25.840	30.634	33.00
कुल ओसी	35.36	31.53	30.14	26.69	24.05	29.71	35.493	40.331	43.00
कुल	**37.04**	**32.61**	**31.04**	**27.73**	**24.66**	**30.51**	**36.179**	**41.096**	**45.00**

➢ **बीसीसीएल ने रणनीतिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक पहलों के माध्यम से अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाकर उत्पादन में लगातार वृद्धि हासिल की है, जिनमें शामिल हैं:**

एच-एचईएमएम (आउटसोर्सिंग) पैचों को जोड़कर अल्पकालिक पहल: बीसीसीएल का उत्पादन 2020-21 में 25 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 41.10 मिलियन टन हो गया और 2024-25 तक 45 मिलियन टन और 2025-26 तक 49 मिलियन टन से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। इस तीव्र वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, बीसीसीएल ने संभावित छोटे ओसी पैच की पहचान की और उनसे उत्पादन की योजना बनाई। वर्ष 23-24 की शुरुआत में किराए पर लिए गए एचईएमएम पैच की क्षमता लगभग 44 मिलियन टन थी, जिसमें लगभग 14 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के नए पैच जोड़े गए हैं, जबकि लगभग 3.27 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एच-एचईएमएम पैच ने अपनी अनुबंध अवधि पूरी कर ली है। बीसीसीएल की एच-एचईएमएम क्षमता लगभग 54 मिलियन टन है, जबकि बीसीसीएल का एच-एचईएमएम लक्ष्य 2024-25 के लिए लगभग 33 मिलियन टन है, इसलिए लगभग 150% क्षमता पहले ही उत्पन्न हो चुकी है। इसी तरह, आने वाले वर्षों में उत्पादन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए छोटे एच-एचईएमएम पैच की पहचान की जा रही है।

झरिया में ओसी ब्लॉकों का पुनर्गठन: दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, धनबाद चंद्रपुरा (डीसी) लाइन के उत्तर क्षेत्र में बड़ी ओसी खदानों की योजना बनाई गई है, जिनका खनन 270-300 मीटर की गहराई तक किया जा सकता है। इस क्षेत्र को सात ब्लॉकों (ए-जी) में बांटा गया है। ब्लॉक-जी (8.5 एमटीवाई) के चरण-1 (एकीकृत उत्तरी तिसरा दक्षिणी तिसरा कुजामा) में अप्रैल 2024 में उत्पादन शुरू हुआ। ब्लॉक-ई (15 एमटीवाई) का पीआर मार्च 2024 में स्वीकृत किया गया था, और ब्लॉक-डी (8 एमटीवाई) का पीआर अंतिम तैयारी चरण में है। इन ब्लॉकों के साथ-साथ अन्य आगामी ब्लॉकों से अगले 20-25 वर्षों में लगातार लगभग 50 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन होने की उम्मीद है।

बीसीसीएल की भूमिगत खनन दृष्टिकोण योजना: बीसीसीएल ने 2023-24 में भूमिगत खदानों से 0.77 मिलियन टन उत्पादन किया, जिसका लक्ष्य 2029-30 तक मिलियन टन है। इसमें मौजूदा खदानों से 0.83 मिलियन टन, चल रही परियोजनाओं से 5 मिलियन टन, नई परियोजनाओं से 3.46 मिलियन टन और बंद खदानों से 4.66 मिलियन टन शामिल हैं, जिन्हें राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ के माध्यम से फिर से चालू किया जा रहा है।

हाई वॉल माइनिंग की शुरूआत: जनवरी 2024 से ब्लॉक-II में हाई वॉल माइनिंग शुरू हो गई है और राजापुर के लिए योजना बनाई गई है।

b. ख.विपणन दृष्टिकोण (आउटलुक)

- वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच ''आत्मनिर्भर भारत'' के तहत उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई जरूरतों सहित इस्पात उपभोक्ताओं के लिए घरेलू धुले कोयले की अधिक जरूरत है।
- नई वाशरियों के प्रतिस्थापन के साथ रिजेक्ट्स का अंबार एक बहुत बड़ी समस्या है और इस जगह की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि इस तरह के रिजेक्ट्स को बिजली घरों या दूसरे उपभोक्ताओं को परस्पर सहमत मूल्य या अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाए।

- तर्कसंगत मूल्य के साथ दूर वाले रिजेक्ट्स के उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौता।
- ग्राहकों से अनुमानित ऑफ-टेक प्रतिबद्धता के अनुरूप खदान उत्पादन में वृद्धि।

➢ **ई-ऑक्शन योजना**

- एक मासिक ई-ऑक्सन कैलेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।
- ई-ऑक्सन में कुल बोली मात्रा का 100% उठाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है, तदनुसार क्षेत्रों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।
- समय पर विक्रय आदेश जारी करने तथा डिस्पैच बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की परेशानीमुक्त उठाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) तैयार किया गया है।
- उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए नियमित रूप से उपभोक्ता बैठक का आयोजन करना।
- एफएसए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधक और विक्रय प्रबंधक को संवेदनशील बनाया जा रहा है तथा सड़क मार्ग से अधिकतम उठाव को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- विद्युत और सीपीपी के विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं को धुले हुए पावर कोयले के प्रेषण को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह विभिन्न वाशरियों में वर्तमान उच्च स्टॉक का परिशोधन करने में मदद करेगा और यह दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए ज्यादा जगह भी बनाएगा।

ग. सतत विकास संबंधी दृष्टिकोण

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की पर्यावरण प्रबंधन अवधारणा है, जिसे बीसीसीएल के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा समर्पित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाता है।

स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी परिसर में सोलर पावर एनर्जी के प्रतिष्ठापन पर बल दिया जा रहा है और उस दिशा में कई पहल की गई है। 2023-24 में 1.86 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। 2024-25 में 2.48 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

इसी प्रकार, कंपनी अत्याधुनिक 6 नई वाशरियां स्थापित कर रही है जो या तो चालू है या पूरा होने के विभिन्न चरणों में है जो कि स्वच्छ कोयले के उत्पादन में लंबा रास्ता तय करेंगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकेगा।

VI. जोखिम एवं खतरे

1. झरिया कोलफील्ड के कुल 453 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 71.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार है और जिसका दोहन ओसी खनन द्वारा किया जा सकता है, निम्नलिखित कारणों से बंद है-

- डी.सी. रेलवे लाइन, मेन जे.सी. रेलवे लाइन और आद्रा-गोमो रेलवे लाइन कोयला क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और कोयला क्षेत्र का महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क बनाती हैं।
- महत्वपूर्ण नदी/नाले (खुदिया नाला, जमुनिया नदी, कतरी जोर, सेंदरा जोर, कारी जोर, चटकारी जोर आदि) कोयला क्षेत्र की प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली बनाते हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-32 और महत्वपूर्ण डी.बी. सड़कों का एक नेटवर्क कोयला क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- कोयला क्षेत्र में कई टाउनशिप (भौरा, डिगवाडीह, पाथरडीह, झरिया, करकेंद बाजार, केंदुआ, पुटकी, कतरास, सिजुआ, लोयाबाद आदि) विकसित किए गए हैं, जो बड़ी क्षमता वाली खुली खदानों और भूमिगत खदानों के विकास को रोकते हैं।

2. झरिया कोयला क्षेत्र में उथली गहराई पर स्थित उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल सीम, राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के दौरान अधिकांशतः समाप्त हो चुके हैं। अवैज्ञानिक खनन प्रथाओं के परिणामस्वरूप इन सीमों में स्वतःस्फूर्त तापन के कारण आग लग गई है, जिससे शेष गुणवत्ता वाले कोयले का एक महत्वपूर्ण भाग अवरुद्ध हो गया है।

3. अतीत में भूमिगत विधि द्वारा खनन किए गए ऊपरी कोयला सीम आंशिक रूप से समाप्त हो चुके हैं और आंशिक रूप से महत्वपूर्ण सतही विशेषताओं के नीचे खंभों पर खड़े हैं।

4. भूमि अधिग्रहण में आने वाली चुनौतियों में खनन उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत खरीदी गई भूमि का भौतिक कब्जा स्थापित करने में असमर्थता शामिल है। कैडस्ट्रल सर्वे (सीएस) और रिविजनल सेटलमेंट (आरएस) खतियान रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां इन मुद्दों को और जटिल बनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक कानूनी जटिलताएं होती हैं और अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी होती है।

5. भूमि की कमी के कारण, बीसीसीएल में कोयला उत्पादन मुख्य रूप से छोटे किराए के एचईएमएम पैच पर निर्भर करता है, जो कुल उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। बड़े ओसीपी पैच के विकास के बिना महत्वपूर्ण और टिकाऊ उत्पादन वृद्धि अप्राप्य है। हालांकि, ऐसे बड़े संचालन स्थापित करने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। सीमित स्थान के कारण छोटे पैच को भी बाहरी ओबी डंपिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन, ओबी को अक्सर कोयला धारित क्षेत्रों या आंशिक रूप से काम की गई खदानों के पास डंप किया जाता है, जिसे भविष्य के संचालन के लिए रिहैंडलिंग करना आवश्यक हो जाता है।
6. झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में देरी, आसपास के निवासियों के जीवन को खतरे में डालने के साथ-साथ नीचे आग में अमूल्य कोयला भंडार को नुकसान पहुंचाती है।
7. खनन क्षेत्रों के ऊपर घनी आबादी होने के कारण डी-पिलरिंग कार्यो के लिए डीजीएमएस की अनुमति प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत निवासियों को स्थानांतरित करने में देरी से ब्लास्टिंग की अनुमति प्राप्त करने में बाधा आती है, जिससे ब्लास्टिंग संचालन प्रभावित होता है। इसके अलावा, अवैध खनन गतिविधियों के कारण कोयला हवा के संपर्क में आता है, जिससे स्वतःस्फूर्त दहन का खतरा बढ़ जाता है।
8. पर्यावरण और वन कानून का अनुपालन,
9. कोयले से असंगत प्राप्ति के कारण राजस्व में गिरावट,
10. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों के विस्थापन के कारण परियोजना शुरू होने में देरी

VII. विविधता और मूल्य संवर्धन:

❖ **सीबीएम**

सीबीएम मूल रूप से 95% मीथेन और शेष मात्रा से थोड़ा अधिक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और कार्बनडाइऑक्साइड से बना है। आमतौर पर खनन उद्योग में मार्श गैस के रूप में जाना जाता है। यह कोयला सीम का एक अंतर्निहित हिस्सा है जो इसमें अवशोषित होता है और यह वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया के दौरान बनता है।

सीबीएम का निष्कर्षण प्रमुख रूप से निम्नांकित लाभ प्रदान करता है:-

- प्राकृतिक गैस की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व सृजन के अवसर।
- यह सरकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बिजली के लिए स्वच्छ ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और वातावरण में मीथेन (एक ग्रीनहाउस गैस) के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के अनुरूप है।
- इन-सीटू मीथेन का निष्कर्षण कोल डिपोजिट के खान-क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।
- •कोयला भंडार में मीथेन के गैसीकरण के कारण कोयला निकालने की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त लाभ नजर आते हैं। इससे आग एवं विस्फोट के खतरे की संभावना कम हो गई क्योंकि मीथेन को पहले ही निकाला जा चुका है, जिससे खदान के वेंटिलेशन में सुधार हुआ है।

बीसीसीएल ने दो सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की है, जिनके लिए सीबीएम निष्कर्षण परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। स्थिति निम्नानुसार है:-

➢ **झरिया सीबीएम ब्लॉक- I - सीआईएल में पहली सीबीएम परियोजना।**

- संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) आवेदन 31.03.2024 को प्रदान किया गया है।
- ब्लॉक अन्वेषण चरण में है, जहाँ गैस सामग्री, कोयला सीम की मोटाई, गैस संतृप्ति, पारगम्यता आदि जैसे महत्वपूर्ण सीबीएम मापदंडों को निर्धारित करने के लिए 5 कोर होल और 5 परीक्षण कुओं की ड्रिलिंग की जा रही है।
- तीसरे अन्वेषण कोर होल (जेसीएच03) की ड्रिलिंग 14 मई, 2024 को पूरी हुई।

➢ **झरिया सीबीएम ब्लॉक- II**

- सीएमपीडीआई द्वारा 23.04.2024 को अंतिम पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 06.05.2024 की सीएफडी में चर्चा की गई। अनुमोदन के लिए आगामी बीसीसीएल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

➢ **बंद कोयला खदानों का मुद्रीकरण**

संभावित बोलीदाताओं के माध्यम से बंद कोयला खदानों का मुद्रीकरण अच्छी मात्रा में राजस्व प्राप्त करने का अवसर खोल सकता है जो लंबे समय में कंपनी की स्थिरता में योगदान देगा।

- राजस्व साझाकरण मॉडल के साथ एमडीओ मोड में निविदा के लिए 10 बंद खदानों की पहचान की गई है।
- पहचानी गई 10 बंद यूजी खदानों में से, 6 खदानों के लिए निविदा प्रदान की गई है और शेष 4 खदानों के लिए राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ मोड में परिचालन के लिए पुनः निविदा प्रक्रियाधीन है।
- एमडीओ मोड में राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत निविदा के लिए अन्य 06 बंद खदानों की पहचान की गई है। पूर्व की 06 खदानों को मिलाकर 03 खदानों के लिए खदान डोजियर सीएमपीडीआई में प्रक्रियाधीन है।

➢ **मूनीडीह सीपीपी 2X10 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट**

- मूनीडीह सीपीपी थर्मल पावर प्लांट में 2X10 मेगावाट के लिए एसेट मोनेटाइजेशन की योजना बनाई गई है।
- एसबीआई कैप्स को 30.03.2024 के कार्य आदेश के माध्यम से लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- वे बीसीसीएल को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी उद्यमशीलता की तैयारी के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

➢ **बीसीसीएल की पुरानी वाशरियों का मुद्रीकरण**

04 पुरानी वाशरियों का मुद्रीकरण प्रस्तावित है। पुरानी वाशरियों में दुग्दा, सुदामडीह, मधुबन और महुदा शामिल हैं।

- 12.03.2024 को दुग्दा कोल वाशरी के मुद्रीकरण के लिए निविदा जारी की गई।
- सुदामडीह वाशरी की लेनदेन योजना की तैयारी पूरी हो गई है और 24.04.2024 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। इसे कोयला मंत्रालय को सूचना देने के लिए सीआईएल को भेजा जाएगा।
- मधुबन और महुदा कोल वाशरी की लेन-देन योजना की तैयारी प्रगति पर है।

➢ **भू-अधिग्रहण- एक बड़ा मुद्दा**

- समय पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण कुछ खदानों का उत्पादन प्रभावित हुआ।
- सीएस और आरएस खतियान में भिन्न-भिन्न प्रविष्टियां अनावश्यक कानूनी पचड़े और भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण बनती है।
- एलए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि और निहित भूमि को स्थानीय लोगों द्वारा ऑनर नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामले को न्यायपालिका में ले जाया गया, जिससे भौतिक कब्जे के लिए काफी लंबा समय लगा।
- कोयले के भंडार को अनलॉक करने के लिए डीसी लाइनों को स्थानांतरित करना प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन जनता के दबाव के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका।

VIII. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कॉरपोरेट शासन को उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए हमारी कंपनी के पास एक बेहतरीन स्थापित एवं मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं। निर्बाध निर्णय के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन विस्तृत रूप से किया गया है। संचालन दक्षता की निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। यह लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर नजर रखती है। कंपनी का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी के नव नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

IX. संचालन कार्य प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन पर परिचर्चा

वित्त वर्ष 2023-24 में, कंपनी का कर पूर्व लाभ ₹ 2091.67 करोड़ था और शुद्ध लाभ ₹ 1564.46 करोड़ था, जो लाभप्रदता में 294.51% एवं 135.34% की वृद्धि को दर्शाता है, जो पिछले वर्ष के क्रमशः कर पूर्व लाभ ₹ 530.19 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 664.78 करोड़ अधिक है।

वर्ष के दौरान लाभप्रदता में ऐसी वृद्धि का प्रमुख कारण निम्नलिखित कारकों को माना जा सकता है:-

परिचालन दक्षता में वृद्धि और अनुकूल कारोबारी माहौल के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे कोयले के उठाव में 10.53% की वृद्धि हुई।

वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषण पर विस्तृत चर्चा निम्नलिखित है।

क. कुल आय

कंपनी की कुल आय में संचालन एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व शामिल है। कुल आय के उपर्युक्त दो मदों के तहत, कंपनी के प्रमुख राजस्व में कोयले की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य संचालन राजस्व जैसे ग्राहकों से प्राप्त सरफेस परिवहन शुल्क (एसटीसी), निकासी सुविधा शुल्क, बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज, आदि शामिल हैं। पिछले वर्ष ₹ 13707.40 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल आय ₹ 14507.08 करोड़ है, जिसमें 5.83% की बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 3.74 मिलियन टन ऑफटेक में वृद्धि की वजह से हुई है (वित्त वर्ष 2022-23 में 35.53 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 39.27 मिलियन टन)। आय के प्रमुख तत्वों पर विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. संचालन से प्राप्त राजस्व

क. कोयले की बिक्री

बिक्री की मात्रा में वृद्धि और अनुकूल मूल्य भिन्नता के कारण कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री राजस्व में भारी वृद्धि हासिल की है। हमारे कच्चे कोयले की बिक्री की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 3.23 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कोयले की आवश्यकता में वृद्धि और उच्च औसत प्राप्ति दर है। कंपनी ने एफएसए कोयले के तहत 32.89 मिलियन टन और ई-नीलामी मार्ग के तहत 1.44 मिलियन टन की आपूर्ति की और एफएसए बिक्री से ₹ 9378.98 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और ई-नीलामी के तहत कोयला खरीदने वालों से ₹ 854.50 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। चालू वर्ष के दौरान धुले हुए कोयले और अन्य उप-उत्पादों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। धुले हुए कोयले और अन्य उप-उत्पादों की बिक्री से ₹ 2982.69 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ था, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में वृद्धि और औसत बिक्री प्राप्ति में वृद्धि के कारण अर्जित किया गया।

ख. अन्य संचालन राजस्व:

लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क

अन्य संचालन राजस्व का अधिकांश अंश ग्राहकों से वसूल किए गए सरफेस परिवहन शुल्क के मद से है। प्रेषण स्थलों तक कोयले की ढुलाई के लिए दूरी एवं तदनुरूप दरों के विभिन्न स्लैबों के तहत कंपनी द्वारा परिवहन लागत शुल्क लगाया जाता है। वसूले गए लोडिंग एवं परिवहन शुल्क (सभी लेवियों का शुद्ध) पिछले वर्ष ₹ 733.19 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹ 661.11 करोड़ था।

निकासी सुविधा शुल्क

रैपिड लोडिंग व्यवस्था के माध्यम से किये प्रेषण (डिस्पैच) को छोड़कर, सभी प्रेषण पर ₹ 60 प्रति टन के हिसाब से निकासी सुविधा शुल्क लगाया जाता है। पिछले वर्ष ₹ 214.40 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान निकासी सुविधा शुल्क (सभी लेवियों को शुद्ध) के मद में कुल राजस्व ₹ 235.30 करोड़ था। यह वृद्धि प्रेषण की मात्रा में वृद्धि के कारण हुई थी।

1. अन्य आय

वर्ष के दौरान, अन्य आय वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 426.47 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 393.77 करोड़ हो गई। इस राशि में अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज, ठेकेदारों/ग्राहकों से वसूला गया जुर्माना और उन प्रावधानों/देनदारियों को वापस लिखना शामिल है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।

ख.व्यय

व्यय के प्रमुख तत्वों का विवरण निम्नलिखित है:

क.) कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय कुल लागत में सबसे बड़ा घटक है और यह कुल लागत का लगभग 57.60% है। वर्ष के दौरान कर्मचारी हित लागत पिछले वर्ष ₹ 7358.12 करोड़ की तुलना में ₹ 7150.69 करोड़ था।

ख.) संविदात्मक व्यय

संविदागत व्यय में मुख्य रूप से कोयला, रेत और अन्य सामग्रियों के लिए परिवहन शुल्क, वैगन लोडिंग संचालन, कोयला निष्कर्षण और ओवरबर्डन हटाने की गतिविधियों के लिए लगे भारी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए किराया शुल्क और अन्य विविध कार्य जैसे खदानों में सड़क के रखरखाव और अस्थायी प्रकाश व्यवस्था आदि शामिल हैं।

संविदात्मक व्यय 32.50% यानी ₹ 777.29 करोड़ बढ़ गया। वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 2391.35 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 3168.64 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वाशरी में धुलाई शुल्क में वृद्धि और डीजल वृद्धि, वेतन वृद्धि जैसे कारकों के कारण संविदात्मक व्यय में वृद्धि हुई।

ग.) वित्त लागत

उधारियां (₹ करोड़ में)

ब्याज खर्च	31.03.2024	31.03.2023
डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	60.46	55.69
समूह के भीतर पार्क फंड	-	-
फेयर वैल्यु परिवर्तन (कुल)	-	-
अन्य उधारियाँ	1.37	-
कुल	**61.83**	**55.69**

घ.) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (संदर्भ 2.19) के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक मिलियन टन तथा उससे अधिक मूल्य क्षमता वाली खदानों के लिए गणना की जानी है। स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबीः कोल) पर ली जाती है जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात-भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन होता है। वर्तमान में पांच खदानों में ऐसा समायोजन किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक आंकड़े इस प्रकार हैः

			31.03.2024		31.03.2023	
	मानक स्ट्रिपिंग रेशियो	वर्तमान स्ट्रिपिंग रेशियो	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एसीयूएम)	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एलसीयूएम)
एएमपीसी, बरोरा क्षेत्र	1.87	1.32	48.01	63.51	19.03	27.16
एकेडब्लूएमसी, कतरास क्षेत्र	2.60	1.85	31.00	57.41	38.28	83.35
गोलकडीह, बस्ताकोला क्षेत्र	4.04	3.27	18.59	60.71	27.26	81.88
दहीबारी बसंतीमाता ओसीपी, सीवी क्षेत्र	3.03	2.47	5.45	13.49	6.16	10.91
एकीकृत एनटी/एसटी कुजामा, लोदना क्षेत्र	3.87	3.02	47.67	143.97	60.50	151.19
कुल			**150.72**	**339.09**	**151.23**	**354.49**

ङ.) अन्य व्यय

वर्ष के दौरान अन्य व्यय ₹ 251.00 करोड़ (17.69%) बढ़ गया है। यह वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 1418.51 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1669.51 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष में मुख्य रूप से दरों एवं करों, विलंब शुल्क, किराया शुल्क, सीएमपीडीआईएल और सुरक्षा शुल्क के कारण अन्य खर्चों में वृद्धि हुई है।

च. नकदी प्रवाह (सारांश)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2024	2023
आरंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	586.62	617.33
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	1158.10	1648.52
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(1349.83)	(1608.29)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(68.58)	(70.94)
अंतिम नकदी एवं नकदी समतुल्य	326.31	586.62
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में परिवर्तन (कुल वृद्धि/कमी)	**(260.31)**	**(30.71)**

छ. शुद्ध-संपत्ति

दिनांक 31.03.2023 को कंपनी की शुद्ध-संपत्ति (+) ₹ 5355.47 करोड़ थी।

XI. मानव संसाधन में भौतिक विकास, औद्योगिक संबंध के मोर्चे, नियोजित लोगों की संख्या सहित

यह मुख्य रिपोर्ट में शामिल है।

XII. पर्यावरणीय बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

यह मुख्य रिपोर्ट में शामिल है।

XIII..कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर के लिए एक अलग परिशिष्ट दिया गया है।

अनुलग्नक-V

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

धनबाद - 826005 (झारखंड)

सीआईएन:U10101972GOI000918

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
बीसीसीएल, धनबाद।

एतद्‌द्वारा, 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों के प्रमाणन के आधार पर, वित्तीय कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होने के नाते मैं समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), और राकेश कुमार सहाय, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल, यह प्रमाणित करता हूँ कि:-

क. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

i. इन विवरणों में वस्तुतः कोई भी असत्य विवरण शामिल नहीं है अथवा किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हों;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास में 31 मार्च, 2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन, कंपनी आचार संहिता के तहत धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हम उक्त आंतरिक नियंत्रणों या संचालन की कमियों के संबंध में भी लेखा परीक्षकों तथा लेखा समिति के समक्ष खुलासा करते हैं, यदि कोई हो तो, ताकि वे इस बात से अवगत रहें और इन कमियों को दूर करने हेतु उचित कदम उठा सकें।

घ. हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा समिति को यह सूचित किया है कि:-

i. संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है,

ii. चालू वर्ष में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति को संशोधित किया गया है;

iii. हमें निम्नलिखित के अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी के किसी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने की जानकारी नहीं है:

क. केंद्रीय अस्पताल धनबाद में पीएफ और पेंशन अंशदान के प्रेषण में कथित अनियमितताएं।

ख. पीबी क्षेत्र में कुस्तौर कोलियरी में पानी के टैंकरों के ड्राइवरों और ऑटो विभाग के लोगों को रविवार/छुट्टियों में अनियमित रूप से काम पर रखना, भले ही पानी का टैंकर खराब रहता हो।

ग. बीसीसीएल के ब्लॉक-II क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक के रूप में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप।

घ. कतरास क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्ट आचरण।

ङ. सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके आवंटित कंपनी के क्वार्टर को सौंपे बिना एनओसी जारी करने में कथित अनियमितताएं।

च. गोविंदपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापित रहते हुए एक कर्मचारी द्वारा कथित अनियमितताएं।

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीसीसीएल**

स्थान: धनबाद
दिनांक: 24.04.2024

अनुलग्नक-VI

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, **भारत कोकिंग कोल के सदस्य** **एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट** **अभिमत** हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है, इसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र,उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इन्हें अब 'एकल वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) सम्मिलित हैं। इसमें कंपनी के क्षेत्र/इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा कुल 15 (पंद्रह) यथा, (1) बरोरा क्षेत्र, (2) ब्लॉक-2 क्षेत्र, (3) गोविन्दपुर क्षेत्र, (4) कतरास क्षेत्र, (5) सिजुआ क्षेत्र, (6) कुसुण्डा क्षेत्र (भूली टाउनशिप क्षेत्र समेत), (7) पी. बी. क्षेत्र, (8) बस्ताकोला क्षेत्र (माइंस रेस्क्यु स्टेशन समेत), (9) लोदना क्षेत्र (लोदना वाशरी समेत), (10) पूर्वी झरिया क्षेत्र, (11) सी वी क्षेत्र, (12) दाहीबाड़ी वाशरी, (13) पश्चिमी झरिया क्षेत्र, (14) वाशरी डिवीजन, (15) मधुबन कोल वाशरी, में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए किया गया लेखा परीक्षण विवरण भी शामिल है। हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण यथा-आवश्यक विधि से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान करता है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष को लाभ व कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी प्रवाह अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ा जाए और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है। **अभिमत के लिए आधार** हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
महत्वपूर्ण मामले हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं: - क) व्यापार प्राप्तियों एवं व्यापार देयताओं के तहत एसी किसी शेष राशि से संबंधित लंबित पुष्टि / समाधान जिसका वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	होता है। लंबित समाधान में तेजी लाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, कुछ व्यापार देय राशियों के संबंध में पुष्टि प्राप्त कर ली गई है तथा सभी व्यापार देय राशियों के संबंध में पुष्टि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
मुख्य लेखा परीक्षा मामले मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इन पर हमारी राय बनाने पर ध्यान दिया गया था, और हमने इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं किया है।हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को नीचे प्रदर्शित किया है।	

क्र. सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	<u>**स्ट्रिपिंग गतिविधि पर नई लेखा नीति:**</u> कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागतों का अलग-अलग खदानों के लिए अलग-अलग हिसाब लगाया जाता है। **उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:** ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं जो समूह की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद होती हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और कोयले तक बेहतर पहुँच जो भविष्य की अवधि में निकाली जाएगी। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोल) का उपयोग करके उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले खदान के जीवनकाल में हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की	<u>**मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया**</u> हमने निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएं कीं : • स्ट्रिपिंग समायोजन का कार्यशील डेटा प्राप्त किया गया और परिवर्तित नीति के अनुसार जांच की गई। • वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में व्यय की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। • जाँच की गयी कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन को आवंटित राशि के आधार पर की गयी और वर्ष के दौरान ओबी मात्रा को सही ढंग से निकाला गया। • विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन गणना पर खर्चो के औचित्य के विवरण का परीक्षण किया। • जांच की गई कि स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के लिए इस्तेमाल की गई नयी लेखांकन नीति और प्रबंधन के निर्णय उचित हैं। • भारतीय लेखा मानक – 16 का परिशिष्ट बी, खदान के उत्पादन चरण के दौरान सतह खनन गतिविधि में होने वाले अपशिष्ट निष्कासन लागत पर लागू होता है (“उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत”)

<table>
<tr><th colspan="3">स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट</th><th rowspan="2">प्रबंधन की टिप्पणी</th></tr>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मुख्य लेखा परीक्षा मामले</th><th>लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td>वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत अपेक्षित होती है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में ओवरबर्डन हटाने को पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव डाल सकते हैं। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया गया है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्य करती है।

<u>अनुपात भिन्नता</u>
सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से स्थापित नीति के अनुसार अनुपात भिन्नता रिजर्व की मान्यता का लगातार पालन किया जा रहा है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के उलटने की स्थिति उत्पन्न होती है, अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को, व्यवस्थित रूप से रिवर्स कर दिया जाएगा। ऐसा रिवर्सल उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्य किया गया है।

एक खान के मामले में, जहां अनुपात भिन्नता रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है, स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा किए गए ओवरबर्डन की अपेक्षित मात्रा से अधिक निकाले गए ओवरबर्डन की अतिरिक्त मात्रा को अनुपात भिन्नता रिजर्व में संगत डेबिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।</td><td>• हमने जाँच की है:
क) उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देने की।
ख) स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के प्रारंभिक मापन; और
ग) स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का बाद का मापन।
अपनायी गयी प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट पाया है।</td><td></td></tr>
</table>

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
क्र. सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
	खदान के मामले में, जहां अनुपात भिन्नता रिजर्व में डेबिट बैलेंस है, स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा किए गए निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा पर अपेक्षित ओवरबर्डन की अधिक मात्रा को अनुपात भिन्नता रिजर्व में संगत क्रेडिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी। जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा निकाले गए कोयले की मात्रा को मानक स्ट्रिप अनुपात से गुणा किया जाता है, मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन को खदान के जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित किया जाता है। **(एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 9.1.2 और अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 16(7) देखें।)**		
2.	**ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व** राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के पहचान, चिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन संव्यवहार मूल्य का निर्धारण, वर्ष के दौरान अभिज्ञात राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए पैमाने का औचित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। (एकल वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 16(6)(एन)-अन्य मामले देखें।)	**मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं: • नये राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया। • ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूने का चयन कर राजस्व स्ट्रीम पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया तथा उन राजस्व स्ट्रीम संबंधी वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया। • राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया एवं प्रासंगिक प्रकटीकरण की संपूर्णता तथा गणितीय विशुद्धता का आकलन किया। • वर्ष के दौरान कंपनी ने सीआईएल द्वारा नोटिस संदर्भ संख्या सीआईएल/एम एंड एस/फ्लेक्सी/199, दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से हाल ही में दिए गए निर्देश के कारण एनटीपीसी से निष्पादन प्रोत्साहन आय को मान्यता नहीं दी है।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
क्र. सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
		(अतिरिक्त नोट संख्या 16 (6) (एन) (vi) देखें) हमने यह पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के आकलन एवं निर्णय आय के अभिज्ञान में उचित है।	
3.	**अनिश्चित कर स्तरों का मूल्यांकन** कंपनी के पास विवादित मामलों सहित मूर्त अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। (एकल वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी 16(1)(क) का संदर्भ लें।)	**मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं:- • आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्प्राप्ति तथा वर्तमान कर प्रावधान संबंधी नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं डिजाइन का मूल्यांकन किया। • अनिश्चित कर स्थिति के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के प्रावधानों की वैधता एवं पर्याप्तता पर विचार किया गया, मूल्यांकन के आधार की जांच करना और प्रासंगिक पत्राचार और कानूनी सलाह की समीक्षा करना, जहां उपलब्ध हो, इसमें प्रासंगिक कर अधिकरण में समान मामले से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध हो। • आस्थगित कर संपत्ति के समर्थन में पर्याप्त आगामी कर योग्य आय उत्पन्न करने की संभावना सहित प्रबंधन के पूर्वानुमान और प्राकल्लन की उपयुक्तता का आकलन किया। उपर्युक्त कार्य प्रक्रिया के आधार पर हमने वर्तमान और आस्थगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के विषय में प्रबंधन के आकलनों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त लेखा साक्ष्य प्राप्त किया।	
4.	**कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना दायित्व का मूल्यांकन**	**मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमारे लेखा प्रक्रियाओं में शामिल है:-	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
क्र. सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
	परिभाषित लाभ योजनाओं का लेखांकन, बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है जो दायित्व को मापने, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने तथा संबंधित बीमांकिक लाभ हानि की गणना करने के लिए आवश्यक है। कंपनी में परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में कटौती दर, मुद्रास्फीति दर तथा मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण आकलन किए जाते हैं। कंपनी समुचित पूर्वानुमान और दायित्व की गणना में सहायता के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन के अतिरिक्त है तथा परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में आकलन की एक उच्च डिग्री है क्योंकि यह मान्यताओं की पूर्वाधारणाओं के अनुरूप है। (एकल वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी 16(5) देखें।)	• लागू गाइडेंस नोट के अनुसार (कटौती दर, मुद्रास्फिति दर, मृत्यु दर) लागू मूल मान्यताओं का मूल्यांकन किया। • कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का मूल्यांकन किया। • बीमांकिक पुर्वानुमान का अनुमोदन तथा समीक्षा पर नियंत्रण तथा भौतिक बीमांकिक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता व एकरूपता तथा विशेषज्ञों की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया। • निर्धारित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के विषय में प्रबंधन से चर्चा की गई और यदि पुर्वानुमान में कोई विसंगति थी तो उसका आकलन किया गया। • भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विवरणों में कंपनी के प्रकटीकरण की उपयुक्तता सत्यापित है। सम्मिलित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि मूल्यांकन संबंधी प्रबंधन द्वारा किया गया पुर्वानुमान उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित है।	

वित्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट और उसके अनुबंध, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान व विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गयी है और उम्मीद की जाती है कि इस लेखा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध होगी।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गयी अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाएं, तो इन्हें पढ़ें और ऐसा करके विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। जब हमें निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुए और हमने इन्हें पढ़ा,यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को संबंधित व्यक्ति (those charged with governance) के पास ले जाना होगा और स्वीकार्य कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई के बारे में बताना होगा।	
वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व: कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) और इस अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लागू अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य प्रदर्शन, कुल आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं पता लगाना, पर्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्यायसंगत मामलों का निर्णय एवं आकलन करना और वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता प्रस्तुत करें, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण सम्मिलित है। जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा स्वीकार्य, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा का चालू प्रतिष्ठान आधार पर प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या कोई वास्तविक विकल्प न होने का इरादा रखता हो। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेश मंडल भी जिम्मेदार हैं।	
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, ऐसे दुर्व्यवहार चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, तथा एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक खातों के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा वित्तीय गलतियों (होने पर) का पता लगाएगा। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने यथोचित अपेक्षा हो। एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम: • वित्तीय विवरणों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा ऑडिट सबूत प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलतियों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलतियों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है। • इन परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों के लिए परिचालन प्रभावशीलता है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं। • प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मैटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेह युक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई मैटेरियल अनिश्चिततामौजूद है, तो हमारे द्वारावित्तीय विवरणों में संबंधित डिस्क्लोजर के लिए अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे डिस्क्लोजर अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं।हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं। • डिस्क्लोजर सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है। मैटिरियलिटी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि (मैग्नीट्युड ऑफ मिसस्टेटमेंट) है , जो कि वैयक्तिक या समेकित रूप से संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गयी त्रुटि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिएमात्रात्मक मैटिरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों से (those charged with governance)अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञातअन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्रव समय और आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण त्रुटियों समेत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा तथ्योंके बारे में सूचित करते हैं।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
हम जिम्मेदार लोगों को एक विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों जहां लागू हो, के लिए यथोचित रूप से विचारणीय हैं। जिम्मेदार लोगों को सूचित किए गए मामले में, हम वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, का निर्धारण करते हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में जन हित मामले के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों के कारण किसी मामले को नहीं दिया जाना चाहिए।	
अन्य मामले हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 15 क्षेत्र/इकाइयों के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को वित्तीय विवरणों में दी गयी जानकारी के अनुसार इन क्षेत्र/इकाइयों की कुल संपत्ति ₹ 11,152.29 करोड़ तथा कुल आय ₹ 17,594.99 करोड़ दर्शायी गयी है। इन क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण क्षेत्र/इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन क्षेत्रों/इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त क्षेत्र / इकाई के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में हमारे मंतव्य में कोई संशोधन नहीं है।	
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट 1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमने **अनुलग्नक – I** में लेखा की सुझायी कार्यप्रणाली के अनुपालन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेश एवं अतिरिक्त निर्देशों और इसके बाद हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर एक विवरण दिया है । यह विवरण कंपनी के क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को उनके लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में शामिल करके तैयार किया गया है। 2. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हम अनुलग्नक - II में लेखा के तहत वर्ष के लिए लागू सीमा के क्रम सं.3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है। 3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों कोप्राप्त किया,जो हमारे लेखा के उद्देश्यों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के लिए श्रेष्ठ थे। ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसारउपयुक्त बही-खाता को अभी तक रखा गया है, क्योंकियह हमारे द्वारा इन बही-खता की जांच से प्रतीत होता है तथा लेखा प्रयोजन के लिए पर्याप्त समुचित रिटर्न को हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्र/इकाइयों से प्राप्त किया है। ग. क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षितकंपनी के क्षेत्र / इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने इन पर सही तरीके से काम किया है। घ. बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण के प्रासंगिक बही खाते और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रों/इकाइयों से प्राप्त रिटर्न से तालमेल रखते हैं। ङ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए। च. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E) दिनांक 05-06-2015, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक – III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है। ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय हमारी जानकारी और ऑडिट के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण: I. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार टिप्पणी 16(1)(क) का संदर्भ लें; ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी मूर्त त्रुटि नुकसानदेह थी। iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक थी। iv. (क) प्रबंधन ने यह घोषणा की है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा खातों दिये गए टिप्पणियों के अलावा, कोई धन अग्रिम या उधार नहीं लिया गया है अथवा निवेश नहीं किया गया है (ना ही उधार-धनराशि या ना ही शेयर प्रीमियम या ना ही किसी अन्य स्रोत से) अथवा किसी	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में, विदेशी संस्थाओं में ("मध्यस्थ या सीधे तौर पर") लिखित या मौखिक रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश किया गया है अथवा उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान किया जाता हैं; (ख) प्रबंधन ने यह घोषणा की है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), विदेशी संस्थाओं से ("फंडिंग पार्टियां") लिखित या मौखिक रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है अथवा उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान किया जाता हैं; और (ग) उक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने इन परिस्थितियों में इसे उचित एवं उपयुक्त माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) एवं (ख) के तहत की गई घोषणा में कोई तथ्यात्मक विवरण गलत है। v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषित या भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार कंपनी में लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने की सुविधा मौजूद है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा भी शामिल है।	

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 312063E

(मदन मोहन प्रसाद)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 24074568BKGOJO1746

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

[वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देशों तथा अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के विवरण पर लेखा हमारी रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं'' के पैरा 1में संदर्भित जैसा कि कंपनी के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिया गया है।]

अनुलग्नक-क : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी ने 1 अगस्त 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी परंपरागत पुरानी प्रणाली 'कोल-नेट' की जगह एक नये ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर - 'एसएपी' को अपना लिया है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस एप्लिकेशन में कंपनी की गहन आवश्यकताओं को पूरा करने, व्यवसायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं।	कंपनी ने 1 अगस्त, 2021 से चरणबद्ध तरीके से सैप (SAP) प्रणाली को अपना लिया है। सैप (SAP) में सभी लेन-देन के लिए उचित सावधानी बरती जाती है, और इसलिए पता लगाने योग्य कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है।
2) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता केकारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या छूट के मामलों का पुनर्गठन / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखा परीक्षा किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा ऋण या छूट के मामले / ऋण को बट्टे-खाते में डालना/ऋण/ब्याज इत्यादि के पुनर्गठन के मामले नहीं देखे गए हैं।	वित्तीय विवरणों में प्रकट करने के अलावा कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3) क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को केंद्रीय / राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त / प्राप्य नहीं हुआ है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 312063E

(मदन मोहन प्रसाद)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 24074568BKGOJO1746

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

अनुलग्नक-ख : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या येलो बुक कीदृष्टि से कोयला स्टॉककी माप की गयी है?क्या फिजिकल स्टॉकमापी रिपोर्ट सभी मामलोंमें समोच्च नक्शा के साथजुड़ी है? वर्ष के दौरानतैयार किया गया यदिकोई, नया हीप है तो क्याउसे सक्षम प्राधिकारी केअनुमोदन से प्राप्त कियागया है?	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हीप के कोयला स्टॉक की माप येलो बुक के अनुसार किया जा रहा है। कोल स्टॉक डंप को कोलियरी द्वारा निर्धारित स्थलों पर बनाया जाता है, इसके लिए अग्रिम रूप से कोयले की डंपिंग से पहले समोच्च प्लान तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। फिर भी कुछ मामलों में छोटे स्टॉक जिसकी रेखागणितीय आकृति जटिल है और वे समोच्च नक्शा/ लेवल सेक्शन का प्रयोग करते हुए मापनके लिए उपयुक्त नहीं है, को परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है, चाहे ऐसे स्टॉक का समोच्च नक्शा प्लान हो तोभी । स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च प्लान के साथ होती है। वाशरी के लिए स्लरी रिजेक्ट्स और मिडलिंग का स्टॉक बीसीसीएल द्वारा अपने नियंत्रण में लेने से पहले से ही वाशरी के प्रारंभ होने के समय से ही तैयार किया जा रहा है। हीप, विशेष तौर पर रिजेक्ट, स्लरी, मिडलिंग आदि के, का आकार और आकृति बड़ी होती है। सभी आकार एवं आकृति के हीप का समोच्च नक्शानहीं है, उनको परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान बनाए गए नए हीपों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
2) क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/विखंडित/ पुनर्संरचना के वक्त संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया? यदि हाँ तो क्या संबंधित अनुषंगी ने आवश्यकप्रक्रिया का पालन किया है ?	हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बीसीसीएल के किसी भी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है, सिवाय कंपनी द्वारा लेखांकन सुविधा के लिए लिए गए प्रशासनिक निर्णय से माइन रेस्क्यू स्टेशन का बस्ताकोला क्षेत्र में विलय और भूली टाउनशिप प्रशासन का कुसुंडा क्षेत्र में विलय किया गया।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
3) क्या सीआइएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाता बना कर रखा गया है। साथ ही खाता की निधि के उपयोग की भी जांच होती है।	हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) के लिए खदानवार अलग-अलग एस्क्रो खाता बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एस्क्रो खाते से कोई राशि नहीं निकाली गई है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
4) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए दंड पर विधिवत तरीके से विचार किया गया और लेखा-जोखा दिया गया है।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2024 को लगाए गए अवैध खनन के कारण कोई मांग नहीं की गई है। यद्यपि, डब्ल्यू.पी (सी) सं. 114/2014 सामान्य उपबंध बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 02.08.2017 को दिए गए फैसले के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/ खदानों/कोलियरियों से संबंधित ₹ 17344.46 करोड़ की डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोयला मंत्रालत एवं कानूनी राय से प्राप्त निर्णय के आधार पर उपर्युक्त मांग को खारिज कर दिया गया है। इसे लेखा की अतिरिक्त टिप्पणियों में सं. 16.1(a)(I)(i) में उपयुक्त रूप से दिखाया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

5) क्या कोलनेट पोर्टल से सैप (SAP) में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है।	आज तक कोल-नेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में बीसीसीएल द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन प्राप्त नहीं किया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 312063E

(मदन मोहन प्रसाद)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 24074568BKGOJO1746

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II
[हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं" पैरा-2 पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जबाव
क) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरणों एवं स्थिति को शामिल करते हुए संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों का रखरखाव कर रही है। (ख) कंपनी अमूर्त संपत्तियों के संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों का उचित रखरखाव कर रही है; ख) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई। ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख निम्नलिखित मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम पर हैं: -	

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	नाम से आयोजित का	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं	धारित अवधि - जहां उपयुक्त हों,	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण	प्रबंधन का जबाव
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	150.45	केवल कंपनी द्वारा सीधे खरीदे जाने के मामले में (1079.75 हेक्टेयर)	लागू नहीं	विभिन्न तिथियां	बीसीसीएल के कब्जे में धारित कुल 16381.09 हेक्टेयर पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि) में से 9945.88 हेक्टेयर भूमि कोकिंग कोल माइंस/कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 और 1973 के माध्यम से निहित भूमि की श्रेणी में है; 1090.17 हेक्टेयर भूमि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन से संबंधित है जिसमें केंद्रीय अस्पताल और चार अन्य अस्पताल, भारत सरकार के खान बचाव स्टेशन, सेल की चार वाशरी, पूर्ववर्ती कोल बोर्ड और केंद्रीय झरिया परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है; शेष 4265.29 हेक्टेयर भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, एनसीडीसी के विलय, सरकार द्वारा हस्तांतरित भूमि और वन डायवर्टेड भूमि के तहत अधिग्रहित है। **अब भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.04.2022 के अनुसार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और 1973 के साथ-साथ कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि का म्यूटेशन संबंधित राज्य सरकारों के साथ कंपनी के नाम पर किया जाना आवश्यक है। लेकिन उक्त म्यूटेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।**	पूर्व में किए गए विभिन्न प्रयासों के बाद, बीसीसीएल की 66.24% भूमि के अधिकार का अभिलेख, जिसका म्यूटेशन किया जाना आवश्यक था, पुनरीक्षण खतियान में बीसीसीएल के नाम पर दर्ज किया गया है। साथ ही 1103 हेक्टेयर बीसीसीएल भूमि (धनबाद में 679 हेक्टेयर और बोकारो में 424 हेक्टेयर) के म्यूटेशन के लिए संबंधित अंचल अधिकारी को आवेदन दिया गया है। डीसी, धनबाद और मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को भी पत्र संख्या 7242-7247 दिनांक- 29.02.2024 और 7774 दिनांक- 23.03.2024 के माध्यम से आवेदित भूमि के म्यूटेशन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। बीसीसीएल भूमि के म्यूटेशन का मामला 20.04.2024 को डीसी बोकारो के साथ बैठक में भी उठाया गया है। पुनरीक्षण सर्वेक्षण (आरएस) खतियान में सीधे खरीदी गई अधिकतम भूमि बीसीसीएल के नाम पर दर्ज की गई है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट						प्रबंधन का जवाब
					3. कंपनी द्वारा सीधे खरीदी गई 1,079.75 हेक्टेयर भूमि के मामले में, कंपनी के पक्ष में म्यूटेशन का सबूत मुख्यालय के संपदा विभाग द्वारा हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका। 4. इसके अलावा, बीसीसीएल, मुख्यालय के नाम पर भूमि, जिसका क्षेत्रफल 542.22 एकड़ है, जिसमें से कंपनी के स्वामित्व के संबंध में 42.72 एकड़ के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके।	सुलह के बाद आरएस रिकॉर्ड में दर्ज कुल उत्परिवर्तित/क्षेत्रफल 1079.75 हेक्टेयर सीधे खरीदी गई भूमि के विरुद्ध उपलब्ध कराया जा सकता है। यह विरासत डेटा है। यह भूमि वर्ष 1947 से पहले अधिग्रहित की गई है। उक्त अधिग्रहित क्षेत्र को दर्शाने वाली विधिवत हस्ताक्षरित अधिग्रहण योजना बीसीसीएल के पास उपलब्ध है। भूमि बीसीसीएल के भौतिक कब्जे में है। इस भूमि से संबंधित अन्य संबंधित दस्तावेजों की खोज के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
अन्य भूमि	40.43	लागू नहीं	लागू नहीं	विभिन्न तिथियां	लोयाबाद स्टेशन पर 3.864 हेक्टेयर रेलवे भूमि मार्च 2022 से 35 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई है।	

घ) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है या लंबित है।

(i)(क)कंपनी के पास उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित स्टॉक है। स्टॉक के प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पायी गई है।

(ख)वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की असुरक्षित कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। ऐसे प्रतिबंधों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

बैंक का नाम	स्वीकृत सीमा (कार्यशील पूंजी मांग ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/ अल्पकालिन ऋण	दिनांक 31.03.2024 तक बकाया*
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	₹ 350.00 करोड़	शून्य
एक्सिस बैंक लिमिटेड	₹ 200.00 करोड़	शून्य
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	₹ 50.00 करोड़	शून्य

*वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान कंपनी को मौजूदा संपत्ति की ज़मानत के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से 5 करोड़ से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई थी।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया गया है अथवा कोई सुरक्षित या असुरक्षित गारंटी अथवा जमानत अथवा किसी प्रकार के ऋण की मंजूरी या ऋण के रूप में अग्रिम, नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii)(a) से 3(iii)(f) लागू नहीं है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या कोई ऋण या अग्रिम जैसे ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई ऋण नहीं दिया है, या निवेश नहीं किया है, या गारंटी नहीं दी है, या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट किया है। हमने कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जबाव

नियमों के अनुसार बनाए गए खातों की बही की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii)

(क) कंपनी आम तौर पर संबंधित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खातों की बही के अनुसार, कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कुछ वैधानिक बकाया हैं जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	मांग राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण, जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/ टीडीएस/ टीसीएस			एओ, धनबाद
			0.0496	2017-18	एसीआईटी, धनबाद
			0.028	2010-11 to 2014-15	जेसीआईटी टीडीएस धनबाद
			37.5031	2008-09 से 2019-20	सीआईटी धनबाद
			45.8846	2007-08 से 2016-17	सीआईटी (ए) टीडीएस
			27.4627	2007-08 से 2019-20	सीआईटी (ए) धनबाद
			548.8253	2006-07से 2013-14	आईटीएटी, रांची
2	जेवैट (JVAT) अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	2.233	2012-13	जेवैएसीसीटी
			129.52	2007-08 से 2020-21	डीसीसीटी
			109.4676	1999-00 से 2016-17	जेसीसीटी
			1.3863	2010-11	सीसीटी/ अपील
			0.1	2011-12	ट्रिब्यूनल रांची

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | **प्रबंधन का जबाव**

3	बीएसटी (BST) अधिनियम, 1959	बिहार सेल्स टैक्स	2.99	2004-05 से 2006-07	अपीलीय अदालत
4	सीएसटी (CST) अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर Ta	0.1912	2012-13 से 2014-15	एसीसीटी
			142.3265	2004-05 से 2019-20	डीसीसीटी
			132.0213	2003-04 से 2019-20	जेसीसीटी
			0.8929	2010-11	सीसीटी/ अपील
			0.6582	2011-12 से 2014-15	ट्रिब्यूनल रांची
5	डब्ल्यूबी पीई (WB PE) अधिनियम, 1973 और डब्ल्यूबी आरईपी (WBREP) अधिनियम, 1976	ग्रामीण शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा उपकर	8.9122	1995-96 से 2009-10	डब्ल्यूबी ट्रिब्यूनल
			0.3524	2010-11 to 2011-12	विशेष आयुक्त पश्चिम बंगाल वैट बेलगछिया
6	मएमआरडी (MMRD) अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	186.33	1979 से 2014-15	प्रमाणन अधिकारी, धनबाद
			4.47	2005-06	कोयला मंत्रालय
			319.31	1979-80 से 2012-13	झारखंड उच्च न्यायालय
			1.10	1994-95	सुप्रीम कोर्ट
7	ईडी (ED) अधिनियम, 1948	बिजली शुल्क	6.2898	2007-08 से 2015-16	डीसीसीटी
			25.1382	2006-07 से 2016-17	जेसीसीटी धनबाद
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	3.986	2014 से मार्च 2017	सेस्टेट कोलकाता
			0.0107	2014-15 से 2016-17	आयुक्त अपील, रांची
			2.6469	2014-15 से 2016-17	संयुक्त आयुक्त, धनबाद

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब

9	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,	उत्पाद शुल्क	9.4818	मार्च 11 से जून 2018	आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), रांची
			248.178	2010-11 से 2017-18	ट्रिब्यूनल
			7.5293	मार्च 86 से 2014-15	झारखंड उच्च न्यायालय
10	एसजीएसटी (SGST) अधिनियम, 2017	जीएसटी	100.4524	2017-18	झारखंड उच्च न्यायालय
			9.8485	2017-18	आयुक्त अपील
11	होल्डिंग टैक्स	होल्डिंग टैक्स	252.23	2015-16	झारखंड उच्च न्यायालय
12	ऊर्जा उपकर	ऊर्जा उपकर	0.6787	2012-13 से 2015-16	जेसीसीटी झरिया सर्किल
	कुल		**2,368.49**		

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कंपनी से संबंधित कोई भी लेन-देन आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया गया, जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix)

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक से ऋण लिया है और वित्तीय वर्ष के दौरान बिना किसी चूक के उसे चुका दिया गया है।

ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में घोषित नहीं किया गया।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और न ही वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण था।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है।

ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है;

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।

(x)

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</th><th>प्रबंधन का जबाव</th></tr>
<tr><td>
(xi)
(क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं पायी गई या रिपोर्ट नहीं की गई। सतर्कता विभाग से प्राप्त दिनांक 03.04.2024 के पत्र के अनुसार कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर धोखाधड़ी के निम्नलिखित मामलों का पता चला है, जिनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>मामला संख्या /</th><th>मामले का संक्षिप्त विवरण</th></tr>
<tr><td>केस-1</td><td>सीबी/03/2023 दिनांक 03.05.2023 को पंजीकृत</td><td>केंद्रीय अस्पताल धनबाद में पीएफ और पेंशन अंशदान के भुगतान में कथित अनियमितता</td></tr>
<tr><td>केस-2</td><td>सीबी/04/2023 दिनांक 15.05.2023 को पंजीकृत</td><td>कुस्तोर कोलियरी में पानी के टैंकरों के चालकों और ऑटो विभाग के लोगों को रविवार/छुट्टी के दिन भी अनियमित रूप से तैनात किया जाता है, भले ही पानी का टैंकर खराब रहता हो।</td></tr>
<tr><td>केस-3</td><td>सीबी/05/2023 दिनांक 15.09.2023 को पंजीकृत</td><td>बीसीसीएल के ब्लॉक-II क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक श्री रत्नाकर मल्लिक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप।</td></tr>
<tr><td>केस-4</td><td>सीबी/01/20234 दिनांक 06.01.2024 को पंजीकृत</td><td>कतरास क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्ट आचरण।</td></tr>
<tr><td>केस-5</td><td>सीबी/02/2024 दिनांक 28.03.2024 को पंजीकृत</td><td>सेवानिवृत्त कर्मचारी को आवंटित कंपनी क्वार्टर सौंपे बिना एनओसी जारी करने में कथित अनियमितताएं।</td></tr>
<tr><td>केस-6</td><td>सीबी/04/2024 दिनांक 29.03.2024 को पंजीकृत</td><td>गोविंदपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए डॉ. एस एस कुमार द्वारा कथित अनियमितताएं की गई।</td></tr>
</table>
(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत रिपोर्ट के संबंध में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है / हमारे संज्ञान में नहीं आई है, जैसा कि केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथा निर्धारित फॉर्म एडीटी- 4 में दायर किया जाना है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन भी शामिल हैं, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii)
(क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसे लेन-देनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv)
(क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
(ख) अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया है।
</td><td>उचित कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।</td></tr>
</table>

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत कवर किया गया है। (xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। (ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है; (ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। (घ) कंपनी ने समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी का समूह नहीं बनाया है; (xvii) कंपनी को चालू एवं पिछले वित्त वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है। (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। (xix) वित्तीय अनुपात, आयु बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी राय है कि लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। अत: कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को एक वर्ष की अवधि के अंदर जब भी कोई देय हो तो वह अपनी मौजूदा देनदारियों को अदा करने में सक्षम है। तथापि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कंपनी के भविष्य के दायित्व के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। इसके अतिरिक्त हम घोषणा करते हैं कि इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों के आधार पर हमारी रिपोर्टिंग और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त/मुक्त कर दी जाएंगी, जैसे और जब वे देय हों। (xx) (क) कंपनी के पास चालू परियोजनाओं के अलावा कोई परियोजना नहीं है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है। (ग) चल रही परियोजना के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में से अव्ययित शेष सीएसआर राशि को बैलेंस शीट की तारीख में स्थानांतरित नहीं किया है। इस तरह के हस्तांतरण के लिए समय अवधि के बाद से हमारी रिपोर्ट की तारीख तक अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन, हमारी रिपोर्ट की तारीख तक नहीं बीते हैं। कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश का पैरा 3 के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 312063E

(मदन मोहन प्रसाद)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 24074568BKGOJO1746

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III
[हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं" के अनुच्छेद 3(छ) का अवलोकन करें]
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
1. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उस तिथि को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व** 2. इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप ,इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।	
लेखा परीक्षकों का दायित्व 3. हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपना लेखा परीक्षा किया है, ये दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों। 4. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। 5. हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए है, उसके बारे में हमें विश्वास है कि वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण संबंधी राय देने के आधार के लिए पर्याप्त और उचित हैं।	

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ: 6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्योंके लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयार से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयारी की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल रहती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से संबंधितहो, जिसमें समुचित विवरण होऔर इनमें कंपनी परिसंपत्तियों के लेन देन तथा प्रबंध की वास्तविक और पूर्ण झलक मिल सके, (2) उचित आश्वासन दें जिसमें कि सामान्य तौर से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी करने हेतु लेन-देन का रिकार्ड अनिवार्यतः तौर पर किया जाता है तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्चे कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के एवं अनुमोदन के अनुसार हैं तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना अथवा उसकी रोकथाम करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रयोग एवं प्रबंध जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में उचित आश्वासन देना। **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं** 7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम वाले हो सकते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त होने अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट जैसे जोखिम हो सकते हैं। **अभिमत/राय** 8. हमारी राय में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां 31 मार्च, 2024 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक केआवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियां पर आधारित हैं।	

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 312063E

(मदन मोहन प्रसाद)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 24074568BKGOJO1746

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2024
स्थान : धनबाद

अनुलग्नक-VII

सत्यमेव जयते

संख्या No. 193/CAR/CCL/A/c Audit/BCCL/2023-24

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated 01 JUL 2024

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद-826005

विषय: 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करता हूँ।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(बिभुदत्ता बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

संलग्नः यथोपरि।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 01 जुलाई, 2024

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700 020
OLD NIZAM PALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata-700 020
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8838 Fax : 2280 0062
e-mail : dgacoalkol@cag.gov.in

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुरूप वर्षांत 31 मार्च, 2024 हेतु भारत कोकिंग कोल लि. के वित्तीय विवरण के निर्माण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर, इस अधिनियम की धारा 143 के तहत अपनी राय व्यक्त करने के लिए जवाबदेह हैं। यह उनके द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के माध्यम व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

क. प्रकटन पर टिप्पणी
क.1 तुलन पत्र
परिसंपत्तियाँ
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 6.2)
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य : ₹ 1531.62 करोड़

भारतीय लेखा मानक-01 के अनुसार, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में की गई धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में भौतिक समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को 31 मार्च 2024 तक 1531.62 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त हुआ है। आईटीसी प्राप्तियां हर साल संचित और बढ़ रही हैं, यह मुख्य रूप से इनवर्टेड कर ढांचे के कारण हो रहा है, क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है, और वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीसी प्राप्तियों की राशि में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए जमा किए गए इनपुट टैक्स से कम हो रहा था, भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन की संभावना अनिश्चित है। हालाँकि, न तो बीसीसीएल ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए अपने स्पष्टीकरण में उपर्युक्त तथ्यों का विस्तार से खुलासा किया था, जो कि भारतीय लेखा मानक 01 का उल्लंघन है।

तथ्यों का खुलासा न करना जो सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए अभिन्न अंग हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी का परिणाम है।

ख.2 मैटेरियल लेखा नीतियाँ (मैटेरियल एकाउटिंग पॉलिसीज) (टिप्पणी 2)

स्ट्रिपिंग गतिविधि (टिप्पणी 2.19)

बीसीसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन के अनुसार, अनुपात भिन्नता रिजर्व के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवस्थित रूप से उलट दिया गया (नीति 2.23), और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.19) का निर्माण किया गया, सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया। लेखा नीति में इस परिवर्तन के कारण, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 3.1) के अंतर्गत 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगातार दिखाया जा रहा है, जबकि मौजूदा नीति के अनुसार ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को स्थिति आने पर अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित किया जाता है, जिसका पालन 2022-23 तक किया जाता था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के कारण वाक्य 'स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है' भी डाला गया है।

आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात.. लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, बीसीसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त होंगे। हालांकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन का खुलासा मैटेरियल लेखा नीति में नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी कुछ नहीं कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के पूरे जीवन या खदान के "शेष जीवन" में परिशोधित किया जाएगा।

भारतीय लेखा मानक 08 का अनुच्छेद 29: लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां बताती हैं कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (ए) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए; (बी) कारण कि नई लेखांकन नीति लागू करने से विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती

है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 121: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है।

स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के संचालन का एक अभिन्न अंग है, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण और इसके कारणों के साथ वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक था, जो संयोगवश, इस नीति में नहीं था।

इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर मैटेरियल लेखांकन नीति संख्या 2.19 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

ग.3 बैलेंस शीट
देनदारियाँ
प्रावधान - गैर-वर्तमान
साइट बहाली / खदान बंद करना (नोट-9.1.3): ₹ 579.61 करोड़

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक -01 के अनुच्छेद 112 (c) में कहा गया है कि किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है। अनुच्छेद 15 में आगे कहा गया है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो, तो वित्तीय विवरणों में परिणामित होने के लिए माना जाता है जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने मई 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 01 अप्रैल 2019 से खदान बंद करने की दर (एमसीआर) को ओपन कास्ट के मामले में 6.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 9.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और भूमिगत खदान के मामले में 1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया था। इसके बाद, कोयला नियंत्रक संगठन ने (सितंबर 2022) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों को मई 2020 में एमओसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में खदान-वार वार्षिक बंद करने की लागत अनुसूची को संशोधित करने और संशोधित एस्क्रो समझौते को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, नए दिशा-निर्देशों के आधार पर, बीसीसीएल ने 31 मार्च 2024 तक कुल 49 एस्क्रो समझौतों में से 18 एस्क्रो समझौतों को संशोधित किया। हालाँकि, शेष 31 एस्क्रो समझौतों को 31 मार्च 2024 तक संशोधित / अद्यतन नहीं किया जा सका। उपरोक्त तथ्यों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया जाना आवश्यक था।

तथ्यों का खुलासा न करना, जो सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए अभिन्न अंग हैं, के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

(बिभुदत्ता बसंतिया)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 01 जुलाई, 2024

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का जवाब 2023-24

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
क. प्रकटन पर टिप्पणी **क.1 तुलन पत्र** **परिसंपत्तियाँ** **अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 6.2)** **इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य : ₹ 1531.62 करोड़** भारतीय लेखा मानक-01 के अनुसार, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में की गई धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में भौतिक समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को 31 मार्च 2024 तक 1531.62 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त हुआ है। आईटीसी प्राप्तियां हर साल संचित और बढ़ रही हैं, यह मुख्य रूप से इनवर्टेड कर ढांचे के कारण हो रहा है, क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है, और वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीसी प्राप्तियों की राशि में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए जमा किए गए इनपुट टैक्स से कम हो रहा था, भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन की संभावना अनिश्चित है। हालाँकि, न तो बीसीसीएल ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए अपने स्पष्टीकरण में उपर्युक्त तथ्यों का विस्तार से खुलासा किया था, जो कि भारतीय लेखा मानक 01 का उल्लंघन है। **तथ्यों का खुलासा न करना जो सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए अभिन्न अंग हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी का परिणाम है।**	**वर्तमान मुद्दा बीसीसीएल द्वारा प्राप्त संचित आईटीसी के उपयोग के बारे में है। प्राप्त जीएसटी आईटीसी की राशि का उपयोग भविष्य में बिना किसी समय सीमा के किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जीएसटी आईटीसी के उपयोग को प्रतिबंधित करता हो। इसके अलावा, मूल्य संशोधन, कोयले पर जीएसटी दर में परिवर्तन जैसे आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कई कारक हैं, जिन पर जीएसटी आईटीसी का उपयोग भविष्य में अलग-अलग होगा और वर्तमान में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीएसटी आईटीसी के उपयोग की कोई सीमा नहीं है और मूल्य संशोधन/जीएसटी दरों में परिवर्तन की संभावना है, बीसीसीएल संचित आईटीसी को आगे बढ़ा रहा है।** यह उल्लेख करना उचित है कि बीसीसीएल के वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 6.2.4 में आईटीसी के संचय पर एक विशिष्ट प्रकटीकरण है, जो इस प्रकार है: "₹ 1531.62 करोड़ (पी.वाई. ₹ 1323.29 करोड़) की संचित राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को बताती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के लिए किया जा सकता है। यह संचय इनवरटेड कर ढांचे के परिणामस्वरूप हुआ है।" हालाँकि, जैसा कि ऑडिट द्वारा उल्लेख किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड के परामर्श से अगले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी। उपरोक्त के मद्देनजर, अनंतिम टिप्पणी कृपया छोड़ दी जाए।

विभागाध्यक्ष (वित्त) **महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी** **निदेशक (वित्त)**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
ख.2 मैटेरियल लेखा नीतियाँ (मैटेरियल एकाउटिंग पॉलिसीज) (टिप्पणी 2) स्ट्रिपिंग गतिविधि (टिप्पणी 2.19) बीसीसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखा नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन के अनुसार, अनुपात भिन्नता रिजर्व के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवस्थित रूप से उलट दिया गया (नीति 2.23), और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.19) का निर्माण किया गया, सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया। लेखा नीति में इस परिवर्तन के कारण, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 3.1) के अंतर्गत 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगातार दिखाया जा रहा है, जबकि मौजूदा नीति के अनुसार ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को स्थिति आने पर अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित किया जाता है, जिसका पालन 2022-23 तक किया जाता था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के कारण वाक्य 'स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है' भी डाला गया है। आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात.. लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, बीसीसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त होंगे। हालांकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन का खुलासा मैटेरियल लेखा नीति में नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी कुछ नहीं कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के पूरे जीवन या खदान के "शेष जीवन" में परिशोधित किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 08 का अनुच्छेद 29: लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां बताती हैं कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (ए) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए; (बी) कारण कि नई लेखांकन नीति लागू करने से विश्वसनीय और	भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट बी के अनुच्छेद 15 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक का अपेक्षित उपयोगी जीवन पूरा होने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति का व्यवस्थित आधार पर मूल्यहास या परिशोधन किया जाएगा, जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है। कंपनी की लेखा नीति में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवन पर परिशोधित किया जाता है। यह निहित है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाएगा जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है। इसके अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यहास/परिशोधन को विभिन्न नीतियों द्वारा कवर किया जाता है। उपरोक्त नीति अन्य खनन कंपनियों में भी समान है जो भारतीय लेखा मानक या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक का अनुपालन करती हैं। हालांकि पूरक लेखापरीक्षा में दिए गए अवलोकन का अनुपालन करने के लिए, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के परिशोधन की नीति को अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद से उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
अधिक प्रासंगिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 121: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के संचालन का एक अभिन्न अंग है, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण और इसके कारणों के साथ वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक था, जो संयोगवश, इस नीति में नहीं था। इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर मैटेरियल लेखांकन नीति संख्या 2.19 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।	

विभागाध्यक्ष (वित्त) **महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी** **निदेशक (वित्त)**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
ग.3 बैलेंस शीट **देनदारियाँ** **प्रावधान - गैर-वर्तमान** **साइट बहाली / खदान बंद करना (नोट-9.1.3): ₹ 579.61 करोड़** वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक -01 के अनुच्छेद 112 (c) में कहा गया है कि किसी इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है। अनुच्छेद 15 में आगे कहा गया है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो, तो वित्तीय विवरणों में परिणामित होने के लिए माना जाता है जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने मई 2020 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 01 अप्रैल 2019 से खदान बंद करने की दर (एमसीआर) को ओपन कास्ट के मामले में 6.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 9.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और भूमिगत खदान के मामले में 1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया था। इसके बाद, कोयला नियंत्रक संगठन ने (सितंबर 2022) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सहायक कंपनियों को मई 2020 में एमओसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में खदान-वार वार्षिक बंद करने की लागत अनुसूची को संशोधित करने और संशोधित एस्क्रो समझौते को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, नए दिशा-निर्देशों के आधार पर, बीसीसीएल ने 31 मार्च 2024 तक कुल 49 एस्क्रो समझौतों में से 18 एस्क्रो समझौतों को संशोधित किया। हालाँकि, शेष 31 एस्क्रो समझौतों को 31 मार्च 2024 तक संशोधित / अद्यतन नहीं किया जा सका। उपरोक्त तथ्यों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया जाना आवश्यक था। **तथ्यों का खुलासा न करना, जो सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए अभिन्न अंग हैं, के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।**	कंपनी ने सीसीओ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए एफ. संख्या सीसीओ-एमसीपीएस/3/2022-एमसीपीएस दिनांक 07.09.2022 के तहत आगे की कार्रवाई की और 18 एस्क्रो समझौतों को संशोधित किया और साथ ही 2 नए एस्क्रो समझौतों को निष्पादित किया। शेष 31 एस्क्रो खातों में से, जिन्हें अभी संशोधित किया जाना है, कुछ पुरानी बंद हो चुकी खदानों को चालू करने के अनुबंध राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ मोड में दिए गए हैं। एमडीओ संचालन के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एमडीओ ऑपरेटरों को इन खदानों की खनन योजना तैयार कर जमा करनी है। इसके बाद खनन योजना जमा करने के बाद एस्क्रो खाते को संशोधित किया जाएगा। कुछ पुरानी छोटी खदानों को हाल के दिनों में समामेलित किया गया है और संशोधित खनन योजना की उचित तैयारी के बाद एस्क्रो खाते को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। कोयले के संरक्षण के मद्देनजर, बीसीसीएल विलय के बाद शेष खदानों के अधिकांश हिस्से को कवर करने वाले बड़े ब्लॉक विकसित करने की प्रक्रिया में है। उचित प्रक्रिया के तहत इन ब्लॉकों को चालू किया जाएगा और इन ब्लॉकों की संशोधित खनन योजना के अनुसार एस्क्रो खातों को संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर सभी खदान बंद करने की योजनाओं को संशोधित किया जाना आवश्यक है, हालांकि, बीसीसीएल शेष एस्क्रो खातों को संशोधित करने की निरंतर प्रक्रिया में है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार, सूचना को महत्वपूर्ण माना जाता है यदि इसमें वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है। इस तरह के संशोधन के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए वित्तीय विवरणों में कोई खुलासा नहीं किया गया।

विभागाध्यक्ष (वित्त) **महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी** **निदेशक (वित्त)**

अनुलग्नक-VIII

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
फॉर्म नंबर -एमआर -3
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
सेवा में, सदस्य **मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** **कोयला भवन कोयला नगर।** धनबाद-826005 झारखंड, भारत हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (जिसे बाद में "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है, सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया। कंपनी की लेखा बहियों, कागजात, मिनट्स बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान रिपोर्ट की है। इसके तहत सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं, जो कि इस प्रकार की और इसके बाद की रिपोर्टिंग के अधीन हैं: हमने (1) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लेखा बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है। (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (ii) प्रतिभूति संविदा **(विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);** (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके के तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);** (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं); (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश	

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है); (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015; (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);** (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है):** (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है):** (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है); (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है); (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है); हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है: (I) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक: (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 **(जिस सीमा तक यह कंपनी पर लागू है);** (iii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून निम्नलिखित हैं: क) कोयला खान अधिनियम, 1952 ख) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 घ) कोयला खान विनियम, 2017 ङ) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 छ) कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974 ज) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 झ) खान शिशु गृह नियम, 1961	

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
ञ) खान बचाव नियम, 1985 ट) कोयला खान पिटहेड स्नान नियम, 1946 ठ) मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963 (ड) विस्फोटक नियम, 2008 (ढ) खनिज रियायत नियम, 1960 (ण) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (त) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (थ) अवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1989 (द) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956 (ध) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 (न) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016 (प) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (फ) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (ब) सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:** ऑडिट अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे उल्लिखित सीमा तक: **1. कंपनी के निदेशक मंडल की ऑडिट समिति की संरचना** ***समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, सीपीएसई पर कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 में परिकल्पित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या ऑडिट समिति में मौजूद नहीं थी। चूंकि नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की गई थी, इसलिए प्रबंधन द्वारा समय-समय पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय को अपेक्षित पत्र भेजे गए थे, जिनकी प्रतिलिपि इसकी होल्डिंग कंपनी को भी भेजी गई थी।*** **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** उपर्युक्त को छोड़कर, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन में किए गए थे।	डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में कम से कम 3 निदेशक और उसके दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। समिति में 8 सदस्य हैं, जिनमें से 4 स्वतंत्र निदेशक हैं और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अधिकतम संख्या 5 (पांच) है, 2 (दो) सरकारी नामित हैं। इसलिए इसका पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। सीआईएल की एक असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और धारा 177 के प्रावधान जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 और कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पढ़े जाएं, जो कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
सभी निदेशकों को बोर्ड समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए जाते हैं, कार्यसूची पर कार्यसूची और विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बहुमत से निर्णय लिया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कैप्चर किया जाता है और कार्यवृत्त के . हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं / कार्रवाइयां थीं जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। **कृते मेहता और मेहता,** **कंपनी सचिव** **(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500** **रवीना दुगर अग्रवाल** **साझेदार** **एसीएस नं.: 51836** **सीपी नं.: 26055** **यूडीआईएन : A051836F000618985** **पीआर नं.: 3686/2023** **स्थान: कोलकाता** **दिनांक: 26.06.2024** **नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो 'परिशिष्ट - क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।**	और लेखा परीक्षा समिति के गठन के संबंध में बीसीसीएल पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए "लेखा परीक्षा समिति की संरचना" पर डीपीई दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन किया गया है।

परिशिष्ट – क

<table>
<tr><th>सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट</th><th>प्रबंधन की टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>सेवा में,
सदस्यगण,
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद, झारखंड-826005
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2) हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4) जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6) फार्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल किए गए पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा विभिन्न फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।

7) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
कृते मेहता और मेहता,
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500
रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एसीएस नं.: 51836
सीपी नं.: 26055
यूडीआईएन : A051836F000618985
पीआर नं.: 3686/2023
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 26.06.2024</td><td></td></tr>
</table>

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

सीआईएन:U10101972GOI000918

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का नियम 33

31.03.2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अनअंकेक्षित परिणाम का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही की समाप्ति पर			वर्ष की समाप्ति पर	
		31.03.2024 अंकेक्षित	31.12.2023 (पुन: घोषित)	31.03.2023 (पुन: घोषित)	31.03.2024 अंकेक्षित	31.03.2023 अंकेक्षित
	परिचालन से राजस्व (लेवी के बाद शुद्ध)					
क	बिक्री	3,521.17	3,243.80	3,641.22	13,216.17	12,333.34
ख	अन्य परिचालन राजस्व	79.81	265.93	284.70	897.14	947.59
(I)	**परिचालन से राजस्व (लेवी के बाद शुद्ध) (क+ख)**	**3,600.98**	**3,509.73**	**3,925.92**	**14,113.31**	**13,280.93**
(II)	अन्य आय	161.69	77.89	138.73	393.77	426.47
(III)	**कुल आय (I+II)**	**3,762.67**	**3,587.62**	**4,064.65**	**14,507.08**	**13,707.40**
(IV)	**व्यय:**					
	(क) खपत सामग्री की लागत	196.72	148.28	256.38	742.22	989.82
	(ख) तैयार माल/ चालू कार्य की सूची में परिवर्तन	(230.24)	(158.77)	(161.41)	(332.18)	(14.38)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,975.35	1,689.89	2,424.36	7,150.69	7,358.12
	(घ) वित्तीय लागत	15.51	17.55	15.41	61.83	55.69
	(झ) मूल्यहास / परिशोधन / हानि	103.75	83.98	101.80	340.39	305.43
	(ठ) स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट	(268.70)	(34.53)	7.50	(385.69)	672.67
	(छ) संविदात्मक व्यय	1,037.91	708.83	630.41	3,168.64	2,391.35
	(ड) अन्य व्यय	520.13	411.09	439.91	1,669.51	1,418.51
	कुल व्यय (क से ड)	**3,350.43**	**2,866.32**	**3,714.36**	**12,415.41**	**13,177.21**
(V)	**कर से पहले लाभ (हानि) (III-IV)**	**412.24**	**721.30**	**350.29**	2,091.67	**530.19**
(VI)	कर व्यय	206.67	97.40	(68.17)	527.21	(134.59)
(VII)	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (V-VI)**	**205.57**	**623.90**	**418.46**	**1,564.46**	**664.78**
(VIII)	**अन्य व्यापक आय / (हानि)**					
	(i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(72.49)	(0.58)	10.47	(62.33)	(179.94)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	(18.25)	(0.14)	2.63	(15.69)	(45.29)
	कुल अन्य व्यापक आय (i-ii)	**(54.24)**	**(0.44)**	**7.84**	**(46.64)**	**(134.65)**
(IX)	कुल व्यापक आय / (हानि) (VII+VIII)	**151.33**	**623.46**	**426.30**	**1,517.82**	**530.13**
(X)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000 / - प्रत्येक)	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00
(XI)	**प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹1000 / - प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)**					
	क) बेसिक	**44.14**	**133.97**	**89.86**	**335.94**	**142.75**
	ख) डाइल्यूट	**44.14**	**133.97**	**89.86**	**335.94**	**142.75**
(XII)	**उत्पादन (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)**	11.27	10.51	10.25	41.10	36.18
(XIII)	**ऑफटेक (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)**	10.16	9.85	9.42	39.27	35.53
(XIV)	**ओबीआर (घन मीटर में)**	**37.08**	**38.10**	**27.07**	**149.28**	**111.47**

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार	बोर्ड की ओर से	
कृते नाग एंड एसोसिएट्स	**(समीरन दत्ता)**	**(राकेश कुमार सहाय)**
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध	निदेशक (वित्त)
एफआरएन - 312063E	निदेशक एवं सीईओ	एवं सीएफओ
	डीआईएन-08519303	डीआईएन- 10122335
(सीए एम एम प्रसाद)		
साझीदार		
सदस्य संख्या - 074568		
	(एम. के. वर्मा)	**(बी. के. पारूई)**
दिनांक: 24.04.2024	विभागाध्यक्ष (वित्त)/प्रभारी	कंपनी सचिव
स्थान: धनबाद		

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)
31.03.2024 को तुलन-पत्र

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर		
		31.03.2024	31.03.2023 (पुन: घोषित)	01.04.2022 (पुन: घोषित)
परिसंपत्तियां				
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां				
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां3.1	3.1	3438.57	2907.81	2336.68
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण3.2	3.2	1367.81	1299.83	1447.35
(ख) पूंजीगत जारी कार्य3.3	3.3	163.29	155.36	167.13
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां3.4	3.4	12.66	15.68	0.00
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां3.5	3.5	0.00	0.00	18.58
(ङ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति				
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां4.1	4.1	0.00	0.00	0.00
(i) निवेश4.2	4.2	0.00	0.00	0.00
(ii) ऋण4.6	4.6	886.62	705.86	607.18
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां11.2	11.2	717.08	1048.27	867.08
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां11.1	11.1	0.00	0.00	0.00
(ज) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां6.1	6.1	856.90	620.85	349.91
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (क)		**7442.93**	**6753.66**	**5793.91**
वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)5.1	5.1	1381.58	1029.06	978.45
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश4.1	4.1	266.52	79.72	0.00
(ii) व्यापार प्राप्तियां4.3	4.3	1333.25	1251.15	1037.01
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य4.4	4.4	326.31	586.62	617.33
(iv) अन्य बैंक जमा शेष4.5	4.5	618.32	567.58	7.24
(v) ऋण 4.2	4.2	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां4.6	4.6	73.69	58.98	36.31
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां11.1	11.1	102.85	168.57	151.44
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां6.2	6.2	3182.27	2817.51	2549.23
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**7284.79**	**6559.19**	**5377.01**
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**14727.72**	**13312.85**	**11170.92**

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर		
		31.03.2024	31.03.2023 (पुनः घोषित)	01.04.2022 (पुनः घोषित)
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	4657.00	4657.00	4657.00
(ख) अन्य इक्विटी	7.2	664.72	(853.10)	(1,383.23)
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		5321.72	3803.90	3273.77
गैर-नियंत्रित ब्याज		0.00	0.00	0.00
कुल इक्विटी (क)		**5321.72**	**3803.90**	**3273.77**
देयताएं				
गैर-मौजूदा देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारियां	8.1	0.00	0.00	0.00
(ii) पट्टा देयताएं	8.2	152.73	153.79	156.35
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	324.17	296.51	283.71
(ख) प्रावधान	9.1	2017.51	2089.30	1540.54
(ग) आस्थगित कर देयताएं	11.2	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं	10.1	882.63	149.82	474.31
कुल गैर-मौजूदा देयताएं (ख)		**3377.04**	**2689.42**	**2454.91**
वर्तमान देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारियां	8.1	0.00	0.00	0.00
(ii) पट्टा देयताएं	8.2	77.50	58.85	43.93
(iii) व्यापार देय -	8.3			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		8.71	13.57	25.40
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		1224.82	899.34	774.86
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	1583.91	1448.40	1507.01
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	10.2	1949.37	1968.63	2058.26
(ग) प्रावधान	9.1	1184.65	2430.74	1032.78
(घ) वर्तमान कर देयताएं (कुल)	11.1	0.00	0.00	0.00
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		**6028.96**	**6819.53**	**5442.24**
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**14727.72**	**13312.85**	**11170.92**

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 312063E

(सीए एम एम प्रसाद)
साझीदार
सदस्य संख्या - 074568

दिनांक: 24.04.2024
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-08519303

(राकेश कुमार सहाय)
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 10122335

(एम. के. वर्मा)
विभागाध्यक्ष (वित्त)/प्रभारी

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
			31.03.2024	31.03.2023 (पुनः घोषित)
	परिचालन से राजस्व (वैधानिक लेवी के बाद)			
क.	बिक्री	12.1	13,216.17	12,333.34
ख.	अन्य परिचालन राजस्व	12.1	897.14	947.59
(I)	**परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)**		14,113.31	13,280.93
(II)	अन्य आय	12.2	393.77	426.47
(III)	**कुल आय (I+II)**		**14,507.08**	**13,707.40**
(IV)	**खर्चे**			
	खपत सामग्री की लागत	13.1	742.22	989.82
	तैयार माल / विक्रय स्टॉक / जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	13.2	(332.18)	(14.38)
	कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	7,150.69	7,358.12
	वित्तीय लागत	13.4	61.83	55.69
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	13.5	340.39	305.43
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	(385.69)	672.67
	संविदात्मक व्यय	13.7	3,168.64	2,391.35
	अन्य व्यय	13.8	1,669.51	1,418.51
	कुल व्यय (IV)		**12,415.41**	**13,177.21**
(V)	**कर से पहले लाभ (III-IV)**		**2,091.67**	**530.19**
	कर व्यय	14.1		
(VI)	वर्तमान कर		180.33	1.31
(VII)	आस्थगित कर		346.88	(135.90)
(VIII)	**कुल कर व्यय (VI+VII)**		**527.21**	**(134.59)**
(IX)	**अवधि / वर्ष के लिए लाभ (V-VIII)**		**1,564.46**	**664.78**
(X)	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	15.1	**(62.33)**	**(179.94)**
	घटाएं: (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		**(15.69)**	**(45.29)**
	ख (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	घटाएं: (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय		**(46.64)**	**(134.65)**

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
		31.03.2024	**31.03.2023 (पुन: घोषित)**
(XI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)		1,517.82	530.13
लाभ संबंधित:			
कंपनी के मालिकों से		1,564.46	664.78
अनियंत्रित ब्याज से		-	-
		1,564.46	**664.78**
अन्य व्यापक आय संबंधित:			
कंपनी के मालिकों से		(46.64)	(134.65)
अनियंत्रित ब्याज से		-	-
		(46.64)	**(134.65)**
कुल व्यापक आय संबंधित:			
कंपनी के मालिकों से		1,517.82	530.13
अनियंत्रित ब्याज से		-	-
		1,517.82	**530.13**
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 1000 प्रत्येक)			
(1) बेसिक		335.94	142.75
(2) डाइल्यूटेड		335.94	142.75

ईपीएस की गणना के लिए टिप्पणी संख्या 16 (6) देखें
संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते नाग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 312063E

(सीए एम एम प्रसाद)
साझीदार
सदस्य संख्या - 074568

दिनांक: 24.04.2024
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-08519303

(राकेश कुमार सहाय)
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 10122335

(एम. के. वर्मा)
विभागाध्यक्ष (वित्त)/प्रभारी

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)
नकद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: घोषित)
1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) :	2,091.67	530.19
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
(i) मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	340.39	305.43
(ii) ब्याज और लाभांश आय	(180.76)	(66.69)
(iii) वित्त लागत	61.83	55.69
(iv) (लाभ)/संपत्ति की बिक्री पर हानि	(1.38)	(0.58)
(v) देयता और प्रावधान वापस लिखा गया	(60.33)	(250.10)
(vi) व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	55.07	16.16
(vii) अन्य प्रावधान	2.23	2.10
(viii) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	(385.69)	672.67
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**1,923.03**	**1,264.87**
(i) व्यापार प्राप्य (भत्तों का शुद्ध)	(82.10)	(214.14)
(ii) इन्वेंटरी	(352.52)	(50.61)
(iii) ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	(392.31)	(322.93)
(iv) अन्य वर्तमान और गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
(v) भुगतेय व्यापार	320.62	112.65
(vi) वित्तीय और अन्य देयताएं	(144.01)	877.12
(vii) अन्य वर्तमान और गैर वर्तमान देयताएं		
(viii) प्रावधान		
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**1,272.71**	**1,666.96**
आयकर भुगतान / वापसी	(114.61)	(18.44)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**1,158.10**	**1,648.52**
2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(1,116.44)	(949.68)
(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय	5.90	7.25
(iii) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में जोड़ (-)/कमी (+)	0.24	12.68
(iv) बैंक जमा में आय/(निवेश)	(230.28)	(654.73)
(v) म्युचुअल फंड, शेयरों आदि में आय/(निवेश)	(186.80)	(79.72)
(vi) निवेश से ब्याज	164.99	48.30
(vii) म्यूचुअल फंड से ब्याज / लाभांश	12.56	7.61

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: घोषित)
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी (ख)	**(1,349.83)**	**(1,608.29)**
3.वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
(i) गैर वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)	-	-
(ii) वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)		
(iii) पट्टा देयता का पुनर्भुगतान ब्याज समेत	(67.21)	(15.25)
(iv) वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत	(1.37)	(55.69)
(v) इक्विटी शेयर पर लाभांश का भुगतान		
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (ग)	**(68.58)**	**(70.94)**
(I) नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क+ख +ग)	**(260.31)**	**(30.71)**
(II) अवधि के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य:		
क. आरम्भिक नकद एवं नकद समतुल्य	586.62	617.33
(III) अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य:		
क. अंतिम नकद एवं नकदी समतुल्य	326.31	586.62

नकदी और नकदी समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-4.4)		
नकदी और नकदी समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)	**326.31**	**586.62**
नकद और नकदी समकक्षों के भाग		
(ए) बैंकों के पास शेष राशि		
जमा खातों में	**226.19**	**63.00**
चालू खातों में	**59.60**	**61.34**
(बी) भारत के बाहर बैंक शेष राशि	**-**	**-**
(सी) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी	**-**	**420.00**
(डी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	**-**	**0.08**
(ई) हाथ में नकदी	**-**	**-**
(एफ) भारत के बाहर हाथ में नकदी	**-**	**-**
(एफ) बैंक ओवरड्राफ्ट		
(जी) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/इम्प्रेस्ट शेष	**40.52**	**42.20**
कुल (नकद और नकदी समकक्षों के भागों के लिए टिप्पणी 4.4 और टिप्पणी 8.1 देखें)	**326.31**	**586.62**

1. वित्त गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ 'करोड़ में)

विवरण	गैर वर्तमान उधारी	वित्तीय पट्टा देयताएं	वर्तमान उधारी
1 अप्रैल 2023 को आरंभिक शेष राशि	-	212.64	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	(67.21)	
निम्नलिखित के कारण गैर-नकद परिवर्तन:			
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को समाप्त करना	-	84.80	
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2024 को समापन शेष राशि	-	**230.23**	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर वर्तमान उधारी	वित्तीय पट्टा देयताएं	वर्तमान उधारी
1 अप्रैल 2023 को आरंभिक शेष राशि	-	200.28	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	(15.25)	
निम्नलिखित के कारण गैर-नकद परिवर्तन:			
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण और वित्त लागत को समाप्त करना	-	27.61	
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2023 को समापन शेष राशि	-	**212.64**	-

* गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, टिप्पणी संख्या 8.1 देखें

2 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

3 कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए ₹ 10.09 करोड़ (टिप्पणी संख्या 13.8 देखें) खर्च किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 13.36 करोड़)।

साथ में दिए गए नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 312063E

(सीए एम एम प्रसाद)
साझीदार
सदस्य संख्या - 074568

दिनांक: 24.04.2024
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-08519303

(राकेश कुमार सहाय)
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 10122335

(एम. के. वर्मा)
विभागाध्यक्ष (वित्त)/प्रभारी

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी
दिनांक 31.03.2024 को

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2023 तक बकाया	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2024 को बकाया शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	4,657.00	-	4,657.00

दिनांक 31.03.2024 को

विवरण	दिनांक 01.04.2022 तक बकाया	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2023 को बकाया शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	4,657.00	-	4,657.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित	संपत्ति कोष	समान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय		
दिनांक 01.04.2023 तक बकाया शेष	-	-	140.99	(1,006.98)	12.89	**(853.10)**
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-				-
01.04.2023 को पुनर्व्यक्त बकाया शेष	-	-	**140.99**	**(1,006.98)**	**12.89**	**(853.10)**
वर्ष के लिए लाभ	-	-		**1,564.46**	**(46.64)**	**1,517.82**
अवधि के दौरान इजाफा	-	-				-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-				-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-				-
अंतरिम लाभांश	-	-				-
अंतिम लाभांश	-	-				-
निगमित लाभांश कर	-	-				-
शेयरों की वापसी खरीद (बाय बैक)	-	-				-
बाय बैक पर कर	-	-				-
बोनस शेयरों का जारी किया जाना	-	-				-
दिनांक 31.03.2024 को बकाया शेष			**140.99**	**557.48**	**(33.75)**	**664.72**

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित	संपत्ति कोष	समान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय		
दिनांक 01.04.2022 तक बकाया शेष	-	-	140.99	(1,671.76)	147.54	**(1,383.23)**
वर्ष के लिए लाभ ((पुनर्व्यक्त)	-	-		664.78	(134.65)	**530.13**
अवधि के दौरान इजाफा						-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-				-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-				-
अंतरिम लाभांश	-	-				-
अंतिम लाभांश	-	-				-
निगमित लाभांश कर	-	-				-
शेयरों की वापसी खरीद (बाय बैक)	-	-				
बाय बैक पर कर	-	-				-
बोनस शेयरों का जारी किया जाना	-	-				-
दिनांक 31.03.2023 को बकाया शेष	-	-	**140.99**	**(1,006.98)**	**12.89**	**(853.10)**

लाभांश तथा आरक्षित निधियों और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी 7.2 देखें।

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते नाग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 312063E

(सीए एम एम प्रसाद)
साझीदार
सदस्य संख्या - 074568

दिनांक: 24.04.2024
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-08519303

(राकेश कुमार सहाय)
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 10122335

(एम. के. वर्मा)
विभागाध्यक्ष (वित्त)/प्रभारी

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31.03.2024 को तुलन पत्र

टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट जानकारी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक मिनीरत्न लोक उपक्रम कंपनी है और यह 100% कोल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी) की एक अनुषंगी कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद- 826005 है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा, की स्थापना 1972 में झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में अवस्थित कोयला खदानों से कोकिंग कोल उत्खनन के लिए की गयी थी। 16 अक्टूबर, 1971 को भारत सरकार द्वारा देश में मौजूद दुर्लभ कोकिंग कोल के स्रोतों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका अधिग्रहण किया गया था। तब से यह कंपनी प्रमुख रूप से झारखंड राज्य एवं आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। देश में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादक होने के कारण इस कंपनी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मैटेरियल लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण मूल लागत आधार के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में मापा जाता है।

मूल लागत आधार आम तौर पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब -

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,

ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो

ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा

घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब माना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह अत्यधिक संभावित है कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

भारतीय लेखा मानक 115 में आवश्यक है कि प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मानक एक अनुबंध के प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

2.4 सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे "कैपिटल रिजर्व" में स्वीकार किया जाता है जो “शेयर होल्डर निधि” का एक भाग है।

2.5 पट्टे (भारतीय लेखा मानक 116)

एक अनुबंध तब एक पट्टा होता है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयाविध के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग के नियंत्रितण का अधिकार प्रदान करता है।

2.5.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में कुछ समय के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो अनुबंध पट्टा होता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि को पट्टेदार उन पट्टा दायित्व का माप पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करेगा जो उस तिथि को अदा नहीं किये गये हैं, जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।।

इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज़ देयता को पट्टा दायित्व पर ब्याज प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि को बढ़ाकर; किये गये पट्टा भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि घटा कर; तथा किसी पुनः आंकलन अथवा पट्टा संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि का पुनर्माप करके मापा जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा गया है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और ROU परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताओं" शीर्षक के तहत अलग से प्रस्तुत किया गया है।

वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक संपत्ति का स्वामित्व पट्टेदार को हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में दिए जाते हैं।

वित्त पट्टा : एक पट्टे को एक वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित करता है। प्रारंभ में, एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टा अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमे पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो।

परिचालन पट्टे- एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE) और मूल्यह्रास

पीपीई की प्रत्येक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत भी शामिल है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रत्येक मद की लागत में शामिल हैं:

क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यहास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

अन्य भूमि (पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो
बिल्डिंग सड़कें	:	3-60 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	1-40 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	:	3-5 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ संपत्ति मदों जैसे कि अन्य भूमि, साइट बहाली संपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई संपत्ति को छोड़कर।

कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं के लिए तकनीकी रूप से उपयोगी जीवन का अनुमान शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष लगाया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास के योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एण्ड डेवलपमेंट) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर

परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है। उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

2.8 खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं बंदीकरण दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चो के साथ इन खर्चो को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को "विकास" के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो “विकास” मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चो को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

<u>व्यावसायिक परिचालन</u>

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चो से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को “अन्य खनन आधारभूत संरचना” नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

2.11 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अर्जित अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर वहन किया जाता है।

बाद के व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की एक वस्तु को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त होने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।

2.12 परिसंपत्तियों का ह्रास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

2.14 वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.14.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियां जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.1.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI) के जरिए।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

2.14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज (एसएसपीआई) का एकमात्र भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

एफवीटीओसीआई (FVTOCI) पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो "ऋण दस्तावेज" को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई के रूप में निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

2.14.1.2.3 एफ वी टी पी एल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेज के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटी ओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफ वी टी पी एल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.14.1.2.4 अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाया गया) के अनुसार, संक्रमण की तिथि पर पिछले GAAP के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

2.14.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेश लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखत दर लिखत आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है। FVTOCI में वर्गीकृत इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के सभी उचित मूल्य परिवर्तन, OCI में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद का पुनर्वर्गीकरण नहीं है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से लाभांश को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है। FVTPL श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को P&L में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.1.2.6 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया गई है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

2.14.1.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 16 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण"अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।
- सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.14.1.3 वित्तीय देयताएं

2.14.1.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.14.1.3.2 परिवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

2.14.1.3.3 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशियंल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.1.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।।

2.14.1.3.5 मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.1.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफ वी टी ओ सी आई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफ वी टी ओ सी आई	एफ वी टी पी एल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.1.5 वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

2.14.1.6 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऐसे मापन के लिए नियोजित इनपुट को देखने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है:

(क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) हैं।

(ख) स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

(ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं, जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.14.1.7 नकदी और नकदी समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समकक्ष में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक नगण्य जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समकक्ष में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.16 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है "आयकर पूर्व लाभ" से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा

तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा होता है।

2.17 कर्मचारियों को लाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (समापन लाभों के अलावा) हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

2.17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित-अंशदायी योजना एक नियोजन पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी अथवा संरचनात्मक

दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों, नियोजन पश्चात लाभों और सेवांत लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं। अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल होती हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले नहीं होती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि के विवरण में मान्य किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनर्मापन

2.18 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और यह ओपनकास्ट खदान के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागतों का अलग-अलग खदानों के लिए अलग से हिसाब लगाया जाता है।

कंपनी स्ट्रिपिंग गतिविधियों के लिए इस प्रकार हिसाब लगाती है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत –

ये कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किए गए प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। इन लागतों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। एक बार उत्पादन चरण शुरू होने के बाद, पूंजीकृत विकास स्ट्रिपिंग लागतों को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत –

ये ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं जो कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद की जाती हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और भविष्य की अवधि में निकाले जाने वाले कोयले तक बेहतर पहुँच। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोल) का उपयोग करके उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले खदान के जीवनकाल में हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने के दौरान हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन का मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया जाता है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

2.20 वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

2.20.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।
स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 स्टोर, पुर्जे और अन्य वस्तुसूचियाँ

स्टोर, पुर्जों और अन्य वस्तुसूचियों के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

2.23 अनुपात भिन्नता (रेशियो वेरिएंस)

अनुपात भिन्नता रिजर्व की मान्यता के लिए कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद से स्थापित नीति का लगातार पालन किया जा रहा है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के उलट होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। ऐसा उलटफेर उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

खदान के मामले में, जहां अनुपात भिन्नता रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है, स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा किए गए अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा पर निकाले गए ओवरबर्डन की अतिरिक्त मात्रा को अनुपात भिन्नता रिजर्व में संगत डेबिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

किसी खदान के मामले में, जहां अनुपात भिन्नता रिजर्व में डेबिट बैलेंस है, निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा पर अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा की अधिकता को स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा करने पर अनुपात भिन्नता रिजर्व में संगत क्रेडिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जहां अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा निकाले गए कोयले की मात्रा को मानक स्ट्रिप अनुपात से गुणा करने पर प्राप्त होती है, जहां मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल ओवरबर्डन को खदान के जीवन के दौरान निकाले जाने वाले कुल कोयले से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला मान होता है।

2.24 निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चो की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है।

एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.24.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

क) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

- (i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना;
- (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं
- (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त
- (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और
- (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क)समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख)ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं

मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

2.24.1.2 सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को वस्तु के प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह होता है कि क्या किसी सूचना को एकल रूप से या अन्य सूचना के संयोजन में हटाने या गलत बताने अथवा अस्पष्ट करने से वे निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

2.24.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है। लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाले लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है:

2.24.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

2.24.2.2 कर

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ लाभ योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और दायित्वों का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है।

2.24.2.4 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

2.24.2.5 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

2.25 प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

क	सीजीयू	नकद उत्पाद इकाई
ख	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह
ग	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ	एफवीटीपीएल	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड.	जीएएपी	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च	इंडस्ट्रीज़ ए.एस	भारतीय लेखा मानक
छ	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज	पी एंड एल	लाभ व हानि
झ	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ 'करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	साईट बहाली लागत[3.1.2 a]	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधियाँ परिसंपत्तियाँ	अप्रयुक्त (सर्वे ऑफ) परिसंपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य[3.1.5]	कुल
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल 2022 को	115.35	27.71	273.88	398.05	2,118.49	15.55	21.51	42.06	198.59	82.36	494.47	4.95	49.35	-	0.88	3,843.20
परिवर्धन	13.45	5.50	11.41	424.11	309.96	2.89	39.56	5.15	1.67	-	72.90	-	8.64	-	-	895.24
विलोपन / समायोजन	-	-	(2.82)	-	(113.29)	(0.53)	(0.20)	(3.66)	(0.37)	-	0.10	-	(6.77)	-	-	(127.54)
31 मार्च 2023 को	**128.80**	**33.21**	**282.47**	**822.16**	**2,315.16**	**17.91**	**60.87**	**43.55**	**199.89**	**82.36**	**567.47**	**4.95**	**51.22**	-	**0.88**	**4,610.90**
1 अप्रैल 2023 को	128.80	33.21	282.47	822.16	2,315.16	17.91	60.87	43.55	199.89	82.36	567.47	4.95	51.22	-	0.88	4,610.90
परिवर्धन	15.20	13.67	11.34	48.29	427.72	3.81	64.41	13.17	8.00	17.77	65.40	185.17	2.53	-	-	876.48
विलोपन / समायोजन	6.45	(6.45)	(1.39)	2.38	(48.67)	(0.06)	(0.12)	(2.59)	(0.03)	-	(7.23)	-	(14.85)	-	-	(72.56)
31 मार्च 2024 को	**150.45**	**40.43**	**292.42**	**872.83**	**2,694.21**	**21.66**	**125.16**	**54.13**	**207.86**	**100.13**	**625.64**	**190.12**	**38.90**	-	**0.88**	**5,414.82**
संचित मूल्यह्रास और नुक़सान																
1 अप्रैल 2022 को	-	1.11	111.74	106.82	1,002.31	8.03	6.93	19.05	26.20	16.71	204.94	-	2.68	-	-	1,506.52
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.72	19.98	21.00	157.90	1.95	8.67	6.69	37.72	4.11	38.55	1.32	0.01	-	-	298.62
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	(101.72)	(0.02)	-	(3.62)	(0.01)	-	3.42	-	(0.10)	-	-	(102.05)
31 मार्च 2023 को	-	**1.83**	**131.72**	**127.82**	**1,058.49**	**9.96**	**15.60**	**22.12**	**63.91**	**20.82**	**246.91**	**1.32**	**2.59**	-	-	**1,703.09**
1 अप्रैल 2023 को	-	1.83	131.72	127.82	1,058.49	9.96	15.60	22.12	63.91	20.82	246.91	1.32	2.59	-	-	1,703.09
वर्ष के लिए प्रभार	-	1.45	20.56	25.85	171.33	1.31	23.15	7.29	40.67	5.47	32.55	1.32	-	-	-	330.95
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	(45.56)	-	-	(1.90)	-	-	-	-	(10.33)	-	-	(57.79)
31 मार्च 2024 को	-	**3.28**	**152.28**	**153.67**	**1,184.26**	**11.27**	**38.75**	**27.51**	**104.58**	**26.29**	**279.46**	**2.64**	**(7.74)**	-	-	**1,976.25**
निवल वहन राशि																
31 मार्च 2024 को	**150.45**	**37.15**	**140.14**	**719.16**	**1,509.95**	**10.39**	**86.41**	**26.62**	**103.28**	**73.84**	**346.18**	**187.48**	**46.64**	-	**0.88**	**3,438.57**
31 मार्च 2023 को	**128.80**	**31.38**	**150.75**	**694.34**	**1,256.67**	**7.95**	**45.27**	**21.43**	**135.98**	**61.54**	**320.56**	**3.63**	**48.63**	-	**0.88**	**2,907.81**

टिप्पणी

3.1.1 संचित क्षति गतिविधि

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	साईट बहाली लागत[3.1.2 a]	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधियाँ परिसंपत्तियाँ		रेल कॉरिडोर	अन्य[3.1.5]	कुल
1 अप्रैल 2022 को	-	-	1.52	0.55	14.37	-	-	-	-	-	65.73	-	2.09	-	-	**84.26**
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72	-	-	-	-	**4.72**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.10)	-	-	**(0.10)**
31 मार्च 2023 को	**0.00**	**0.00**	**1.52**	**0.55**	**14.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.45**	**0.00**	**1.99**	**0.00**	**0.00**	**88.88**
1 अप्रैल 2023 को	**0.00**	**0.00**	**1.52**	**0.55**	**14.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.45**	**0.00**	**1.99**	**0.00**	**0.00**	**88.88**
परिवर्धन	-	-	2.00	-	0.05	-	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-	**3.25**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(0.23)**	-	-	**(0.23)**
31 मार्च 2024 को	**0.00**	**0.00**	**3.52**	**0.55**	**14.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71.65**	**0.00**	**1.76**	**0.00**	**0.00**	**91.90**

3.1.2 भूमि:

1. भूमि सुधार / साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खदान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
2. कंपनी के स्वामित्व वाली लगभग 435.467 एकड़ भूमि गंभीर रूप से अतिक्रमित क्षेत्र है जिसमें से कुछ हिस्से का कब्जा वापस ले लिया गया है, जिसके परिमाणीकरण प्रगति पर है।

3. अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर*/ निदेशक या कर्मचारी का रिश्तेदार# है?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	150.45	केवल कंपनी द्वारा सीधे खरीदे जाने के मामले में (1079.75 हेक्टेयर)	लागू नहीं	विविध तारीखें	बीसीसीएल के कब्जे में धारित कुल 16381.09 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि में से 9945.88 हेक्टेयर भूमि कोकिंग कोल माइंस/कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 और 1973 के माध्यम से निहित भूमि की श्रेणी में है; 1090.17 हेक्टेयर भूमि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन से संबंधित है जिसमें केंद्रीय अस्पताल और चार अन्य अस्पताल, भारत सरकार के खान बचाव स्टेशन, सेल की चार वाशरी, पूर्ववर्ती कोल बोर्ड और केंद्रीय झरिया परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है; शेष 4265.29 हेक्टेयर भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, एनसीडीसी के विलय, सरकारी हस्तांतरित भूमि और वन डायवर्टेड भूमि के तहत अधिग्रहित है।
अन्य भूमि	40.43	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तारीखें	लोयाबाद स्टेशन पर 3.864 हेक्टेयर रेलवे भूमि दिनांक 22 मार्च, 2022 के लीज एग्रीमेंट के माध्यम से है।

4. कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.04.2022 के पत्र के अनुपालन में, ऊपर उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के तहत कंपनी द्वारा अधिग्रहित/निहित भूमि का म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है।

3.1.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार:

नोट 3.1 में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत शामिल उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का खुलासा टिप्पणी 8.2 के फुटनोट में अलग से किया गया है।

3.1.4 संयंत्र और उपकरण:

"इसमें स्टैंड बाय इक्विपमेंट और स्टोर तथा कलपुर्जे शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए हैं।"

3.1.5 अन्य:

1. माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा कोयला श्रमिक संगठन से संबंधित परिसंपत्तियों, जिन्हें कंपनी में हस्तांतरित किया गया है और जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है, को लेखा में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उपर्युक्त इकाइयों के हस्तांतरण के समय लेखा- मूल्य कंपनी को उपलब्ध नहीं था।

2. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कवर की गई संपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 0.88 करोड़ मूल्य की जमीन सहित कुल ₹ 11.46 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण किया गया है। (जिनका मात्रात्मक एवं मूल्य वार विवरण उपलब्ध नहीं है), जिन पर जमीन छोड़कर , मूल्यहास का लेखा में पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

3.1.6 मूल्यह्रास/क्षति :

क. इस अवधि के दौरान लगाए गए मूल्यहास में विकास चरण में खदानों के लिए इस अवधि के दौरान पूंजीकृत मूल्यहास ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) भी शामिल है।

ख. टिप्पणी 2.7 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। हालाँकि, एक अलग श्रेणी की संपत्ति में निहित कुछ परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक, इन परिसंपत्तियों पर गैर-अलग श्रेणी की परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹ 'करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खदान अवसंरचनाएं / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजनाएं	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल 2022 को	748.08	375.63	82.65	278.91	-	-	-	**1,485.27**
परिवर्धन	64.66	398.19	49.04	163.06	-	-	-	**674.95**
पूंजीकरण / विलोपन	(421.40)	(321.72)	(0.67)	(78.86)	-	-	-	**(822.65)**
31 मार्च 2023 को	**391.34**	**452.10**	**131.02**	**363.11**	-	-	-	**1,337.57**
1 अप्रैल 2023 को	391.34	452.10	131.02	363.11	-	-	-	**1,337.57**
परिवर्धन	70.98	288.05	144.81	120.47	-	17.64	0.24	**642.19**
पूंजीकरण / विलोपन	(56.88)	(439.67)	(18.97)	(52.05)	-	-	(0.24)	**(567.81)**
31 मार्च 2024 को	**405.44**	**300.48**	**256.86**	**431.53**	-	**17.64**	-	**1,411.95**
संचित क्षति								
1 अप्रैल 2022 को	4.47	23.23	0.71	9.51	-	-	-	**37.92**
वर्ष के लिए प्रभार	2.24	0.99	0.41	0.27	-	-	-	**3.91**
विलोपन/समायोजन	-	(0.67)	-	(3.42)	-	-	-	**(4.09)**
31 मार्च 2023 को	**6.71**	**23.55**	**1.12**	**6.36**	-	-	-	**37.74**
1 अप्रैल 2023 को	6.71	23.55	1.12	6.36	-	-	-	**37.74**
वर्ष के लिए प्रभार	4.69	0.97	0.41	0.34	-	-	-	**6.41**
विलोपन/समायोजन	-	(0.01)	-	-	-	-	-	**(0.01)**
31 मार्च 2024 को	**11.40**	**24.51**	**1.53**	**6.70**	-	-	-	**44.14**
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2024 को	**394.04**	**275.97**	**255.33**	**424.83**	-	**17.64**	-	**1,367.81**
31 मार्च, 2023 को	**384.63**	**428.55**	**129.90**	**356.75**	-	-	-	**1,299.83**

टिप्पणी:

3.2.1 पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत दर्शाए गए "अन्य खनन अवसंरचना/विकास" का संबंध पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे कार्यों से है।

3.2.2 ननूडीह और भूली सहित भीमकनाली टाउनशिप में ₹ 5.21 करोड़ मूल्य के "ए" प्रकार के खनिक क्वार्टरों पर कब्जा है और वे उपयोग में हैं, लेकिन मध्यस्थता/मुकदमेबाजी के कारण, इसे पूंजीकृत नहीं किया जा सका। हालाँकि, खातों में मूल्यह्रास की दर पर आवश्यक प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। 31.03.2024 तक संचित प्रावधान ₹ 2.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.01 करोड़) है।

1. **प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के लिए समय सारणी (समग्र):**

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2024 को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं :					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित)	45.19	52.01	23.95	284.29	405.44
संयंत्र और उपकरण	103.02	77.79	52.69	66.98	300.48
रेलवे साइडिंग्स	151.36	43.95	42.39	19.16	256.86
अन्य खनन अवसंरचना / विकास	74.97	126.60	117.80	105.66	425.03
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
सौर परियोजनाएं	17.64	-	-	-	17.64
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम लिखें (जैसे भवन, संयंत्र / उपकरण)					
कपूरिया परियोजना				6.50	6.50
कुल	**392.18**	**300.35**	**236.83**	**482.59**	**1,411.95**

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2023 को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं :					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित)	48.30	46.49	59.28	237.27	391.34
संयंत्र और उपकरण	87.64	78.68	72.90	212.88	452.10
रेलवे साइडिंग्स	60.85	36.24	12.58	21.35	131.02
अन्य खनन अवसंरचना / विकास	121.49	116.55	22.93	95.64	356.61
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
सौर परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम लिखें (जैसे भवन, संयंत्र / उपकरण)					
कपूरिया परियोजना	-	-	-	6.50	6.50
कुल	**318.28**	**277.96**	**167.69**	**573.64**	**1,337.57**

2. दिनांक 31.03.2024 को अतिदेय पूंजीगत-कार्य प्रगति (समग्र)

(₹ 'करोड़ में)

प्रगति पर परियोजनाएं:	पूरा होने से संबंधित अवधि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति में:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित):				
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	58.67			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	16.23			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	-			
संयंत्र और उपकरण				
जोगता में फीडर ब्रेकर				0.66
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	85.79			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	10.15			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	67.75			
रेलवे साइडिंग:				
महेशपुर साइडिंग में सीएचपी-कम-साइलो		53.83		
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	69.56			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	42.58			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	20.69			
अन्य खनन अवसंरचनाएं / विकास				
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	58.37			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	21.18			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	1.19			
अन्य				
कुल	**452.16**	**53.83**	**-**	**0.66**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2022 को	185.65
परिवर्धन	0.91
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य / विलोपन का हस्तांतरण	(12.68)
31 मार्च 2023 को	**173.88**
1 अप्रैल 2023 को	173.88
परिवर्धन	8.17
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य / विलोपन का हस्तांतरण	(0.24)
31 मार्च 2024 को	**181.81**
संचित हानि	
1 अप्रैल 2022 को	18.52
वर्ष के लिए प्रभार	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2023 को	**18.52**
1 अप्रैल 2023 को	18.52
वर्ष के लिए प्रभार	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2024 को	**18.52**
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2024 को	**163.29**
31 मार्च, 2023 को	**155.36**

टिप्पणी :

(क) अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए काल-क्रम अनुसूची (समग्र)

(₹ 'करोड़ में)

	दिनांक 31.03.2024 को अन्वेषण एवं मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगतिशील परियोजनाएं	7.93	103.02	-	52.34	163.29
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					
कल्याणेश्वरी परियोजना			18.52		18.52
कुल	**7.93**	**103.02**	**18.52**	**52.34**	**181.81**

	दिनांक 31.03.2023 को अन्वेषण एवं मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगतिशील परियोजनाएं	22.74	80.28		52.34	155.36
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					
कल्याणेश्वरी परियोजना			18.52		18.52
कुल	22.74	**80.28**	**18.52**	**52.34**	**173.88**

(ख) 31.03.2024 को सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन अतिदेय

(₹ 'करोड़ में)

	जिस अवधि मे परिजनाएं पूर्ण होगी			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगतिशील परियोजनाएं				
कुल	-	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल 2022 को	-	-	-	-	-
परिवर्धन	18.58	-	-	-	18.58
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को	**18.58**	-	-	-	**18.58**
1 अप्रैल 2023 को	18.58	-	-	-	18.58
परिवर्धन	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	**18.58**	-	-	-	**18.58**
संचित परिशोधन और नुक़सान [3.4.1]					
1 अप्रैल 2022 को	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	2.90	-	-	-	2.90
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को	**2.90**	-	-	-	**2.90**
1 अप्रैल 2023 को	2.90	-	-	-	2.90
वर्ष के लिए प्रभार	3.02	-	-	-	3.02
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	**5.92**	-	-	-	**5.92**
निवल वहन राशि					
31 मार्च, 2024 को	**12.66**	-	-	-	**12.66**
31 मार्च, 2023 को	**15.68**	-	-	-	**15.68**

टिप्पणी :

3.4.1. संचयी क्षति गतिविधि

(₹ 'करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2022 को	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 को	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.5 :विकास प्रक्रिया के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	विकास प्रक्रिया के अधीन ईआरपी	कुल
सकल वहन राशि:		
1 अप्रैल 2022 को	18.58	**18.58**
परिवर्धन	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	(18.58)	**(18.58)**
31 मार्च 2023 को	-	-
1 अप्रैल 2023 को	-	-
परिवर्धन	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-
संचित क्षति		
1 अप्रैल 2022 को	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 को	-	-
1 अप्रैल 2023 को	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-
निवल वहन राशि		
31 मार्च, 2024 को	-	-
31 मार्च, 2023 को	-	-

टिप्पणी:

3.5.1 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए काल-क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

	दिनांक 31.03.2024 को विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
चालू परियोजनाएं					
	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-

	दिनांक 31.03.2023 को विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
चालू परियोजनाएं					
	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-

(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में अतिदेय (समय या लागत के संबंध में)

(₹ 'करोड़ में)

	जिस अवधि में परिजनाएं पूर्ण होंगी			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
विकास प्रक्रिया के अधीन ईआरपी	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.1 निवेश

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर-वर्तमान		
कोआपरेटिव शेयरों में निवेश (अन उदधृत)	-	-
सुरक्षित बॉण्डों में निवेश (उदधृत)	-	-
कुल :	-	-

वर्तमान				
म्युचुअल फंड (अन उदधृत)	**इकाई**	**एन ए वी (₹)**		
एसबीआई लिक्विड फंड	**171570.56**	**3779.28**	64.84	63.78
बड़ौदा बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	**33.47**	**2784.78**	0.01	9.75
केनरा रोबेको लिक्विड फंड	**19.05**	**2893.53**	0.01	3.72
यूनियन लिक्विड फंड	**6301.69**	**2328.52**	1.47	2.47
एसबीआई ओवरनाइट फंड	**513851.71**	**3895.78**	200.19	-
			266.52	**79.72**
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बॉण्डों में निवेश - उदधृत)				
कुल			**266.52**	**79.72**

टिप्पणी

4.1.1 वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 16(3) का संदर्भ लें।

4.1.2 उदधृत / अनउदधृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर-वर्तमान		वर्तमान	
	31.03.2024	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
अन-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:	-	-	266.52	79.72
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.2 : ऋण

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब साख	-	-
	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता4.2.1	-	-
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण	-	-
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब साख	-	-
	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	-	-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल		

वर्तमान	-	-
संबंधित पक्षकारों को ऋण	-	-
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब साख	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता[4.2.1]	-	-
संबंधित पक्षकारों के अलावा ऋण	-	-
कॉरपोरेट निकास और कर्मचारियों को ऋण	-	-
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-

- खराब साख	-	-
	-	-
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	-	-
कुल		

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष (वर्तमान और गैर-वर्तमान) के लिए छूट में परिवर्तन का विवरण

	31.03.2024	**31.03.2023**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान ज्ञात	-	-
वर्ष के दौरान राइट-बैक	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - संदर्भित टिप्पणी 16(2)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	6.67	6.67
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	1,326.58	1,244.48
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
खराब साख	417.47	362.40
	1750.72	1613.55
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए छूट4.3.1	417.47	362.40
कुल	**1333.25**	**1251.15**

टिप्पणी:

4.3.1 अपेक्षित ऋण हानि हेतु छूट में परिवर्तन का विवरण:

	31.03.2024	**31.03.2023**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	362.40	378.57
वर्ष के दौरान ज्ञात	55.07	16.16
वर्ष के दौरान राइट-बैक	-	32.33
वर्ष के अंत में शेष राशि	417.47	362.40

4.3.2 निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें।

4.3.3 उपर्युक्त व्यापार प्राप्य ₹ 122.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹95.40 करोड़ रुपए) की राशि के कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान का समायोजन है।

4.3.4 व्यापार प्राप्य- सुरक्षित: ₹ 6.67 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.67 करोड़ रुपये) की बैंक गारंटी के समक्ष सुरक्षित हैं।"

4.3.5 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि छूट की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि छूट देय प्राप्तियों की अवधि और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

4.3.6 व्यापार प्राप्तियां: अच्छी माने जाने वाली असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों में संबंधित वैधानिक देयता बकाया के साथ बाजार शुल्क के कारण सेल से प्राप्य ₹ 161.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹139.42 करोड़) की राशि शामिल है। सेल ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में कई आधारों पर बाजार शुल्क की ऐसी मांग के संबंध में एक याचिका दायर की है।

दिनांक 31.03.2024 को व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया बकाया	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे जाने वाले	373.51	637.69	6.72	196.84	6.78	107.81	1,329.35
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित		-	-	-	-	-	-
"(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छे समझे जाने वाले "		-	-	-	-	3.90	3.90
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित "		57.59	20.26	59.07	43.31	237.24	417.47
कुल	**373.51**	**695.28**	**26.98**	**255.91**	**50.09**	**348.95**	**1,750.72**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	57.59	20.26	59.07	43.31	237.24	417.47
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		8.28%	75.09%	23.08%	86.46%	67.99%	23.85%

दिनांक 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया बकाया	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे जाने वाले		1,103.10	19.63	9.93	6.78	111.71	1,251.15
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित		-	-	-	-	-	-
"(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छे समझे जाने वाले "		-	-	-	-	-	-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित "		30.32	18.04	76.30	57.96	179.78	362.40
कुल	-	**1,133.42**	**37.67**	**86.23**	**64.74**	**291.49**	**1,613.55**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	30.32	18.04	76.3	57.96	179.78	362.40
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		2.68%	47.89%	88.48%	89.53%	61.68%	22.46%

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.4 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
बैंकों में जमा शेष		
- जमा खातों में	226.19	63.00
- चालू खातों में4.4.4	59.60	61.34
भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
प्राइमरी डीलरों के साथ आईसीडी	-	420.00
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	0.08
हस्तगत नकदी	-	-
भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
अन्य4.4.2, 4.4.5	40.52	42.20
कुल	**326.31**	**586.62**

टिप्पणी:

4.4.1 प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी 7 से 15 दिनों के बीच मूल परिपक्वता के साथ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं।

4.4.2 अन्य में ई-प्रोक्योरमेंट खाता, जीईएम खाता, अग्रदाय शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में हस्तगत और बैंक नकदी, स्वीप खाते तथा बैंकों के साथ तीन महीनों या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाएं शामिल है।

4.4.4 ईएमडी पूल खाते के समक्ष एक्सिस बैंक में पड़े ₹ 0.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 0.50 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

4.4.5 जीईएम पूल खाते के समक्ष भारतीय स्टेट बैंक में पड़े ₹ 40.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 41.68 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
बैंकों में जमा शेष		
- जमा खाते	610.00	560.00
- विशेष उद्देश्य के लिए जमा खाते4.5.1	8.32	7.58
- खदान बंदी योजना	-	-
- चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधि	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- शेयरों की वापसी खरीद (बाय-बैक) के लिए एस्क्रो खाता	-	-
- अदत्त लाभांश खाते	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	**618.32**	**567.58**

टिप्पणी:

4.5.1 अन्य बैंक बैलेंस में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता की सावधि जमाएं एवं अन्य बैंक जमाएं शामिल हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशि तथा रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 महीनों के भीतर नकद में वसूल किए जाने की अपेक्षित बैंक जमाराशि शामिल है।

4.5.3 तीन महीने से अधिक परंतु 12 महीनों के भीतर परिपक्वता वाले जमा खाते में बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंक के पास गिरवी रखी गई ₹ 4.03 करोड़ की सावधि जमाराशि शामिल है।

4.5.4 कीमत में अंतर के कारण 01.03.2006 से 30.03.2006 की अवधि के लिए विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं से ₹1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस राशि को विभिन्न बैंकों में अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप जमा किया गया था। अंतिम परिपक्वता राशि ₹ 3.98 करोड़ (अर्जित ब्याज ₹ 0.12 करोड़ को छोड़कर) को दिनांक 02.11.2023 को यूबीआई में 7.40 % वार्षिक ब्याज दर पर पुनः जमा कर दिया गया। उक्त सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के बीच का अंतर जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर भविष्य में देय हो सकता है, की राशि 4.10 करोड़ को 31.03.2024 तक आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर-वर्तमान		
सुरक्षा जमा	14.06	14.79
घटाएं : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	0.67	0.67
	13.39	**14.12**
12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के बैंक जमा	0.01	0.01
खदान बंदी योजना - के अंतर्गत बैंक में जमा4.6.2	866.73	687.19
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना - के अंतर्गत बैंक जमा4.6.3	-	-
	866.74	**687.20**
वित्तीय पट्टा प्राप्य	-	
अन्य जमा एवं प्राप्य	6.49	4.54
घटाएं: संदिग्ध जमाओं और प्राप्यों के लिए भत्ता4.6.1	-	
	6.49	**4.54**
कुल	**886.62**	**705.86**
वर्तमान		
सुरक्षा जमा	-	-
घटाएं : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
आईआईसीएम के पास शेष	(0.01)	(0.01)
प्राप्त ब्याज	14.09	10.88
वित्तीय पट्टा प्राप्य	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	64.56	53.06
घटाएं: संदिग्ध जमाओं और प्राप्यों के लिए भत्ता4.6.1	4.95	4.95
	59.61	**48.11**
कुल	**73.69**	**58.98**

टिप्पणी:

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5.62	5.62
वर्ष के दौरान ज्ञात	-	-
वर्ष के दौरान राइट-बैक	-	-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	5.62	5.62

4.6.2 खदान बंदी योजना के तहत बैंक के पास जमा

खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से दिशानिर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार खदान बंदी योजना के आवधिक परीक्षण के अनुसार एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खदान बंदी के प्रावधान के लिए टिप्पणी 9.1 देखें)।"

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
एस्क्रो खाते में आरंभिक तारीख को जमाशेष	687.19	592.81
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जमा राशि	134.61	69.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गयी ब्याज (निवल टीडीएस)	44.93	24.57
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि		
अंतिम तारीख को एस्क्रो खाते में जमाशेष	**866.73**	**687.19**

4.6.3 शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा राशि

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार कंपनी ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अस्थिर क्षेत्रों में आग से निपटने तथा स्थिरीकरण के लिए शिफ्टिंग एवं पुनर्वास की कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए एक निधि की स्थापना की है। इस संबंध में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर निधि का उपयोग किया जाता है।

सीआईएल की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियां अपने संबंधित कोयला प्रेषण के प्रति टन प्रति वर्ष ₹ 6/- का योगदान इस निधि में कर रही हैं, जो तब तक सीआईएल के पास रहेगी, जब तक कि उन्हें संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली सहायक कंपनियों/एजेंसियों द्वारा वितरित/उपयोग नहीं कर लिया जाता।"

4.6.4 पट्टा

वित्तीय पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में ज्ञात राशियाँ:

पट्टा आय

परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती

कुल

विवरण	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
पट्टा आय		
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती		
कुल		

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाला पट्टा भुगतान प्राप्त किया जाएगा:

विवरण	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
एक वर्ष से कम		
एक और दो वर्ष के बीच		
दो और तीन वर्ष के बीच		
तीन और चार वर्ष के बीच		
चार और पाँच वर्ष के बीच		
पाँच वर्ष से अधिक		
कुल		

परिचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्तियों के संबंध में लाभ और हानि खाते में ज्ञात राशियाँ:

विवरण	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	31.03.2023
पट्टा आय		
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती		
कुल		

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाला पट्टा भुगतान प्राप्त किया जाएगा:

विवरण	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	31.03.2023
एक वर्ष से कम		
एक और दो वर्ष के बीच		
दो और तीन वर्ष के बीच		
तीन और चार वर्ष के बीच		
चार और पाँच वर्ष के बीच		
पाँच वर्ष से अधिक		
कुल		

(v) दिनांक 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष के आरंभ में निवल वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष की समाप्ति पर निवल वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त परिसंपत्तियाँ					

(vi) दिनांक 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष के आरंभ में निवल वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष की समाप्ति पर निवल वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्सचर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त परिसंपत्तियाँ					

4.6.5 अन्य जमा और प्राप्य में ₹ 0.00 करोड़ का अग्रिम शामिल है।

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 (2) देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 5.1 : वस्तु सूची (इन्वेंटरी) (₹ 'करोड़ में)

	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2024	**31.03.2023**
कोयला (फिनिश्ड गुड्स)	1,557.92	1,215.66
विकास परियोजनाओं में कोयला5.1.4	-	13.65
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान5.1.1	293.50	294.85
	1,264.42	**934.46**
स्टोर, पुर्जे और अन्य इन्वेंट्री5.1.2 एवं 5.1.3	180.93	157.55
घटाएँ: धीमी गति से चलने वाली,न चलने वाली और अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	63.77	62.95
	117.16	94.60
कुल	**1,381.58**	**1,029.06**

टिप्पणी:

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा

वर्ष के आरंभ में शेष	294.85	302.60
वर्ष के दौरान ज्ञात	0.94	
वर्ष के दौरान अज्ञात	2.29	7.75
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**293.50**	**294.85**

5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, न चलने वाले और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए हानि भत्ते की पहचान की जाती है। धीमी गति से चलने वाले, न चलने वाले और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए हानि भत्ते में गतिविधि का विवरण:"

वर्ष के आरंभ में शेष	62.95	65.31
वर्ष के दौरान ज्ञात	1.29	2.10
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.47	4.46
वर्ष की समाप्ति पर शेष	63.77	62.95

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

5.1.4 एनएलडब्ल्यू मधुबन कोल वाशरी में परीक्षण के लिए पड़े 5.0 एमटीपीए कोयले के मूल्य को दर्शाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.1 : अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
पूंजीगत अग्रिम	646.14	367.62
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	4.40	4.40
	641.74	363.22
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	8.32	0.14
घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	-
	8.32	0.14
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाले व्यय6.1.2	206.84	257.49
संबंधित पक्षों को अग्रिम6.1.3	-	-
कुल	**856.90**	**620.85**

टिप्पणी:

6.1.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष के आरंभ में शेष	4.40	4.40
वर्ष के दौरान ज्ञात	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**4.40**	**4.40**

6.1.2 उपरोक्त, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है। खदान बंद करने के लिए किए गए प्रगतिशील व्यय को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए एस्क्रो खाते से प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त में से ₹ 90.17 करोड़ का ऑडिट सीसीओ द्वारा किया जा चुका है और ₹ 320.66 करोड़ का ऑडिट सीसीओ द्वारा किया जाना बाकी है।"

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 (2) देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी -6.2 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम		
सांविधिक देय राशियों का अग्रिम भुगतान	407.07	158.18
घटाएं : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए भत्ता6.2.1	-	-
	407.07	158.18
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.2 and 6.2.3	1,041.41	1,192.25
घटाएं : अन्य संदिग्ध जमाओं और अग्रिमों के लिए भत्ता6.2.1	1.82	1.82
	1,039.59	1,190.43
प्रगतिशील खान बंद करने के खर्च 6.1.2	203.99	145.61
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य6.2.4	1,531.62	1,323.29
कुल	**3,182.27**	**2,817.51**

टिप्पणी:

6.2.1 खराब और संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं (वर्तमान और गैर-वर्तमान) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष के आरंभ में शेष	1.82	1.10
वर्ष के दौरान ज्ञात	-	0.72
वर्ष के दौरन प्रयुक्त	-	-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**1.82**	**1.82**

6.2.2 इसमें आयकर के लिए जमा राशि और अभी तक प्राप्त नहीं होने वाला रिफंड ₹ 625.32 करोड़, बिक्री कर ₹ 89.88 करोड़, सेवा कर और उत्पाद शुल्क मामले ₹ 22.59 करोड़ और अन्य ₹ 72.68 करोड़ शामिल हैं।

6.2.3 इसमें अतिरिक्त सीएसआर ₹ 0.00 करोड़ (पी.वाई. ₹ 0.00 करोड़) शामिल है (नोट - 13.8 सीएसआर व्यय के लिए अनुलग्नक देखें)

6.2.4 ₹ 1531.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1323.29 करोड़) की संचित राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के लिए किया जा सकता है। यह संचय इन्वर्टेड टैक्स संरचना के परिणामस्वरूप हुआ है।

6.2.5 निदेशकों से बकाया के लिए - टिप्पणी 16 (2) देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
अधिकृत		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 5,10,00,000 (गत वर्ष 5,10,00,000) इक्विटी शेयर7.1.3	5,100.00	5,100.00
	5,100.00	**5,100.00**
निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः नकदी में चुकता 2,03,30,126 इक्विटी शेयर	2,033.01	2,033.01
नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के	2,623.99	2,623.99
2,62,39,874 (गत वर्ष 2,62,39,874) इक्विटी शेयर	**4,657.00**	**4,657.00**

टिप्पणी:

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)	46570000	100%	0.00

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समंजन:-

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2019 को बकाया शेष	2,11,80,000	2118.00
जोड़ें: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने के कारण जारी किए गए शेयर	2,53,90,000	2539.00
31.03.2020 को बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बदलाव	-	-
31.03.2021 को बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 का बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 का बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 का बकाया शेष	**4,65,70,000**	**4657.00**

7.1.3 वर्तमान अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (100%) द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विवरण के लिए, टिप्पणी संख्या 16.6.क्यु: पूंजी संरचना में परिवर्तन, देखें।

7.1.4 कंपनी के पास केवल ₹ 1000 / - प्रति शेयर अंकित मूल्य के एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में मतदान अधिकारों के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7.2 : अन्य इक्विटी

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	-	-
पूंजी आरक्षित निधि	-	-
सामान्य रिजर्व	140.99	140.99
आरक्षित आय	523.73	(994.09)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**664.72**	**(853.10)**

(क) पूंजी मोचन आरक्षित निधि

	31.03.2024	**31.03.2023**
वर्ष के आरंभ में जमा शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूंजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) **होल्डिंग कंपनी के मामले में:**

पूंजी मोचन आरक्षित निधि का विवरण

विवरण	राशि (करोड रू. में)	वर्ष
कुल		

(ख) पूंजी आरक्षित निधि

	31.03.2024	**31.03.2023**
वर्ष के आरंभ में जमा शेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष		

(ग) सामान्य रिजर्व

	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष के आरंभ में जमा शेष	140.99	140.99
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान समायोजन		
आरक्षित आय को हस्तांतरण		
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष	140.99	140.99

सामान्य आरक्षित निधि एक मुक्त आरक्षित निधि है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) आरक्षित आय

	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष के आरंभ में जमाशेष7.2.1(iii)	(1,006.98)	(1,671.76)
अवधि के लिए लाभ	1,564.46	664.78
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित को हस्तांतरण	-	-
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष	**557.48**	**(1,006.98)**

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा 7.2.1

	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष के आरंभ में जमाशेष	12.89	147.54
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(46.64)	(134.65)
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष	(33.75)	12.89
कुल (घ(i) + (ii))	**523.73**	**(994.09)**

टिप्पणी:

7.2.1

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल हैं (कर के बाद शुद्ध)

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोगों के बाद शुद्ध है।

(iii) भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार टिप्पणी 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16 (7) देखें।

(iv) बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने ₹ 44.4325 करोड़ (अर्थात कुल बकाया वरीयता लाभांश ₹ 888.65 करोड़ का 5%) की राशि के वरीयता लाभांश की सिफारिश की है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयोजित होने वाली कंपनी की एजीएम (वार्षिक आम बैठक) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

(घ) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024	31.03.2023
(i) विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन पर विनिमय भेद		
वर्ष के आरंभ में जमाशेष	-	-
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष	-	-
(ii) संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति (कर के बाद शुद्ध) का उपयोग करके किया गया हो		
वर्ष के आरंभ में जमाशेष	-	-
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		
वर्ष के दौरान समायोजन		
वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष	-	-
कुल [(i)+(ii)]	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8.1 : उधारियाँ

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर-वर्तमान		
मियादी ऋण - बैंकों से		
- सुरक्षित	-	-
- असुरक्षित	-	-
-अन्य से		
- सुरक्षित	-	-
- असुरक्षित	-	-
कुल	-	-

वर्तमान		
बैंकों से - सुरक्षित	-	-
- बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंकों से अन्य ऋण	-	-
- असुरक्षित		
-अन्य से	-	-
- सुरक्षित	-	-
- असुरक्षित	-	-
लंबी अवधि के उधारियों की वर्तमान परिपक्वता	-	-
कुल		

टिप्पणी:

8.1.1 कार्यशील पूंजी में एचडीएफसी बैंक से ₹ 350.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹850.00 करोड़) की मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1051.86 करोड़) का उपयोग किया गया।

8.1.2 आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.00 करोड़) की अल्पावधि ऋण स्वीकृत सीमा (असुरक्षित)। इसमें से ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।

8.1.3 कार्यशील पूंजी में एक्सिस बैंक से ₹ 200.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 200.00 करोड़) की मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।

8.1.4 निदेशकों या अन्य द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

8.1.5 31.03.2023 को कोई सुरक्षित ऋण नहीं है।

8.1.6 सभी डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं असुरक्षित हैं.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8.2 : पट्टा देयताएँ

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर वर्तमान		
वर्ष के आरंभ में जमा शेष	153.78	153.78
वर्ष के दौरान परिवर्धन	53.74	53.74
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त	17.68	17.68
पट्टा देयताओं का भुगतान	(72.47)	(72.47)
वर्ष की समाप्ति पर जमा शेष	**152.73**	**152.73**
वर्तमान		
वर्ष के आरंभ में जमा शेष	58.86	58.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन	18.39	18.39
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त	0.25	0.25
पट्टा देयताओं का भुगतान	-	-
वर्ष की समाप्ति पर जमा शेष	**77.50**	**77.50**
कुल	**230.23**	**230.23**

टिप्पणी:

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और वर्तमान):

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1 वर्ष तक	77.50	58.86
1-5 वर्ष	152.73	153.78
5 वर्षों से अधिक	-	-

8.2.2 दिनांक 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष के प्रारंभ में निवल वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष / अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष की समाप्ति पर निवल वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	24.36	0.92	-	24.01	1.28
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	40.98	60.79	-	78.68	23.09
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	120.95	7.14	-	91.81	36.28

रेलवे साइडिंग	19.25	-	-	18.59	0.66
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसंपत्ति	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	वर्ष के प्रारंभ में निवल वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष / अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष की समाप्ति पर निवल वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	25.03	0.05	-	24.36	0.72
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	9.63	39.47	-	40.98	8.11
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	157.23	-	-	120.95	36.28
रेलवे साइडिंग	19.92	-	-	19.25	0.66
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसंपत्ति	-	-	-	-	-

लीज़ की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक लीज़ में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को संपत्ति को सबलेट करने का अनुबंधात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य वाली अंतर्निहित संपत्तियों के लीज़ के अपवाद के साथ, प्रत्येक लीज़ बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और लीज़ देयता के रूप में दिखाई देती है। अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य के लीज़ के लिए किए गए भुगतान को लीज़ अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में ज्ञात राशि

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 13.5 में शामिल)	61.31	45.77
पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय (टिप्पणी 13.4 में "छूट की समाप्ति" के अंतर्गत शामिल)	17.93	15.81
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	79.24	**61.58**

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टा प्रकटीकरण के लिए कुल नकदी बहिर्वाह

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वित्तीय पट्टा देनदारियों के लिए भुगतान	72.47	42.97
अल्पावधि पट्टों से संबंधित नकदी बहिर्वाह	-	-
	72.47	42.97

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	8.71	13.57
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,224.82	899.34
कुल	**1,233.53**	**912.91**

8.3.1 (क) 31.03.2024 को व्यापार देयताओं की कालक्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

विविरण	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	8.71	-	-	-	8.71
(ii) अन्य	1,027.13	86.00	37.83	73.86	1,224.82
(iii) विवादित देयताएं - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-
(iv) गैर बिल देयताएं	-	-	-	-	-
कुल	**1,035.84**	**86.00**	**37.83**	**73.86**	**1,233.53**

8.3.1 (ख) 31.03.2023 को व्यापार देयताओं की कालक्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

Particulars	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	13.57	-	-	-	13.57
(ii) अन्य	726.68	95.27	18.50	58.89	899.34
(iii) विवादित देयताएं - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-
(iv) गैर बिल देयताएं	-	-	-	-	-
कुल	**740.25**	**95.27**	**18.50**	**58.89**	**912.91**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	319.58	290.32
अन्य	4.59	6.19
कुल	**324.17**	**296.51**
वर्तमान		
सीआईएल के साथ चालू खाता	361.38	395.46
आईआईसीएम के साथ चालू खाता	-	-
	361.38	395.46
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	134.20	118.95
अग्रिम धन	87.59	76.64
पूंजीगत व्यय के लिए भुगतेय	76.08	50.00
कर्मचारी लाभों के लिए दायित्व	875.64	761.13
अन्य8.4.1	49.02	46.22
कुल	**1,583.91**	**1,448.40**

टिप्पणी:

8.4.1 उपरोक्त अन्य में खर्च न हुआ सीएसआर व्यय भी शामिल है (टिप्पणी- 13.8 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक देखें)

8.4.2 वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 16(1) का संदर्भ लें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ:		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	475.82	601.63
- अवकाश नकदीकरण	604.45	420.31
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	299.26	301.33
- अन्य कर्मचारी लाभ	61.29	40.33
	1,440.82	1,363.60
अन्य प्रावधान:		
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी9.1.3	579.61	528.10
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन9.1.2	(2.92)	197.60
अन्य	-	-
कुल	**2,017.51**	**2,089.30**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	375.69	331.65
- अवकाश नकदीकरण	84.86	63.61
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	32.51
अन्य कर्मचारी लाभ9.1.4	724.10	2,002.97
	1,184.65	2,430.74
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	-	-
अन्य प्रावधान:		
अन्य	-	-
कुल	**1,184.65**	**2,430.74**

टिप्पणी:

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

टिप्पणी 16 के अंतर्गत आने वाले ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन।

	वर्ष के प्रारंभ में जमाशेष	वर्ष के दौरान प्रभारित	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष की समाप्ति पर जमाशेष
अन्य कर्मचारी लाभ	2,043.30	243.42	1,501.33	785.39
अन्य	-	-	-	-

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (वर्तमान और गैर-वर्तमान) में परिवर्तन का विवरण

	31.03.2024	**31.03.2023**
(i) अनुपात भिन्नता आरक्षित निधियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	197.60	(475.07)
वर्ष के दौरान रिवर्स	(200.52)	672.67
वर्ष के अंत में शेष राशि	(2.92)	197.60

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के लिए टिप्पणी 16 (7) देखें।

9.1.3 साइट पुनर्स्थापना/खदान बंदी के लिए प्रावधान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि सुधार एवं संरचनाओं के विघटन के लिए कंपनी के दायित्व में सतह एवं भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च करना भी शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए, भविष्य के नकद व्यय की राशि एवं समय की विस्तृत गणना एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान बंद करने, साइट पुनर्स्थापन एवं संरचनाओं के विघटन के लिए दायित्व का अनुमान किया जाता है। खदान बंद करने का व्यय अनुमोदित खदान समापन योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के अनुमानों को बढ़ाया जाता है और फिर (@ 8%) की दर से छूट दी जाती है, जो पैसे के समय मूल्य एवं जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है। छूट का प्रभाव स्थिर रहने; वित्तीय व्यय के रूप में मान्य व्यय बनाने के कारण प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (टिप्पणी - 9 देखें)"

भूमि बहाली / स्थल पुनर्स्थापना/ खदान बंदी का समंजन :

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
आरंभिक तारीख को स्थल पुनर्स्थापना प्रावधान	528.10	483.35
अतिरिक्त स्थल पुनर्स्थापना प्रावधान का परिवर्धन	13.42	4.87
जोड़ें: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	38.09	39.88
घटाएँ: अवधि के दौरान निकासी	-	-
खदान बंद करने का प्रावधान	**579.61**	**528.10**

9.1.4 गैर-अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) के अनुसार बकाया वेतन की गणना लंबित है, वेतन और मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए 01.07.2021 से 31.05.2023 (पी.वाई. ₹ 1446.91 करोड़) की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी (गैर-कार्यकारी) प्रति माह 19,100/- रुपये की दर से ₹ 1656.05 करोड़ (पिछले वर्षों से किए गए ₹ 1446.91 करोड़ शामिल) का अनुमानित प्रावधान ज्ञात किया गया है। हालांकि, जून 2023 के महीने से वेतन राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) के अनुसार संशोधित दर पर भुगतान किया जा रहा है।"

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10.1 :अन्य गैर-वर्तमान देयताएं (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि4.6.3	138.32	147.56
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)10.1.1, 10.1.2 एवं 10.1.3	740.17	1.98
अन्य	4.14	0.28
कुल	**882.63**	**149.82**

टिप्पणी:

10.1.1 पूर्वी झरिया क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 1.37 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे साइडिंग को पूंजीकृत किया गया है। रिपोर्ट अवधि के दौरान रेलवे साइडिंग के लिए रु. 0.11 करोड़ (पिछले वर्ष 0.07 करोड़ रुपए) की अनुपातिक राशि को अन्य के माध्यम परिशोधित किया गया है।

10.1.2 10.1.2 पश्चिमी झरिया क्षेत्र में टेली-मॉनिटरिंग और मैन-राइडिंग सिस्टम के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 4.71 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। टेली-मॉनीटरिंग प्रणाली को पूंजीकृत कर दिया गया है और तदनुसार अब तक टेली-मॉनीटरिंग से संबंधित पूंजीगत सहायता में से ₹ 3.83 करोड़ रुपए को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अन्य आय के माध्यम से आबंटित किया गया है। मैन-राइडिंग प्रणाली अभी भी पूंजीगत जारी कार्य के अंतर्गत है और तदनुसार इससे संबंधित पूंजीगत सहायता आस्थगित आय के अंतर्गत पड़ी हुई है। चालू वर्ष के दौरान, टेली-मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए ₹0.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.69 करोड़) की आनुपातिक राशि को अन्य आय के माध्यम से परिशोधित किया गया है।

10.1.3 आस्थगित आय में झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वास हेतु किए गए व्यय के लिए सीआईएल से प्राप्त ₹ 750.73 करोड़ की पूंजी सहायता शामिल है। पुनर्वास योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुरूप इसे परिशोधित किया गया है। चालू अवधि के दौरान अन्य आय के माध्यम से परिशोधित राशि ₹ 11.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10.2 : अन्य वर्तमान देयताएँ

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
वैधानिक बकाया10.2.1 एवं 10.2.2	1,234.35	850.27
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	703.92	1102.16
उपकर समानीकरण खाताt10.2.3	9.72	14.86
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ10.2.4	1.38	1.34
कुल	**1949.37**	**1968.63**

टिप्पणी:

10.2.1 सांविधिक देय शुद्ध प्राप्य और देय के बाद है।.

10.2.2 सांविधिक देय राशि में 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 191.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 171.74 करोड़) का बाज़ार शुल्क शामिल है, जिसमें (i) अप्रैल, 2023-मार्च 2024 की अवधि के दौरान ₹ 29.73 करोड़ की कुल देनदारी, सेल (SAIL) को छोड़कर और (ii) सेल से मार्च 2024 तक बाजार शुल्क की वसूली न की गई राशि ₹ 161.58 करोड़ राशि जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, शामिल है।

10.2.3 पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला आधारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर मूल्यांकित और पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली के संबंध में ₹ 9.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.86 करोड़) की देय राशि शेष है जिसे उपकर समतुल्यीकरण खाते के अंतर्गत दर्शाया गया है।

10.2.4 टिप्पणी-10.1 के फुटनोट 10.1.1 और 10.1.2 देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.1 :कर परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2024	**31.03.2023**
आयकर परिसंपत्तियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	168.57	151.44
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	114.61	17.13
वर्ष के दौरान रिवर्सल/रिफंड	-	
वर्ष के समापन पर शेष राशि	**283.18**	**168.57**
आयकर देयताएं		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त (14.1 देखें)	180.33	-
वर्ष के दौरान उलटफेर/समायोजन	-	-
वर्ष के समापन पर शेष राशि	**180.33**	-
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**102.85**	**168.57**
इस रूप में प्रकट:		
गैर वर्तमान		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
वर्तमान		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	**102.85**	**168.57**
आयकर देयताएं (शुद्ध)	**-**	**-**
	102.85	**168.57**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ

(₹ 'करोड़ में)

	01.04.2023 11.2.1 को जमा शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में ज्ञात / (रिवर्स्ड)	वर्ष के दौरान समग्र आय में ज्ञात	31.03.2024 को जमाशेष
(ए) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	187.32	10.65	-	197.97
कर्मचारी लाभ	683.07	(279.58)	-	403.49
अन्य (लीज़ देयताएँ और साइट बहाली)	396.99	(144.32)	-	252.67
(ए) का कुल योग	**1,267.38**	**(413.25)**	-	**854.13**
(बी) आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	110.38	10.75	-	121.13
अन्य	108.73	(108.50)	-	0.23
(बी) का कुल योग	**219.11**	**(97.75)**	-	**121.36**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (सी=ए-बी)	**1,048.27**	**(315.50)**	-	**732.77**
डी. परिभाषित लाभ योजना डीटीएल/डीटीए का पुनः मापन	-	-	(15.69)	(15.69)
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ई=सी+डी)	**1,048.27**	**(315.50)**	**(15.69)**	**717.08**

के रूप में प्रकटीकरण:	**वर्ष के समापन पर**	
	31.03.2024	**31.03.2023**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	717.08	1048.27
आस्थगित कर देयता	**-**	-
	717.08	**1,048.27**

11.2.1 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार टिप्पणी 9.1 में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव हेतु पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संरचना के लिए टिप्पणी 16(7) देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12.1 : परिचालनों से राजस्व

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024		वर्ष के समापन पर 31.03.2023	
क.बिक्री	17,600.81		16,337.56	
घटाएं: वैधानिक लेवी	4,384.64		4,004.22	
बिक्री-शुद्ध (क)12.1.1 और 12.1.2		**13,216.17**		**12,333.34**
ख. अन्य परिचालन से राजस्व				
बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		0.73		-
लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	1,044.67		774.24	
घटाएं: वैधानिक लेवी	383.56	661.11	41.05	733.19
निकासी सुविधा शुल्क	247.06		225.26	
घटाएं: वैधानिक लेवी	11.76	235.30	10.86	214.40
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) ख		**897.14**		**947.59**
परिचालन से राजस्व (क + ख)		**14,113.31**		**13,280.93**

टिप्पणी:

12.1.1 बिक्री में ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत निष्पादन बिल प्रोत्साहन के रूप में ₹373.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 577.49 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

12.1.2 उपरोक्त बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता (रिवर्सल के बाद शुद्ध) ₹ (26.61) करोड़ (पिछले वर्ष ₹91.67 करोड़) की वृद्धि/(कमी) हुई है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12.2 : अन्य आय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
ब्याज से आय12.2.1	168.20	59.08
म्युचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	2.07	2.31
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर वृद्धि-लाभ	12.56	7.61
पट्टा किराया	1.67	0.03
प्रावधान प्रतिलेखन12.2.2	2.76	44.17
देयता प्रतिलेखन	57.57	205.93
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	0.23	0.11
विविध आय12.2.3	148.71	107.23
कुल	**393.77**	**426.47**

टिप्पणी:

12.2.1 आयकर वापसी पर ब्याज ₹ 51.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) शामिल

12.2.2 प्रतिलेखित प्रावधान का विवरण

निकाय कॉर्पोरेट और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	31.96
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	2.76	12.21
अन्य गैर वर्तमान जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य वर्तमान जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान प्रतिलेखित कुल प्रावधान	**2.76**	**44.17**

12.2.3 उत्पाद शुल्क वापसी पर ब्याज ₹ 12.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.78 करोड़) शामिल

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.1 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
विस्फोटक	362.31	531.99
टिंबर / लकड़ी	0.19	0.54
तेल और स्नेहक	297.72	372.85
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जे	47.46	46.59
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	34.54	37.85
कुल	**742.22**	**989.82**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट:13.2 तैयार माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
कोयले की इन्वेन्ट्री में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	1,215.58	1,201.94
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	10.21	-
वर्ष के अंत में स्टॉक	1,557.92	1,215.66
	(332.13)	**(13.72)**
कर्मशालाओं और प्रेस कार्यों की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	3.79	3.13
वर्ष के समापन पर स्टॉक	3.84	3.79
	(0.05)	**(0.66)**
कुल	**(332.18)**	**(14.38)**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
टिप्पणी 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
वेतन और मजदूरी13.3.1 एवं 13.3.2	5,371.55	5,670.31
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1524.88	1404.23
कर्मचारी कल्याण व्यय	254.26	283.58
कुल	**7,150.69**	**7,358.12**

टिप्पणी:

13.3.1 भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन से संबंधित वेतन, ओवरटाइम वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस आदि शामिल हैं।

13.3.2 गैर-अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-XI) जून 2023 से लागू किया गया है, और वेतन संशोधित दर पर दिया जा रहा है। चालू अवधि के दौरान बकाया वेतन का भी भुगतान किया गया है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ज्ञात प्राप्त प्रावधान ₹ 209.14 करोड़ था और 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1446.91 करोड़ था। टिप्पणी 9.1.4 देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
टिप्पणी 13.4 : वित्तीय लागत

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
ब्याज व्यय		
छूट समाप्त करना	60.46	55.69
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	1.37	-
कुल	**61.83**	**55.69**

टिप्पणी:

13.4.1 इसमें ₹ 0.00 करोड़ के उधार पर उपार्जित ब्याज शामिल है (पिछले वर्ष की संगत अवधि ₹ 0.00 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
टिप्पणी 13.5: मूल्यह्रास/ परिशोधन/ हानि

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 3.1)	330.95	298.62
प्रगति में पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 3.2)	6.41	3.91
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 3.4)	3.03	2.90
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 3.5)	-	-
	340.39	305.43
घटाएं:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	-
कुल	**340.39**	**305.43**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
टिप्पणी 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन	-	-
रेशियो वेरिएंस रिजर्व	(200.52)	672.67
कोयले तक उन्नत पहुँच	(185.17)	-
कुल	**(385.69)**	**672.67**

टिप्पणी:

13.6.1 रेशियो वेरिएंस रिजर्व: कंपनी की भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार प्रावधान/परिसंपत्ति के उलट होने की स्थिति उत्पन्न होने पर रेशियो वेरिएंस रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है।

13.6.2 कोयले तक उन्नत पहुंच: जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है।

13.6.3. भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के लिए टिप्पणी 16 (7) देखें। टिप्पणी 9.1 भी देखें।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
टिप्पणी 13.7 : संविदात्मक व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
परिवहन शुल्क	342.01	336.11
वैगन लोडिंग	30.58	31.48
प्लांट और उपकरण किराए पर लेना	2,480.47	1,751.16
अन्य संविदात्मक कार्य	315.58	272.60
कुल	**3,168.64**	**2,391.35**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.8 : अन्य व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
बिजली खर्च	256.77	239.88
मरम्मत और रखरखाव		
बिल्डिंग	43.81	44.57
प्लांट और उपकरण	61.76	67.62
अन्य	4.36	4.92
यात्रा खर्च	10.65	14.02
प्रशिक्षण खर्च	9.64	8.04
टेलीफोन और इंटरनेट	6.62	10.25
विज्ञापन और प्रचार	3.48	3.12
माल ढुलाई शुल्क	42.10	33.82
विलंब	12.37	21.94
अंडर लोडिंग शुल्क	50.10	55.58
कोयला नमूनाकरण शुल्क	9.73	6.37
सुरक्षा व्यय	369.36	359.54
कानूनी खर्च	5.39	5.60
परामर्श शुल्क	1.34	2.43
सीआईएल के सेवा शुल्क	41.10	36.18
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	50.84	56.23
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	0.69	1.73
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.25	0.25
कर मामलों के लिए	0.02	0.02
अन्य सेवाओं के लिए	0.19	0.19
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.15	0.21
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	3.18	3.38
पुनर्वास शुल्क	23.56	21.34
लीज़ किराया, सतह / डेड रेंट और किराये के शुल्क	16.13	40.12
दरें और कर	476.92	265.50
बीमा	1.67	1.71
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	2.78	2.96
साइडिंग रखरखाव शुल्क	8.69	12.13

अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	13.90	3.52
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.8.2	10.09	13.36
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.01	0.08
प्रावधान	57.30	18.26
बट्टे खाते में डालना	-	
घटाएँ: पहले से मान्य प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना	-	-
बट्टे खाते में डालना (पहले मान्य प्रावधानों का बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	-
विविध व्यय	74.56	63.64
कुल	**1,669.51**	**1,418.51**

टिप्पणी:

13.8.1 प्रावधानों का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	**वर्ष के समापन पर 31.03.2023**
निगमित निकाय और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	55.07	16.16
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	2.23	2.10
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान किया गया कुल प्रावधान	**57.30**	**18.26**

13.8.2 सीएसआर व्ययों का विवरण

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	**वर्ष के समापन पर 31.03.2023**
भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना	6.25	9.30
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	3.74	3.88
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.05	-
पर्यावरणीय स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	0.05	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	-
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-

इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	0.18
स्लम क्षेत्र विकास	-	-
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	-	-
कुल	**10.09**	**13.36**

ख. खर्च की जाने वाली अपेक्षित सीएसआर राशि और सीएसआर व्यय का ब्यौरा:

क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%)		
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	10.09	11.42
ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए	10.09	11.42
कुल	**10.09**	**11.42**

ग. ज्ञात सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	**वर्ष के समापन पर 31.03.2023**
खर्च किए गए सीएसआर व्यय	7.77	10.44
घटाएँ: वर्ष के दौरान आगे ले जाए गए अतिरिक्त/(उपयोग किए गए)		
जोड़ें: चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय	2.32	2.92
जोड़ें: चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर व्यय		
लाभ और हानि में ज्ञात राशि	10.09	13.36

घ. चालू परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	**वर्ष के समापन पर 31.03.2023**
प्रारंभिक शेष	-	-
अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	-	-
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	-	-
समापन शेष	-	-

ङ. व्यय हुई अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

वर्ष वार विवरण	प्रारंभिक जमाशेष	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय हुई राशि	अंतिम जमाशेष
2021-22				
2022-23				
2023-24				

टिप्पणी-6.2 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ के अंतर्गत अन्य जमा और अग्रिम के लिए फ़ुटनोट देखें।

च. चालू परियोजनाओं की अप्रयुक्त राशि [धारा 135(6)]

		2023-24	2022-23
आरंभिक जमाशेष	कंपनी में	-	-
	अलग सीएसआर खाते में	2.92	1.94
वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए अपेक्षित राशि		10.09	11.42
वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	कंपनी के बैंक खाते से	7.77	8.50
	अलग सीएसआर खाते से	1.72	1.94
अंतिम जमाशेष	कंपनी में	-	-
	अलग सीएसआर खाते से	3.52	2.92

छ. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024
आरंभिक जमाशेष	10.00
अवधि के दौरान वृद्धि	
वर्ष के दौरान समायोजन	6.48
अंतिम जमाशेष	3.52

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14.1: कर व्यय (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	**वर्ष के समापन पर 31.03.2023**
वर्तमान वर्ष	180.33	1.31
पिछला वर्ष	-	-
कुल वर्तमान कर	**180.33**	**1.31**
आस्थगित कर	346.88	(135.90)
एम ए टी क्रेडिट एनटाइटलमेंट	-	-
कुल	**527.21**	**(134.59)**

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर से पहले लाभ/(हानि)	2,091.67	530.19
25.168% की दर पर आयकर	526.43	133.44
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	0.78	(268.03)
MAT प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन		
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**527.21**	**(134.59)**
प्रभावी आयकर दर:	**25.21%**	**-25.39%**

14.1.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, चालू वर्ष के कर व्यय में 154.64 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लेखांकन में परिवर्तन के कारण है। टिप्पणी 16 (7) देखें।

14.1.3 भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए पुनर्वर्गीकरण और पुनर्कथन के परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16 (7) देखें। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए पहले से रिपोर्ट किए गए आस्थगित कर, ₹ 1055.81 करोड़ को ₹ 7.54 करोड़ से पुनर्कथन किया गया है।

14.1.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए टिप्पणी 11.2 देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14.1: कर व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2024	वर्ष के समापन पर 31.03.2023
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन15.1.1	(62.33)	(179.94)
	(62.33)	(179.94)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	(15.69)	(45.29)
	(15.69)	(45.29)
(iii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
(iv) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
कुल (i+ii+iii+iv)	**(46.64)**	**(134.65)**

टिप्पणी:

15.1.1 ग्रेच्युटी ₹ (73.68) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (169.07) करोड़), सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ₹ 11.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (10.87) करोड़) के लिए आंकड़े दर्शाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां (टिप्पणी 16)

1. (क) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां -

I. कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केन्दीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज	अन्य	कुल
1.	**01.04.2023 को आरंभिक**	**1621.93**	**1275.68**	**0.00**	**1880.88**	**4778.49**
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	71.83	276.42	0.00	223.84	572.09
3.	**वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे**					
	a. आरंभिक शेष से	486.09	391.29	0.00	21.31	898.69
	b. वर्ष के दौरान वृद्धि में से					
4.	**31.03.2024 को अंतिम**	**1207.67**	**1160.81**	**0.00**	**2083.41**	**4451.89**

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केन्दीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज	अन्य	कुल
1.	**01.04.2022 को आरंभिक**	**2161.51**	**1103.59**	**0.00**	**620.17**	**3885.27**
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि	2.15	240.29	0.00	1262.58	1505.02
3.	**वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे**					
	क. आरंभिक शेष से	541.73	68.20	0.00	1.87	611.80
	ख. वर्ष के दौरान वृद्धि में से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	**31.03.2023 को अंतिम**	**1621.93**	**1275.68**	**0.00**	**1880.88**	**4778.49**

(₹ 'करोड़ में)

विवरण		आकस्मिक देयता	
		दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
केंद्रीय सरकार	आयकर	659.75	889.38
	बिक्रीकर : सी एस टी	276.09	461.79
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	265.19	265.81
	सेवा कर	6.64	4.95
	उप-योग	**1207.67**	**1621.93**
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	बिक्री कर: वैट	245.70	447.41
	जीएसटी	110.30	188.01
	रॉयल्टी	511.21	344.44
	होल्डिंग टैक्स	252.23	252.23
	बिजली शुल्क	31.42	30.13
	अन्य वैधानिक बकाया (आरई/पीई उपकर)	9.94	13.46
	उप-योग	**1160.81**	**1275.68**
केंद्रीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज		0.00	0.00
अन्य	उप-योग	**0.00**	**0.00**
	कंपनी के खिलाफ मुकदमे मुकदमेबाजी	909.31	689.92
	मध्यस्थता कार्यवाही	1114.08	1129.78
	विविध (भूमि)	60.02	61.18
	उप-योग	**2083.41**	**1880.88**
	कुल योग	**4451.89**	**4778.49**

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में कोई रुचि अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो। कंपनी के लंबित मुकदमे में कंपनी के विरुद्ध दावे और कर/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष लंबित कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है, पर्याप्त प्रावधान किए हैं, और जहां लागू हो, अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त के संबंध में भविष्य में नकदी का बहिर्वाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर है।

आकस्मिक देयताओं पर अन्य प्रकटीकरण:

(i) WP (सिविल) 114/2014 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पेनाल्टी- कॉमन कॉज केस: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के निर्णय W.P. (C) संख्या 114/2014 के अनुसार कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य के तहत क्षेत्र की 47 परियोजनाओं/खानों/कोयलारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ₹ 17344.46 करोड़ की मांग नोटिस जारी की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि कोयला उत्पादन या तो पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, संचालन के लिए सहमति और/या स्थापना के लिए एनओसी/सहमति के बिना या

ऐसी मंजूरी के तहत दी गई उत्पादन की अनुमोदित सीमाओं से परे किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के साथ खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55(5) के तहत शक्ति के प्रयोग में उपरोक्त मांग नोटिसों के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत संयुक्त सचिव एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 03.11.2022 के आदेश द्वारा क्षेत्र की 47 परियोजनाओं/खानों/कोयलारियों के संबंध में ₹ 17344.46 करोड़ की राशि के मांग नोटिस को रद्द कर दिया गया।

(ii) विवादित प्राप्य/देय खाता डीएलएफ - समझौते की शर्तों के अनुसार, डीएलएफ से (i) अस्वीकृत और (ii) मधुबन कोल वाशरी (एमसीडब्ल्यू) द्वारा डीएलएफ को स्टार्टअप/बैक अप/आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के विरुद्ध प्राप्य हैं और डीएलएफ द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) से एमसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त ऊर्जा के लिए डीएलएफ को देय हैं। मामला दो मंचों पर विचाराधीन है, (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सी.ए. संख्या 4166/2012 के तहत - टैरिफ निर्धारण के संबंध में जेएसईआरसी के एपीटीईएल के आदेश को चुनौती देते हुए, (ii) माननीय उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष सी.ए. संख्या 7/2019 के तहत - धनबाद सिविल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड दिनांक 01.10.2008 के आदेश को चुनौती देते हुए, प्रारंभिक राशि ₹ 84.0071 करोड़ (भुगतान तक ब्याज सहित)। 31 मार्च, 2024 तक 18% प्रति वर्ष की दर से शुद्ध ब्याज डीएलएफ को देय ₹ 38.88 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 37.17 करोड़) होगा और इसे आकस्मिक देयता माना गया है।

II) **आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:** आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभों के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

III) कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	दिनांक 31.03.2024 को	**दिनांक 31.03.2023 को**
वर्तमान परिसंपत्ति पर फ्लोटिंग प्रभार के विरुद्ध	294.23	262.14

IV) कंपनी द्वारा जारी साख पत्र

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	दिनांक 31.03.2024 को	**दिनांक 31.03.2023 को**
तुलन पत्र तारीख को बकाया	392.79	5.87

(ख) प्रतिबद्धताएं

1.पूंजी प्रतिबद्धता

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	दिनांक 31.03.2024 को	**दिनांक 31.03.2023 को**
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
क)भूमि	0.00	0.00
ख)भवन	95.38	84.28
ग)संयंत्र और मशीनरी	10.38	20.78
घ)अन्य	469.88	443.66
कुल	**575.64**	**548.72**

2. राजस्व / अन्य प्रतिबद्धता

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
क)एच ई एम एम हायरिंग	9847.65	9978.23
ख) कोयला परिवहन	604.94	456.99
ग)अन्य	1235.56	98.58
कुल	**11688.15**	**10533.80**

2. संबंधित पक्ष सूचना

क)समूह सूचना

i)ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
ii)सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
iii)नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
iv)वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्युसीएल)
v)साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस ई सी एल)
vi)महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
vii)सीएमपीडीआई लिमिटेड (सीएमपीडीआई)
viii)सीआईएल सोलर प्रा. लि. (सीएसपीएल)
ix)सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीएनयूएल)

ख)रोजगार-पश्चात लाभ निधि एवं अन्य:

i)कोल इंडिया एम्प्लाइज ग्रेच्युटी फंड
ii)कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफ)
iii)कोल इंडिया सुपर एनुएशन बेनेफिट फंड ट्रस्ट
iv)कंट्रीब्युटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फॉर नॉन-एक्जीक्युटिव संशोधित
v)सीआईएल एक्जीक्युटिव डिफाइंड कंट्रीब्युशन पेंशन ट्रस्ट
vi)इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट (आईआईसीएम)
vii)कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए)

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	तारीख (यदि वित्त वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण किया हो)
श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	
श्री देबाशीष नंदा .	सरकार द्वारा नामित निदेशक; निदेशक (बीडी) सीआईएल	
श्री राकेश कुमार सहाय	निदेशक (वित्त)	दिनांक 14/04/2023 को कार्यभार ग्रहण
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी/ओपी)	दिनांक 30/06/2023 से कार्यकाल समाप्त
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/ओपी)	दिनांक 10/10/2023 को कार्यभार ग्रहण

श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	अतिरिक्त प्रभार दिनांक 10/10/2023 को कार्यभार ग्रहण दिनांक 11/01/2024 को कार्यकाल समाप्त
श्री उदय ए कावले	निदेशक (तकनीकी/ओपी)	दिनांक 19/12/2023 से कार्यकाल समाप्त
श्री शंकर नागचारी	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	दिनांक 12/01/2024 को कार्यभार ग्रहण
श्री मुरलीकृष्ण रामैया	निदेशक (कार्मिक)	
श्री आनंदजी प्रसाद	अंशकालिक निदेशक (परियोजना सलाहकार, एमओसी, सरकार द्वारा नामित)	
श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	
श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	
श्री सत्यव्रत पांडा	स्वतंत्र निदेशक	
श्री राम कुमार रॉय	स्वतंत्र निदेशक	
श्री बी.के. पारुई	कंपनी सचिव	

घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय

(₹ 'करोड़ में)

क्र सं	विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
क.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	2.64	2.53
ख.	स्वतंत्र निदेशकों के बैठक में सम्मिलित होने की फीस	0.17	0.19
(ii)	नौकरी के बाद के लाभ	0.39	0.16
(iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.00	0.00
(iv)	सेवानिवृत्ति लाभ	0.00	0.00
(v)	**शेयर आधारित भुगतान**	0.00	0.00
	कुल	**3.20**	**2.86**

ङ) दिनांक 31.03.2024 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का शेष बकाया

(₹ 'करोड़ में)

क्र सं	विवरण	दिनांक31.03.2024 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
i)	भुगतेय राशि	0.00	0.00
ii)	प्राप्य राशि	0.00	0.00

च) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

छ) समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन किया है जिसमें शीर्ष प्रभार, पुनर्वास प्रभार, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए फंड पर ब्याज, आईआईसीएम प्रभार और चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

(i) संबंधित पक्षों से लेनदेन

(₹ 'करोड़ में)

संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष को ऋण	संबंधित पक्ष से ऋण	अन्य सेवाएं					चालू खाता शेष (भुगतेय)/ प्राप्य	बकाया शेष (भुगतेय)/ प्राप्त
			शीर्ष प्रभार	पुनर्वास प्रभार	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किए गए फंड पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	कोई अन्य		
सीआईएल	0.00	0.00	41.10	23.56	0.00	0.00	0.00	(361.38)	0.00
आईआईसीएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.75)
सीएमपीडीआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.29	0.00	(53.07)

(ii) सीएमपीडीआईएल का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
	लाभ और हानि का विवरण		
1.	पूंजीगत व्यय	3.1	0.00
2.		3.2	29.45
3.		3.3	0.00
4.		3.4	0.00
5.		3.5	0.00
6.	सीएमपीडीआईएल व्यय	13.8	50.84
7.	पर्यावरण व्यय	13.8	0.00
8.	अन्य शीर्ष (कृपया स्पष्ट करें)		0.00
	तुलन पत्र		
1.	पूंजीगत व्यय के लिए भुगतेय	8.4	17.00
2.	व्यापार प्राप्य	8.3	36.07
3	अन्य शीर्ष (कृपया स्पष्ट करें)		0.00

3. उचित मूल्यांकन

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन/दस्तावेज

(₹ 'करोड़ में)

	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति				
सुरक्षित बांड				
अधिमान शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
को-ऑपरेटिव शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
म्युच्युअल फंड / आईसीडी	266.52	0.00	499.72	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा एवं प्राप्य	0.00	960.31	0.00	764.84
कारोबारी प्राप्य*	0.00	1333.25	0.00	1251.15
नकद और नकद समतुल्य	0.00	326.31	0.00	166.62
अन्य बैंक शेष	0.00	618.32	0.00	567.58
वित्तीय देयताएं				
उधारियाँ और पट्टा देयताएं	0.00	230.24	0.00	212.64
व्यापार भुगतान योग्य	0.00	1233.53	0.00	912.91
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि	0.00	541.37	0.00	485.91
अन्य देनदारियां	0.00	1366.71	0.00	1259.00

* कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु भत्ता कारोबारी प्राप्य से काटा गया।

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय साधनों में निर्धारित निर्णय और अनुमानों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं (क) उचित मूल्य पर मान्यता एवं मूल्यांकन (ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकन और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए कंपनी अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक स्तर की एक व्याख्या तालिका में निम्नलिखित है।

(₹ 'करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियां-	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
म्युचुअल फंड	266.52	0.00	499.72	0.00

(₹ 'करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
सुरक्षित बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
को-ऑपरेटिव शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा और प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्य योग्य व्यापार*	0.00	0.00	0.00	0.00
नकद और नकदी समकक्ष	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देनदारियां				
उधारियां और पट्टा देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देनदारियां	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य देनदारियां	0.00	0.00	0.00	0.00

* कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु भत्ता प्राप्य योग्य व्यापार से काटा गया।

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत मूल्यों से प्राप्त मूल्यांकित वित्तीय साधनों को भी शामिल किया है। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है, जिसमें उद्धृत मूल्य और समापन एनएवी का उपयोग कर इसके मूल्य को जाना जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों के उचित मूल्य कि एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं मूल्यांकन तकनीक जो नमूदार बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करने और इकाई विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करते हैं, का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण उचित मूल्य के लिए सभी प्रविष्टियां आवश्यक है तो एक साधन देखा जाता हैं, यह साधन स्तर 2 में शामिल है।

स्तर 3: यदि एक या इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो यह साधन स्तर 3 में शामिल है। यह मामला गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के स्तर 3 में शामिल है।

ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

घ) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

ङ) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य का मूल्यांकन

व्यापार प्राप्तियां, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार देय के अल्पकालिक प्रकृति के कारण इन्हें इनके उचित मूल्यों के बराबर ही माना जाता है।

कंपनी यह मानती है कि "प्रतिभूति जमा" में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। यह महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप होगा और संविदा हेतु आवश्यक रकम का प्रतिधारण वित्तीय प्रावधानों अतिरिक्त कारणों के लिए होगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना, कंपनी के हित के लिए अपेक्षित है, ताकि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल रहने वाले ठेकेदार से निपटा जा सके। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की ट्रांजेक्शन लागत को आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में विचार किया जाता है और उसके बाद परिशोधित लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान:

किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारित मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया जाता है। किसी विधि का चयन करने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएं बनाने के लिए कंपनी अपने निर्णय का उपयोग करती है।

4. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

क. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया है। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का पक्ष में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियों, और नकद और सीधे अपने परिचालन से प्राप्त होने वाले नकदी समकक्ष को शामिल किया गया हैं।

कंपनी ने बाजार के जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने प्रबंधन को इन जोखिम से अवगत कराया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो वित्तीय जोखिमों पर परामर्श देने के साथ-साथ कंपनी के लिए उचित एवं शासकीय वित्तीय जोखिम से भी अवगत कराती है। यह जोखिम समिति निदेशक मंडल यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित हो रही है और यह वित्तीय जोखिम कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के आलोक में चिह्नित, मूल्यांकित एवं प्रबंध की जा रही है। निदेशक मंडल ने इन प्रत्येक जोखिमों की प्रबंधकीय व्यवस्था की समीक्षा की है और इसपर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसका सारांश निम्नलिखित है।

इस टिप्पणी में इक्विटी के जोखिम के स्रोतों को परिभाषित किया गया है और यह बताया गया है कि इन जोखिमों का प्रबंध कंपनी द्वारा कैसे किया जाएगा और वित्तीय विवरणी में इस बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव होगा।

जोखिम	उजागर का स्रोत	मूल्यांकन	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियों, परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन	एजिंग विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधारी और अन्य देनदारियां	आवधिक नकद प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन और उधार लेने की सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा विनिमय	भविष्य वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और आईएनआर में शामिल नहीं की गई देनदारियों	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से घड़ी और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

ख. कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश कवर करने वाली पालिसियों के लिए लिखित सिद्धांतों को उपलब्ध कराती है।

ग.ऋण जोखिम:

i.ऋण जोखिम प्रबंधन: प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मैक्रो-आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।

ii.ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए):

जैसा कि न्यु कोल डिस्ट्रिब्युशन पॉलिसी (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के ग्राहकों के साथ कानूनी रूप से उचित वितरण व्यवस्था बनाने के लिए ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया है। हमारे ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत उपयोगी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (PPUs) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) से ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया गया है।
- गैर-विद्युत उद्योगों के उपभोक्ताओं (कैप्टिव पॉवर प्लांट CPPs)) के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs), और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs)

iii.ई-नीलामी योजना:

इस कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत ग्राहकों तक सरल तरीके से कोयला पहुंचाने के लिए की गई है, जो पहले विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कोयला की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन होता था, उनकी कोयले की आवश्यकता मौसम की वजह से प्रभावित होती थी और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया गया था। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्ष संविदागत दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है।

घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान:

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध / खराब क्रेडिट संपत्ति के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि उपलब्ध कराती है। (देखें टिप्पणी-4.3, व्यापार प्राप्तियाँ)

ङ) महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

च) तरलता जोखिम

विवेक पूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त राशि की उपलब्धता। अंतर्निहित कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी द्वारा राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट के तहत उपलब्धता बनाए रखने में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी के तरलता की स्थिति (आहरित नहीं की गई निम्नलिखित उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकद और नकदी समकक्ष पर नज़र रखता है। यह कार्य सामान्यतः स्थानीय स्तर पर कंपनी द्वारा निर्धारित पद्धति एवं सीमाओं के अनुसार

किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के बैंक उधार को बैंकों के एक संघ के भीतर कोयले, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और बही ऋण के स्टॉक के खिलाफ शुल्क बनाकर सुरक्षित किया गया है। कंपनी को उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी स्वीकृत मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) ₹ 600.00 करोड़ है।

च) बाजार जोखिम

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा में ब्याज दर के बदलाव से होता है, जिसे कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम में प्रकट किया गया है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा को स्थिर दर पर बनाए रखना है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग कर इस जोखिम का प्रबंधन करती है।

छ) पूंजी प्रबंधन

कंपनी के एक सरकारी संस्था होने के नाते वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023
इक्विटी शेयर पूंजी	4657.00	4657.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

5. कर्मचारी लाभ: मान्यता एवं मापन (भारतीय लेखा मानक-19)

परिभाषित लाभ योजना

i.ग्रेच्युटी:

कंपनी, ग्रेच्युटी के लिए नियोजन उपरांत पात्र कर्मचारियों को एक परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्यूटि स्कीम) प्रदान करती है। यह ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्तपोषित है, जिसमें नियोक्ता का येागदान उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा-अवधि पूरी कर ली हो, वे कंपनी से अलग होते समय ग्रेच्युटी भुगतान की रकम प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसकी गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के यथा संशोधित प्रारूप के तहत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन एवं महंगाई भत्ता * पूर्ण सेवा-वर्ष) के बराबर, अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ तक होगी। ग्रेचयुटि योजना से संबंधित तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटा है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापी लाभ एवं हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे सीधे तौर पर दूसरे व्यापक आय (ओसीआइ) में घटित होते हैं।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (जीवन बीमा राशि- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, जो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 0.20 करोड़ है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ- अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति अथवा चिकित्सकीय आधार पर कंपनी की सेवा से अलग होने अथवा कॉमन कोल कैडर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने अथवा समय-समय पर प्रतिपादित एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने पर अधिकारियों एवं उनके जीवनसाथी और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चा (बच्चे) जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक ''सीआइएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत मेडिकेयर स्किम (सीपीआरएमएसई)'' नामक सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना है, जिसका लाभ एक निर्धारित सीमा तक देश में मौजूद कंपनी-अस्पतालों/पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट/अधिवास में प्राप्त किया जा सकता है। सीआईएल और उसकी अनुषंगियों की सेवाओं से त्याग-पत्र देने वाले अधिकारियों को इसकी सदस्यता नहीं प्रदान जाती है। कुछ निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर जिनके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके पति या पत्नी के लिए संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से पूरे जीवन काल में प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि की सीमा ₹ 0.25 करोड़ है। इस योजना को सीआइएल द्वारा सामूहिक स्तर पर संचालित एक ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे मात्र इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

iii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ- गैर-अधिकारी (सीपीआरएमएसई-एनई)

कंपनी द्वारा वेतन समझौता के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (CPRMSE-NE) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त अथवा कंपनी द्वारा चिकित्सकीय आधार पर सेवामुक्त अथवा समय-समय पर तैयार एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले अथवा 57 वर्ष या उससे अधिक आयु में कंपनी की सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों को और कर्मचारी के मृत्यु के मामले में, उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों को केवल देश के अंदर तथा एक निर्धारित व्यय-सीमा तक की शर्त के आधार पर कंपनी के अस्पतालों/ सूचीबद्ध अस्पतालों में ऑउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों द्वारा अपने पूरे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से या अलग-अलग अधिकतम ₹ 0.08 करोड़ तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। दिव्यांग बच्चे के पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 0.025 करोड़ होगी। इस योजना को समूह के लिए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मेनटेन किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

ख) परिभाषित अंशदायी योजनाएं:

i. भविष्य निधि एवं पेंशन:

कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पात्र कर्मचारियों के वेतन से पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अर्थात मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का क्रमश: 12% एवं 7% कटौती कर कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में दिया गया है।

ii. सीआइएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को पोस्ट-एंप्लायमेंट अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है, जिसे ''सीआइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007'' (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित समूह ट्रस्ट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी (सीपीआरएमएसई) अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान सहित, मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिकतम 30% ट्रस्ट में योगदान करे। मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 6.99% के वर्तमान नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण हेतु प्रभारित किया जा रहा है।

ग)अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई माह के पहले अर्धवार्षिकी आधार पर अनुपात में 30 दिनों का अर्जित अवकाश (ई एल) तथा 20 दिनों का एचपीएल प्रदान करती है। सेवाकाल के दौरान, 75% जमा ईएल शेष, अधिकतम 60 दिनों तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकदीकरण योग्य है। सेवाकाल के दौरान संचित किए गए एचपीएल को नकदीकरण करने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल एवं एचपीएल को एक साथ नकदीकरण किया जा सकता है, जो एचपीएल रूपांतरण के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश (ईएल) के नकदीकरण के हकदार हैं तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता तथा वीआरएस के कारण सेवामुक्त होने की स्थिति में शेष अवकाश या 150 दिन, इनमें से जो भी कम हो, को नकदीकरण करने की अनुमति है। इसलिए, ईएल की देनदारियों को कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान तथा सेवनिवृत्ति के बाद निपटान करने की उम्मीद की जाती है। अत: उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा संबंधी किए जाने वाले अपवादित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के तौर पर मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार मुनाफा का उपयोग कर लाभ में छूट दी जाती है जिसमें संबंधित बाध्यता की शर्तों के अनुसार शर्तें होती है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम की योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ii) लाइफ कवर स्कीम (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी अधिकारियों और गैर-अधिकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 01.06.2023 से ₹ 1,56,250 की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

iii) सेटलमेंट एलाउंस

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, दिनांक 31.10.2010 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले एनसीडब्लूए के कर्मचारियों को सेटलिंग भत्ते के तौर पर एकमुश्त ₹ 12000/- की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

iv) ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस (जीपीएआइएस)

कंपनी ने अपने अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक सामूहिक बीमा योजना ली है, जिसे ''कोल इंडिया एक्सक्यूटिव ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस स्कीम'' (जीपीएआइएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआइएस दुनिया भर में सभी प्रकार की घटनाओं को 24 घंटे कवर करती है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

v) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, कर्मचारी 4 वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार अपने ''गृह नगर'' तथा एक बार ''भारत भ्रमण'' की यात्रा के लिए हकदार हैं। गृह नगर तथा भारत भ्रमण के लिए क्रमश: ₹ 10,000/- तथा ₹ 15000/- की राशि दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

vi) खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से यदि खदान में किसी कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन को मुआवजे के रूप में ₹ 15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं, परिभाषित अंशदायी योजनाएं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित हैं:

(i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा – अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा – गैर -अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

(ii) गैर-वित्तपोषित

- जीवन बीमा योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी)
- खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

एक्चुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक एक्चुरियल प्रावधान ₹ 5032.70 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ 'करोड़ में)

मद	01 अप्रैल, 2022 को आरंभिक बीमांकिक प्रावधान	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	01 अप्रैल, 2023 को आरंभिक बीमांकिक प्रावधान	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	31 मार्च, 2024 को अंतिम बीमांकिक प्रावधान
उपदान (ग्रेच्युटी)	3134.11	82.51	3216.62	74.53	3291.15
छुट्टी	559.63	206.76	766.39	155.28	921.67
सेटलमेंट भत्ता	25.84	(1.80)	24.04	(0.64)	23.40
एलटीसी / एलटीसी / आरआरएफ	35.75	(0.94)	34.81	3.07	37.88
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	704.48	1.40	705.88	52.72	758.60
कुल	**4459.81**	**287.93**	**4747.74**	**284.96**	**5032.70**

बीमांकक के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित), छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित) हेतु कर्मचारी लाभ के लिए बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: -

i. दिनांक 31.03.2023 को उपदान (ग्रेच्युटी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क.लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	43.34	95.73
पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	125.64	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	**168.98**	**95.73**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	56.41	52.27
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
लाभ-हानि में मान्य लागत	**225.39**	**148.00**
ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	10.05	268.02
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	60.19	(-)102.00
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	70.24	166.02
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	3.44	3.05
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	**73.69**	**169.07**
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	168.98	95.73
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	56.41	52.27
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	73.69 0.00	169.07 0.00
कर्मचारी लाभ योजनाएं		
परिभाषित लाभ लागत	**299.07**	**317.07**
घ. निम्नलिखित के संबंध में अनुमान		
छूट दर	7.00%	7.30%
वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 2: शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)3291.15	(-)3216.62
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	2394.40	2268.93
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)896.76	(-)947.69
एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)896.76**	**(-)947.69**
ख . शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)947.69	(-)906.71
सेवा लागत	(-)168.98	(-)95.73
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)56.41	(-)52.27
ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(-)73.69	(-)169.07
नियोक्ता योगदान	350.00	276.10
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	0.00
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
अनावरण	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)896.76**	**(-)947.69**
ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.00%	7.30%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 3: लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	3216.62	3134.11
वर्तमान सेवा लागत	43.34	95.73
डीबीओ पर ब्याज लागत	220.75	200.22

कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	125.64	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	10.05	268.02
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	60.19	(-)102.00
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)385.43	(-)379.46
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	**3291.15**	**3216.62**
ख. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2268.93	2227.40
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	164.34	147.94
नियोक्ता योगदान	350.00	276.10
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(-)3.44	(-)3.05
भुगतान किया गया लाभ	(-)385.43	(-)379.46
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	**2394.40**	**2268.93**

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च , 2025	388.62
31 मार्च, 2026	372.68
31 मार्च, 2027	380.29
31 मार्च, 2028	375.19
मार्च 31, 2029	344.70
31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	1446.41
10 वर्ष से परे	2464.47
ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	43.69

ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	7 वर्ष
घ. 31 मार्च, 2024 को उपार्जित लाभ दायित्व	2810.88
ङ. 31 मार्च, 2024 को योजना की संपत्ति की जानकारी	प्रतिशत (%)
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0.00%
(सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%
च. 31 मार्च, 2024 का वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार विवरण	
वर्तमान में दायित्व	375.69
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	2915.47
31 मार्च, 2024 तक दायित्व	**3291.15**

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	**(₹ 'करोड़ में)**
31 मार्च, 2024 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**3291.15**
क. छूट दर	
31 मार्च, 2024 तक छूट दर	**7.00%**
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)99.11
प्रतिशत प्रभाव	-3%
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	105.43
प्रतिशत प्रभाव	3%

ख. वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च, 2024 तक वेतन वृद्धि दर	**अधिकारी: 9%** **कर्मचारी: 6.25%**
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	25.18
प्रतिशत प्रभाव	1%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(-)26.76
प्रतिशत प्रभाव	-1%

ii. समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना को अपनाया है और जिसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पहले ही दर्ज किया जा चुका है। पूर्वोक्त योजना के प्रबंधन के लिए न्यासियों के साथ एक ट्रस्ट डीड में प्रवेश करके एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2024 को उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ 'करोड़ में)

वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	2283.34	2227.40
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	350.00	276.10
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	171.12	161.31
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी द्वारा लिया गया शुद्ध प्रीमियम	10.23	16.41
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा जारी ग्रेच्युटी फंड	354.58	365.06
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष	2439.65	2283.34

iii. 31.03.2024 को छुट्टी नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क.लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	163.22	140.03
पिछले सेवा लागत-योजना संशोधन	88.89	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	**252.10**	**140.03**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	24.30	20.36

(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	63.02	20.56
लाभ-हानि में मान्य लागत	**339.42**	**180.95**
ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	33.54	72.36
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	22.06	(-)32.20
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	55.59	40.16
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	7.42	(-)19.60
ओसीआई में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियां	**0.00**	**0.00**
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	252.10	140.03
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज/(संपत्ति)	24.30	20.36
ओसीआई में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियां	0.00	0.00
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	63.02	20.56
परिभाषित लाभ लागत	**339.42**	**180.95**
घ. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.00%	7.30%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 2: शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	**दिनांक 31.03.2024 को**	**दिनांक 31.03.2023 को**
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)921.67	(-)766.39
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	249.44	433.57
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)672.23	(-)332.82
परिसंपत्ति उच्चतम सीमा का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)672.23**	**(-)332.82**

ख. शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)332.82	(-)446.87
सेवा लागत	(-)252.11	(-)140.03
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)24.30	(-)20.36
बीमांकिक (हानि)/लाभ	(-)63.02	(-)20.56
नियोक्ता योगदान	0.00	295.00
कंपनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.00	0.00
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
अनावरण	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)672.23**	**(-)332.82**
ग. अनुमानों के रूप में	7.00%	7.30%
छूट की दर	अधिकारी: 9%	अधिकारी: 9%
वेतन वृद्धि की दर	कर्मचारी: 6.25%	कर्मचारी: 6.25%

तालिका 3: लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	766.39	559.63
वर्तमान सेवा लागत	163.22	140.03
डीबीओ पर ब्याज लागत	48.61	37.68
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	88.89	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	33.54	72.36
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	22.05	(-)32.20
कंपनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)201.02	(-)11.10
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	**921.67**	**766.39**

ख. परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	433.57	112.76
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	24.31	17.32
नियोक्ता योगदान	0.00	295.00
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(-)7.42	19.60
भुगतान किया गया लाभ	(-)201.02	(-)11.10
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	**249.44**	**433.58**

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	**(₹ 'करोड़ में)**
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2025	87.78
31 मार्च, 2026	90.67
31 मार्च, 2027	90.57
31 मार्च, 2028	87.96
मार्च 31, 2029	91.37
31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	371.56
10 वर्ष से परे	1173.05
क.31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	180.61
ख.परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 वर्ष
ग.31 मार्च, 2024 को उपार्जित लाभ दायित्व	581.05
घ.31 मार्च, 2024 तक योजना की संपत्ति की जानकारी	प्रतिशत (%)
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%

अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**
ङ 31 मार्च, 2024 को वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार (ब्रेकअप) विवरण	
वर्तमान में दायित्व	84.86
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	836.81
31 मार्च, 2024 तक दायित्व	**921.67**

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	**(₹ 'करोड़ में)**
डीबीओ 31 मार्च, 2024 को आधार अनुमानों पर आधारित है	**921.67**
क. छूट दर	
31 मार्च, 2024 तक छूट दर	**7.00%**
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)36.20
प्रतिशत प्रभाव	-4%
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	39.13
प्रतिशत प्रभाव	4%
ख. वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च, 2024 को वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	38.95
प्रतिशत प्रभाव	4%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(-)36.39
प्रतिशत प्रभाव	-4%

iv. अवकाश नकदीकरण वित्त पोषण

कोल इंडिया बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम और आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकास नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए 13 नवंबर, 2015 को संपन्न 322वीं बैठक में अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों को अवकाश नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया की न्यू ग्रुप लीव एनकैशमेंट प्लान को अपनाने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव अर्थात 'नई समूह अवकाश नकदीकरण नकद संचय योजना (UIN512N282V01)' को अपनाते हुए बीसीसीएल कर्मचारियों के अवकास नकदीकरण देयता का वित्तपोषण शुरू कर दिया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष राशि	282.47	112.76
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	683.00	695.00
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	17.85	15.56
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी को भुगतान किया गया निवल शुल्क	0.96	0.85
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा जारी की गई निधि	750.00	540.00
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	232.36	282.47

V. 31.03.2024 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क.लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	15.25	16.68
पिछले सेवा लागत-योजना संशोधन	0.00	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	**15.25**	**16.67**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	25.18	27.34
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
लाभ-हानि में मान्य लागत	40.43	44.02
ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(-)32.75	58.22
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	25.31	(-)42.68
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	(-)7.44	15.54
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(-)3.91	(-)4.67
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्य हानियां	**(-)11.35**	**10.87**
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	15.25	16.68
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	25.18	27.34

बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	(-)11.35	10.87
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
परिभाषित लाभ लागत	**29.08**	**54.89**
घ. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.00%	7.30%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%

तालिका 2: शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)758.60	(-)705.88
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	412.24	333.23
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)346.36	(-)372.65
एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)346.36**	**(-)372.65**
ख. शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)372.65	(-)486.44
सेवा लागत	(-)15.25	(-)16.68
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)25.18	(-)27.34
ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	11.35	(-)10.87
नियोक्ता योगदान	55.37	168.67
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	0.00
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
(अनावरण)	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)346.36**	**(-)372.66**
ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.00%	7.30%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%

तालिका 3: लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	705.88	704.49
वर्तमान सेवा लागत	15.25	16.68
डीबीओ पर ब्याज लागत	51.30	45.32
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(-)32.75	58.22
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	25.31	(-)42.68
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)6.38	(-)76.14
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	**758.60**	**705.88**
ख. परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	333.23	218.05
अधिग्रहण समायोजन योजना संपत्ति पर ब्याज आय	0.00 26.11	0.00 17.97
नियोक्ता योगदान	55.37	168.67
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	3.91	4.67
भुगतान किया गया लाभ	(-)6.38	(-)76.14
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	**412.24**	**333.22**

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2025	38.03
31 मार्च, 2026	42.29
31 मार्च, 2027	46.14
31 मार्च, 2028	49.73
मार्च 31, 2029	52.85
31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034	296.56
10 वर्ष से परे	1532.87
क.परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 years
ख. 31 मार्च, 2024 को उपार्जित लाभ दायित्व	758.60

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
31 मार्च, 2024 के अनुमानों पर आधारित डीबीओ	**758.60**
क. छूट दर	
31 मार्च, 2024 तक छूट दर	**7.00%**
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)41.41
प्रतिशत प्रभाव	(-)5%
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	45.57
प्रतिशत प्रभाव	6%

vi.सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ अनुदान

31.03.2024 को निधि की स्थिति इस प्रकार है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	372.04	218.05
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	55.37	168.67
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	30.03	22.89
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए निवल शुल्क	0.00	0.00
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान निकाली गई निधि	0.00	37.57
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	457.44	372.04

6. अन्य मामले

क)खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड व्यवसाय में लगी हुई है।

ख)प्रति शेयर आय (इंड एएस-33)-लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में/शेयर की संख्या)

विवरण	दिनांक 31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.23 (पुनः घोषित) को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयर धारकों को देय कर के पश्चात शुद्ध लाभ	1564.46	664.78
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	46570000	46570000
रुपये में प्रति शेयर मूल और डाइलूटेड आय (अंकित मूल्य ₹ 1,000)	335.94	142.75

ग) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

घ)चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि

कारोबार के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की प्राप्ति का मूल्य बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

ङ)चालू देयताएँ

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सका।

च)शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी समय-समय पर भेजे जाते हैं। ऐसे कुछ शेष राशि की पुष्टि/समाधान किया जाना चाहिए। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के बाद उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

छ) कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य प्रतिभूतियां

कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों आदि से प्राप्त निम्नलिखित निधि आधारित/गैर-निधि-आधारित प्रतिभूति है, जिसका लेखांकन नहीं किया गया है।

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिभूति की प्रकृति	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
1	बैंक गारंटी	1575.30	1206.37
2	साख पत्र	61.75	56.50
3	एनएससी	0.22	0.22
4	एफडीआर/टीडीआर	21.67	6.65

ज) अप्रैल 2012 में मेसर्स एएमआर-बीबीबी कंसोर्टियम को "कपुरिया ब्लॉक के विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेज द्वारा कपूरिया ब्लॉक से कोयले की निकासी के लिए टर्नकी आधार पर 2.0 एमटीवाई के न्यूनतम गारंटीकृत उत्पादन" के लिए एक ठेका दिया गया था। उक्त अनुबंध 21.01.2021 को रद्द कर दिया गया है और मेसर्स एएमआर बीबीबी कंसोर्टियम की तीन प्रदर्शन बैंक गारंटी को बीसीसीएल द्वारा ₹ 41.20 करोड़ का नकदीकरण किया गया है। कंपनी के पास ₹ 38.23 करोड़ का बकाया पूंजी अग्रिम था जिसे नगद बैंक गारंटी के विरुद्ध समायोजित किया गया है और ₹ 2.97 करोड़ की शेष राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2021 के अनुसार जमा कर दी गई है। उक्त राशि ₹ 2.97 करोड़ को लेखा बहियों में न्यायालयों में जमा के रूप में दर्शाया गया है। एक बैंक गारंटी को बैंक द्वारा ₹ 12.78 करोड़ का नकदीकरण किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2021 के निर्देशानुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया गया है। अत: ₹ 15.75 करोड़ (₹ 2.97 करोड़ + ₹ 12.78 करोड़) की कुल राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा है। पश्चिमी झरिया क्षेत्र के शीर्ष "विकास" (सीडब्ल्यूआईपी नोट -4) के तहत डीपीआर के लिए भुगतान की गई राशि 6.50 करोड़ आईसीसी, जहां मध्यस्थता मामला दायर किया गया है, के परिणाम के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी के खिलाफ समायोजित की जाएगी।

झ) कंपनी (बीसीसीएल, कोलकाता कार्यालय) ने मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता के विरूद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक व्यावहारिक मुकदमा (2013 का जीए नंबर 2797/ 2013 का सी.एस. नं. 11) दायर किया गया है, जो इस बात के लिए है कि (i) यह कंपनी यह घोषित करे कि वह अपने वर्तमान कार्यालय परिसर 6, लियोन्स रेंज, कोलकाता 700001., कोलकाता की कानूनी मालिक है (ii) यह घोषित करें कि मकान मालिक के रूप में और इसमें रहने वाले पट्टेधारियों की बीच कोई संबंध नहीं है और (iii) कंपनी पहले ही न्यायिक आदेश पर किराए आदि के रूप में ब्याज सहित ₹ 187.74 करोड़ का भुगतान मैसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता को कर चुकी है।

ञ) तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र का बकाया शेष

पीबी एरिया के अंकेक्षित खातों में प्रदर्शित तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की देनदारियां परीक्षण/ जांच के अधीन हैं। इसी तरह, तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र के अग्रिम, जमा और दावे इत्यादि भी सत्यापन/ जांच के अधीन है। परीक्षा/ जांच / सत्यापन / संवीक्षा के परिणाम के आधार पर, देनदारियों का प्रतिलेखन या भुगतान कर दिया जाएगा और उसी तरह अग्रिम आदि को समायोजित कर दिया जाएगा या बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा ।

ट) पी. बी. क्षेत्र में विलय किए गए तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा और आश्वासन प्रबंधन, कोयला खदानों की परिसंपतियों की भौतिक सत्यापन का काम को उस पर दिए गए के अवलोकन को देखते हुए पी. बी. क्षेत्र में विलय की गई तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की कोलियरी/ इकाइयों और उसके संपत्ति रजिस्टर / संयंत्र कार्ड आदि का मिलान करने के लिए इस काम को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को सौंपा गया था। इस फर्म ने अपने भौतिक सत्यापन के आधार पर यह जानकारी दी है कि सकल ब्लॉक को बढ़ाकर ₹ 9.63 करोड़ बताया गया है और विलय की तारीख को मूल्यहास प्रावधान के लिए खातें में ₹ 16.06 करोड़ दिखाया गया है। लेकिन इस फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि इस सूचित सीमा के तहत वर्तमान परिसंपत्तियों (प्राप्त) के भौतिक शुद्ध मूल्य की मुद्रस्फीति हुई है, यहां पर कोई विकल्प नहीं है, किंतु सकल मूल्य, मूल्यहास एवं लेखा में उसी रूप में दर्शाया

गया शुद्ध मूल्य के अंकेक्षित आंकड़ों पर विचार करने के लिए इन्हें वास्तविक परिसंपत्तियों के रूप में ही दर्शाया गया है। प्रबंधन ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

ठ) पर्वतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान का अधिग्रहण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को पर्वतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान (बोकारो) का आवंटन दिनांक 31.03.2015 को रद्द कर दिया गया और इसके बाद कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी डीओ संख्या 13016/36/2015-सीए-III दिनांक 31.03.2015) के प्रावधानों के संदर्भ में तथाकथित खदान नामित अभिरक्षक यानी 'अध्यक्ष, कोल इंडिया' को सौंप दी गई। अध्यक्ष, सीआईएल ने सीआईएल की ओर से कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को अधिकृत किया (सीआईएल/सीएच/सीयूएसटीओडीआाइएन/ 27/1608, दिनांक 31.03.2015) है। तदनुसार, परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान को बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है (कंपनी सचिव, बीसीसीएल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या बीसीसीएलःसीएसःएफ-17 (ए), दिनांक 03/04/2015)।

अब, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन No.13016 / 77/2015-CA-III दिनांक 06.10.2015 के माध्यम से पर्वतपुर (केन्द्रीय) कोयले की खान को मेसर्स सेल को आवंटित कर दिया गया है और मनोनीत अभिरक्षक यानी सीआइएल के अध्यक्ष को यह परामर्श दी गई थी कि वे इसे सेल को सौंप दें। तदनुसार जैसा कि पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अपने पत्र सं बीसीसीएल/जीएम/ईजेए2016/1429 दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से पुष्टि की है। इसे सेल को सौंप दिया गया है, जिसके साथ हैंडओवर एवं टेकओवर की रिपोर्ट भी संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने इस दौरान एक अभिरक्षक होने के नाते इस खदान के रखरखाव पर अब तक 28.07.2016 तक ₹ 5.08 करोड़ (पावर बिल ₹ 4.04 करोड़, मरम्मत और रखरखाव और अन्य पर ₹ 1.04 करोड़) खर्च कर चुकी है, जिसे लेखा में 'प्राप्य योग्य' के रूप में लिखा गया है। यह राशि खदान में पड़े कोयले के स्टॉक से बिक्री आय से समायोज्य है।

यह अद्यतन किया जाता है कि बीसीसीएल के ₹ 5.08 करोड़ के दावा के विरूद्ध, एसएआइएल (सेल) ने भी खदान से जल निकासी के लिए ₹ 17.00 करोड़ का दावा किया है, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

पुन: भारत सरकार ने भारत के गजट (F. No. CBA2-13016/1/2018-CBA2 दिनांकित 13 फरवरी, 2020) में अधिसूचना के माध्यम से पर्बतपुर सेंट्रल कोल माइन के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए अध्यक्ष, सीआइएल को नियुक्त किया है। अध्यक्ष, सीआइएल ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथा संशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार उक्त खदान के प्रबंधन एवं संचालन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।
तदनुसार, पर्बतपुर (सेंट्रल) कोयला खदान को कंपनी के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था और महाप्रबंधक (पूर्वी झरिया क्षेत्र), बीसीसीएल को पर्वतपुर सेंट्रल कोल माइन को अपने अधिकार में लेने और तत्काल प्रभाव से इसके प्रबंधन एवं संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। (कंपनी के निदेशक (तक.), परि. एवं यो. द्वारा निर्गत प्राधिकरण पत्र सं: BCCL/D(T)P&P/F-83(B)/ 2020/45 दिनांकित 03.03.2020)।

कस्टोडियन के रूप में खदान का दूसरी बार स्वामित्व लेने की तिथि से, कंपनी ने खदान को कस्टोडियन के रूप में बनाए रखने पर ₹ 35.05 करोड़ (28.07.2016 से कुल ₹ 40.13 करोड़) खर्च किए हैं, जिसे वित्तीय विवरणों में ‘प्राप्य’ के रूप में दर्ज किया गया है। पर्बतपुर-सेंट्रल कोयला खदान को 31.07.2023 से मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील को सौंप दिया गया है।

ड) मास्टर प्लान के तहत निधि

कंपनी को आग से निपटने और कंपनी पट्टाधृत भूमि में कोयला धारित क्षेत्र/आग प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बने मास्टर प्लान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से निधि प्राप्त होती है। यह कंपनी आग से निपटने और कंपनी के आवासों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है।

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) बीसीसीएल आवासों में नहीं रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें बीसीसीएल एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त फंड जेआरडीए को दिया जाता है और इस तरह के अग्रिम (टिप्पणी-6.2 में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ) के साथ-साथ संबंधित निधि, दोनों को जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोग विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक जेआरडीए को ₹ 1.11 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 1.11 करोड़) की राशि अग्रिम दी गई है और समायोजन के लिए जेआरडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षाधीन है।

31 मार्च, 2024 को मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि की स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 31.03.2023 को
वर्ष/अवधि के आरंभ में मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष	143.89	464.57
अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	0.00	6.37
अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन	5.58	327.05
अप्रयुक्त निधि का अंत शेष	**138.32**	**143.89**

ढ) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (भारतीय लेखा मानक-115)

i. जब प्राप्ति की निश्चितता होती है तो अन्य दावों का हिसाब लगाया जाता है। तदनुसार, भूली टाउन प्रशासन के किरायेदारों से प्राप्त होने वाले हाउस रेंट के उप-न्यायिक मामले में, राजस्व का नकद आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

ii. कर प्राधिकरणों से ब्याज के साथ-साथ धनवापसी/समायोजन का हिसाब अंतिम आकलन/ धनवापसी के आधार पर किया जाता है।

iii. अंतिम नुकसान के आधार पर तरल क्षति और दंड की वसूली का हिसाब लगाया जाता है।

iv. अलग-अलग राजस्व जानकारी

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखा मानक 115, कोयले और अन्य की बिक्री से राजस्व के लिए ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है:

(₹ 'करोड़ में)

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वस्तु या सेवा के प्रकार		
कोयला	13216.17	12333.34
अन्य	0.00	0.00
कुल राजस्व	**13216.17**	**12333.34**
ग्राहकों के प्रकार		
विद्युत क्षेत्र	9021.21	8077.29
गैर-विद्युत क्षेत्र	4194.96	4256.05
अन्य या सेवाएं	0.00	0.00
कुल राजस्व	**13216.17**	**12333.34**
अनुबंध के प्रकार		
एफएसए	9259.37	8966.44
ई-नीलामी	1140.33	1553.11
अन्य	2816.47	1813.79
कुल राजस्व	**13216.17**	**12333.34**

वस्तु या सेवा का समय		
एक ही समय पर माल/सेवा का स्थानांतरण	13216.17	12333.34
कुल राजस्व	**13216.17**	**12333.34**

v. बड़े ग्राहकों के बारे में सूचना

ग्राहक का नाम	को समाप्त वर्ष			
	दिनांक 31.03.2024 को		**दिनांक 31.03.2023 को**	
	राशि (₹ करोड़)	%	राशि (₹ करोड़)	%
डीवीसी	5398.81	29.15	4317.33	25.86
सेल	2613.68	14.11	2206.26	13.21
एनटीपीसी	2192.02	11.84	2059.28	12.33

vi. आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर मान्यता दी जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग प्रदर्शन दायित्व है और इसलिए ग्राहक से विचार का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनटीपीसी से अपेक्षित प्रदर्शन प्रोत्साहन के मामले में राजस्व मान्यता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि इकाई ने प्रदर्शन दायित्व को पूरा नहीं किया है और लेनदेन मूल्य भी बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है। एनटीपीसी से संबंधित प्रदर्शन प्रोत्साहन की गणना में विशिष्ट खंड पॉलिसी संदर्भ संख्या सीआईएल/एम एंड एस/फ्लेक्सी/199 दिनांक 10.04.2024 में दिए गए हैं, जो कहता है कि दायित्व और लेनदेन तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि खरीदार यानी एनटीपीसी निर्धारित समय यानी 30 अप्रैल 2024 के भीतर लिंक किए गए प्लांट को पी.आई./जुर्माना के लिए पात्र आबंटित मात्रा का विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है।

अन्य कोयला उपभोक्ता कंपनी से संबंधित प्रदर्शन प्रोत्साहन के संबंध में राजस्व को निर्धारित लेनदेन मूल्य और पूर्ण प्रदर्शन दायित्व के आधार पर बही में मान्यता दी गई है। वसूली गई राशि को टिप्पणी संख्या 4.3 व्यापार प्राप्य में बिल रहित देनदार के रूप में दिखाया गया है। उपरोक्त राजस्व पर जीएसटी देयता बुक नहीं की गई है, क्योंकि देनदार बैलेंस शीट तिथि पर बिल रहित है। बिलिंग अप्रैल 2024 में की जाएगी और संबंधित जीएसटी देयता का भुगतान सरकार को किया जाएगा।

ण) अनुपात

क्र.सं.	**विवरण**	**दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**अंतर (विसंगति)**
1	**वर्तमान अनुपात**	**1.21**	**0.96**	**25.63%**
चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों को मापता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।				
2	**ऋण-इक्विटी अनुपात**	**0.00**	**0.00**	**लागू नहीं**
ऋण-इक्विटी अनुपात व्यवसाय में नियोजित पूंजी में लेनदारों और शेयरधारकों या मालिकों के सापेक्ष योगदान का एक उपाय है। ऋण इक्विटी अनुपात की गणना के लिए सूत्र इक्विटी शेयर पूंजी द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण है।				

3	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात**	**29.09**	**17.36**	**67.55%**
यह अनुपात अल्पावधि ऋण का भुगतान करने के लिए उपलब्ध शुद्ध परिचालन आय को मापता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात कंपनी की नकदी के साथ अपने ऋण भुगतान को पूरा करने की क्षमता को मापने के लिए एक उपयोगी बेंचमार्क है। गणना के लिए सूत्र DSCR = EBIT को ब्याज से विभाजित करें।				
4	**इक्विटी अनुपात पर वापसी**	**34.29**	**18.79**	**82.52%**
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिसकी गणना शुद्ध आय को औसत शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। जहाँ शुद्ध आय अवधि के लिए कर के बाद का लाभ है, औसत शेयरधारकों की इक्विटी = (प्रारंभिक इक्विटी + समापन इक्विटी)/2				
5	**इन्वेंटरी कारोबार अनुपात**	**11.53**	**13.55**	**(14.95)%**
इन्वेंटरी टर्नओवर एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार इन्वेंटरी बेची गई है। फिर दिनों की गणना करने के लिए इन्वेंटरी टर्नओवर फ़ॉर्मूले द्वारा अवधि में दिनों को विभाजित किया जाता है। इन्वेंटरी टर्नओवर की गणना बेची गई वस्तुओं की विभाजित लागत/इन्वेंट्री के औसत मूल्य से की जाती है। जहाँ, बेची गई वस्तुओं की लागत = (कुल व्यय -वित्त लागत - राइट ऑफ़ - प्रावधान-सीएसआर-स्ट्रिपिंग)				
6	**व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात**	**12.14**	**12.46**	**(2.50)%**
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात एक लेखा माप है जिसका उपयोग किसी कंपनी की अपने प्राप्य खातों या ग्राहकों द्वारा बकाया राशि को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। प्राप्य खातों का टर्नओवर = सकल क्रेडिट बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य				
7	**व्यापार देय कारोबार अनुपात**	**5.14**	**5.57**	**(7.72)%**
व्यापार देय टर्नओवर से पता चलता है कि एक कंपनी एक अवधि के दौरान कितनी बार अपने देय खातों का भुगतान करती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद/औसत व्यापार देय)				
8	**शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात**	**2.48**	**3.24**	**(23.40)%**
शुद्ध पूंजी कारोबार वह माप है जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को इंगित करता है और इसकी गणना कुल वार्षिक कारोबार को शेयरधारक की इक्विटी (शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित करके की जाती है।				
9	**शुद्ध लाभ अनुपात**	**11.84**	**5.39**	**119.61%**
शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ				

10	**नियोजित पूंजी पर लाभ**	**40.47**	**15.40**	**162.73%**
ब्याज और कर से पहले की कमाई (ईबीआईटी) / नियोजित पूंजी, जहां नियोजित पूंजी परिसंपत्तियों - वर्तमान देनदारियों का योग है				
11	**निवेश पर प्रतिफल**	**29.40**	**17.48**	**68.21%**
कर पश्चात लाभ (पीएटी)/ इक्विटी। जहां इक्विटी कंपनी की शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी का योग है।				

त) रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएं (भारतीय लेखामानक 10)

रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन या गैर-समायोजन की कोई घटना नहीं हुई।

थ) पूंजीगत संरचना में बदलाव

वर्तमान अवधि में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी (100%) में कोई उतार-चढ़ाव नहीं है।

पूर्ववती 5% गैर परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय पूर्वाधिकार शेयरों पर ₹ 888.65 करोड़ का सांकेतिक लाभांश बकाया नहीं था क्योंकि कंपनी संचित घाटा उठा रही थी।

7. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष और 1 अप्रैल 2022 तक के लिए पुनर्कथन

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत; क्योंकि उस अवधि से पहले पुनर्संरचना अव्यावहारिक है) की स्थिति में अपनी बैलेंस शीट को पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया है और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण नीचे बताए गए कारणों से प्रस्तुत किया है:

ओपनकास्ट माइनिंग के मामले में, सीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार स्ट्रिपिंग गतिविधि (ओवरबर्डन हटाने) की अपनी लेखांकन नीति का पालन किया है। मौजूदा नीति के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि लागत में दो घटक शामिल हैं। अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात भिन्नता। अग्रिम स्ट्रिपिंग को भौतिक माप के आधार पर चालू संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। मानक अनुपात के आधार पर परियोजना के जीवनकाल में ओवरबर्डन हटाने की लागत को समान रूप से फैलाने के लिए अनुपात भिन्नता को गैर-वर्तमान प्रावधानों के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्ष के दौरान, कंपनी की स्ट्रिपिंग गतिविधि नीति पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) की राय के आधार पर, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशिष्ट बी सतही खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत के अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि पर एक संशोधित नीति लागू की गई है। 31 मार्च, 2022 तक मौजूदा अग्रिम स्ट्रिपिंग शेष को पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 3.1 संपत्ति संयंत्र और उपकरण के तहत 01.04.2022 तक स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के रूप में माना गया है।

वित्तीय विवरण पंक्ति मदों का समाधान जो पूर्वव्यापी रूप से पुनः घोषित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) (I) 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक बैलेंस शीट की पुनः घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	दिनांक 31.03.23 को			दिनांक 01.04.22 को		
		पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.1	2904.18	3.63	2907.81	2331.73	4.95	2336.68
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	11.2	1055.81	(7.54)	1048.27	867.08	0.00	867.08

कुल परिसंपत्तियाँ		13316.76	(3.91)	13312.85	11165.97	4.95	11170.92
गैर-वर्तमान प्रावधान	9.1	2112.98	(23.68)	2089.30	1535.59	4.95	1540.54
अन्य इक्विटी	7.2	(872.87)	19.77	(853.10)	(1383.23)	0.00	(1383.23)
आस्थगित कर देयता	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल इक्विटी और देयताएँ		13316.76	(3.91)	13312.85	11165.97	4.95	11170.92

(ii) (ए) 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	(55.32)	(55.32)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		31.92	65.77	97.69
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		0.51	(0.51)	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	32.43	9.94	42.37
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	67.07	0.33	67.40
कर से पहले लाभ		163.70	10.28	153.42
कर व्यय	14.1	50.59	(2.42)	48.17
अवधि के लिए लाभ		113.11	7.86	105.25
कुल व्यापक आय		40.70	7.86	32.84

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	(32.24)	(32.24)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		163.57	58.33	221.90
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		(0.15)	0.15	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	163.42	26.24	189.66
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	67.08	0.33	67.41
कर से पहले लाभ		126.11	26.57	99.54
कर व्यय	14.1	30.68	(6.52)	24.16
अवधि के लिए लाभ		95.43	20.05	75.38
कुल व्यापक आय		6.13	20.05	(13.92)

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुन: घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	78.17	78.17
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		220.41	134.55	354.96
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		(0.85)	0.85	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	219.56	213.57	433.13
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	68.49	0.33	68.82
कर से पहले लाभ		140.84	213.90	(73.06)
कर व्यय	14.1	(85.08)	(53.67)	(138.75)
अवधि के लिए लाभ		225.92	160.23	65.69
कुल व्यापक आय		245.14	160.23	84.91

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुन: घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	9.39	9.39
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		287.00	(288.89)	(1.89)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		(1.11)	1.11	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	285.89	(278.39)	7.50
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	101.47	0.33	101.80
कर से पहले लाभ		72.23	(278.06)	350.29
कर व्यय	14.1	(138.32)	70.15	(68.17)
अवधि के लिए लाभ		210.55	(207.91)	418.46
कुल व्यापक आय		218.39	(207.91)	426.30

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुन: घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	0.00	0.00
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		702.91	(30.24)	672.67
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		(1.61)	1.61	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	701.30	(28.63)	672.67
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	304.11	1.32	305.43
कर से पहले लाभ		502.88	(27.31)	530.19
कर व्यय	14.1	(142.13)	7.54	(134.59)
अवधि के लिए लाभ		645.01	(19.77)	664.78
कुल व्यापक आय		510.36	(19.77)	530.13

(ख) 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुन: घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुन: घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	(43.49)	(43.49)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		174.81	(208.92)	(34.11)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		0.11	(0.11)	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	174.92	(252.52)	(77.60)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	75.44	0.33	75.77
कर से पहले लाभ		171.51	(252.19)	423.70
कर व्यय	14.1	(69.59)	63.64	(5.95)
अवधि के लिए लाभ		241.10	(188.55)	429.65
कुल व्यापक आय		242.61	(188.55)	431.16

30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	(24.50)	(24.50)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		202.37	(182.73)	19.64
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		2.78	(2.78)	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	205.15	(210.01)	(4.86)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	76.56	0.33	76.89
कर से पहले लाभ		324.75	(209.68)	534.43
कर व्यय	14.1	176.15	52.94	229.09
अवधि के लिए लाभ		148.60	(156.74)	305.34
कुल व्यापक आय		155.13	(156.74)	311.87

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	(26.72)	(26.72)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		119.00	(126.80)	(7.81)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		(2.64)	2.64	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	116.36	(150.89)	(34.53)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	83.65	0.33	83.98
कर से पहले लाभ		570.74	(150.56)	721.30
कर व्यय	14.1	59.34	38.06	97.40
अवधि के लिए लाभ		511.40	(112.50)	623.90
कुल व्यापक आय		510.96	(112.50)	623.46

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए लाभ और हानि के विवरण की पुन: घोषित मदों का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुन: घोषित के रूप में
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		0.00	(94.72)	(94.72)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		496.18	(518.45)	(22.27)
अग्रिम स्ट्रिपिंग समायोजन (सी)		0.25	(0.25)	0.00
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी+सी)	13.6	496.43	(613.42)	(116.99)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	235.65	0.99	236.64
कर से पहले लाभ		1,067.00	(612.42)	1,679.42
कर व्यय	14.1	165.90	154.64	320.54
अवधि के लिए लाभ		901.10	(457.79)	1,358.89
कुल व्यापक आय		908.70	(457.79)	1366.49

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभाव

विवरण	टिप्पणी	राशि (₹ करोड़ में)
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		(90.45)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		(178.24)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी)	13.6	(268.70)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	103.75
कर से पहले लाभ		412.25
कर व्यय	14.1	206.67
अवधि के लिए लाभ		205.57
कुल व्यापक आय		151.33

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभाव

विवरण	टिप्पणी	राशि (₹ करोड़ में)
कोयले तक बेहतर पहुंच (ए)		(185.17)
अनुपात भिन्नता रिजर्व (बी)		(200.52)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (ए+बी)	13.6	(385.69)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	13.5	340.39
कर से पहले लाभ		2091.67
कर व्यय	14.1	527.21
अवधि के लिए लाभ		1564.46
कुल व्यापक आय		1517.82

(iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का समाधान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
कर से पहले लाभ	502.88	27.31	530.19
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	304.11	1.32	305.43
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	701.30	(28.63)	672.67
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1264.87	0.00	1264.87
प्रावधान	0.00	0.00	0.00
संचालन से उत्पन्न नकदी	1662.01	4.95	1666.96
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(30.71)	0.00	(30.71)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	617.33	0.00	617.33
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	586.62	0.00	586.62

(iv) प्रति शेयर आय का समाधान

उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर मूल और डाइलूटेड आय निम्नानुसार बदल गई:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	पिछली रिपोर्ट के अनुसार	समायोजन	पुनः घोषित के रूप में
मूल और डाइलूटेड प्रति शेयर आय	138.50	4.25	142.75

8. विविध सूचनाएं

क) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

ख) टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कॉरपोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को दर्शाता है। टिप्पणी सं. 3.1 से 11.2, 31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का हिस्सा है और टिप्पणी सं. 12.1 से 15.1, 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ-हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी- 16 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियों का दर्शाता है।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते नाग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 312063E

(सीए एम एम प्रसाद)
साझीदार
सदस्य संख्या - 074568

दिनांक: 24.04.2024
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध
निदेशक एवं सीईओ
डीआईएन-08519303

(राकेश कुमार सहाय)
निदेशक (वित्त)
एवं सीएफओ
डीआईएन- 10122335

(एम. के. वर्मा)
विभागाध्यक्ष (वित्त)/प्रभारी

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

कोयला भवन, कोयला नगर

धनबाद - 826005, झारखंड

www.bcclweb.in

GAUTAMADVERTISEMENT